(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 ] षष्टम विधान सभा के पंचम सत्र का 31वां दिवस [ संख्या 23



बुधवार,

दिनांक 28 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न। श्री रामदेव चौधरी।

**रियां पंचायत समिति में नियुक्त विभाग के निरीक्षक**

628. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारिता विभाग के अन्तर्गत रियां पंचायत समिति में दो सहायक निरीक्षक एवं एक निरीक्षक (एल. आई.) लगे हुए हैं? अगर हां, तो उनके नाम व जाति क्या है एवं वे कहां के निवासी हैं तथा यहां कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त तीनों पिछले सात वर्षों में कब कब किस-किस जगह रहे तथा किन-किन कारणों से उनका स्थानान्तरण किया गया ?

(3) क्या इनमें से एक सहायक निरीक्षक श्री वीरपालसिंह चौहान भी हैं? अगर हां, तो उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार की पिछले सात वर्षों में कितनी शिकायतें विभाग के पास या ए० आर० को प्राप्त हुई? उनके खिलाफ कितने मुकदमे न्यायालयों में हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या वर्ष 1978-79 में पुलिस थाना, पादू में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर हां, तो किसने कराया तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय मेड़ता सिटी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा माह अक्टूबर-नवम्बर, 1978 में दर्ज कराया है? अगर हां, तो किस बाबत? क्या सम्बन्धित विभाग ने उसमें कोई विभागीय जांच की है? अगर हां, तो जांच की सही प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या मेड़ता सिटी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने इस मामले को पादू पुलिस थाना

# Page No. 2



नागौर में जांच हेतु भेजा ? अगर हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

**सहकारिता मंत्री** (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां । उनके नाम, जाति, निवास स्थान तथा कब से कार्यरत हैं, का ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है ।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर अंकित है ।

(3) जी हां । वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'स' पर अंकित है ।

(4) जी नहीं । किसी व्यक्ति ने सीधे एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई ।

(5) जी हां । ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट 'द' में अंकित है ।

(6) जी हां । दोनों मामले जेर तफतीश पुलिस हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री रामदेव चौधरी** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वीरपालसिंह ने नथमल मंत्री को यह लिखा है कि आदमियों के रुपये मेरे पास आ गये हैं इनको रसीद काट दें, क्या यह सच है ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष, मेरे पास विवरण मुकदमों का है । आपने रसीदों के लिए कहा है उसका विवरण मेरे पास नहीं है कि कौन-सी रसीद दी है ।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : यह दोनों मामले कब से पैंडिंग है पुलिस में ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष, यह सीधी कम्प्लेन्ट मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां दी गई थी । वहां से धारा 156 सी आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट महोदय ने यह तफतीश के लिए भेजी है ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : कब भेजी है ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : मुकदमा नं० 75 पहला मुकदमा है 800) रु० का जो घीसा पुत्र छोटू चौकीदार का है वह 17-7-78 को उन्होंने दिया है, उसकी कम्प्लेन्ट भेजी गई है । दूसरा जो हजारी पुत्र करनीराम का 1500) रुपये का है उसकी 17-7-78 को कम्प्लेन्ट पुलिस को भेजी गई है जो उसके विचाराधीन है ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : एक साल हो गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा तफतीश के लिए भेजे हुए तो अभी तक तफतीश करके चालान क्यों नहीं किया गया ?

**श्री ईश्वरचन्द्र** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 156 के तहत जो मामला पुलिस के सामने जेर तफतीश है । वह कब तक तफतीश पूरी कर लेंगे ? अब तक क्यों पूरी नहीं हुई ? माननीय न्यायालय के पास उसको कब तक भेजेंगे ?

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : मंत्री महोदय, आपने फर्माया कि इन दोनों व्यक्तियों ने सीधे मुकदमे दर्ज नहीं कराये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने थानेदार के पास थाने में गये थे, लेकिन उसने रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया । जब उसने इन्कार कर दिया तो मजबूर

# Page No. 3

(3)



(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
होकर न्यायालय में रिपोर्ट करनी पड़ी। जैसा आपने कहा जांच में वीरपालसिंह ने बताया कि रुपये नहीं लिए हैं जब कि वास्तव में श्री हजारी से 1500 रुपये और श्री घीसा से 800 रुपये लिए हैं। उस रसीद की फोटोस्टेट कापी मैं प्रस्तुत करता हूं जो यह साबित करती है कि इन्होंने रुपये लिए हैं। आप विश्वास दिलायेंगे कि इस अपराध में आप इनको निलम्बित करेंगे? यह प्रूफ शुदा बात है, इसमें और आनाकानी करने की बात नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष, अगर 1500 और 800 रुपये लेकर उन्होंने जमा नहीं कराये हैं तो प्राइमाफेसी यह गबन का मामला है। तथ्य साबित हो जाते हैं और तथ्य सामने आ जाते हैं तो निश्चित रूप से नियमानुसार उस व्यक्ति के खिलाफ जो कानून में प्रावधान है, निलम्बन का प्रावधान है उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं यह फोटोस्टेट कापी सदन की मेज पर रखता हूं। इस फोटोस्टेट कापी में श्री वीरपालसिंह के हस्ताक्षर अंकित हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इससे जब यह साबित होता है कि हस्ताक्षर श्री वीरपालसिंह के हैं तो आगे जांच कराने के पूर्व उनको निलम्बित कर दिया जाना चाहिए।

**श्री रामदेव चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह अधिकारी पूर्व में भी ऐसे काण्ड कर चुके हैं। मेरे पास एक पत्र की फोटोस्टेट कापी है। जब यह लाडनूं में थे तो 20-6-76 का एक पत्र है। यह लाडनूं के डीलरों से चीनी मुफ्त में मंगाते थे। इनके बारे में पहले भी शिकायत की गई लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह पत्र इस प्रकार है 20-6-76 का :

4 श्री भंवरलालजी, नमस्ते·······

(व्यवधान)

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** : यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है, इसको आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो क्या भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं?

**श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : एक सहकारी इन्सपेक्टर शुगर कैसे मांग सकता है?

**श्री रामदेव चौधरी** : आज ही निलम्बित किया जायगा, यह मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं। इसमें लिखा है—

"चीनी आप स्वयं महरबानी करके 20-6-76 को लाडनूं अवश्य पहुंचा दें। चीनी घर जरूर-जरूर ले जानी है। मेरे घर का पता—मूलचन्द मालू का मकान, पहली पट्टी में। आप स्वयं जाकर चीनी पहुंचा दें। वीरपाल सिंह चौहान।"

**श्री ओंकार लाल चौहान** (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपको संतोष हो गया है? प्राइमाफेसी केस बन गया है कि गबन किया है, मन्त्री महोदय, उस सूरत में आप पहले निलम्बन की कार्यवाही करेंगे?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि अगर

(श्री कैलाश मेघवाल)
इस प्रकार के जो तथ्य माननीय विधायक ने बताये हैं, वह सच हैं तो गम्भीर मामला है। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। कानूनी कार्यवाही के अन्दर निलम्बन भी होता है। मैं देखूं तो सही वह जो रख रहे हैं। यह तथ्य जो मुझे बताए हैं इस बारे में जांच करवा लूंगा। पहले जाँच हुई है वह इन्हीं तथ्यों पर जांच हुई है, उसकी जो कार्यवाही हुई वह सारी कार्यवाही मेरे पास नहीं है। अगर वह इन्हीं तथ्यों से सम्बन्धित है तो अलग से बता दूंगा। मुझे एतराज नहीं है किसी ने गलती की है या किसी पर गबन का आरोप सत्य है और कोई अनियमितता सिद्ध होती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही करेंगे।

**श्री रामदेव चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

**श्री अध्यक्ष** : बस अब नहीं।
प्रश्न संख्या 627

**श्रीमती नारंगी देवी** :
(अनुपस्थित)
श्री रघुनाथ विश्नोई।

**सांचौर प्राथमिक केन्द्र में एण्टी रेबिक दवाइयों की कमी**

628. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पागल कुत्ते के इलाज हेतु इन्जेक्शन्स उपलब्ध नहीं हैं? अगर हां, तो कब से एवं क्यों तथा अब इन्जेक्शन्स की व्यवस्था कब तक करा दी जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचौर, चितलवाना एवं झाब डिस्पेंसरियों में लोगों की मांग के अनुसार दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं? अगर हां, तो मौजूदा बजट बढ़ा कर उक्त अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था लोगों की मांग के अनुसार कब तक करवा दी जावेगी?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में बहुत से सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उप केन्द्र स्टाफ की कमी के कारण बन्द पड़े हैं? अगर हां, तो कौन से उप केन्द्र बन्द पड़े हैं? सभी उप केन्द्र कब तक चालू करवा दिये जायेंगे?

(4) भवातड़ा एवं डूंगरी एड-पोस्ट में अभी तक स्टाफ नहीं भेजा गया है? अगर हां, तो उक्त एड-पोस्ट कब से एवं क्यों बन्द पड़े हैं? अब उक्त एड-पोस्ट कब तक चालू करवा दिये जायेंगे? सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में परिवार कल्याण, मेडिकल एवं स्वास्थ्य के स्टाफ की कमी कब तक पूरी करवा दी जावेगी?

**चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन)** :
(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां। चार उप केन्द्र चालू हैं। दो उप केन्द्र रणोदर, करणाऊ, क्रमशः 1-11-77 एवं 13-10-78 से ए. एन. एम. की कमी के कारण बन्द हैं।

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

प्रशिक्षित प्रसविका एवं भवन व्यवस्था होने पर ही चालू किया जाना सम्भव होगा।

(4) जी नहीं। स्टाफ की कमी प्रशिक्षित ए. एन. एम. उपलब्ध होने पर पूरी कर दी जावेगी।

भवातड़ा एवं डूंगरी एड-पोस्ट कार्यरत हैं। अधिकांश स्टाफ कार्यरत है। प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होते ही कमी पूरी कर दी जावेगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि कार्यरत हैं। कब से कार्यरत हैं? किस दिन गए हैं? आप बता सकते हैं।

**श्री वृद्धिचंद्र जैन** : कब से हैं? बता दें।

**श्री त्रिलोकचंद्र जैन** : 77-78 से भवातड़ा ग्राम में....

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपने तो मना कर दिया है।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : ए. एन. एम. की कमी के कारण।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब दिया है कि उपलब्ध है। कब से उपलब्ध है? पहले उपलब्ध था या अब उपलब्ध है?

**श्री ईश्वरचन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, एण्टी रेबिक वैक्सीन का अभाव है। चूंकि अभाव को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो क्या सरकार ऐसा सोच सकती है कि पूरे तौर से कुत्तों का विनाश कर दिया जायेगा? इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। झालावाड़ में भी ये केस हो रहे हैं। झुंझुनूं का भी सवाल उठाया गया है। आप कमी पूरी नहीं कर सकते हैं तो यह जरूर कर सकते हैं कि कुत्तों को मारें।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : कुत्तों को ये नहीं मारेंगे।

**श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पागल कुत्तों के इन्जेक्शन्स जो कम्पनी बनाती है उसमें हड़ताल चल रही है। जब फैक्ट्री में हड़ताल चल रही है तो इन्जेक्शन कहां से आ पावेंगे? क्या यह सच है? माननीय मंत्री महोदय बतावें।

**श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : श्री भटनागर साहब साफ-साफ भड़का रहे हैं।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** : किसी को कुत्ता काट खाये और ये इन्जेक्शन्स नहीं लगें तो आदमी किसी भी हालत में बच नहीं सकता।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : सवाल यह है कि इसकी व्यवस्था कब तक हो जाएगी?

(व्यवधान)

**श्री ईश्वरचन्द्र** : आप चेयरमैन बन जाइये। एक कमेटी बना दें।

**श्री त्रिलोक चन्द जैन** : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। कसौली से सम्पर्क किये हुए हैं। आदमी भेज दिया गया है।

# Page No. 6

(6)



(श्री त्रिलोक चन्द जैन)
जहां तक सांचौर का प्रश्न है, वहां एण्टी रेबिक मौजूद हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : कब से ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आदमियों की फिक्र नहीं है। कुत्तों की ज्यादा फिक्र है।

**श्री कौशल किशोर जैन** : कुत्तों को क्यों मरवाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मानव जाति की फिक्र नहीं है।

**श्री कौशल किशोर जैन** : पागल कुत्तों का सवाल समझ में आ सकता है। आप आम कुत्तों को मरवाना चाहते हैं। आप हिंसा में विश्वास रखते हैं। यह हिंसा नहीं चलने दी जाएगी।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आदमियों का खून पीते हो और कुत्तों से परहेज करते हो।

(व्यवधान)

**श्री ईश्वरचन्द्र** : शहरों में आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या भयंकर है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो चुकी है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : तरह-तरह के कुत्ते हैं। जनता पार्टी के राज में आने के बाद कुत्तों की तादाद ज्यादा बढ़ी है।

(व्यवधान)

कुत्ते ज्यादा बढ़े हैं। जनता पार्टी का कम से कम एक ही काम है कि कुत्ते ज्यादा बढ़ गये हैं।

**एक माननीय सदस्य** : पागलों की संख्या भी ज्यादा बढ़ी है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, मैं....

(व्यवधान)

मेरा पहला सवाल यह है, माननीय मंत्री जी बतायें कि यह इन्जेक्शन्स सांचौर उपचार केन्द्र में कब से उपलब्ध हैं ? यह उपचार कब से आरम्भ किया गया है ? जो रेफिजरेटर खराब पड़ा था ? कब ठीक हुआ ? उपचार की सुविधा कब से प्रदान की गई है ? दूसरी बात यह है कि आपने जो उप केन्द्र बताये हैं, ये उसी जगह हैं ? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट जानकारी चाहूंगा कि इस क्षेत्र में कितने चालू उप केन्द्र हैं ? मेरी इन्फार्मेशन के अनुसार इस क्षेत्र में 75% उपकेन्द्र बन्द है। वहां पर कोई दवाई का इन्तजाम नहीं है।

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि भवातड़ा और डूंगरी में स्टाफ नहीं है। सूचना दी गई है वह तो बिल्कुल गलत है। क्या वहां से जिन्होंने यह सूचना गलत दी है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : यदि सूचना गलत है तो जरूर कार्यवाही की जाएगी। सदन को गलत सूचना नहीं दी जा सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उपाध्यक्ष महोदय,....

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं।

जनवरी, 79 से 9 केस आये हैं। दो का इलाज चल रहा है। 600 सी सी दी गई है। 200 मौजूद हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उप केन्द्रों के बंद होने को आपने मंजूर किया है कि वे बन्द पड़े हैं। आपने कहा है, स्टाफ नहीं है। तो मैं कहूंगा सरकार से, अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन किया है, आप कब से उप केन्द्र शुरू करवायेंगे ? दवाई भेज कर कब से वहां पर सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

**श्री टीकमचंद कांत** (जालौर) : मन्त्री महोदय, क्या यह सत्य है कि मेरे क्षेत्र में एक उप केन्द्र ट्रांसफर हुआ लेकिन स्टाफ नहीं होने के कारण वह चालू नहीं हो सका है ?

**श्री त्रिलोकचंद जैन** : 4 उप केन्द्र चालू हैं। दो उप केन्द्र स्टाफ की कमी से बन्द हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : कौन कौन से उप केन्द्र ?

**श्री त्रिलोकचंद जैन** : रणोदर और अरनाऊ।

**श्री टीकमचंद कांत** : ये दो उप केन्द्र बन्द बताये हैं।

**श्री त्रिलोकचंद जैन** : चार उप केन्द्रों के नाम नहीं हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : रणोदर और अरनाऊ क्यों बंद हैं ?

**श्री त्रिलोकचंद जैन** : उनके लिए मकान उपलब्ध नहीं हुआ है। मकान उपलब्ध कराने का है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मकान उपलब्ध करा दिया गया है। फिर भी इन्हें बन्द क्यों रखा गया है ?

**श्री त्रिलोकचंद जैन** : स्थान उपलब्ध होने पर व्यवस्था हो जायेगी।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आप यह बतायें कब स्टाफ भेज रहे हैं ?

**श्री त्रिलोकचंद जैन** : दो चालू हैं और दो स्टाफ की कमी से बन्द हैं, वह अगले मास से चालू हो जायेंगे। जो चालू नहीं हैं, वह अगले वर्ष से स्टाफ की व्यवस्था होते ही चालू हो जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय का मैं भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री ईश्वरचन्द्र ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, गांवों में कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, सारी रात भौंकते हैं। उनकी संख्या में अगर नियन्त्रण लाया जाय, और एण्टी-रेबिक वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सामन्जस्य होगा और रोकथाम भी कर पायेंगे। इतना ही निवेदन है।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रणजीत सिंह जी के क्वार्टर के पास....

(व्यवधान)

एक लड़का पागल हो गया, वह पत्नी छोड़ कर चला गया। भैरोंसिंह जी के पड़ोस में था, उसकी मृत्यु हो गई। सवाई मानसिंह अस्पताल में इसकी व्यवस्था नहीं, झुंझुनूं में नहीं, सीकर में नहीं, चूरू में नहीं, हाइड्रोफोबिया से कितने ही आदमी मर गये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह पब्लिक न्यूसेंस है।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एण्टी रेबिक वैक्सीन की सप्लाई डिस्कन्टीन्यू होने के बाद इसका जो रिएक्शन होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा ?

(व्यवधान)

**श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : आपको भी पागल कुत्ते ने काट खाया क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय श्री रणजीतसिंह एवं श्री रामसिंह विश्नोई।

**राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जयपुर को एम. आई. रोड पर सरकार द्वारा आवंटित निःशुल्क भू-खण्ड**

631. **श्री रणजीत सिंह राठौड़** (ओसियां) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, जयपुर को एम. आई. रोड, जयपुर पर एक विशाल भूखण्ड निःशुल्क इस शर्त पर आवंटित किया गया था कि चैम्बर द्वारा निर्मित भवन/भवनों के किराये का उपभोग 'राजस्थान आर्थिक विकास परिषद्' की गतिविधियों हेतु किया जायेगा ?

(2) यदि हां, तो उक्त राजस्थान आर्थिक विकास परिषद का निर्माण कब हुआ व किराये से प्राप्त कुल राशि का कितना प्रतिशत उक्त परिषद की गतिविधियों हेतु व्यय किया गया ?

**नगर आयोजना मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा)** : (1) राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स को 1/- रुपया वार्षिक लीज पर 99 वर्ष हेतु एम. आई. रोड पर भूमि का आवंटन किया गया था। लीज डीड की शर्त संख्या 10 के अनुसार चैम्बर द्वारा एक राजस्थान आर्थिक विकास परिषद गठित की जानी थी तथा भू-खण्ड पर निर्मित भवनों के किराये की आय उक्त परिषद की गतिविधियों हेतु व्यय किये जाने का उल्लेख है।

(2) आर्थिक विकास परिषद का गठन नहीं किया गया। व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रति माह 11,746.50 रुपया किराये के रूप में वसूल किया जा रहा है।

**श्री रणजीत सिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, इतना लम्बा अर्सा हो गया, अभी तक राजस्थान आर्थिक विकास परिषद का गठन नहीं हुआ है। जो पैसा किराये का आया वह कहां पर खर्च किया गया ?

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : चैम्बर जैसी गरीब संस्था को जमीन देने वाले कौन से समाजवादी लोग थे ?

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : लीज डीड की शर्त नम्बर 10 के अनुसार आर्थिक विकास परिषद बनानी चाहिये थी और उसको किराये की इनकम मिलनी चाहिये थी। उस शर्त का पालन अभी तक नहीं किया गया। क्या इस लीज डीड में यह लिखा गया है कि अगर लीजी लीज डीड की पालना नहीं करेगा तो लीजर उसको भूमि से हटा सकेगा और उसको कम्पेन्सेट भी नहीं किया जायगा ? शर्त नं. 10 का पालन नहीं किया गया है तो क्या अब सरकार शर्त नं. 9 का पालन करेगी ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : 74-75 में इनको नोटिस दिया गया था कि जो किराये का भवन दे रखा है वह नियमों के खिलाफ है और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए....

(व्यवधान)

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : यह डीड कब हुई, किसकी मौजूदगी में हुई, कौन से वर्ष में हुई ? और 74-75 में हुई तो इसका फैसला क्यों नहीं हुआ ? सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मेरा सवाल स्पेसिफिक है, अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवाइये।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : मंत्री महोदय ने जो किराया बताया है, क्या यह सच है कि इस भवन के नीचे की मन्जिल राजस्थान लघु उद्योग निगम को प्रदर्शनी के लिए दी गई है ? इसका कितना वार्षिक किराया आता है और नहीं आता है तो किस कारण से ?

**श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : 19-6-76 को शर्त नं० 9 को पालना नहीं करने के कारण नोटिस दिया गया केन्सिलेशन के लिए, रिजम्प्शन के आर्डर हो गये तो फिर अब तक रिजम्प्शन क्यों नहीं किया गया ? बावजूद इसके कि 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई, बावजूद इसके कि आप जैसे मन्त्री आ गए, केन्सिलेशन आर्डर पर अमल क्यों नहीं हो रहा है ?

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : Let the reply come.

**श्री भंवरलाल ऐरन** (नसीराबाद) : क्या रिजम्प्शन आर्डर पर स्टे ले लिया गया और वह अभी तक लागू है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भूमि 14-9-66 को दी गई थी।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : किसके द्वारा ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : भूतपूर्व सरकार के द्वारा। कोलायत से आने वाले माननीय

Page No. 10

(10)



(श्री भंवरलाल शर्मा)

सदस्य ने कहा कि शर्त नं० 9 का उल्लंघन किया गया है, यह बात सही है, उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि सरकार ने रिजम्प्शन के आर्डर दे दिये, यह भी सही है। रिजम्प्शन आदेश करने के बाद चेम्बर ने प्रार्थना पत्र दिया है और उसके आधार पर स्टे जारी है जिसकी सुनवाई के लिये 30-4-79 तय है।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द सामरिया** : यह स्टे कब आया ?

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : यह अपील किस कानून में की गई और स्टे किसने दिया ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : 14-6-76 का आर्डर है और 17-6-76 को स्टे हुआ है।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : किसने दिया ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय गुलाबसिंहजी शक्तावत ने स्टे दिया था।

**श्री भंवरलाल ऐरन** : कहां पर प्रावधान है अपील करने का ?

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था।

(व्यवधान)

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : मन्त्री महोदय का पूरा उत्तर आने दिया जाय।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : किसके दस्तखत हैं यह भी फर्मा दें।

(व्यवधान)

**श्री रघुनन्दन व्यास** : क्या यह सच है कि माननीय गुलाबसिंह जी द्वारा माननीय मंत्री महोदय पर दबाव डाला जा रहा है कि जो स्टे दिया गया था उसको लागू करके स्थाई किया जाय ?

**श्री कौशल किशोर जैन** : मैंने स्पष्ट निवेदन किया था कि सबके नीचे का जो खण्ड है उसमें राजस्थान लघु उद्योग का 'प्रदर्शनी कक्ष' दो साल से है क्या यह इल्लीगल कब्जा है या लीगल है ? अगर लीगल है तो उसका कितना किराया जमा हुआ है ?

(व्यवधान)

**श्री मूलचंद सामरिया** : स्थगन आदेश किस किस तारीख को किसके दस्तखत से दिए गए ?

**श्री गुल मोहम्मद** : 1976 में स्टे दिया गया। 1976 से लेकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही कब तक हो जाएगी। तीन साल तो बीत गए। रिजम्पशन के आदेश जो हुए हैं उन पर आगे एक्शन हो गया या नहीं ?

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : कांग्रेस शासन के समय मंत्री ने स्थगन आदेश दिया लेकिन 18 महीने तक आपने क्या किया ?

**श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)** : अब तक कितना किराया वसूल हुआ, यह नहीं बताया।

# Page No. 11

(11)



श्री बजरंगलाल शर्मा : आप मूल बात पर आ जाएं। कांग्रेस ने तो अपने आचरण के परिणाम भुगत लिए। आपके मंत्री बनने के बाद किन किन तारीखों को, किस किस आधार पर इस स्टे को कन्टीन्यू किया गया ?

श्री मूलचंद डागा : स्टे देने के क्या आधार थे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया, इसमें सुनवाई की तारीख 30-4-79 निश्चित है। इससे पहले तारीखें पड़ी हैं लेकिन वे किन कारणों से पड़ी हैं, इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है, पर देखा जा सकता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह दुःख की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण केस में किन कारणों से तारीखें बदली गईं, यह आपको स्मरण नहीं है। यह प्रश्न तीन चार बार सदन में आया है उसके बाद भी टालमटोल का उत्तर दिया गया है। सरकार के कन्डक्ट को देखने के लिए इन केसेज को पिनपाईंट करना जरूरी है, यह मालूम हमें होना चाहिए कि तारीखें क्यों बदली गई ? तारीखें बदल कर उस संस्था को लगातार दो साल से लाभ की स्थिति में क्यों रखा जा रहा है ? उत्तर देने की कृपा करें ताकि हमारी सरकार का करेक्टर और कन्डक्ट सामने आये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रश्न आज के मुख्य प्रश्न में नहीं है फिर भी व किन किन कारणों से तारीखें बदली गई, बताया जा सकता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह सप्लीमेंटरी मूल सवाल के परव्यू में है। शर्तों की पालना नहीं हुई तो क्या एक्शन लिया गया ? आप कह दीजिए कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स के इन्टरफीयरेंस के कारण नहीं लिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : श्री गुलाबसिंह शक्तावत का मंत्री महोदय पर दबाव पड़ रहा है, क्या यह सही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका आरोप निराधार है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुख्य मंत्री इसका जवाब दें।

[illegible] : क्या 30-4-79 को इस स्टे को वेकेट करा देंगे ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : आप आश्वासन दें कि 30-4 को तय हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अब सप्लीमेंट्री नहीं होंगे।

श्री निर्मल कुमार।

(व्यवधान)

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : 30-4-79 को मामला निपटा देंगे, इस तरह की बात कहने में क्या दिक्कत है ?

**श्री मूलचन्द सामरिया** : 30-4-79 को तय कर देंगे, यह आश्वासन दीजिए। गरीबों व झुग्गी झोंपड़ी वालों को तो जमीन नहीं और बड़े आदमियों को करोड़ों रुपये की जमीन इस प्रकार मुफ्त दी गई। स्टे के आदेश वापस कब तक लेंगे ?

**श्री रणजीतसिंह राठौड़** : प्रश्न (3) का जवाब दें।

(व्यवधान)

**श्री गुल मोहम्मद** : प्रश्न (3) में है, कुल कितना किराया जमा हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : आप सब स्थान ग्रहण करें। अगर प्रश्न के खण्ड (3) का उत्तर मंत्री महोदय दे सकें तो अवगत करायें।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : आप लगातार धनपतियों की मदद कर रहे हैं। जयपुरिया की जमीन के बारे में 1973 से मामला पड़ा है, 40 बीघा जमीन में झुग्गी झोंपडी वालों को बसाया जा सकता है। आपके वकील ने दरख्वास्त दी है कि प्रशासनिक कारणों से मैं तारीख लेना चाहता हूं। कोका कोला, क्लार्क्स आमेर होटल के पास कुल मिला कर 300 बीघा जमीन है जिस पर झुग्गी झोंपड़ी वालों को बसाया जा सकता है........

(व्यवधान)

**श्री रघुनन्दन व्यास** : जयपुरिया के मुकदमे में कौनसे वकील ने स्टे को रोकने के लिए पैरवी की और भंवरलालजी के कौनसे वकील थे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, यह निराधार है कि कोई धनपति का मुझ पर दबाव है।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : फाइल में अंकित है।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय को एक सैकण्ड तो बोलने दें। इनको बोलने के लिए तो समय ही नहीं दे रहे हैं।

**श्री भंवर लाल शर्मा** : जैसा मैंने निवेदन किया न तो चैम्बर आफ कामर्स के भवन के मामले में, इसके निपटारे के लिए किसी का दबाव है, न किसी के साथ पक्षपात है। बाकी जितना वर्णन माननीय सदस्य ने किया है, इस मामले में न किसी पूंजीपति का कोई दबाव है न सरकार उनको अनुचित लाभ देना चाहती है। कानून के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वही की जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 30-4-79 को आप सब माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द सामरिया** : किसके आदेश से रिज्यूम किया ? इसमें यदि देरी होती है तो आशंका होती है।

**कई माननीय सदस्य** : खंड (3) का उत्तर दें।

**श्री टीकमचंद कान्त** : किसी के साथ में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे हैं लेकिन स्वयं निर्णय नहीं करना चाहते, अगले मंत्रिमंडल के लिए छोड़ना चाहते हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : खंड (3) में प्रति माह किराए के बारे में बताया है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : आप अच्छी तरह से पढ़िए।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : 1966 से आज तक कितना किराया जमा हुआ ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यह राशि निश्चित रूप से प्रति माह किराये की है।

**कई माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : तीसरा प्रश्न है, चैम्बर द्वारा निर्मित भवन/भवनों से अब तक कितना किराया प्राप्त किया गया है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैंने उत्तर दिया है 11,746.50 रु० किराया प्रति माह का है। अब प्रश्न यह है कि कितना किराया इकट्ठा किया गया और किस काम में लिया गया। हमने चैम्बर को पत्र लिखा था कि पूरी जानकारी दें कि कितना पैसा इकट्ठा किया और किस-किस काम में लिया। लेकिन अभी तक हमें उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : प्रश्न को स्थगित किया जाये।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : या तो प्रश्न को स्थगित किया जाये या फिर आधा घंटे की चर्चा रखी जाये।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : आधा घंटे की चर्चा के लिए सारा प्रश्न स्थगित किया जाये।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने का आदेश दें। कृपा करके इस बात को ठीक तरह से दर्ज कर लिया जाये, मेरी इतनी प्रार्थना है क्योंकि मंत्री महोदय भाषण सदन के फ्लोर पर दे रहे हैं इसलिए भाषण देते समय उनको यह महसूस करना चाहिए कि उन्होंने खुद हां कहा है और यहां यह ना कह रहे हैं, यह कहां तक उचित है ?

**मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न में काफी रुचि दिखाई है। 1966 में लीज देकर यह भूमि चैम्बर आफ कामर्स को दी गयी थी। किन-किन कन्डीशन्स की पालना हुई और किन-किन कन्डीशन्स की पालना नहीं हुई इसके लिए भूतपूर्व सरकार ने भी कार्यवाही की थी और अब तक चल रही है। माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की रुचि दिखाई है हम तत्परता से इस सारे मामले को निपटाने का प्रयत्न करेंगे। जहां-जहां भी लीज एग्रीमेन्ट का वायोलेशन हुआ है उस पर कार्यवाही निश्चित रूप से की जायेगी। यही विश्वास दिलाऊंगा।

इसके अलावा कहना चाहूंगा कि जयपुरिया हो या कोई भी हो कोई भी आदमी सरकार के आदमी को प्रभावित नहीं कर सकता। यह आक्षेप लगाने की दृष्टि से आप चाहे भले कहें। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जितनी रुचि इसमें दिखाई है उससे

# Page No. 14

(14)



(श्री भंवरलाल शर्मा)

हमें काफी जानकारी मिली है। पुरानी सरकार की बहुत सी फाइलें जिस समय आती हैं उस समय पता लगता है उनका। सारी जानकारी हमें हो जाये उन सब की, यह सम्भावना नहीं है। यह प्रश्न अभी आया और इस पर आपने काफी दिलचस्पी दिखा कर काफी जानकारी सरकार को दी है। आप यह निश्चित मानिये कि जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही की जा सकती है, वह की जायेगी और उसमें किसी को छोड़ा नहीं जायेगा। जहां तक किराया वसूल करने का प्रश्न है यह मैंने इसी रूप में लिया है कि यह आज तक क्यों नहीं हुआ, कितना जमा कराया और क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण से किराया वसूल नहीं कर सके, इसके ऊपर विस्तार से जांच करके जो भी निर्णय लेना होगा वह लेंगे। सरकार के ही हित में निर्णय होगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

**श्री रणजीत सिंह राठौड़** : इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही उसके लिए तो मैं आभारी हूं। जो भूमि मैंने बताई है उस पर बड़े-बड़े धनपतियों का कब्जा है। उसको लेने से बहुत बड़ी समस्या आवास की, गरीबों की हल हो सकती है। क्या गरीबों के मसीहा उस भूमि के लिए किसी प्रकार की बात कहेंगे ? क्या उस भूमि को रिज्यूम करने के लिए कानूनी कार्यवाही होगी ?

**श्री रणजीत सिंह राठौड़** : इसको स्थगित कर दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री निर्मल कुमार।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार की ओर से मंशा जाहिर की गई है कि धनपतियों की भूमि नहीं छोड़ी जाये। इसलिए मैंने कहा है कि जिन भूमियों का मैंने जिक्र किया उसके बारे में जो अड़चन डाल रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में किसी प्रकार का आश्वासन देंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जो कुछ कहना था कह दिया।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद ओवरसाइट से रह गया हो।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : यह सप्लीमेन्ट्री इस क्वेश्चन के परव्यू में नहीं आता है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आफ दी हैंड नहीं कह सकता कि कितनी जमीन जयपुरिया या कोकाकोला की है लेकिन जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सार्वजनिक उपयोग के लिए वह अवाप्त की जा सकती है या नहीं, अवाप्त की जा सकती हो तो करनी चाहिए। माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आवश्यक हुई और वह भूमि लेनी है तो हम नहीं हिचकिचायेंगे।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : सरकार की घोषणा निकल चुकी है अब तो सिर्फ 6 साल से अवार्ड के लिए प्रासीडिंग्स पड़ी हैं इसलिए

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
सार्वजनिक प्रयोजन के बारे में शक नहीं है। 6 साल से अवार्ड की प्रोसीडिंग्स पड़ी हैं।

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न बाकी हैं। यह कौन-सा प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : माननीय सदस्य, जो सवाल उठा रहे हैं वह प्रश्न नहीं उठा सकते। समय जा रहा है। हमारा प्रश्न रह जायेगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : हमारे झालावाड़ जिले का रोडवेज का महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**स्थगित प्रश्न**

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : मेरे प्रश्न को लिया जाये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : मेरा निवेदन है कि पहले माननीय सदस्य निर्मलकुमार जी का प्रश्न लिया जाये। उनका नाम पुकारा जा चुका है।

(व्यवधान)

**श्री लालचंद** : गरीबों के लिए, किसानों के लिए दूसरा क्राइटेरिया है।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का नाम पुकार चुके हैं।

(व्यवधान)

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दो बार मेरा नाम पुकारा है।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न। श्री गोविन्द सहाय।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 632 पुकारा है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नवरंग सिंह।

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि सदस्य का नाम पुकार लिया जाये तो प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। फिर मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए खड़े हुए।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : अलग-अलग घंटवाद है इसलिए एक एक बात कहता है और दूसरा दूसरी बात....

(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : मंत्री महोदय जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं लेकिन इस प्रश्न को बचाने के लिए इतना व्यवधान किया गया है। रोडवेज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानबूझ कर साइडट्रैक किया जा रहा है।

(व्यवधान)

**श्री कौशलकिशोर जैन** : मंत्री महोदय खड़े हो गये थे। उत्तर दिलाइये, अध्यक्ष महोदय,....

**श्री मूलचंद डागा** : यह पार्टी है या घटकवाद ?

**एक माननीय सदस्य** : हाय ! हाय !

**श्री मूलचंद डागा** : क्वेश्चन आवर की हाय हाय हुई है।

(व्यवधान)

अनुशासन नहीं है पार्टी में....

**श्री बालचंद आर्य** : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं, जवाब दिलाया जाये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह स्थगित प्रश्न भी ले लिया जायेगा और यह प्रश्न भी ले लिया जायेगा। कुछ समय ज्यादा लगेगा, कोई चिन्ता नहीं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह इस तरह से पक्षपात नहीं होगा।

(व्यवधान)

आज तक हमारा कोई प्रश्न नहीं लिया।

**श्री वृद्धिचंद जैन** : यह खुल्लमखुल्ला पक्षपात होगा।

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : हमेशा तीन, चार सवाल होते हैं, आज कोई नई बात हुई है ?

(व्यवधान)

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : कुछ माननीय सदस्य, माननीय यातायात मंत्री से मिले हुए हैं, इस प्रश्न का जबाव नहीं आने देना चाहते हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह परम्परा बन जायेगी।

**श्री नवरंग सिंह** : आपके आदेश का पालन कराया जाये।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : अभी माननीय निर्मलकुमार जी ने कहा कि कुछ माननीय सदस्य हरिसिंह जी से मिले हुए हैं, उनको बचाना चाहते हैं। श्रीनवरंगसिंह जी कह रहे हैं, बचाना चाहते हैं तो क्या मुख्य मंत्री जो जवाब दिलवा रहे हैं, उनको मरवाना चाहते हैं। क्या आपकी यह व्याख्या है।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : हम तो आपकी आज्ञा को ध्यान में रख कर बैठ गये। यह नहीं हो सकता।

**श्री अध्यक्ष** : मेरी एक बात तो सुनने की आप कृपा करें। प्रश्न 631। सभी

(श्री अध्यक्ष)

महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो गई है । मंत्री महोदय, मुख्य मन्त्री दोनों ने उत्तर दिया है । सदन के नियम हैं । अगर सदन को आपत्ति है उत्तरों से तो नियमों के अन्तर्गत कई और दूसरी प्रक्रियायें हैं जिनके द्वारा सदन में यह प्रश्न फिर से आ सकता है लेकिन आप एक बात भी नहीं सुनें और आसन को बार-बार खड़ा होकर संकेत करना पड़े तो जब तक आपका मूड नहीं हो, आसन क्या करे ? आसन आरम्भ से बैठा रहे। पौने बारह बजे स्थगित प्रश्न लिए । अगर आपका मूड नहीं तो मैं आराम से बैठा हूं ।

स्थगित प्रश्न ।

**श्री शिवचरणसिंह** : इनके चीफ व्हिप को हंटर दे दो ।

**प्रश्न संख्या 295**

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोविंद सहाय ।

अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।

श्री नवरंगसिंह ।

**मन्त्रियों के राजस्थान के बाहर के दौरे**

391. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़), **श्री मूलचंद डागा** (पाली), **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनता सरकार के गठन के बाद राजस्थान में मंत्रि-मण्डल के सदस्यों (मुख्य मंत्री सहित) ने कितने दौरे अब तक राज्य व राज्य के बाहर किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त दौरों में कितना यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता विभिन्न मन्त्रियों द्वारा उठाया गया है ? मंत्रीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । किन कारणों से दौरे किये गये उसका भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल)** : (1) मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य मंत्री सहित राज्य व राज्य के बाहर अब तक किये गये दौरों का विवरण संलग्न है ।

(2) जिन-जिन माननीय मंत्री महोदयों ने जितना टी. ए., डी. ए. उठाया है, उसकी सूची संलग्न है तथा दौरों का कारण भी अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : मैं यह जानना चाहूंगा... ....

**श्री नवरंगसिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन की मेज पर जो सूची रखी है उस सूची में बताया है, बहुत सी रकम बताई है वह उठाई नहीं गई है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जानबूझ कर इसको छिपाया गया है । अगर रकम नहीं उठाई गई है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी रकम है, अनुमान बताया जाना चाहिये था । किन कारणों से दौरा किया गया है ? अध्यक्ष

(श्री नवरंगसिंह)

महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी कितने दिन जयपुर से बाहर रहे, कितने दिन दिल्ली में रहे, पूरा विवरण नहीं बताया गया है। माननीय सिंचाई मंत्री जी जब जब दिल्ली गये हैं कोटा जरूर गये हैं। उनको राजस्थान सरकार की चिन्ता नहीं है। माननीय कैलाश चन्द जी ने जहां-जहां दौरा किया, घूम घाम कर उदयपुर गये हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** इनके लिए उदयपुर का क्या सवाल है ?

**श्री मूलचंद डागा :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न में नाम था। मुझे सूची नहीं मिली। जो विवरण सदन की मेज पर रखा है, वह मैंने टेबल पर देखा। जो विवरण सदन की मेज पर रखा वह मुझे अभी भी उपलब्ध नहीं हुआ है.......

**श्री ईश्वरचंद्र :** आप नवरंगसिंह जी के पास देख सकते हैं।

**श्री मूलचंद डागा :** न टेबल पर है, न मुझे कापी मिली है, यह कैसी व्यवस्था है। मैं अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा हूं.......

**श्री श्योपतसिंह मकासर :** जो हमारे प्रश्न रह जाते हैं उनका उत्तर भी नहीं मिलता। बड़ी समस्या है।

**श्री शिवचरणसिंह :** मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने जो दौरे किये हैं क्या इन्सपेक्शन नोट सबमिट किये हैं ? क्या कोई इन्सपेक्शन नोट लिखे हैं ? प्रशासनिक दौरा जब आप करते हैं तो आपकी मोरल ड्यूटी है इन्सपेक्शन नोट लिखने की। क्या मंत्री गणों ने अपना इन्सपेक्शन नोट लिखा है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि पहले ये रूल्स थे कि 15 दिन दौरे पर रहेंगे और 15 दिन आफिस में रहेंगे। हमारे वक्त ये रूल्स थे कि राजस्थान से बाहर मन्त्री जायं तो मुख्य मन्त्री जी की परमीशन से जायेंगे। पहले यह पाबन्दी थी कि सात हजार तक का टेलीफोन कर सकते थे। और चीजों के लिये भी एक लिमिट थी कि इतना पानी, इतनी बिजली खर्च कर सकते हैं, इतना फर्नीचर रख सकते हैं। क्या उनमें से किसी एक की भी पालना की है ? आप स्वयं 20 दिन दिल्ली में रहते हैं तो क्या आप दूसरे मन्त्रियों से अपेक्षा करते हैं कि वे यहां रहेंगे ? जनता यहां आये और चक्कर खाकर घूमती फिरे।

(व्यवधान)

साथ ही यह भी बता दें कि सबसे अधिक रुपया टी. ए., डी. ए. का किसने उठाया है और सबसे कम किसने उठाया है ताकि यह भी मालूम पड़े कि कौन मंत्री लोगों से मिलने की ज्यादा इच्छा रखते हैं और कौन मन्त्री लोगों से मिलने की कम इच्छा रखते हैं।

**मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) :** अध्यक्ष महोदय शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल्स का उल्लेख किया है। माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि पहले जो रूल्स थे, वे ही हैं। उन रूल्स के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुसार ही पानी, बिजली, फर्नीचर आदि में जितना खर्च पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है।

दूसरा आपने पूछा, कोई मन्त्री राजस्थान से बाहर जायेंगे तो मुख्य मन्त्री से पूछ कर जायेंगे। यह बात सही है, पूछ कर जाते हैं।

बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि मंत्री बाहर जाते हैं तो कोई इन्सपेक्शन नोट देते हैं क्या, मैं पूछता हूं यह पहले रिवाज था क्या ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : था।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने कभी किसी मन्त्री का नोट देखा नहीं......

(व्यवधान)

आप पहले सुन लीजिये।

हमने यह व्यवस्था की है कि बाहर मंत्री जायेंगे तो प्रशासन के सम्बन्ध में और जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में अपना एक नोट रखेंगे। यह प्रक्रिया चालू है और इस प्रक्रिया से हमें लाभ भी मिला है।

एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं दिल्ली बहुत जाता हूं, जयपुर में कम रहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं, मुख्य मन्त्री बनने के बाद जयपुर के लिये ही नहीं हूं, मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। चूंकि टी. ए., डी. ए. का सम्बन्ध है इसलिये बाहर नहीं जाऊं, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं.........

(व्यवधान)

जहां तक दिल्ली जाने का प्रश्न है, मैं इतना कह सकता हूं फालतू एक दिन दिल्ली में नहीं रहा हूं। फालतू कह सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि मैं कुछ दिन दिल्ली अस्पताल में रहा और कुछ दिन वहां बीमार रहा। दिल्ली में कभी एन. डी. सी. कमेटी में जाना पड़ता है तो कभी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाना पड़ता है, कभी फाइनेंस कमीशन के काम से जाना पड़ता है। इरिगेशन की कान्फ्रेंसेज हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कान्फ्रेंसेज हुई है और कई बार कान्फ्रेंसेज हुई हैं अब उन कान्फ्रेंसेज में मेरे जाने से राजस्थान का हित हो सकता है, यह मेरे विवेक पर छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। टी. ए., डी. ए. प्राप्त करने की भावना से दौरे करता हूं, वह भावना मेरे में कतई नहीं है। जहां जाना जरूरी होगा निश्चित रूप से जाऊंगा। मैं देख रहा हूं कई मेम्बर्स पिछले 10 दिन से प्रश्न कर रहे हैं ज्यों ही विधान सभा की कार्यवाही खतम हो, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य मन्त्री जी जाएं। तो कोई शौक से जा रहा हूं ऐसी बात नहीं है। आखिर सारे राजस्थान में जाना पड़ता है। आप किसी भी मंत्री के टी० ए०, डी० ए० की जांच करना चाहें, कर लें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने केवल टी० ए०, डी० ए० के नाते यात्रा की हो तो आपकी आपत्ति उचित हो सकती है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : मंत्रियों को यहां रहना भी जरूरी है या नहीं ? यहां पर रहने का कोई आधार तो होना चाहिये। सारे राजस्थान की यहां प्राब्लम आती रहती हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और मुख्य मंत्री जी गैर हाजिर रहते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं जानकारी के लिये भी बता दूं, आप किसी भी दिन किसी भी मंत्री के घर चले जायें। दो, ढाई हजार आदमियों से मिल कर बाहर निकलते हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : रहते हैं तो मिलते ही हैं। नहीं रहेंगे तो क्या मिलेंगे ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : नहीं रहते हैं तो वैसे भी सबको सूचना तो दे नहीं सकते हैं कि कौन कौन एक्सपेक्टेड विजिटर्स होंगे। समाचार पत्रों से सबको जानकारी रहती है कि मुख्य मंत्री कहां है और कहां नहीं है।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : मैं तो जब भी मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन करता हूं तो कहते हैं सिटी में गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कई बार रात को 12-00 बजे भी टेलीफोन आते हैं, कई बार साढ़े ग्यारह बजे आते हैं और कई बार रात को 1-30, 2-30 बजे तक टेलीफोन आते हैं। मैं सोया हुआ होता हूं तो वैसा कह देते हैं। अब मैं मकान पर ही रहूं, यह कोई जरूरी नहीं है। कई जगह मुझे जाना पड़ता है। कई जगह मेरे स्पेशल रिलेशन्स भी हैं उनके यहां भी मुझे जाना पड़ता है। शहर में जाने की सूचना मिल गई तो इसमें आपत्ति क्या हो गई ?

(व्यवधान)

**श्री पदमसिंह राठौड़** : मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि कभी बजरंग लाल जी के घर भी गये क्या ?

(व्यवधान)

**श्री अयूब खां** : मुख्य मंत्री जी किसी काम से बाहर चले जाते हैं तो उस समय अन्य मंत्रीगण भी सेक्रेटेरियट में कम बैठते हैं। अम्बर में जाकर बैठते हैं या फिर अपने घर जाकर बैठते हैं, यह शिकायत रहती है।

**श्री एच. एन. शर्मा** : माननीय मुख्य मंत्री जी अभी तक बजरंग लाल जी के घर नहीं गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बजरंग लाल जी यह शिकायत नहीं कर सकते हैं कि उनके घर नहीं गया। मेरी शिकायत हो सकती है कि उन्होंने बुलाया नहीं।

(व्यवधान)

**मेजर श्री फतहसिंह** : अध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्य परेशान हैं चाहे वे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी से सब परेशान हैं।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : माननीय बजरंग लाल जी को सिविल लाइन में बंगला दिलवा दिया जाय।

**श्री ईश्वर चंद्र** : क्या यह सही है कि दिल्ली के जोधपुर हाउस, जहां माननीय मुख्य मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय ठहरते हैं, का टेलीफोन का बिल 70

(श्री ईश्वर चन्द्र)

हजार रुपया पर मन्थ ग्रा रहा है ? महा महिम राज्यपाल महोदय के लिये जो वहां एनेक्सी बनाई है उसमें उनका दामाद ग्रौर पुत्री ठहरते हैं तो लाखों रुपया उनके डिनर में ग्रौर ग्रन्य कई कामों में खर्च हो रहा है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कितना खर्चा हो रहा है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन जोधपुर हाउस सी० एम० के लिये ग्रौर राज्यपाल महोदय के लिये इस सरकार ने निर्धारित नहीं किया है, पहले से ही चलता ग्रा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के जंवाई वहां रहते हैं, मैं समझता हूं पहले भी रहते थे। मैंने तो राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट भी की है कि वे वहां नहीं रहे तो ज्यादा ग्रच्छा होगा। उन्होंने कृपापूर्वक मेरी रिक्वेस्ट को माना है, हमने तो पहले से सुधार किया है।

**श्री ईश्वर चंद्र** : सारे हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट को वहां बैठे बैठे दावतें देते रहते हैं ……

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : मैं नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे समस्त मंत्रियों ग्रौर स्वयं के लिए भी महीने में एक सप्ताह जयपुर में रहने के लिये निश्चित कर दें जिससे ग्राम जनता को सहूलियत हो जाये, हम विधायकों को सहूलियत हो जावे।

**श्री मूलचंद सामरिया** : मैं तो एक ही बात रखना चाहता हूं कि कुछ मिनिस्टर्स को टेलीफोन करते हैं, जब दफ्तर में टेलीफोन करते हैं तो कह देते हैं कि घर पर हैं ग्रौर जब घर पर टेलीफोन करते हैं तो कह देते हैं कि दफ्तर में हैं। इसलिए जिस तरह से खोया-पाया का एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसी तरह से इनके बारे में भी एडवर्टाइज करा दें। इसके लिए एक डिपार्टमेंट तय कर दें जो इनकी इत्तला देता रहे।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था थी, जिसका बराबर इस सदन के प्रांगण में इस्तेमाल करते थे ग्रौर बाहर भी किया करते थे। महीने में कुछ रोज ग्राप निर्धारित करवा दें कि इन दस दिनों में यहां पर रहेंगे। यह हो सकता है कि ग्रापको ग्रौर भी काम हों, ग्रापको राज के काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, किसी ग्रौर मंत्री को भी जाना पड़ सकता है, बहुत ग्रावश्यक कार्य होने पर जाना पड़े, कोई मीटिंग हो सकती है लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता को ग्रौर इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि महीने में इन दस दिनों में मंत्रिमण्डल के सदस्य जयपुर में रहेंगे। यह पूर्व में भी व्यवस्था थी। ग्रगर ग्राप भी यह व्यवस्था करेंगे तो ग्राप लोगों से जो जन समस्याग्रों को लेकर मिलने ग्राते हैं उनको ग्रसुविधा नहीं होगी ग्रौर राजस्थान के लाखों लोगों का ग्रनावश्यक खर्चा नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं रहता कि मंत्री कब मिलेंगे ? इसीलिए मंत्रियों के प्रति यह शिकायत चल रही है। यदि ग्राप यह व्यवस्था करा दें ग्रौर इसकी सूचना करा दें या इसका प्रोक्लेमेशन हो जाय कि मोर ग्रौर लैस, कैबिनेट यहां हो रही है ग्रौर इन दिनों

(श्री परसराम मदेरणा)

में मंत्री लोग जयपुर में रहेंगे। अभी सत्र समाप्त हो जायेगा उसके छः महीने के बाद में मिलना होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से पूर्व में दस दिन मुकर्रर कर रखे थे, पहले एक मुख्य मंत्री द्वारा 15 दिन नियत थे, फिर दस दिन हो गए थे। जब इन दिनों में भी मिनस्टिर नहीं रहे तो उनको केबिनेट में लताड़ पड़ी थी कि जब समय निश्चित कर दिया है, अवधि निश्चित कर दी है तो उस दिन उनको जयपुर में रहना ही चाहिए। इसी प्रकार की व्यवस्था आप भी करा दें।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** माननीय मदेरणा साहब ने जो बात कही, वह हमने पहले व्यवस्था कर रखी है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार सप्ताह में तीन दिन सारे मंत्री जयपुर रहेंगे।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** रहते नहीं हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** कई बार दिक्कत ऐसी आती है, कि सरकारी कामकाज होने से, उस कामकाज के लिए मजबूरन जाना पड़ता है। दूसरे कई वार मेले-त्योहार हो जाते हैं। यहां पर माननीय सदस्य कोई बात कहें लेकिन मेले, तो हम तय नहीं करते, उन्हें मालूम है कि कई बार हमें मजबूरन उनमें जाना पड़ता है, कई वार धार्मिक कार्यक्रम, होते हैं उनमें जाना पड़ता है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस बात की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी होनी चाहिए कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन तीन दिनों में आम तौर पर जयपुर में मंत्रीगण रहेंगे। इन दिनों में जहां तक सम्भव हो, कार्यक्रम बाद में लिया जावे और अगर कोई सरकारी कामकाज हो तो इसकी जानकारी समाचार पत्रों के मार्फत दी जाती रहे, इसकी व्यवस्था हमने पहले से कर रखी है। फिर भी इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जावे, इस सम्बन्ध में मैं अपने साथियों से बात करूंगा।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय.......

**श्री मूलचन्द डागा :** मेरा प्रश्न है, मेरा नाम है।

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती सुमित्रा।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि उनको सोशल रिलेशन निभाने पड़ते हैं। मैं मानती हूं कि जाना पड़ता है लेकिन जब भी टेलीफोन करते हैं हमको यही जवाब मिलता है कि सिटी में गए हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशासन चलाने वालों को यह सही बात है कि सभी जगह जाना पड़ता है, रिलेशन्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं लेकिन उनके लिए यह मालूम होना चाहिए कि उस समय वे कहाँ पर हैं। यह पता ही नहीं होता। आप कहीं भी जायें हमें एतराज नहीं है लेकिन इस राज्य में कभी भी कोई भयंकर घटना घटित हो सकती है। आपके अधिकारियों को पता ही नहीं होता कि आप कहां पर हैं। हम टेलीफोन करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि सिटी में हैं। उनको मालूम ही नहीं हैं कि आप कहां पर हैं। इसलिए कम से कम उनको पता रहना चाहिए ताकि सही जवाब

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
मिल सके और यदि अर्जेन्ट मैटर हो तो कोई आदमी वहां जाकर मिल सके। आपका पता ही नहीं रहता कि आप कहां रहते हैं ?

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आप कहीं पर भी जाते हों लेकिन आपके आदमियों को कहें कि इन्फार्मेशन तो ठीक से दें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को जो शिकायत रहती है कि मैं शहर में जाता हूं तो कहां जाता हूं, इस बात का पता नहीं रहता और भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों का उनको पता रहता था कि वह शहर में कहां गए हैं और कहां नहीं गए हैं। मुझे खेद है कि मेरी जानकारी उनको नहीं मिल पाती। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार में क्या हो रहा है, एक-एक मिनट की जानकारी मुझे रहती है। आप जो बात कह रही हैं वैसा है नहीं....

(व्यवधान)

कई बार ऐसा हो सकता है कि डेलीबरेटली कहीं पर बात करने गया वहां पर घण्टा-आध घण्टा ज्यादा लग गया या वहां पर ज्यादा रहना पड़ गया और वापस लौटते समय कहीं और जगह भी रूक गया, दूसरे स्थान पर जिसकी इत्तला ऑफिस में या घर पर नहीं पहुंची हो, टेलीफोन नहीं किया हो, इस सारी प्रक्रिया में हो सकता है कि कभी आपको जानकारी नहीं मिली हो लेकिन शहर में, मैं कहीं पर भी गया हूं, राज्य में क्या चल रहा है मुझे पूरी जानकारी रहती है। मेरे खुद के साथ वायरलेस चलता है और टेलीफोन करता रहता हूं। मुझे पूरी जानकारी रहती है, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर**

**स्थगित प्रश्न**
(16-3-79)

**ग्राम बाडकला के सरपंच से पंचायत की वसूली**

295. **श्री गोविन्द सहाय** (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बाडकला के सरपंच पर पंचायत की काफी धनराशि पिछले काम न करने की बाकी है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि बाकी है तथा अब तक वसूल न करने का क्या कारण है ? आगे यह राशि कब तक वसूल की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिन जिन कार्यों के लिए राशि दी गई है वहीं स्थान पर आज तक कार्य नहीं हुए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उन कार्यों का सर्टिफिकेट विभाग के ओवरसियर द्वारा गलत दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने काम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

# Page No. 24

(24)



(श्री गोविन्द सहाय)

(4) क्या राज्य सरकार इस तरह काम न करवाने वाले सरपंच के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक जांच करायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत बाडकला के सरपंच पर किसी भी प्रकार की पिछले काम न कराने की कोई धनराशि बकाया नहीं है। अतः वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**फलासिया क्षेत्र के अन्त्योदयी परिवारों को दी गयी सहायता**

746. **श्री लालूदास** (फलासिया) : क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को भूमि एवं मवेशी दिये गये और कितनों को और देने बाकी हैं तथा उन्हें कब तक दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

फलासिया विधान सभा क्षेत्र में 3034 परिवारों को भू-आवंटन एवं 362 परिवारों को मवेशी दिये गये हैं। अभी 204 परिवारों को मवेशी देना और बाकी है जो मार्च 1979 के अन्त तक क्रय करा दिये जायेंगे।

**अन्त्योदयी परिवारों को दिया गया ऋण**

747. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले वर्ष राज्य में जिलेवार कितना कितना ऋण अन्त्योदय परिवार वालों को दिया गया ? इसमें से कितना ऋण इस वर्ष ड्यू हुआ तथा इसमें से कितना रुपया अन्त्योदयी परिवारों द्वारा भरा गया ?

(2) क्या यह सही है कि व्यावसायिक बैंक इसमें पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं और इस कारण सरकार को-आपरेटिव बैंक पर दबाव डाल कर उनको लोनिंग करवा रही है ? यदि नहीं, तो पिछले एवं चालू वर्ष में जिलेवार कितना प्रतिशत रुपया (लोन) विभिन्न बैंकों द्वारा दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजना के प्रथम चरण में अन्त्योदय परिवारों को दिनांक 31.1.79 तक जितना ऋण दिया गया उसकी सूची जिलेवार सदन पटल पर रख दी गई है। भुगतान हेतु ड्यू राशि एवं भुगतान हुई राशि के सम्बन्ध में रेफरेन्स डेट न होने से सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। प्रथम चरण में व्यावसायिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋण

(अन्त्योदय योजना मन्त्री)

की सूची जिलेवार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)।

**निदेशक, नगर संकुलन विभाग पर होने वाला खर्च**

749. **श्री मूल मोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अरबन सीलिंग एक्ट 9 मार्च, 1976 से जयपुर सहित अन्य पांच शहरों में लागू हो चुका है ?

(2) किसी तारीख को जयपुर में निदेशक, नगर संकुलन कार्यालय खोला गया है एवं उस विभाग पर शुरू से आज तक कार्यालय स्टाफ, टेलीफोन, गाड़ियां व अन्य खर्चे सहित कुल कितनी धनराशि अब तक राज्य सरकार को खर्च करनी पड़ी ? उसका ब्यौरा विस्तार से सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जयपुर के अलावा अन्य किस किस बड़े नगर में इस विभाग के अन्तर्गत कार्यालय खुले हुए हैं एवं किस किस नगर के कार्यालय पर कितना कितना खर्च आज तक आया है ? सालाना खर्च का विस्तार से ब्यौरा, पूरे राज्य भर का कितना कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात् जयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में कोई भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त नहीं की गई ?

(5) यदि यह सही है तो उसके लिए दोषी कौन है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 9 मार्च, 76 से इस विभाग पर अब तक 1,211338 रु. व्यय हुए हैं। मदवार कुल व्यय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अजमेर, कोटा, बीकानेर व जोधपुर में कार्यालय हैं। स्टाफ पर हुए कुल व्यय के ब्यौरे की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।

**जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गबन के मामले**

750. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में सन् 65 से लेकर

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)
अब तक कितने गबन के मामले चुने हुए प्रतिनिधियों के पकड़े गये ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यदि जांच हुई, तो क्या परिणाम रहे तथा गबनकर्त्ता पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) यदि किन्हीं मामलों में कार्यवाही नहीं की गई, तो उन पर कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध सन् 1965 से लेकर 25–3–1979 तक 187 गबन के मामले राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये हैं। जिले वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पंचायत समितियां एवं जिला परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधियों के विरुद्ध गबन का कोई मामला राज्य सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(2) जांच के परिणाम एवं गबनकर्त्ता के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सूची के कालम नं. 4 एवं 5 में अंकित कर दिया गया है।

(3) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं जिस पर कार्यवाही किया जाना शेष हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।

**पंचायत समिति डीडवाना में काम के बदले अनाज योजना में चल रहे काम**

751. **श्री रामदेव चौधरी** (मूण्डवा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत कोलिया, पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में भी काम करवाया जा रहा है ? अगर हां, तो अब तक कितने रुपये का काम हो चुका है और कितना अनाज उठ चुका है ?

(2) क्या यह अनाज इकट्ठा ही सरपंच लोग ले जाते हैं एवं मनमाने तरीके से वितरित करते हैं जब कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार अनाज का वितरण सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा ही होना चाहिये ? क्या सरपंचों द्वारा वितरण अनियमित नहीं है ?

(3) क्या ग्राम पंचायत कोलिया के अनाज वितरण के संबंध में कोई शिकायत जिलाधीश, नागौर को माह दिसम्बर 1978 में की गयी थी ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या इसके अन्तर्गत चलाये गये कार्यों में मजदूरी का रिकार्ड रखने के लिए मस्टर रोल पद्धति अपनाई जा रही है ? अगर हां, तो यह मस्टर रोल कौन देता है, कौन भरता है और रिकार्ड किस तरह रखा जाता है एवं इस रिकार्ड को सत्यापित कौन करता है ?

(5) मस्टर रोल रखने वाला या भरने वाला व्यक्ति क्या अनपढ़ हो सकता है ? क्या श्री चतराराम नामक व्यक्ति वहां चलाये जा रहे कार्यों की किसी गैंग का मेट है या

(श्री रामदेव चौधरी)

रहा है ? अगर हां, तो वह कितना पढ़ा-लिखा है ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक 62,714.75 पैसे का कार्य कराया गया है और 475 क्वि. 73 किलो 800 ग्राम गेहूं उठ चुका है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत अनाज का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गई है। कार्य जो चालू किये जाते हैं वह पंचायत द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों के अनुसार होते हैं। अतः सरपंच द्वारा मनमानी किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत सरकार द्वारा अनाज का वितरण सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा किये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

(3) जी हां। इस संबंध में जिलाधीश द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। मस्टर रोल पंचायत समिति कार्यालय से विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जाती है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग पाक्षिक मस्टर रोल रखी जाती है जिसमें प्रतिदिन कार्यरत मजदूरों की हाजरी भरी जाती है। पांच हजार रुपये तक के कार्यों के रिकार्ड का सत्यापन पंचायत द्वारा किया जाता है एवं इससे अधिक लागत के कार्यों के रिकार्ड का सत्यापन कनिष्ठ सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाता है।

(5) जी नहीं। श्री चतराराम नामक कोई व्यक्ति चलाये जा रहे कार्यों की किसी गैंग का मेट नहीं रहा है।

**डेगाना पंचायत समिति के वरिष्ठ लिपिक का मामला**

752. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री नरपतसिंह यू. डी. सी. डेगाना पंचायत समिति जिला नागौर में कब से कार्यरत हैं ? क्या ये कभी यहां एल. डी. सी. भी रहे हैं ? यदि हां तो एल. डी. सी. कब से कब तक रहे एवं यू. डी. सी. कब से कब तक रहे ?

(2) श्री नरपतसिंह को इस उपरोक्त काल में जब एल. डी. सी. अथवा यू. डी. सी. थे विभिन्न किन किन कार्यों के लिए कितनी धनराशि एडवांस दी गई थी ? अलग अलग धनराशि तारीखों सहित व किस किस अधिकारी द्वारा एडवांस दी गई, बताते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। कृपया यह भी बताएं कि किस अधिकारी द्वारा कब कब इस धनराशि का वापस हिसाब में एडजस्टमेंट किया गया अथवा नकद राशि जमा हुई ?

(3) श्री नरपतसिंह ने यू. डी. सी. बनने के बाद जब से डेगाना पंचायत समिति में कार्यरत हैं, कितनी बार कहां कहां, कब कब, किस किस कार्य से भ्रमण किया ? जगह का नाम, कार्य जिससे गए, किन तारीखों

(श्री नूरा)
को कितना टी. ए., डी ए. कब कब उठाया, यह सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) श्री नरपतसिंह पंचायत समिति डेगाना में कनिष्ठ लिपिक पद पर दिनांक 1-6-64 से 25-3-68 तक एवं वरिष्ठ लिपिक पद पर दिनांक 21-7-75 से 15-12-78 तक रहे तथा पुनः दिनांक 22-3-79 से पंचायत समिति डेगाना में कार्यरत हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**पंचायत समिति दांतारामगढ़ के पशुपालन प्रसार अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतें**

753. **श्री मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ में श्री शिवकिशन व्यास पशुपालन प्रसार अधिकारी थे? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री व्यास के खिलाफ कई शिकायतें भूतपूर्व मन्त्री विकास विभाग, जिलाधीश, विकास अधिकारी, पंचायत समिति दांतारामगढ़ के पास प्राप्त हुई थीं? अगर हां, तो कितनी बार तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री व्यास के खिलाफ ऐसी शिकायत भी प्राप्त हुई? कि अन्त्योदय योजना में जो लोन दिया जाता है उसके प्रमाण-पत्र देने में श्री व्यास ने पैसे लिये हैं, अगर हां, तो आज तक जांच क्यों नहीं कराई गई और जांच नहीं कराने के क्या कारण हैं और कौन अधिकारी दोषी है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि दांतारामगढ़ की जनता ने एक शिकायत की थी, उसकी जांच की गई है? अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? कारणों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति दांतारामगढ़ के भूतपूर्व विकास अधिकारी का तबादला हो जाने पर भी श्री भारद्वाज ने कई फैसले किये हैं? अगर हां, तो किन व्यक्तियों के? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह भी मन्त्री महोदय उचित मानते हैं कि फैसले नहीं करने चाहिये? अगर हां, तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री मदनसिंह दांता)

(7) क्या यह भी सही है कि श्री भारद्वाज ने कई फैसलों की फाइलों को एक पंचायत से दूसरी पंचायत फैसले कराने हेतु स्थानान्तरण की ? अगर हां, तो यह गलत कार्य किया ? अगर हां, तो क्यों ? राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) श्री शिवकिशन व्यास, पंचायत समिति दांतारामगढ़ में पशुपालन प्रसार अधिकारी दिनांक 3-1-76 से 2-1-79 तक थे।

(2) जी हां। शिकायतें दो बार प्राप्त हुई थीं। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी सीकर को जांच हेतु दिनांक 16-3-79 को लिखा जाकर दो महीने में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) जी हां। अन्त्योदय सम्बन्धी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच हेतु भी अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सीकर को लिखा जा चुका है। श्री व्यास के विरुद्ध प्राप्त शिकायत उनके स्थानान्तरण से सम्बद्ध समझी जाकर उस पर कार्यवाही यथा समय नहीं की गई क्योंकि श्री व्यास के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20-11-78 को जारी किये जा चुके थे। इसके पश्चात् श्री व्यास को कार्यमुक्त करवाने की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप श्री व्यास दिनांक 3-1-79 को कार्यमुक्त हुए। श्री व्यास के कार्यमुक्त होने के पश्चात उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, सीकर को जांच करने हेतु लिखा जा चुका है।

(4) जी हां। जांच कराई जा रही है। विस्तृत विवरण प्रश्न खण्ड (3) के उत्तर में अंकित कर दिया है।

(5) अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से यह नहीं पाया गया कि भूतपूर्व विकास अधिकारी श्री भारद्वाज ने फैसला तबादला होने के पश्चात किया।

(6) फैसले कार्यमुक्त होने के बाद नहीं करने चाहिये। यदि यह रेकार्ड से साबित हो जाता है कि विकास अधिकारी ने बाद में फैसले किये हैं तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(7) प्रारम्भिक जांच में ऐसी बात नहीं मिली कि श्री भारद्वाज ने गलत तौर पर पंचायतों के फैसले की फाइलें निर्णय हेतु दूसरी पंचायत में स्थानान्तरण की हों।

**सिरोही जिले की पंचायतों का गठन**

754. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में बाण, गोयली व उवाणा पंचायतों का गठन गलत हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिरोही

(श्री रघुनन्दन व्यास)
नगरपालिका का सारणेश्वरजी क्षेत्र गोयली में जोड़ा हुआ है जिसे नगरपालिका में मिलाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब जुड़ेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार मोछाल और बाण गांव का अन्तर बीस किलो मीटर है। बीच में पहाड़ है और मोछाल को अलापा में जोड़ने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे इस वर्ष करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत बाण, गोयली एवं अ.वाणा का गठन पुनःसीमा निर्धारण समिति द्वारा दिनांक 24-9-1960 को किया गया था जो सही है।

(2) जी नहीं। सारणेश्वरजी क्षेत्र वर्तमान में पंचायत गोयली में सम्मिलित है तथा इसे नगरपालिका में मिलाये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) यह सही है कि ग्राम मोछाल ग्राम पंचायत बाण का भाग है तथा इन दोनों के बीच की दूरी 20 कि. मी. है एवं बीच में पहाड़ भी है। इस सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र, ग्राम जनता द्वारा जिलाधीश, सिरोही को दि. 3 :-8-1977 को प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने ग्राम बाण तथा मोछाल की दूरी 18 कि. मी. बताते हुये ग्राम मोछाल को अलापा में सम्मिलित कर ग्राम बाण को सणालिया पंचायत में मिला कर ग्राम पंचायत, बाण को समाप्त करने की प्रार्थना की थी। इस बारे में जिलाधीश ने बताया है कि ग्राम मोछाल एवं अलापा के बीच में ग्राम पंचायत जोगापुरा का क्षेत्र आता है। अतः ग्राम वासियान द्वारा प्रस्तावित पुनर्गठन किया जाना उचित नहीं है।

**सानू कालेज, पिलानी को अनुदान**

755. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सानू कालेज, पिलानी कब से कार्य कर रहा है तथा इसको कब कब तथा कितने कितने रुपये तदर्थ अनुदान के रूप में मिले ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालेज का अनुशासन एवं परीक्षा परिणाम सराहनीय रहते हुए भी इसे अभी तक नियमित अनुदान की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अब कब तक इस कालेज को नियमित करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) एम. के. सानू कालेज, पिलानी जुलाई, 1970 में शुरू हुआ था। इस महाविद्यालय में केवल वाणिज्य संकाय ही खोला गया है। राज्य सरकार से जो तदर्थ अनुदान दिया गया वह निम्न प्रकार से है :—

Page No. 31

(31)



(शिक्षा मंत्री)

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1975-76 | 18,500-00 |
| 1976-77 | 30,000-00 |
| 1977-78 | 11,000-00 |

(2) इस वर्ष इस संस्था को नियमित अनुदान सूची पर ले लिया जायेगा ।

**राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापक**

756. **श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के लिए चयनित तिथि के 6 माह के अन्दर नियुक्ति आदेश निकालने होते हैं अन्यथा वह सूची निरर्थक हो जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति चयन सूची प्रकाशन की तिथि से ही मान्य होती है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग ने 1972 में 1960 से अप्रशिक्षित स्नातक शृंखला में चयनित मानने की सहमति ली ? यदि हां, तो विभाग ने ऐसा किसलिए किया ?

(4) उक्त प्राप्त सहमति के आधार पर कितने अध्यापकों को पदोन्नति दी जाकर हैडमास्टर (सैकण्डरी स्कूल) पद पर नियोजित किया गया तथा कितने लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 55 से 58 तक चयनित अध्यापक इस पदोन्नति से वंचित रहे ? क्या वंचित रहे अध्यापकों को पदोन्नति दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि 1961 तक यह अप्रशिक्षित स्नातक वेतन शृंखला में स्थाई रूप से नियुक्त करने के लिए चयन 100 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के अधीन था ? यदि नहीं, तो 1960 में कितने लोगों के लिए विभाग ने इस पद पर स्थाई नियुक्तियां कीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों के लिए 1972 में इस वेतन शृंखला के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित करवाया गया उनमें से कितने ही 1961 के लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद के लिये अयोग्य घोषित किये गये ? यदि हां, तो उनके लिये सहमति, विभाग ने किन नियमों के अन्तर्गत ली ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यापकों के लिए लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरान्त आदेश नहीं निकाले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि आदेशों के न निकाले जाने के कारण लोक सेवा आयोग की यह सहमति निरर्थक हो गई ? यदि नहीं, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) यह भी सही नहीं है।

(3) जी हां।

(4) प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति प्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला में निर्धारित वरिष्ठता के आधार से दी गई है, जब कि उपर्युक्त 1972 में प्राप्त राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला में चयन हेतु दी गई है। वर्तमान में प्रशिक्षित स्नातक वेतन श्रृंखला की वरिष्ठता सूची में से वरिष्ठता क्रम 1974 तक के अध्यापक पदोन्नत हुए हैं उन में भी कुछ अध्यापक पदोन्नत नहीं हुए हैं। 1) जो विभाग छोड़ चुके हैं, 2) निर्धारित योग्यता एवं अध्ययन अनुभव नहीं रखते हैं, 3) जो सेवा नियमान्तर्गत पदोन्नति से वंचित (सुपरसीड) किये गये हैं। वरिष्ठता सूची में प्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला में वरिष्ठता प्राप्ति 1974 तक के अध्यापकों में से वरिष्ठता क्रम 1587 से 1794 तक 208 अध्यापक उपरोक्त 1972 में प्राप्त लोक सेवा आयोग से अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला में चयन के लिए सहमति से सम्बन्धित हैं।

1955 से 1958 तक में जो व्यक्ति अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला में चयनित हुए थे उन्हें वरिष्ठता 1586 तक तथा 1885 से 1963 तक तथा शेष जो 31-8-61 तक प्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला से सामूहिक रूप से नीचे अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला में क्रमांक 2197 से 2322 तक वरिष्ठता प्राप्त हैं।

इनमें से क्रमांक 1586 तक अध्यापकों में 13 व्यक्ति पदोन्नति से वंचित रहे हैं इनके पदोन्नति से वंचित रहने के भिन्न-भिन्न कारण हैं:—1. इनके द्वारा वांछित योग्यता धारण न करना, 2. गत पांच वर्षों में दोषी होने के फलस्वरूप इनको दण्डित किया जाना, 3. स्वेच्छा से पदोन्नतियों का त्याग।

जिन अध्यापकों को क्रमांक 1585 से से 1963 तक एवं 2197 से 2322 तक वरिष्ठता प्राप्त हैं उनमें से कुछ का चयन पूर्व वर्षों में की गई डी. पी. सी. द्वारा मेरिट के आधार पर अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी शर्तों से हो चुका है तथा शेष सभी की पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अवसर आने पर ही की जा सकेगी।

(5) जी हां। यह सही है।

(6) 1961 में लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्तियों की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(7) ऐसे अध्यापकों के नियुक्ति आदेश नहीं निकाले गये, क्योंकि यह प्रकरण सन 1972 में निर्णीत हुआ था तथा इसे दिनांक 7-6-60 तथा 1-7-61 से प्रभावित किया गया था, जिसके कारण

(शिक्षा मंत्री)

वरिष्ठता मान दण्ड के अनुच्छेद 11 के तहत ऐसे अध्यापकों को ही केवल वरिष्ठता दी गई। मान दण्ड की प्रति संलग्न है।

(8) जिन अध्यापकों के लिए लोक सेवा आयोग से सहमति ली गई थी उसके आधार से सम्बन्धित अध्यापकों को केवल वरिष्ठता ही दी गई थी तथा इसकी सूचना विभागीय प्रपत्र संख्या शिविरा/संख्या/क-3/11913/भाग3-/250/74 दिनांक 31-5-74 द्वारा आयोग को वरिष्ठता सूची के साथ भेजी गई थी। विभाग में इस सम्बन्ध में चाहे गये नियम उपलब्ध नहीं हैं।

(मानदण्ड के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

**ग्राम खैरवाड़ा में कन्या शाला भवन**

757. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव खैरवाड़ा, तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर की श्रीमती गोगड़ी बाई ने कन्याशाला भवन बनाने हेतु कुछ धनराशि शिक्षा विभाग में जमा कराई ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या गांव वालों ने विभाग से भवन बनाने हेतु कोई पत्र व्यवहार किया ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक श्रीमती गोगड़ी बाई के नाम से विद्यालय भवन बना देगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीमती गोगड़ी बाई ने अपनी चल अचल सम्पत्ति जिसमें नकद जेवर एवं दो मकान थे, शिक्षा विभाग को खैरवाड़ा में कन्या माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु दान में दी थी। इस सम्पत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त हुई उसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| —जेवरों की बिक्री से प्राप्त राशि | 37,316.73 |
| 2—भू-खण्ड की बिक्री से प्राप्त राशि | 69,412.00 |
| 3—ब्याज एवं अन्य राशि | 3,234.10 |
| योग | 1,09,9-2.83 |

(2) जी हां। भूमि उपलब्ध होते ही यथा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

**स्थानीय निकाय का कार्यालय**

758. **श्री हरजी राम बुरडक** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि निदेशक स्थानीय निकाय का कार्यालय सचिवालय भवन में था ? यदि हां, तो कब से और उसको वहां से हटाने का क्या कारण है ?

(2) अब उसको हटाकर कहां पर ले जाया गया है तथा किसका मकान कि॰ किराये में लिया गया है ?

(श्री हरजी राम बुरडक)

(3) क्या यह भी सही है कि लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इसके निवारण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) उक्त कार्यालय का इतनी दूर ले जाने का क्या कारण है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। माह जनवरी, 1979 में कार्यालय सचिवालय से हटा दिया गया था। इसका कारण सभी विभागाध्यक्षों के कार्यालयों को सचिवालय से बाहर हटाने का निर्णय था।

(2) कार्यालय अब पुस्तकालय मार्ग, सेठी कालोनी पर स्थित है। मकान का अनुमानित किराया 6,500/– रुपये प्रतिमाह होगा।

(3) कार्यालय का स्थान मुख्य आगरा रोड के निकट है। कार्यालय में आने जाने के लिए टैम्पोज व सी. टी. एस. की बसों का साधन उपलब्ध है। अन्य भवन की खोज भी की जा रही है।

(4) कोई अन्य उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण।

**कुशलगढ़ में चल रहे प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र**

759. **श्री जिथिंग भाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत चलाये जा रहे शिक्षा कार्यक्रम में कुशलगढ़ में कितने केन्द्र चलाये जा रहे हैं ?

(2) ये केन्द्र किन-किन संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं ?

(3) इन केन्द्रों में कितने लोगों को साक्षर किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र की अवहेलना की जाकर विभाग द्वारा कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं चलाया गया है जब कि अन्य क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर पर केन्द्र चलाये गये हैं ?

(5) क्या सरकार कोई प्रौढ़ शिक्षा की योजना इस क्षेत्र में अपने स्तर पर चालू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) कुशलगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नहीं चलाये जा रहे हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अभी प्रारम्भ ही हुआ है तथा उसकी योजना जिलेवार बनाई गई है। आने वाले वर्षों में इसका सघन विकास होगा तब सभी क्षेत्रों में यह कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा।

# Page No. 35

35



(शिक्षा मंत्री)

(5) खण्ड (4) के अनुसार।

**कुशलगढ़ क्षेत्र में महाविद्यालय**

760. श्री जिथिंग भाई (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में कितनी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शालाएं हैं ?

(2) प्रत्येक में कितने आदिवासी व अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ते हैं ?

(3) इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति विकास फण्ड से शिक्षा के विकास में अब तक क्या किया गया है तथा कितनी राशि व्यय की गई है ?

(4) राज्य सरकार कुशलगढ़ में महाविद्यालय खोलने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) क्षेत्रवार व्यय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते।

(4) जी नहीं। भारत सरकार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सम्मति है कि उच्च शिक्षा में संख्यात्मक विस्तार के स्थान पर गुणात्मक विस्तार किया जाये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**हिण्डौन के गन्दे नाले की सफाई**

761. श्री श्रवण लाल (हिण्डोन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हिन्डौन में स्थित गंदा नाला पानी के बहाव के न होने के कारण सड़ रहा है और वहां आस-पास रहने वाले लोग परेशान हैं तथा वहां बीमारियां दिन प्रतिदिन फैलती जा रही हैं ?

(2) क्या इस नाले की सफाई एवं खुदाई की नगरपालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार जन जीवन को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नाले का पानी शहर के बाहरी क्षेत्र की जमीन का लेवल ऊंचा होने के कारण धीमी गति से बहता है। इसकी सफाई प्रति वर्ष मई, जून माह में कराई जाती है। इसके कारण बीमारी फैलने की कोई सूचना नहीं है फिर भी बीमारी न फैले इसके लिये कार्यवाही की जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(2) प्रश्न के भाग (1) में इसका उत्तर आ चुका है।

**बीकानेर जिले में काम के बदले अनाज योजना के तहत किये गये कार्य**

762. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में काम के बदले अनाज में कुल कितने कार्य किए गए हैं ? उनकी पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर इस सूचना के साथ रखी जावे कि किस ग्राम में क्या काम हुआ व उसकी लागत क्या थी और कितना गेहूं दिया गया ?

**उत्तर**

पंचायत समिति वार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। ग्राम-वार सूचना अधिक विस्तृत होने से सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

**प्रतापनगर, जोधपुर की ओटोमोबाइल वर्कशॉप स्कीम**

763. **श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापनगर जोधपुर में नगर सुधार न्यास ने ओटोमोबाइल वर्कशॉप हेतु कुछ प्लाट अलॉट किए थे ? अगर हां, तो किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ओटोमोबाइल वर्कशॉप स्कीम में अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्लाट नहीं दिया गया है जब कि नियमानुसार 15% प्लॉट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये जाने चाहिये थे ? यदि हां, तो इस प्रकार का अन्याय क्यों किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में भी कुछ ओटोमोबाइल वर्कशॉप के प्लॉट खाली पड़े हैं ? अगर हां, तो क्या नगर सुधार न्यास उन प्लाटों को जिस कीमत से पूर्व में आवंटन किए हैं उसी कीमत पर अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटन करने का विचार रखता है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि प्रतापनगर में न्यास द्वारा ओटोमोबाइल वर्कशाप हेतु 66 प्लाट अलाट किये थे। सूची संलग्न है।

(2) इस सैक्टर में केवल ओटोमोबाइल वर्कशाप हेतु आरक्षित थे। अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों का एक भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होने से आवंटन नहीं किया गया।

(3) वर्तमान में भी कुछ ओटोमोबाइल वर्कशाप हेतु प्लाट खाली पड़े हैं। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**राज्य में संस्कृति एवं कला का विकास**

764. **श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर)**

# Page No. 37

(37)



(श्री बंशीलाल सारस्वत)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में स्थित देश की संस्कृति एवं कला के उत्कृष्ट धरोहर व सम्पत्ति का योजनाबद्ध सर्वेक्षण कराया गया है या कराये जाने की योजना है ?

(2) इस अमूल्य धरोहर की रक्षार्थ जिला या उप-खण्ड स्तर पर क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(3) गत तीस वर्षों में राज्य की कला, संस्कृति की धरोधर को चोरी, तस्करी से कितनी क्षति हुई है ?

(4) गत तीस वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से मरम्मत, रख-रखाव की दुर्व्यवस्था एवं प्राकृतिक आपदाओं से कितना विनाश हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां,

सर्वेक्षण किया जाता रहा है।

(2) अमूल्य धरोहर के संग्रहार्थ शाखा कार्यालय खोले गये हैं और भी खोलने की कार्यवाही कर रही है।

(3) राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन स्मारकों व संग्रहालयों में गत तीस वर्षों में राज्य की कला संस्कृति की धरोहर सम्बन्धित वस्तुओं की लगभग 26.718/- रुपये की चोरी द्वारा क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त एक कलश, दो तांबे के सिक्के एवं एक चांदी के सिक्के के बारे में भी आरक्षी विभाग में कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान विभाग से 4,000/-रुपये के प्राचीन ग्रन्थों की चोरी हुई है।

(4) मरम्मत, रख-रखाव की दुर्व्यवस्था तो नहीं रही है किन्तु प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुरातत्व विभाग के तीन स्मारकों को क्षति पहुंची है।

## उद्योग शिक्षकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति

765. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या देश के औद्योगिक विकास के लिए प्राविधिक और व्यवसायोन्मुखी शिक्षा की जरूरत छात्र जीवन की बुनियादी शिक्षा में होना जरूरी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा 1974 में प्रारम्भ किए गए पाठ्यक्रम से शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को क्या अनिवार्य रूप से उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में उद्योग शिक्षक के रूप में चयन किया जाना अनिवार्य नहीं है ? यदि अनिवार्य था, तो क्यों नहीं चयन किया गया ?

(2) इसी संदर्भ में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 27 दिवसीय ट्रेनिंग कैम्प क्या उपरोक्त दो वर्ष के पाठ्यक्रम के सक्षम है ? यदि है, तो क्यों दो वर्षीय पाठ्यक्रम चला रखा है ? यदि सक्षम नहीं है,

(श्री नवरंगसिंह)

तो फिर यह जिम्मेवारी अथवा दायित्व क्या राज्य सरकार का नहीं है ?

(3) उद्योग शिक्षकों की अवैधानिक नियुक्ति और प्रशिक्षणलयों में हो रही घोटालेबाजी के लिए जिम्मेवार कौन है ? यदि राज्य सरकार है, तो इसके रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये तथा आज तक (1974 से 1979 तक) कितने द्वि-वार्षिक पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित उद्योग शिक्षकों को तथा 27 दिवसीय ट्रेनिंग कैम्प से प्रशिक्षण प्राप्त उद्योग शिक्षकों की कितनों की नियुक्ति राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है ? यदि नियुक्ति की गयी है, तो जिलेवार विवरण प्रस्तुत करें और यदि नियुक्ति नहीं की गयी तो इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

(4) क्या इन प्रशिक्षणालयों में अनुदेशकों के पद पर 27 दिवस वाले ट्रेनिंग कैम्पों से प्रशिक्षितों की नियुक्ति की गयी जब कि अन्य (1974 से पहले) पूर्व वाले अनुदेशकों की नियुक्ति डिग्री या डिप्लोमा प्राप्तों की ही की गयी थी ? इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है ? कृपया स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

(5) क्या उद्योग शिक्षक प्रशिक्षित तथा साथ में ही उद्योग शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा सामान्य विषयों में शिक्षक प्रशिक्षित उद्योग शिक्षकों को न तो उद्योग शिक्षक के स्थान पर चयन किया जाता है और ना ही सामान्य शिक्षक के स्थान पर चयनित किया जाता है, जब कि वह सामान्य शिक्षक का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है ? कृपया इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करें। क्या इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा आज तक इन प्रशिक्षितों के चयन में कोई क्राइटेरिया निश्चित है ? यदि है, तो कितना है और यदि नहीं तो वह क्यों निश्चित नहीं किया गया ? इसका स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

### उत्तर

(1) जी हां। सभी को उद्योग शिक्षक बना दिया जाय यह न तो व्यवहारिक है और न संभव।

(2) जी नहीं। ट्रेनिंग कैम्प तथा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम दोनों में अन्तर स्पष्ट ही है।

(3) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। वर्षवार एवं जिलेवार नियुक्ति की संख्या प्राप्त की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) उद्योग प्रशिक्षित आशार्थियों को वरीयता के अनुसार रिक्त पद पर चयन पर नियुक्तियां दी जाती हैं, इनका चयन राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के अनुसार किया जाता है।

### चूरू जिले में खोले गये स्कूल

766. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में पिछले दो वर्षों में किन किन गांवों में सैकण्डरी व मिडिल स्कूल खोले गये ?

(श्री मेघराज पंवार)

(2) इन स्कूलों में क्लास वाइज व स्कूल वाइज छात्रों की संख्या कितनी कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इनमें से कितने स्कूलों में छात्र संख्यानुसार; निर्धारित सीमा से कम अध्यापक लगे हुये हैं ?

(4) ऐसे कितने स्कूल हैं जहां स्कूल में पढ़ाये जाने वाले सब्जेक्ट्स के अध्यापक नहीं हैं ?

(5) क्या यह सही है कि बहुत से मिडिल स्कूलों में तो एक ही अध्यापक है ? यदि हां, तो वे कौन कौन से स्कूल हैं ?

**उत्तर**

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) दोनों वर्ष खोले गये स्कूलों में किसी में भी कम अध्यापक नहीं हैं।

(4) ऐसे निम्न छः विद्यालय हैं जहां विषयों के अध्यापकों की कमी है :—

1. मा० वि० बुधावास, 2. मा० वि० ढाणीपचेरा, 3. मा० वि० मेहरासर उपाध्यान, 4. मा० वि० रावसर, 5. मा०वि० जेतपुरा, मा० वि० ददरेवा।

(5) इस जिले में ऐसी कोई शाला नहीं है जहां एक ही अध्यापक हो।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**राजस्थान भाषा की अकादमी**

767. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्थानी भाषा साहित्य की स्वतन्त्र अकादमी की अविलम्ब स्थापना क्यों नहीं की जाती ? बीकानेर स्थित राजस्थानी साहित्य संगम को ही स्वतन्त्र अकादमी घोषित क्यों नहीं किया जाता है ?

(2) चार करोड़ राजस्थानी जनता की मातृभाषा राजस्थानी को शिक्षा, सरकारी कार्यालयों की भाषा क्यों नहीं बनाया जाता ?

(3) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष तथा निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने पर भी नए व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती ? यह पद कितने अर्से से रिक्त पड़े हैं ?

(4) राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेशक पद पर राजस्थानी विद्वान की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती ?

(5) जोधपुर विश्वविद्यालय की तरह ही उदयपुर तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वतन्त्र राजस्थानी भाषा विभागों की स्थापना क्यों नहीं की जाती है ?

(6) सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं की अव्यवस्था तथा उनके कर्मचारियों के सेवा नियमों सम्बन्धी विधेयक का क्या हुआ ? क्या राज्य सरकार उसे शीघ्र लाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) उदयपुर में स्थापित मीरा चैम्बर ने पिछले तीन वर्षों में क्या कार्य सम्पादन किया है ?

(8) यह चैम्बर जोधपुर विश्वविद्यालय

(श्री किशनसिंह भाटी)

में क्यों नहीं स्थापित किया जाता है जहां मीरा बाई से सम्बन्धित हस्तलिखित ग्रन्थ, अनेक विद्वान तथा अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1972 में राजस्थान साहित्य अकादमी के अन्तर्गत राजस्थानी साहित्य संगम बीकानेर की स्थापना की गई थी जो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित सभी प्रवृत्तियों को सुचारु रूप से देखता रहा है। अतः संगम को स्वतन्त्र अकादमी घोषित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

(2) इस राज्य ने राजस्थान राज्य भाषा अधिनियम, 1956 द्वारा हिन्दी को राज भाषा घोषित किया था अतः प्रशासन और न्यायालयों में इसका ही प्रयोग किया जा रहा है। हिन्दी इस समूचे राजस्थान के लोगों द्वारा भली-भांति बोली एवं समझी जाती है। अतः उसे शिक्षा एवं प्रशासन के रूप में रखे जाने का औचित्य भी है।

(3) वर्तमान अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्यकाल अभी शेष है। वह दिनांक 19-2-80 को समाप्त होगा। निदेशक, राजस्थान साहित्य अकादमी शिक्षा विभाग से प्रति नियुक्ति पर है एवं उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाने/इस पद पर नई नियुक्ति करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

वांछित योग्यताधारी एवं उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है। वर्तमान में निदेशक अभिलेखागार को अपने पद के अतिरिक्त निदेशक प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के कार्य को देखने के लिए नियुक्त किया गया है।

(4) यह मामला राजस्थान विश्वविद्यालय एवं उदयपुर विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) उदयपुर में स्थित मीरा आसन ने पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित आयोजन/कार्य किये :--

1. मीरा व्याख्यानों का आयोजन किया।
2. पाण्डुलिपि सम्पादन कला पर 21 दिवसीय अध्ययन सत्र का आयोजन किया।
3. भक्ति साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया।
4. मीरा निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई।
5. मीरा के जीवन और साहित्य के अध्ययन के लिए एम० ए० के पाठ्यक्रम में विशेष प्रश्न पत्र की व्यवस्था की गई।
6. मीरा संदर्भ ग्रन्थ का सम्पादन आरम्भ किया गया जो पर्याप्त प्रगति कर चुका है।

(शिक्षा मन्त्री)

7. संत-साहित्य संगोष्ठी की व्यवस्था की गई, जो शीघ्र सम्पन्न होने वाली है।

8. निम्नलिखित दो पुस्तकें प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशित हुई।

1) मीरा श्रीकृष्ण और काव्य लेखक : डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश।

2) पाण्डुलिपि सम्पादन कला लेखक : डॉ० रामगोपाल शर्मा दिनेश।

9. निम्नांकित पुस्तक पाठालोधित होकर तैयार हैं :

राजस्थान की प्राचीन पुस्तक रचनायें प्रथम खण्ड।

(7) मेवाड़ से मीराबाई को पर्याप्त सम्बन्ध रहा है। उनका और उनके युग का पर्याप्त साहित्य मेवाड़ के संस्थानों में सुरक्षित है जिनका अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ है। इस अभाव पूर्ति के लिए मीरा आसन यही कार्य कर रहा है।

(8) विवेच्य प्रश्न के भाग (7) के उत्तर से स्पष्ट है कि अल्पकाल में और सीमित साधनों से अब तक पर्याप्त महत्वपूर्ण कार्य हो चुका है जो सामग्री जोधपुर में है उससे उदयपुर का मीरा आसन अपरीचित नहीं है तथा यहां भी इस आसन की तरफ से शोधकर्ता भेज कर कार्य कराने की योजना आचार्य द्वारा दी जा चुकी है जो समुचित धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कर सकेगी।

**राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कुम्हेर का भवन**

768. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में वहां के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय का भवन गत वर्ष अति-वृष्टि में आधे से अधिक पूर्ण रूप से गिर चुका है ? यदि हां, तो अब तक उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई ? क्या इसकी मरम्मत हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई धनराशि का प्रावधान रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस विद्यालय की कक्षाएं केवल उन्हीं चार कमरों में लग रही है जो जनता द्वारा बनवाए गए हैं ? यदि हां, तो क्या ये कमरे छात्राओं की संख्या एवं कक्षाओं की संख्या की दृष्टि से पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो वहां छात्राओं के शिक्षण स्थान की सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस राजकीय भवन के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए आगामी बजट में कोई धनराशि का प्राव-धान कर रही है ? यदि हां, तो कितनी तथा निर्माण कार्य कब आरम्भ हो जाएगा ?

(4) काम के बदले अनाज योजना में स्कूल भवनों के निर्माण के अन्तर्गत इस राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय को क्यों नहीं लिया गया है ? यदि राज्य सरकार

(श्री काशीनाथ गुप्त)

शिक्षा विभाग के बजट से इस वर्ष इस कार्य को पूरा नहीं करा सकती है तो इस भवन के निर्माण को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत क्यों नहीं ले लिया जाता ?

**उत्तर**

(1) जी हां, भवन का काफी हिस्सा गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण गिर गया था। मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण राशि आवंटित नहीं की गई।

(2) जी हां, भवन पर्याप्त नहीं है फिर भी छात्राओं को उपलब्ध सुविधानुसार बैठाया जाता है।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष में माध्यमिक शालाओं के भवनों के लिए 2 लाख का प्रावधान है इस विद्यालय का प्रस्ताव प्राप्त होने पर मांग पर विचार किया जा सकेगा।

(4) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उक्त विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

**राज्य के संस्कृत विद्यालय**

769. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत वर्षों में संस्कृत के कितने नये विद्यालयों की राज्य सरकार ने स्थापना की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा के प्रचार, प्रसार व अध्ययन की नई नीति निर्धारित करने जा रही है ? यदि हां, तो नई नीति का स्वरूप क्या होगा ?

(3) क्या राज्य सरकार ने गत नौ वर्षों में सहायता एवं मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को राज्याधीन किया है ? यदि हां, तो किस किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या श्री महारावल संग्राम सिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, बिलौची, तहसील जमुवारामगढ़, जिला जयपुर के पास निजी भवन व छः बीघा भूमि मौजूद है ? यदि हां, तो उसमें कितने छात्र हैं ? प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की गत आठ वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि श्री महरावल संग्राम सिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, बलौची को राज्याधीन करने का मामला राज्य सरकार के पास सन् 1971 से विचाराधीन चल रहा है ? यदि हां, तो राज्याधीन नहीं करने के क्या कारण हैं ? इसमें कौन अधिकारी दोषी है ?

**उत्तर**

(1) गत दस वर्षों में केवल एक राजकीय संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, महापुरा में खोला गया।

(2) राज्य सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति

(शिक्षा मन्त्री)

देकर उन्हें संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

(3) जी नहीं।

(4) संस्था के पास निजी भवन एवं भूमि है। संस्था में 82 छात्र अध्ययन करते हैं। प्रवेशिका परीक्षा का गत आठ वर्षों का परिणाम संलग्न है। सूची एकत्रित की जा रही है।

(5) जी हां, वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

**ग्राम सेसावा की प्राथमिक पाठशाला**

710. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेसावा पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में सेसावा नं. 2 प्राथमिक पाठशाला, जो सुरक्षा सड़क के पास है पिछले करीबन 10 सालों से चलाई जा रही थी एवं उसमें करीबन 50 बच्चे पढ़ते थे ?

(2) क्या यह सही है कि अब वह पाठशाला बन्द कर दी गई है ? अगर हां, तो कब से एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशाला का पक्का भवन भी पंचायत समिति के अनुदान एवं जन सहयोग से बनाया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितना, पंचायत समिति द्वारा कब अनुदान दिया गया था एवं ग्रामवासियों ने जन-सहयोग से कितनी धनराशि खर्च की है ? कुल पाठशाला भवन निर्माण में अब तक कितना खर्चा हुआ है ? इतना खर्चा पाठशाला भवन निर्माण में करने पर भी एवं इतने साल पाठशाला चलाने के बाद फिर बन्द करने के क्या कारण थे ? अब दुबारा उक्त पाठशाला कब तक शुरू कर दी जावेगी ? क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशाला के आस पास तीन किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई पाठशाला नहीं है एवं उक्त पाठशाला के आस पास गांव की आबादी भी 500 से अधिक है ?

(4) जहां गांव की सरहद बहुत लम्बी एवं चौड़ी हो एवं गांव की आबादी ढाणियों में बिखरी हुई हो वहां पर प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की सरकार की क्या नीति है ? भविष्य में इस बारे में ग्रामीण बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु क्या नीति निर्धारित की जावेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। पाठशाला 1970 से चल रही थी परन्तु उसमें सितम्बर 1976 में छात्र संख्या 31 थी।

(2) जी हां। पाठशाला नवम्बर, 1976 से बन्द कर दी गई है। बन्द करने के कारणों के सम्बन्ध में विकास अधिकारी सांचौर से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) जी हां। सेसावा नं. 2 पाठशाला पंचायत-समिति के अनुदान व जन-सहयोग से बनाई गई थी। पंचायत शाला भवन हेतु मार्च, 1974 में 1500 रुपये का

(शिक्षा मन्त्री)

अनुदान पंचायत समिति द्वारा एवं करीब 6000 रुपये जन-सहयोग से खर्च किये गये। शाला बन्द करने के कारणों की जानकारी विकास अधिकारी, सांचौर से प्राप्त की जा रही है। इस शाला के आस पास 3 किलो मीटर की दूरी पर प्राथमिक शाला सेसावा नं.-1 चल रही है। सेसावा नं.-2 में शाला के बन्द होने के कारणों की जानकारी मिलने के बाद पुनः शाला चालू करने के बारे में नियमानुसार निर्णय किया जायेगा।

(4) अगले वर्ष पाठशालायें खोलने व क्रमोन्नत करने की नीति विचाराधीन है।

**मांडल में शुगर मिल लगाने की योजना**

775. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (मांडल) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडल (भीलवाड़ा) में अशोक कोआपरेटिव शुगर मिल लगाने की योजना 1955 के आस पास बनी थी तथा उसके शेयर काश्तकारों को दिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि मांडल में गन्ना उस समय ही इतना पैदा होता था जिसके लिए मिल लगाने की योजना बनी थी पर आपसी वाद-विवाद के कारण समिति भंग कर काश्तकारों को शेयर पूंजी लौटाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि 1955 से 1978 तक गन्ने का उत्पादन कई गुना बढ़ा है कच्चे माल की समस्या भारी बनी हुई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों की मांग बराबर बनी हुई है कि उनकी फसल गन्ने की स्थाई समस्या के निदान हेतु मांडल में बड़ा शुगर मिल लगाया जाये ? अगर हां, तो इस महत्वपूर्ण व न्यायोचित मांग के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, 1956 में अशोक कोआपरेटिव शुगर मिल लगाने के लिए पंजीकरण किया गया और उसके शेयर काश्तकारों को भी दिये गये।

(2) जी हां, वाद विवाद के कारण समिति को भंग कर काश्तकारों को शेयर पूंजी लौटा दी गई है।

(3) वर्ष 1955-56 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु गन्ने के क्षेत्र में कमबेशी होती रही है और वर्ष 78-79 में क्षेत्रफल 765 हैक्टेयर रह गया है।

(4) वर्तमान में मांडल में बड़ी शुगर मिल लगाने की सम्भावना नहीं है।

**लालसोट व सिकराय क्षेत्रों की विद्युतीकरण योजना**

776. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकिशोर मीणा)

(1) लालसोट व सिकराय क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कब तक कितने कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा कितने कितने ग्राम शेष हैं तथा वे कब तक पूरे हो जावेंगे ?

(2) क्या राज्य सरकार ने विद्युत लाइन से 1 कि. मी. की दूरी के ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने का सर्वेक्षण करवा लिया है ? यदि हां, तो इन क्षेत्रों के कितने कितने व कौन से ग्रामों को यह सुविधा सुलभ हो सकेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अन्य कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तैयार करके भेजी है ? यदि हां, तो कहां कहां की ?

उत्तर

(1) लालसोट एवं सिकराय विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः 53 व 28 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। लालसोट क्षेत्र की योजना में केवल 9 ग्राम बचे हुए हैं जिनका विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में ही करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) जी हां। योजना की स्वीकृति से पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। एस० पी० ए० श्रेणी की योजना निगम को भेजी थी जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा इसमें लालसोट पंचायत समिति के 20 विद्युतीकृत गांवों में केवल कृषि कुओं को कनेक्शन देने का प्रावधान है।

खोहरा (कामां) बांध

777. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर ज़िले की कामां तहसील में खोहरा बांध का निर्माण कब हुआ तथा उस पर क्या व्यय हुआ ?

(2) बांध के पूर्ण होने के पश्चात् क्या कभी भी यह बांध भरा गया ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितना कितना पानी आया था तथा कितनी भूमि सिंचित हुई एवं सिंचाई की कितनी रकम प्राप्त हुई ? यदि बांध में पानी नहीं आया, तो इसका क्या कारण है ?

(3) जब बांध का निर्माण कराया गया तब इसकी सर्वे रिपोर्ट क्या थी ?

(4) बांध के निर्माण करने से पूर्व उसकी तकनीकी स्वीकृति किसने दी ?

(5) यदि सर्वे रिपोर्ट गलत तैयार की गई और तकनीकी स्वीकृति भी गलत है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों, और अब राज्य सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ?

(6) राज्य सरकार इस बांध में पानी

(श्री काशीनाथ गुप्त)

भरने की क्या योजना बना रही है तथा उसमें कितना व्यय होगा ?

(7) इस बांध से करीब 1 फर्लांग दूरी पर पहाड़ में एक कटाव है, यदि इस बांध को कटाव तक बढ़ा दिया जावे तो बांध में पानी आ सकेगा या नहीं ? इसमें क्या व्यय होगा तथा कितना क्षेत्र सिंचित हो सकेगा ?

उत्तर

(1) खोहरा बांध का निर्माण वर्ष 1970 से 1973 तक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किया गया था जो अधूरा है। इस पर रुपये 2,80,241 व्यय हुए।

(2) क्योंकि बांध का कार्य अधूरा है तथा नाले के हिस्से में बांध बनाना शेष है इसलिए इसमें पानी नहीं भरा गया।

(3) सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस जगह पर ही बांध का निर्माण उपयुक्त था जिसकी वजह से इसका प्रशासनिक प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या टी०/-415/2547-49 दिनांक27-11-1970 द्वारा स्वीकृत हुआ था।

(4) इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी व तकनीकी स्वीकृति कुछ कारणों वश अब तक नहीं हुई।

(5) इस बांध की सर्वे रिपोर्ट ठीक है इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) तकनीकी प्रावधान की स्वीकृति होने पर कार्य पूरा किया जावेगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए लगभग 2 लाख रुपया व्यय होगा।

(7) प्रस्तावित कटाव के सम्बन्ध में अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, उसकी उपादेयता की जांच नहीं हो सकी है, अतः इस विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

**मिश्रीजी के चौधरियास का तालाब**

778. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि मिश्रीजी के चौधरियास (तहसील कोटड़ी) में अकाल के दिनों में एक तालाब का काम प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां तो, अधूरे तालाब को कब तक पूरा किया जायगा ?

उत्तर

जी हां,

यह कार्य 1967-68 में अकाल के अन्तर्गत चालू किया गया था व उसके पश्चात 1974-75 के क्रेश व अकाल राहत कार्य के तहत करीब 1,60,000/- रु० का कार्य करवाया गया। बाकी कार्य के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है। 1 लाख लागत अनुपात निर्धारित मापदण्ड के आधार पर आने पर निर्णय लिया जा सकेगा ?

**सिंचाई विभाग में कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नतियां**

779. **श्री आर० डी० यादव** (चौमूं) :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन निदेशक श्री ओ. पी. गुप्ता सर्वेक्षण एवं अनुसंधान सिंचाई विभाग के पत्र क्रमांक 2070 दिनांक 25-7-78 द्वारा 17 कनिष्ठ लिपिकों की नियमों के विरुद्ध पदोन्नति की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध पदोन्नत लिपिकों की पदावनति करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति सूची में ऐसे लिपिक भी शामिल हैं जिनकी सेवा कनिष्ठ लिपिक के पद पर मात्र 2 वर्ष भी पूरी नहीं हुई ? यदि हां, तो उन लिपिकों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम व पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता वृत्त वाइज मानी जाती है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा पदोन्नति का क्या आधार माना जाता है ?

(4) क्या कनिष्ठ लिपिक के पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ? क्या यह सही है कि पदोन्नति वाले कनिष्ठ लिपिक, जिनकी नियुक्ति 1976 में हुई थी उन्हें लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना आवश्यक था लेकिन इससे पूर्व ही उन्हें पदोन्नति दे दी गई ?

(5) क्या यह सही है कि पदोन्नति वाले वरिष्ठ लिपिकों में कई लिपिकों की नियुक्तियां अवकाश समय में एक माह के लिये ही की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन की व उन्हें किस आधार पर नियमित किया गया ?

(6) क्या कनिष्ठ लिपिक के लिये वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु 7 वर्ष की सेवा का होना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) निदेशक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण सिंचाई राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या 2070 दिनांक 25-7-78 द्वारा 17 कनिष्ठ लिपिकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ लिपिक के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया था।

(2) जी हां।

पांच ऐसे कनिष्ठ लिपिक हैं जिनके नाम व विवरण निम्न प्रकार हैं :—

| नाम | प्रथम नियुक्ति | अनुसूचित/जनजाति |
|---|---|---|
| 1. श्री कल्याण प्रसाद मीणा | 11-10-76 | अनु० जनजाति |
| 2. श्री धर्मपालसिंह | 23-9-76 | अनु० जाति |
| 3. श्री रामकिशोर शर्मा | 6-10-76 | — |
| 4. श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा | 11-10-76 | — |
| 5. श्री चुन्नीलाल | 11-11-76 | अनु० जाति |

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां। कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता, वरिष्ठ लिपिकों के पद पर पदोन्नति हेतु वृतवार रखी जाती है। नियमों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) दिनांक 1-4-1973 के पश्चात् नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चूंकि इन पांच कनिष्ठ लिपिकों से वृत्त में और कोई वरिष्ठ नहीं था, इसलिए कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु इनकी पदोन्नति की गई।

(5) इस प्रकार का एक मामला श्री भंवरलाल शर्मा का है जिसकी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर एक कनिष्ठ लिपिक के अवकाश काल में की गई थी जिसे सेवा में निरन्तर रखा गया। राज्य सरकार के आदेश संख्या नं. 9 (1) एल० एस० डी०/70 दिनांक 16-2-75 के द्वारा दिनांक 1-6-75 से पूर्व नियोजन कार्यालय के बिना ऐसे नियुक्त किये गये व्यक्तियों के मामले को नियमित करने के आदेश दिये गये।

(6) जी हां। परन्तु कार्य चलाने के लिए उपलब्ध कम सेवा के कनिष्ठ लिपिकों-वरीयता के अनुसार पदोन्नति दी जाती रही है। जैसा कि इस वृत्त ने किया है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन पांच लिपिकों में दो अनुसूचित जाति के व एक अनुसूचित जनजाति का है।

(नियमों के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**मांगटला गांव में एनीकट बनाना**

780. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या मांडलगढ़ क्षेत्र का मांगटला गांव अत्यन्त एकान्त में है तथा बहुत पिछड़ा हुआ है ?

(2) क्या वहां एक नौलप नदी बहुत गहरी बहती है और कुवे बहुत गहरे हैं जिसके फलस्वरूप सिंचाई बहुत कम होती है तथा जमीन पड़ी रहती है ?

(3) क्या इस नदी पर एनीकट बांधा जाकर कुओं के जल स्तर को ऊंचा उठाया जाकर बहुत सेवा की जा सकती है तथा अत्यन्त पिछड़े हुए लोगों को उभारा जा सकता है ?

**उत्तर**

(1) पिछड़ेपन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) मांगटला गांव के पास नौलप नदी बहती है। कुओं की गहराई व कुओं से होने वाली सिंचाई का सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(3) बिना अध्ययन के इस विषय में कहा नहीं जा सकता।

**चूरू जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण**

781. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चूरू जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(श्री मेघराज पंवार)

(2) चूरू जिले में किन-किन तहसीलों में किन-किन गांवों को बिजली पहुंचाने की नई योजनायें आगामी वर्ष के लिये सरकार के सामने विचाराधीन है ?

(3) विद्युतीकरण किये गये गांवों के रकबों में पुराने बसे वास और ढानियों, जिनकी आबादी 200 से 500 तक की है और जो विद्युत लाइन से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, को बिजली देने के लिये राज्य सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ?

(4) बिजली की 11 के. वी. लाइनों से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले गांवों को बिजली देने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई प्राथमिकता देने की योजना मंजूर की है ? यदि हां, तो बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में अब तक 170 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) आगामी वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत चूरू जिले के गांवों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है।

(3) विद्युतीकृत ग्रामों की राजस्व सीमा के अन्दर विद्युत लाइनों का विस्तार एवं प्रसार निर्धारित फार्म में नये विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मण्डल के नियमानुसार किया जाता है। राज्य स्तर पर इस प्रकार की योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। जिन पंचायत समितियों में 31 मार्च, 1978 तक विद्युतीकरण का प्रतिशत 25 से कम है वहां 1978-80 के वार्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक ग्राम विद्युतीकरण के लिये 11 के. वी. लाइन का 5 कि. मी. तक तथा ग्रामों के समूह के लिये 12 कि. मी. तक विस्तार किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

### विद्युत मंडल द्वारा खोले गये सहायक अभियन्ताओं के कार्यालय

782. **श्री आर. डी. यादव** (चौमू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान राज विद्युत मण्डल द्वारा चालू वर्ष में कितने अभियन्ताओं के कार्यालय नये खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जयपुर जिला अन्तर्गत ग्राम सामोद एवं खेजरोली में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विद्युत मण्डल के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में नये कार्यालय जहां-जहां पर खोले गये हैं उनकी सूची 'ब' सदन मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। चौमू क्षेत्र के अन्तर्गत सामोद तथा खेजरोली में सहायक अभियन्ता के कार्यालयों के सृजन करने के औचित्य की जांच की जा रही है। जिसके बाद

(विद्युत मंत्री)

ही कार्यालय खोलने या न खोलने का निर्णय लिया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

**मांडलगढ़ क्षेत्र की नदियों पर एनीकट बनाना**

783. **श्री मनोहरसिंह महता** (माण्डलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या मांडलगढ़ क्षेत्र के गांव भन्भोला तथा सगताजी का खेड़ा के मध्य बहने वाली नदी पर एनीकट बनने से ही कुओं का जल स्तर ऊंचा उठ सकता है ?

(2) क्या जिन एनीकटों के बन्धने से खेती वालों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता हो और ज्यादा भूमि सिंचित हो सकती हो, तो उन कार्यों को भी सिचाई विभाग को हाथ में लेना उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ वालों के लिए है ?

**उत्तर**

(1) इस विषय पर बिना अध्ययन के कहना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं। सिंचाई योजनाओं पर प्रत्यक्ष लाभ लागत का अनुपात बी०सी० रेशो) निकाला जाता है जबकि एनीकटों से यह सम्भव नहीं है।

**धौलपुर व बाड़ी की विद्युत व्यवस्था**

784. **श्री जगदीश सिंह** (धौलपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या बिजली की कमी इस हद तक है कि धौलपुर व बाड़ी के सिनेमा घरों को चलाने के लिये भी बिजली नहीं मिल पाती है और उद्योग बन्द करने पड़ते हैं जिससे जनता में भी भारी रोष है ? राज्य सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करने की सोचती है ? स्थानीय काश्तकार भी इस बिजली की कमी से दुखी हैं ? धौलपुर में भरतपुर व ग्वालियर (एम. पी.) से बिजली आती है ? एम. पी. से आने वाली बिजली आये दिन खराब रहती है ? पिछले 1 माह से बिजली की हालत ज्यादा खराब है क्या राज्य सरकार इसकी तरफ तुरन्त ध्यान देगी ?

**उत्तर**

जी नहीं। राज्य में विद्युत भार उपलब्ध ऊर्जा से अधिक हो जाने के समय विद्युत प्रणाली के स्थायित्व को बनाये रखने के लिये आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न समय पर फीडर्स काटकर विद्युत भार को कम करना पड़ता है। धौलपुर क्षेत्र में 132 के.वी. उच्च प्रसारण लाइन न होने तथा 33 के. वी. की विद्यमान लाइनों में और अधिक भार वहन करने की क्षमता के अभाव के कारण उपभोक्ताओं को उस समय विशेष असुविधा हो जाती है जब मध्य प्रदेश द्वारा ग्वालियर-धौलपुर 33 के. वी. लाइन को काट दिया जाता है। इसको दृष्टिगत रखकर विद्युत मण्डल द्वारा हिण्डौन से धौलपुर की 132 के. वी. उच्च प्रसारण लाइन के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

**अजमेर नगर की जल व्यवस्था**

785. **श्री नवलराय बचणी** , (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर नगर में पानी की कमी को पूरा करने के लिये इस वर्ष कौन-कौन सी बावड़ी या कुओं में मशीन लगाई जाएगी ? योजना की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऊंचे स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिये पहाड़गंज टेकरी पर पानी स्टोर कर सप्लाई करने की योजना अब तक क्यों नहीं चालू की गई ? यह कार्य कब तक चालू किया जाएगा ?

(3) तारागढ़ पर पानी पहुंचाने की क्या योजना बनाई गई है तथा यह कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ? योजना की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) इस वर्ष नगर में पानी की कमी पूरी करने के लिये 12 कुओं/बावड़ियों में पम्प लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल निम्न कुओं पर पम्प लगाये जा चुके हैं—

1. मक्कर कुआ
2. शिवमंदिर कुआ
3. साधु आश्रम

इसके अतिरिक्त निम्न कुओं/बावड़ी में से कुल बारह (12) कुए/बावड़ी को चालू करने के लिये कार्यवाही की जा रही है—

1. भगवानगंज कुआ
2. नौहदड़ा कुआ
3. पावर हाउस कुआ
4. चांदवाला कुआ
5. रामगंज का कुआ
6. देहली गेट बावड़ी
7. मोतीकटला बावड़ी
8. पारहत बावड़ी
9. काटन बावड़ी
10. पुरानी मण्डी बावड़ी

योजना बहुत वृहद है अतः प्रतिलिपि मेज पर रखना संभव नहीं है। कुओं के बाबत अभी भी जांच की जा रही है एवं आवश्यकतानुसार कुओं को भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है। नगर में पानी की कमी को दूर करने की दृष्टि से नगर के कुओं के अतिरिक्त कई सागर की तलहटी में चार कुये एवं बनास नदी पर तीन कुये चालू किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भांखड़ा पर तीन नये कुये और चालू करने का प्रस्ताव है।

(2) अजमेर की वृहद योजना के अनुसार पहाड़गंज में जलाशय बनाना प्रस्तावित है। कार्य के प्रोग्राम के अनुसार यह कार्य वर्ष 1979-80 में किया जावेगा। यह कार्य अब तक जल की सीमित उपलब्धी के कारण नहीं किया गया है।

(3) तारागढ़ में जल देने हेतु 7 लाख रुपये की लागत की योजना बनाई गई है जिसमें जल बाबुगढ़ टंकी से पम्प कर तारागढ़ पहुंचाने का प्रस्ताव है। योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। योजना वृहद होने के कारण प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना संभव नहीं

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

है। इस योजना के तखमीने की प्रतिलिपि संलग्न है।

(तखमीने के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

विस्तृत सूची है

**चूरू जिले की पेय जल योजनाऐं**

787. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चूरू जिले की किन-किन तहसीलों में कौन-कौन सी पेयजल योजनायें कब कब से चालू हैं और उनसे किन-किन गांवों में कितने-कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं ? अलग-अलग बताने की कृपा करें।

(2) चूरू जिले में किन-किन गांवों के लिये कौन-कौन सी पेयजल योजनायें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होकर कब कब से निर्माणाधीन हैं और उनसे किन-किन गांवों के कितने कितने लोगों को पेयजल की सुविधा कब तक मिल पायेगी ? तहसील एवं योजनावार बतलाने की कृपा करें।

(3) चूरू जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई पेयजल योजना नहीं बनाई जा सकती है और जिन गांवों में पीने के मीठे पानी का कोई स्थानीय साधन कतई उपलब्ध नहीं है ? तहसीलवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार ऐसे गांवों को नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक और किस तरह से ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राजस्थान नहर की रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी से एक वृहद योजना विचाराधीन है। जिसके अन्तर्गत चूरू जिले के 242 ग्राम प्रस्तावित है शेष ग्रामों के लिये अभी कोई योजना प्रस्तावित ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**रावतभाटा व गुमानपुरा में बस स्टण्ड**

788. (185।या. मं.) **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) प्रदेश में कौन कौन से मार्ग राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित हैं ? कृपया मार्गों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा राज्य सरकार द्वारा कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या कोटा-रावतभाटा मार्ग भी राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित है ? अगर हां, तो इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(श्री एच० एन० शर्मा)

(4) क्या रावतभाटा व गुमानपुराकोटा के परिवहन स्टेण्ड पर बुकिंग की व्यवस्था है? क्या सम्भाग प्रबन्धक तथा सहायक अभियन्ता सिविल को रावतभाटा व गुमानपुरा बस स्टेण्ड पर केबिन्स की व्यवस्था हेतु कोई पत्र अध्यक्ष राजस्थान राज्य परिवहन निगम के द्वारा दिये गए थे? अगर हां, तो उनकी पालना की गई? अगर नहीं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विभाग विचार रखता है जिन्होंने अध्यक्ष के आदेश की पालना नहीं की है?

(5) क्या रावतभाटा में रोडवेज का बस स्टेण्ड बनाया जाना प्रस्तावित है? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जब ये योजनायें अन्तिम रूप से अनुमोदित होकर मोटरयान अधिनियम की धारा 68-घ (3) के अन्तर्गत प्रकाशित कर दी जायेगी तब योजनान्तर्गत मार्गों पर नियम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ दिया जायेगा।

(3) जी हां। इस मार्ग की योजना अनुमोदित होने पर वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(4) जी नहीं। रावतभाटा व गुमानपुरा स्टेण्डों पर बुकिंग केबिनों के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी है। निविदायें देने की अन्तिम तिथि 21-4-1979 है। निविदायें प्राप्त होने तथा निर्माण का निर्णय किये जाने के उपरांत इन स्थानों पर केबिन बना दी जायेगी। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)।

**सिरोही में नया बस स्टेन्ड**

**789. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सिरोही रोडवेज स्टेण्ड पर भीड़-भाड़ एवं अव्यवस्था को देखते हुए नया स्टेण्ड का कब निर्माण कराया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि शिवगंज में रोडवेज स्टेण्ड पर बसें नहीं रुकती जब कि वहां एक लाख की लागत से स्टेण्ड बनाए कई वर्ष हो गए हैं और वह सूना रहने के कारण उसकी सामग्री तोड़फोड़ द्वारा हटाई जा रही है?

उत्तर

(1) सिरोही आगार कार्यशाला के भवन के समीप बस स्टेण्ड निर्माण हेतु भूमि खरीद ली गई है। बस स्टेण्ड

(यातायात मंत्री)

का निर्माण निगम को वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(2) जी नहीं। वाहनें इस स्टेण्ड पर भी ठहरती हैं, परन्तु वाहनों का बुकिंग (पुराने नगरपालिका के) बस स्टेण्ड पर ही होता है। शिवगंज में निगम द्वारा शहर के बाहर बस स्टेण्ड बनाया गया था ताकि शहर में अनावश्यक भीड़भाड़ न हो तथा दुर्घटनाओं की आशंका न रहे। यह बस स्टेण्ड शिवगंज कस्बा व छावनी के बीच में है तथा नगरपालिका के बस स्टेण्ड से इसकी अनुमानतः दूरी आधा किलोमीटर है। इस स्टेण्ड को कुछ समय के लिए उपयोग में भी लाया गया था लेकिन वहां की स्थानीय जनता के दबाव तथा विरोध के कारण वाहनों का आवागमन पुनः नगरपालिका द्वारा निर्मित स्थान से ही चालू करना पड़ा। भवन सम्पति के तोड़फोड़ की कोई सूचना नहीं है।

### जालोर, सिरोही व आबू डिपो की बसें

**790. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जालोर, सिरोही व आबू डिपो में कुल कितनी बसें हैं? उसमें से कितनी ब्रेक डाउन के कारण खराब पड़ी हैं?

(2) क्या आधी से अधिक बसें खराब हैं और इस कारण जितनी बसें सड़क पर चलती हैं उनके भी ब्रेक डाउन का अनुपात 60 प्रतिशत हैं? यदि हां, तो इन डिपों में जहां प्रत्येक को पच्चीस पच्चीस नई बसें चाहिए, कब तक उपलब्ध करवाई जावेगी?

उत्तर

(1) जालोर, सिरोही व आबू डिपो में क्रमशः 46, 42 व 46 वाहनें आवंटित हैं, जिनमें से क्रमशः 5, 5 व 3 वाहनें मरम्मत हेतु कार्यशाला में है।

(2) जी नहीं। नवम्बर, 1978 से जनवरी, 1979 की अवधि में इन आगारों में ब्रेक डाउन की दर 0.03 से 0.06 प्रति 10000 किलोमीटर है जो निर्धारित नाम अर्थात 0.66 प्रति दस हजार किलोमीटर से कम है। पुरानी वाहनों के रिप्लेसमेंट हेतु वर्ष 1979-80 में 100 नई वाहनों की खरीद प्रस्तावित हैं।

### सीकर जिले के मार्गों पर चलने वाली बसें

**791. श्री रामदेव सिंह (घोद)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर-नीमकाथाना वाया उदयपुरवाटी, सीकर–लोसेल व फतेहपुर चूरू मार्ग का राष्ट्रीयकरण किन-किन तारीखों को किया गया?

(श्री रामदेवसिंह)

(2) उपरोक्त तीनों मार्गों पर कितनी कितनी बसें चलाई गई तथा इन मार्गों पर रोजाना कितनी बार बसें चलाने का कार्यक्रम बनाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने की तारीखों से पहले सीकर आगार में कितनी बसें थीं व इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने पर सीकर आगार में इन अतिरिक्त मार्गों पर चलाने के लिए कितनी बसें और उपलब्ध कराई गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) उपरोक्त तीनों मार्गों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन मार्गों पर कितनी प्राइवेट बसों के परमिट थे वे बसें कितनी बार चक्कर लगाती थीं व अब रोडवेज की बसें कितनी बार चक्कर लगाती हैं ?

(5) इन तीनों मार्गों पर जो रोडवेज की बसें लगाई गई हैं उनमें माह जनवरी व फरवरी, 1979 में रोजाना कितनी बसों के वर्कशाप से नम्बर कैंसिल हुए हैं तथा कितनी बसें इन मार्गों पर आगार से रूट पर जाने के बाद मार्ग पर खराब हुई ? तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उपरोक्त मार्गों पर राष्ट्रीयकरण करने पर जो पहिले प्राइवेट बसों पर चालक व परिचालक पद पर नौकर थे उनमें से कितनों को निगम में रोजगार दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) इन तीनों मार्गों का राष्ट्रीयकरण निम्नांकित तिथियों को किया गया :—

1. सीकर–नीमकाथाना 5-12-78

2. सीकर–लोसल 19-11-78

3. फतेहपुर–चूरू 26-12-78

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) उक्त मार्गों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व सीकर आगार में 66 वाहनें थीं। इन तीनों मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने पर सीकर आगार को और अतिरिक्त वाहनें उपलब्ध करायी गयी हैं।

(4) राष्ट्रीयकरण से पूर्व सीकर–नीमकाथाना मार्ग पर, सीकर–लोसल मार्ग पर 30 व फतेहपुर–चूरू मार्ग पर 5 निजी वाहनों के परमिट दिये हुये थे तथा ये बसें क्रमशः 2, 24 व 4 परिचक्र संचालित करती थीं। निगम द्वारा इन मार्गों पर क्रमशः 32, 26 व 26 परिचक्र निर्धारित किये गये हैं।

(5) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) राष्ट्रीयकरण से पूर्व इन मार्गों पर निजी वाहनों में कार्यरत छः चालकों व 11 परिचालकों को निगम सेवा में नियुक्ति दी गयी है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

**जयपुर से दिल्ली जाने वाली बसों के लिये उप स्टेण्ड**

792. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर से चण्डीगढ़, रोहतक, हिसार, दिल्ली, भिवानी तथा अलवर इत्यादि शहरों को जाने वाली ज्यादातर बसें खाली होने पर भी उप स्टेण्ड चांदी की टकसाल पर नहीं रुकती हैं, जिससे वहां पर बसों की प्रतीक्षा में खड़े यात्रियों को काफी असुविधा होती है ? क्या यह सही है कि इस उपस्टेण्ड चांदी की टकसाल पर जगह बहुत कम है तथा वहां बसें खड़ी होने से वहां के यातायात में काफी बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 8 पर शहर के उत्तरी भाग में (आमेर की तरफ) जल महल के पास में कोई स्थाई उप स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किस जगह पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

चांदी की टकसाल बस स्टेण्ड को कोटपूतली आगार द्वारा जयपुर–कोटपूतली–बहरोड़–जयपुर–शाहपुरा–नीमकाथाना-खेतड़ी तथा जयपुर मेड आदि मार्गों पर संचालित वाहन सेवाओं के लिये ही ठहराव घोषित किया हुआ है। जयपुर से चण्डीगढ़, दिल्ली तथा भिवानी जाने वाली सभी सेवाएं द्रुतगामी सेवाएं हैं जिनको केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प से अग्रिम आरक्षण के कारण पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध हो जाता है जिससे उनको चांदी की टकसाल बस स्टेण्ड ठहराव घोषित नहीं किया गया है। यदि उक्त वाहन सेवाओं में कुछ स्थान खाली होते हैं तो चांदी की टकसाल पर कुछ क्षण के लिए रोक कर चालक/परिचालक लम्बी दूरी के यात्रियों को ले लेते हैं। वह जयपुर से हिसार मार्ग पर इस निगम द्वारा कोई संस्था संचालित नहीं की जाती है।

(2) जयपुर से रोहतक तथा अलवर जाने वाली वाहनें रिक्त स्थान होने पर चांदी की टकसाल रुक कर यात्री लेती हैं। अलवर जाने वाली वाहनें तो प्रातः 8 बजे से 10-45 बजे तक इस स्टेण्ड से बुक भी की जाती है। इसके बाद कोटपूतली आगार की लोकल वाहनों तथा अलवर जाने वाली वाहनों का एक ही समय होने के कारण अलवर जाने वाली वाहनों को बुक नहीं किया जाता है।

चांदी की टकसाल बस स्टेण्ड पर मुख्यतया वे ही यात्री बसों की प्रतिक्षा करते हैं जिन्हें टूलस, दण्ड, अचरोल, चन्दवाजी, मनोहरपुर, शाहपुरा, अजीतगढ़, थोई, काष्ट, नीमकाथाना खेतडी, पावटा, कोटपूतली, वहरोड, शाहजहांपुर, मेड तथा भानपुरा जमवारामगढ़ आदि स्थानों पर जाना होता है। उक्त स्थानों के लिए यात्री भार की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए निगम द्वारा चांदी की टकसाल बस स्टेण्ड से पर्याप्त वाहन सेवाएं प्रदत्त की हुई हैं। अतः यात्रियों को असुविधा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कभी-कभी

(यातायात मंत्री)

यान्त्रिक दोषों की वजह से किसी वाहन सेवा के ब्रेक डाउन या विलम्बित हो जाने से ऐसी असुविधा संभव हो सकती है।

जयपुर नगर यातायात उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 5-2-79 में यह निर्णय लिया गया है कि चांदी की टकसाल बस स्टेण्ड को जनता मार्केट के अन्दर स्थानान्तरित कर दिया जाये यदि जनता मार्केट तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले दरवाजे से होकर बसें सुविधा से अन्दर जा सकें तथा प्रस्तावित स्थान पर मोटर स्टेण्ड बनाने के लिए स्थान उपयुक्त पाया जावे। इस सम्बन्ध में जिलाधीश महोदय परिवहन निगम नगर परिषद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

### राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली बसें

793. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पर्याप्त तादाद में चल रही हैं? यदि नहीं, तो इस कमी की पूर्ती किस निश्चित अवधि तक कर दी जायेगी ?

(2) उक्त प्रकार की पूर्ती न होने की स्थिति में उक्त अवधि तक राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा व मांग को ध्यान में रखते हुये कोई अन्य वैकल्पिक योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अनेक मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बस, मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में सीमा से अधिक यात्री ले जाती है ? यदि हां, तो कानून तोड़ने की उक्त प्रक्रिया के कारण आज तक निगम की कितनी बसों के चालान किए (कहां-कहां) गए तथा वे किन-किन अदालतों में विचाराधीन हैं ?

(4) राज्य सरकार ने निरन्तर वृद्धि होने वाले उपरोक्त अपराध की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) निगम ने पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैसलमेर नगर तक पहुंचने हेतु राज्य सरकार ने पर्यटकों को क्या सुविधायें उपलब्ध कराई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, आदि दूरी से जैसलमेर आने-जाने वाले यात्रियों व पर्यटकों की सुविधाओं हेतु निगम द्रुतगामी व डीलक्स बसों की व्यवस्था करने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

### उत्तर

(1) जी हां। जनता की मांग, यात्रियों की सुविधा तथा यात्री भार की उपलब्धता

(यातायात मंत्री)

के आधार पर निगम द्वारा वर्ष में दो बार अध्ययन कर ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन समय सारिणी बनाई जाती हैं। जिनमें यात्रियों की आवश्यकतानुसार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पर्याप्त मात्रा में वाहनें संचालन हेतु निर्धारित की जाती हैं। यदि निगम के पास स्वयं की वाहनों की कमी होती है तो यात्रियों की सुविधा हेतु निजी वाहनों को अनुबन्ध पर लेकर इस कमी को पूरा किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत यात्री-भार में वृद्धि होती है, निगम की योजना में इस वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाने का प्रावधान है, यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी।

(2) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अन्य कोई वैकल्पिक योजना बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। निगम इन मार्गों पर भीड़ कम करने के लिये अधिक शटल सेवायें लगाने का प्रयास कर रहा है।

(3) बड़े शहरों के आस पास बाजार एवं कार्यालय खुलने एवं बन्द होने के समय कुछ दूरी तक गाड़ियों में भीड़ रहती है। मेले एवं विवाह व त्यौहारों के दिनों में भी भीड़ रहती है। क्षमता से अधिक यात्री ले जाने पर मोटर गाड़ी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये गए चालानों की कोई सूचना वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार नहीं रखी जाती है। भविष्य में चालान होते ही उसकी सम्पूर्ण सूचना आगार स्तर पर, एक पंजिका में दर्ज कर मुख्यालय को मासिक प्रपत्र में प्रेषित करने हेतु सभी आगार प्रबन्धकों को निर्देशित कर दिया गया है। अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न मार्गों पर निगम की करीब 400 वाहनों के मोटर गाड़ी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चालान किये गये हैं, जिनमें न्यायालय के निर्णय के अनुसार किए गए जुर्माने आदि की राशि जमा कराई गई हैं। आज तक निगम की कितनी बसों के चालान कहां-कहां पर किए गए तथा वे किन-किन अदालतों में विचाराधीन है, बावत पूर्ण सूचना संकलित की जा रही है। प्राप्त होने पर प्रेषित की जा सकेगी।

(4) निगम द्वारा यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं कि वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री नहीं लिए जावें, लेकिन मेलों, विवाहों तथा धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर यदा कदा अन्तिम वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए भविष्य में ऐसे अवसरों पर अतिरिक्त वाहनें लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) वर्तमान में निगम द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु, जयपुर से जैसलमेर के लिए सीधी वाहन सेवा संचालित की जा रही है, जो जोधपुर से वायुयान से आने वाले यात्रियों को लेकर जैसलमेर जाती है तथा जैसलमेर से पर्यटकों को वायुयान के समय जोधपुर पहुंचाती है। माह अप्रैल से लागू की जाने वाली

(यातायात मन्त्री)
ग्रीष्मकालीन समय सारिणी में जोधपुर से जैसलमेर के बीच एक डीलक्स वाहन सेवा का प्रावधान किया गया है जो जोधपुर से वायुयान तथा मेल से जाने वाले पर्यटकों को जैसलमेर ले जायेगी तथा जैसलमेर से वायुयान तथा मेल के समय जोधपुर लायेगी इसके अलावा निगम द्वारा आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट प्राप्त किये जा रहे हैं, जिनका उपयोग जैसलमेर जाने वाले का पर्यटकों का हित करने हेतु मामला निगम तथा पर्यटन विभाग के बीच विचाराधीन है।

(6) इसका उत्तर प्रश्न के भाग 5 में दे दिया गया है।

**तहसील फलौदी के ग्रामों की जल व्यवस्था**

794. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पीलवा तहसील फलौदी से कुशलावा व मेड़ पाइप लाइन का कार्य चल रहा है? अगर हां, तो कब से चल रहा है तथा कब तक पूरा हो जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पीलवा की बड़ी बड़ी बस्तियां पीपलिया, फतेसागर आदि में पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है तथा अन्य गांवों में पहुंचाया जा रहा है जिससे वहां के नागरिकों में भारी रोष है?

(3) क्या यह सही है कि पीपलिया तक पाइप लाइन गई हुई है परन्तु पानी नहीं पहुंचता है वह फतेसागर जहां करीब 4000 से भी अधिक जनसंख्या है वहां पाइप नहीं डाली गई है जिससे वहां के लोग व जानवर प्यासे मर रहे हैं? अगर हां, तो इस समस्या का समाधान कितने दिन में हो जायगा?

(4) क्या यह सही है कि पीपलिया से अनुसूचित जाति के लोगों की ढाणियों में पाइप लाइन पहुंचाने हेतु जो पाइप विभाग से आए थे उन्हें एक सामन्त व्यक्ति जो अपने आपको जनता पार्टी का नेता कहता है, ने रातों रात अपने प्रभाव व निजी स्वार्थ से अपनी ढाणी तक लाइन लगवा ली व गरीब अनुसूचित जाति के लोग इन्तजार करते ही रहे? अगर हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। योजना की स्वीकृति वर्ष 1977-78 में दी गई थी तथा पाइप लाइन का कार्य शुरू करा दिया गया था। यह कार्य जल्दी ही पूर्ण हो सकेगा।

(2-4) पीपलिया की ढाणी में स्वच्छ जलाशय बना हुआ है तथा पीलवा ग्राम में बनी हुई टंकी से "3" ए.सी. पाइप लाइन द्वारा जुड़ा है। इस पीपलिया ढाणी को पाइप लाइन पर निजी जल सम्बन्धों की संख्या अधिक होने के कारण टंकी में जल नहीं पहुंच रहा है। लेकिन निजी जल सम्बन्धों द्वारा पीपलिया ढाणी के लोगों को जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मेड़ कहलावा जल योजना पूर्ण होने पर

(जनस्वास्थ्य मन्त्री)

बने हुए स्वच्छ जलदाय को भरकर जल वितरण शुरू कर दिया जावेगा। फ्लांसागर ढाणियों में जल वितरण करने के लिये योजना स्वीकृत नहीं है धन की उपलब्धि के अनुसार कार्य हो सकेगा।

**ग्राम छापरिया की जल व्यवस्था**

795. **श्री गोपालसिंह** ( खण्डेला ) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम गोईन्दलाव की ओवर हैड टंकी से पानी नल द्वारा सेलड़ी सरफेस टंकी को जाता है ? अगर हां, तो क्या इसी लाइन के पास ही ग्राम छापरिया बसा हुआ है जो कि ग्राम गोईन्दलाव जो ग्राम सेलड़ी के मध्य स्थित है ?

(2) क्या जलदाय विभाग द्वारा इस ग्राम छापरिया को पानी की सुविधा दी गई है ? अगर नहीं, तो क्या चार सार्वजनिक नल एक ही जगह देकर ग्रामवासियों को लाभान्वित कराया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां। 1971 की जनसंख्यानुसार छापरिया ग्राम नहीं है अपितु घाटी है जो गोईन्दलाव व सेलड़ी के मध्य स्थित है।

(2) जी हां। स्वीकृत योजना में छापरिया ग्रामों को जल नहीं दिया गया था। अब की उपलब्धि के अनुसार ही इस ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया अन्यथा हो सकेगा।

**यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर**

796. **श्री अयूब खां** (तिजारा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज की उम्दतुल हुक्मा डिग्री की मान्यता सन् 1968 से समाप्ति के आदेश सन् 1976 में व डिप्लोमा की मान्यता सन् 1970 तक के बाद की समाप्ति के आदेश 1977 में निकाले गये हैं जबकि आयुर्वेद विभाग ने सन् 1972 में उत्तीर्ण डिग्री वालों को व 19 6 में उत्तीर्ण डिप्लोमा वालों को विभाग में नियुक्तियां दी हैं ? यदि हां, तो ऐसा पक्षपात क्यों किया गया जबकि यूनानी को अन्य कोई शिक्षण संस्था इसके अतिरिक्त नहीं है ?

(2) क्या राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर को प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि में चलया जाना संभव है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की ?

(3) क्या यह सही है कि राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज को सन् 1976 तक अनुदान राशि प्रदान की गई ? यदि हां, तो उस साल से शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए क्या मान्यता प्रदान की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो उनके भविष्य के बारे में क्या विचार किया ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग में 25 हकीमों के पद रिक्त हैं फिर भी 20

(आयुर्वेद मन्त्री)
उत्तीर्ण स्नातक राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज के बेरोजगार बैठे हैं ? उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जाती ?

(5) राजस्थान आयुर्वेद विभाग का वार्षिक बजट कितना है और इसके अधीनस्थ चलाये जाने वाले प्रत्येक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, पर पृथक् पृथक् कितनी राशि खर्च की जाती है तथा यूनानी पर सब से कम क्यों ?

उत्तर

(1) राज्यादेश दिनांक 17-9-76 द्वारा "उम्दतुल हुक्मा" डिग्री को वर्ष 1968 तक तथा आदेश दि. 20-5-77 द्वारा "तबीब फाजिल" डिप्लोमा को वर्ष 1970 तक की मान्यता दी हुई है। वर्ष 1972 "उम्दतुल हुक्मा" डिग्री धारियों को दि. 14-12-72 व 26-9-73 को तथा वर्ष 1976 में उत्तीर्ण "तबीब फाजिल" डिप्लोमाधारियों को दि. 25-11-76 व 8-9-76 को नियुक्ति आदेश जारी किये गये थे।

(2) अनुदान नियमों के अधीन अनुदान राशि संस्था के लेखे तथा कार्य सन्तोषप्रद होने पर कुल व्यय का अनुदान नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त धन राशि का प्रबन्ध संस्था द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां। वर्ष 1976 में अनुदान दिया गया था। वर्ष 1976 तक उत्तीर्ण उम्दतुल हुक्मा डिग्रीधारियों को राज्य सेवा में लिये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(4) वर्ष 1968 तक उत्तीर्ण उम्दतुल हुक्मा डिग्रीधारियों की नियुक्ति देने का प्रावधान वर्तमान में नियमों में हैं। यदि वर्ष 1968 तक उत्तीर्ण कोई स्नातक उपलब्ध हो तो विभाग नियुक्ति देने को तैयार है। वर्तमान में 23 पद हकीमों के रिक्त हैं।

(5) वर्ष 1979-80 के बजट में 673-82 लाख रुपये व्यय होना प्रस्तावित है। इनमें से 522-75 लाख रुपये आयुर्वेद पर 8-81 लाख रुपये यूनानी पर, 2-61 लाख रुपये होम्योपैथिक पर तथा 1-30 लाख रुपये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय किये जावेंगे। प्रशासनिक एवं अन्य व्यय सभी पद्धतियों पर आनुपातिक रूप से होता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के औषधालय। चिकित्सालय कम होने से व्यय भी आनुपातिक रूप में कम होता है।

**जिला जयपुर के आयुर्वेद कार्यालय के लेखाकार से रुपये गायब होना**

797. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर आयुर्वेद कार्यालय के अकाउन्टेन्ट और वैद्य करीब 45 हजार रुपये बैंक में जमा कराने गये थे और क्या उन रुपयों में से काफी रुपये जमा कराने से पूर्व गायब किये गये है ? यदि हां, तो कैसे ?

(श्री रामकरणसिंह)

(2) इस सम्बन्ध में पुलिस में केस कब दर्ज कराया गया और क्या कार्यवाही हुई ? इस मामले में धन का गायब होना क्या साबित करता है ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, जयपुर ('अ' क्षेत्र के रोकपाल व 2 अन्य कर्मचारी बैंक में 44,272 रुपये के बैंक ड्राफ्ट बनवाने हेतु राशि जमा कराने गये थे। इस राशि में से 35,000 रुपये ( पैंतीस हजार रुपये ) किसी व्यक्ति द्वारा चमड़े के बैग को काट कर निकाल लिये गये।

(2) मामले की रिपोर्ट पुलिस, थाना कोतवाली जयपुर में घटना के दिन दिनांक 27-'-79 को दोपहर 12-30 पर कर दी गयी थी। जांच की कार्यवाही चल रही है। जांच उपरान्त ही घटना के तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

**राज्य के हाउस आफिसर**

798. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर में क्रमानुसार कितने हाउस आफिसर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि डा. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कालेज आदि जोधपुर में निम्नानुसार कम से कम हाउस आफिसर व यूनिट होने चाहिये :

| विभाग का नाम | यूनिट चाहिये | हाउस आफिसर चाहिये | यदि कम है तो क्यों कारण बतायें |
|---|---|---|---|
| 1. मेडिसिन | 4 | 8 | |
| 2. सर्जिकल | 4 | 8 | |
| 3. गायनेक्लोजी व आबस्ट्रेटिक्स | 4 | 8 | |
| 4. नेत्र चिकित्सा | 2 | 4 | |
| 5. शिशु रोग | 2 | 4 | |
| 6. आर्थोपेडिक्स | 2 | 4 | |
| 7. पी. एन. टी. | 1 | 2 | |
| 8. एक्स-रे | 2 | 4 | |
| 9. मानसिक रोग | 4 | 8 | |
| 10. विकृति विभाग | — | 4 | |
| 11. फिजियोलोजी, एनाटोमी फार्मोक्लोजी | — | 2 | |

(3) वित्तीय वर्ष 1979-80 में कितने हाउस आफिसर की स्वीकृति विभाग यूनिट अनुसार पूर्ण की जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(4) जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में अधिक संख्या है, तो किस आधार पर है ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) राज्य में जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर में क्रमश: 73, 56, 56, 39 और 42 हाउस आफिसर्स के पद स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) योजना मद के आर्थिक प्रावधान के अनुरूप एवं प्रधानाचार्यों के प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये जोधपुर में 2, उदयपुर में 2, अजमेर में 2, हाउस आफीसर के पद बजट नियोजक समिति में स्वीकार किये गये हैं। जोधपुर में एक एक पद क्रमश: बाल रोग, टी बी निश्चेतन, बायोकेमिष्ट्री, विकृति एवं रेडियोलोजी विभागों के लिये स्वीकार किये गये हैं।

(4) जी नहीं। पदों की संख्या अधिक नहीं हैं।

**राज्य के एलोपैथिक चिकित्सक**

799. **श्री गुलमोहम्मद** (जौहरी बाजार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या कितनी है जो अनुभव के आधार पर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं ?

(2) इनका स्थायी रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ जब कि राज्य में अन्य पैथियों से अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे. जैसे डेन्टिस्ट्स होम्योपैथिक, आयुर्वेद चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इन एलोपैथिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजस्थान मेडिकल कौन्सिल में संशोधन करने जा रही है ? क्या ऐसा करने को मेडिकल कौन्सिल सहमत हो सकेगी ?

(4) क्या ऐसे चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने की राज्य के वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, जनता एवं विपक्ष के विधायकों सांसदों ने भी सिफारिश की है ? यदि सत्य है, तो जनप्रतिनिधियों की मंशा की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान मेडिकल कौन्सिल में व विभाग में अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे एलोपैथिक चिकित्सकों की संख्या की कोई जानकारी नहीं है।

(2) राजस्थान मेडीकल कौन्सिल एक्ट 1952 में केवल अनुभव के आधार पर पंजीकरण करने की व्यवस्था नहीं है।

(3) ऐसी कोई जानकारी नहीं हैं।

(4) अनुभव के आधार पर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी कोई विचार नहीं हो रहा है।

**समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारियों की वेतन श्रृंखला**

800. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग में कार्यरत जिला अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों की क्या वेतन श्रृंखला है तथा कौन कौन अधिकारी किस वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिला समाज कल्याण अधिकारियों की वेतन श्रृंखला अन्य सभी विभागों में कार्यरत जिला अधिकारियों से कम है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उनकी वेतन असमानता दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारियों के पास अत्यधिक कार्य हैं मगर फिर भी उनको वेतन कम दिया जा रहा है जब कि अन्य सभी विभागों में काफी अच्छा वेतन दिया जा रहा है ? अन्य विभागों के जिला अधिकारियों की वेतन श्रृंखला की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उदयपुर जिला काफी बड़ा है व उसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जीप नहीं है ? क्या अन्य छोटे जिलों में जीप है ? क्या सरकार उदयपुर जले में जीप देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या उदयपुर जिले में सरकारी एवं निजी कई संस्थाएं हैं जिनका वाहन न होने का समय पर निरीक्षण नहीं हो पाता है ? जिला अधिकारियों ने 1978–79 में कब 2 राजकीय एवं निजी संस्थाओं का निरीक्षण किया है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। निजी संस्थाओं को प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है ?

प्रत्येक संस्था वाइज 1977–78 एवं 1978–79 में दिये गये अनुदान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या निजी संस्थाओं में गम्भीर घोटाला एवं छात्रों को पूरी सुविधा नहीं दी जाती है फिर भी अनुदान दिया जाता है ? क्या राज्य सरकार इन निजी संस्थाओं का अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) समाज कल्याण विभाग में कार्यरत जिलाधिकारियों एवं समकक्ष अधिकारियों की वेतन श्रृंखला 16 अर्थात् 59 –1035 है। जो अधिकारी इस वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं उनकी पूरी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) इस विषय में वित्त विभाग से अलग से प्रश्न किया जाना उचित होगा।

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारी जिले में

(समाजकल्याण मंत्री)

विभाग द्वारा संचालित सभी प्रवृतियों की देख रेख करते हैं ऐसी स्थिति में कार्य एवं जिम्मेदारी तो है ही, अत्यधिक कार्य है या नहीं यह कहना कठिन है क्योंकि सभी जिलों में कार्य समान नहीं है एवं अन्य विभागों के जिलाधिकारियों से तुलना भी कठिन है। जहां तक उनके वेतन का प्रश्न है यह वित्त विभाग के अधिकारी का क्षेत्र है उसी विभाग से प्रश्न किया जाना उचित होगा। जी हां। किन्तु उदयपुर में इस विभाग के उप निदेशक के पास जीप है जिसका जिला समाज कल्याण अधिकारी भी आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकते हैं।

(4) विभाग ने अन्य जिलों में जैसे भरतपुर में विश्व खाद्य कार्यक्रम के कारण, अजमेर में विभागीय संस्थाओं की अधिकता के कारण, पाली में विश्व खाद्य कार्यक्रम के कारण, बीकानेर में जिलाधिकारी के अन्तर्गत चूरू जिला भी होने के कारण, जोधपुर में जिलाधिकारी के अन्तर्गत जैसलमेर जिला होने के कारण जीप उपलब्ध कराई गई है। उदयपुर में उप निदेशक के पास जीप उपलब्ध होने से जिला समाज कल्याण अधिकारी को अलग से जीप देने का फिलहाल विचार नहीं है।

(5) यह सही है कि उदयपुर जिले में सरकारी एवं निजी कई संस्थाएँ हैं पर उदयपुर स्थित इस विभाग के उप निदेशक, उदयपुर के पास जीप उपलब्ध होने के कारण जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी आवश्यकतानुसार उपयोग में ला सकते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी को संस्थाओं का समय पर निरीक्षण करने में उनके पास जीप नहीं होने से कोई कठिनाई नहीं है। जिलाधिकारी ने वर्ष 78-79 में जिन राजकीय एवं निजी संस्थाओं का निरीक्षण किया उनकी सूचना परिशिष्ट (ब) पर उपलब्ध है तथा प्रत्येक संस्था को वर्ष 77-78 एवं 78-79 में दिये गये अनुदान की सूची परिशिष्ट (स) पर उपलब्ध है।

(6) ऐसी स्थिति नहीं है। निरीक्षणों में कोई अनियमितता या घोटाला पाया जाता है तो उचित कार्यवाही की जाती है। जहां सुविधायें पूरी नहीं दी जाती हैं वहां कटौतियां भी की जाती हैं। अधिग्रहण करने का कोई विचार वर्तमान में नहीं है। क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं है व सरकार की नीति अधिक से अधिक जन सहयोग लेने की है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

### राज्य का वक्फ बोर्ड

801. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या वक्फ मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वक्फ बोर्ड की कितनी जायदाद है तथा कितनी इसके इन्तजाम के लिये है ? क्या राज्य सरकार का बदलती मान्यताओं को ध्यान में रख

(श्री अजीतसिंह)
कर नया वक्फ बोर्ड एक्ट बनाने का विचार है ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड के राज्य सरकार के पास 5 करोड़ रुपया जमा है ? यदि हां, तो उसके सदुपयोग की क्या व्यवस्था की हुई है ?

(3) क्या वक्फ बोर्ड के बहुत से भवन बिना उपयोग के पड़े तथा मरम्मत तलब हैं ? यदि हां, तो इनके मरम्मत करवाने के बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

(4) प्रत्येक इन्तजाम कमेटियों की क्या आमदनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सचिव वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल वक्फ जायदादों की संख्या 17073 हैं। वक्फ जायदाद का वक्फ अधिनियम 1954 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 29, 1954) के अन्तर्गत जनरल सुपरविजन वक्फ बोर्ड में निहित हैं। वक्फ अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम हैं। राज्य सरकार के पास नया अधिनियम बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) मामला राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार का नहीं है अतः सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) मामला राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार का नहीं है अतः सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 16—3—79)

**राजकीय माध्यमिक विद्यालय हांडेचा (जालोर) में वाणिज्य विषय**

282. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय हांडेचा, जिला जालोर में वाणिज्य विषय पिछले साल खोलने का निर्णय लिया था ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में राज्य सरकार के निर्णय के बावजूद अभी तक वाणिज्य विषय शुरू नहीं किया गया है ? अगर हा, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में अभी तक वाणिज्य विषय के अध्यापक की भी नियुक्ति नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त विद्यालय में वाणिज्य विषय के शिक्षक की नियुक्ति कब तक की जाकर विषय की पढ़ाई शुरू करवा दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। 20-11-1978 को।

(2) जी हां। छात्र संख्या कम होने के कारण प्रधानाध्यापक ने विषय प्रारम्भ नहीं किया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**स्थगित प्रश्न**
**(दिनांक 19-3-79)**

**राज्य में कार्यरत वैद्यों एवं उप वैद्यों के लिये स्थानान्तरण नीति**

384. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने कितने वैद्यों एवं उप वैद्यों के स्थानान्तरण 1 नवम्बर, 1978 से 15 फरवरी, 1979 तक की अवधि में किए गए : इन स्थानान्तरणों में से कितने स्थानान्तरण बाद में निरस्त कर दिए गए और क्यों ?

(2) बे मौसम (आफ सीजन) के इन स्थानान्तरणों और निरस्तीकरणों का क्या औचित्य था ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रान्त के कई अन्य विभागों की भांति आयुर्वेद विभाग में कार्यरत वैद्यों और उप वैद्यों के स्थानान्तरण की कोई निश्चित नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) किन कारणों से आयुर्वेद विभाग के निदेशक का पद पिछले डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त पड़ा है ? विभाग के कार्यों के सुसंचालन तथा कर्मचारियों के असन्तोष को दूर करने के लिए सरकार आयुर्वेद निदेशक की नियुक्ति कब तक कर देगी ?

**उत्तर**

(1) 1 नवम्बर 1979 से 15 फरवरी 1979 के मध्य 450 वैद्यों एवं 284 कल्पद धात्रियों के स्थानान्तरण किये गये। इनमें से 37 वैद्यों व 26 कल्पद धात्रियों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये। स्थानान्तरण निरस्त करने के मुख्य कारण माननीय विधायकों की सिफारिश, प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखना व कर्मचारी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण है।

(2) प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने, माननीय विधायकों की सिफारिश, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए तथा कर्मचारी की स्वयं की इच्छा के कारण ही इस अवधि में स्थानान्तरण व निरस्तीकरण किए गये।

(3) अन्य विभागों की भांति आयुर्वेद विभाग में भी वैद्यों और कल्पद धात्रियों के स्थानान्तरण करने के लिए नीति निर्धारित की हुई है।

(4) निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति के अभाव के कारण आयुर्वेद विभाग के निदेशक का पद रिक्त पड़ा है। निदेशक के पद पर अतिरिक्त निदेशक कार्य कर रहे हैं। निदेशक के पद को भरने के लिए राज्य सरकार जागरुक है। इस पद की शीघ्र ही भरे जाने की सम्भावना है।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री श्योपतसिंह मकासर** : सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 27 मार्च

Page No. 68

(68)



(श्री अध्यक्ष)
को कोटा के नजदीक पोलीटेक्निक कालेज तथा छात्रावास के छात्रों तथा कर्मचारियों पर मोटर मार्केट के दुकानदारों व ट्रक आपरेटर्स द्वारा किये गये सामूहिक हमले के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, रणजीतसिंह व रामसिंह सदस्य, विधान सभा, की ओर से तहसील फलौदी ग्राम जांमा में जांभोलाव मेले में यात्रियों के पुश्तैनी ठहरने की जगह पर एक भूतपूर्व जागीरदार द्वारा नाजायज कब्जा करने का प्रयत्न करने के विषय में।

(3) श्री रामकृष्णदास, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में बिजली उपलब्ध न होने से परीक्षारत छात्रों के अध्ययन पर प्रभाव पड़ने के विषय में।

(4) श्री परसराम मदेरणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा के समक्ष आज होने वाले ट्रक आपरेटर्स के विशाल प्रदर्शन के विषय में।

(5) श्री शिवचरणसिंह, सदस्य, विधान सभा, की ओर से शराबबन्दी समिति द्वारा शराबबन्दी की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन के विषय में।

(6) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली नगर परिषद् क्षेत्र में नगर परिषद् द्वारा भारी गृह कर लगाने के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेज रहा हूं।

(7) श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विश्व बैंक कृषि विस्तार योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों में कार्यरत ग्राम सेवकों को कोटा जिले के ग्राम सेवकों से कम वेतन दिये जाने के विषय में।

सदन में कृषि और सामुदायिक विकास की मांगों पर चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री टीकमचन्द कान्त** : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। पाइन्ट आफ आर्डर मेरा है...

**श्री टीकमचन्द कान्त** : पाइन्ट आफ आर्डर सबसे पहले मेरा है।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर। श्री रामनारायण चौधरी, पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि

(श्री रामनारायण चौधरी)
मैंने और श्री दुलारामजी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कल आपकी सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपको आज उस पर व्यवस्था देनी चाहिये थी। स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर था, बस्टर्ड हंटिंग इन राजस्थान। ग्रेट बस्टर्ड हंटिंग के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण मेरा स्थगन प्रस्ताव था....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं आपके इस पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे एक एक कर के पाइन्ट आफ आर्डर उठावें। अनेक पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था मैं एक साथ नहीं दे सकता हूं। कृपा कर के मेरी व्यथा को भी समझें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर चर्चा हो चुकी है। वह प्रिन्स भी यहां से चले गये है। यह मामला भी अदालत के विचाराधीन है। अतएव माननीय सदस्य के इस पाइन्ट आफ आर्डर को अस्वीकार करता हूं आपकी आपत्ति को मैं स्वीकार करने में विवश हूं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

**श्री अध्यक्ष** : पाइन्ट आफ आर्डर। श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : व्यवस्था के नाम पर भाषण देना चाहते हैं। यह गलत परिपाटी है।

**श्री राम नारायण चौधरी** : यह गलत परिपाटी नहीं है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

**श्री रतनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है। इनका पाइन्ट आफ आर्डर आपने खारिज कर दिया है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

**श्री अध्यक्ष** : पहला पाइन्ट आफ आर्डर श्री राम कृष्ण दास, दूसरा श्री श्योपतसिंह और फिर दूसरे का सुनूंगा। एक साथ कितने पाइन्ट आफ आर्डर सुनूंगा ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है। ये भाषण दे रहे हैं। यह नहीं होने देंगे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे पाइंट आफ आर्डर पर जो व्यवस्था दी है, उसके ऊपर मुझे कहने का अधिकार है। मुझे एक सूचना इस सम्बन्ध में देनी है और मुझे इसका अधिकार है। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जो व्यवस्था आपने दी है, उस सम्बन्ध में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आपने जो व्यवस्था दी है, उस पर।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : इनका कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सदन में इस पर

(श्री रामनारायण चौधरी)
चर्चा हो चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : इनका स्थगन प्रस्ताव आवे या न आवे इनको तो बोलने दिया जाए यह नहीं होगा।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर एक प्रश्न द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में प्रश्न आया था, उस सम्बन्ध में....

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है उस पर आपने व्यवस्था दे दी है। इसलिए आप इनको बाध्य कीजिए. मजबूर कीजिये कि ये भाषण न दें। यह गलत है। भाषण की इजाजत नहीं होगी।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शराबबंदी के बारे में राजस्थान सरकार ने इस सदन के बाहर घोषणा की है। इस प्रकार को घोषणा करके राज्य सरकार ने, उसके मुख्य मंत्री ने इस सदन का अनादर किया है और इस सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात किया है।....

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायणजी को रोजाना दस मिनट बोलने के लिए दे दीजिए। ये बोल लें तब सदन की कार्यवाही चले....

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, श्री रामनारायण चौधरी को जरा दो शब्द कहने दीजिए।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : इनके लिए पहले तय कर दीजिए कि कार्यवाही शुरू होने के पहले ये दस मिनट बोल लें। इस तरह से कोई सदस्य नहीं बोलेगा। यह बिलकुल नहीं चलेगा। नहीं चलने देंगे। स्थगन प्रस्ताव, पाइंट आफ आर्डर पर भाषण नहीं होगा।

(व्यवधान)

इनका तो यह पक्षियों का सवाल है। हमारा भी महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे छात्रों के सिर पर कोड़े पड़ रहे हैं परन्तु इनका बस्टर्ड पर भाषण होगा। पाइंट आफ आर्डर के नाम से भाषण देंगे। यह गलत है। यह सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है. सस्ता नाम कमाने के लिए हो रहा है। यह नहीं चलने देंगे।

**श्री दुलाराम** : अध्यक्ष महोदय, हम भी इनका भाषण नहीं होने देंगे। यह सदन इनकी प्रोपर्टी नहीं है। हम को नहीं रोक सकते।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : हम भी नहीं बोलने देंगे। यह व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हो चुकी है।

**श्री नूरा (मसूदा)** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री जगदीशसिंह** (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बाहर जाकर पहले झगड़ा कर लें, निपट लें। क्यों सदन का बहुमूल्य समय बरबाद कर रहे हैं ? आप ऐसी व्यवस्था दें कि इस सदन के काम के अन्दर कोई भी व्यवधान न डाल सके।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : पहले अपने घर के झगड़े को निपटाओ।

**श्री दुलाराम** : कोई भी सदस्य इस सदन में बोलना चाहता है तो उसको नहीं रोक सकते।

**श्री नूरा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी का स्थगन प्रस्ताव पहले आया है....

**श्री रतनलाल वर्मा** : यह सदन राजस्थान की जनता की प्रोपर्टी है, दो आदमियों की प्रोपर्टी नहीं है। आपको व्यवस्था की पालना करनी चाहिये। हुड़दंग पैदा कर रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, सारे सदन को सिर पर उठा रहा है।

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। आप शांत रहिये। मैंने निवेदन किया यह सदन 1-2 सदस्यों की प्रोपर्टी नहीं है। आप 15 मिनट से ऊधम मचा रहे हैं। यह क्या बात हुई। अध्यक्ष महोदय, आप इस पर विचार करें। कोई भी व्यक्ति, जिसको आपने बोलने की अनुमति दी, अपने विचार रख रहा हो तो बीच में दूसरा या तीसरा न बोले। तभी जाकर कुछ मामला बैठेगा। नहीं तो समय यों ही निकल जाता है।

**श्री नूरा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री केदारनाथ** (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन पर आपने व्यवस्था दे दी जिसके अनुसार हाउस में प्रायोरिटी बेसिस पर बोलते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य के एडजोर्नमेंट मोशन पर आपने व्यवस्था दे दी कि वह बोल लें अपने एडजोर्नमेंट मोशन पर, तो बीच में ही पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने, शुरुआत में ही पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने का मतलब क्या हुआ। मेरी नजर में इस प्रकार की परम्परा हाउस में नहीं रही है।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय की बात सुनिये।

(व्यवधान)

**श्री नूरा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैंने आपको सूचना भी दी है, मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं, कृपया व्यवस्था दें। मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा उसकी सूचना नहीं मिली। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पाइन्ट आफ आर्डर है। बोलने की इजाजत दें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, केदार जी ने बात कही, हमने भी सुनी, आपने भी सुनी। आप व्यवस्था करें, जो स्थगन प्रस्ताव आपको मिले उन पर आप व्यवस्था दें हम उसे स्वीकार करेंगे लेकिन कुछ एडजोर्नमेंट मोशंस, जो हमारी दृष्टि में इंपोर्टेन्ट हैं, को अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारों के तहत रोक लिया। अनाउन्समेंट नहीं किया। आपको अधिकार है, आप रोक सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। पूर्व में

(श्री रामनारायण चौधरी)

भी हुआ है राम निवास जी के समय में, राम किशोर जी के समय में। व्यास जी भी ऐसा करते रहे हैं, प्रस्ताव रोके गये हैं आपके सामने भी। आपने भी व्यवस्था के लिये रोके हैं। फिर भी मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जिन एडजोर्नमेन्ट मोशंस पर आप व्यवस्था नहीं दें, अपने पास रोक लें उनको हम कब उठावें, बिगनिंग में उठावें या लास्ट में ?

**श्री दिग्विजयसिंह** : लास्ट में।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आपके कहने से क्या होगा ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आप भाषण दें पाइन्ट आफ आर्डर के नाम पर....

(व्यवधान)

बोलते ही जावें। इसकी जरूरत नहीं है।

**श्री नूरा** : इस पर व्यवस्था चाहिये. अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं बात समाप्त ही कर रहा था। मेरी बात भी सुन लें।

व्यवस्था कर दीजिये। जिन एडजोर्नमेंट मोशंस के ऊपर किसी प्रकार का अनाउंसमेन्ट, व्यवस्था आसन की तरफ से न हो, जिन्हें विद-होल्ड कर लें उनके बारे में माननीय सदस्यों को कब अपनी बात उठानी चाहिये, बिगनिंग में या बाद में उठानी चाहिये या नहीं उठानी चाहिये, इसके बारे में व्यवस्था दें। हमें कोई शौक नहीं है किसी के बीच में बोलने का। दूसरे माननीय सदस्यों के बीच में हम नहीं बोलना चाहते। हमारा टाइम निश्चित हो जाय। मेरा निवेदन है कि यदि इंपोर्टेण्ट इश्यू नहीं होता तो आसन अपने पास नहीं रोकता। इसका मतलब ही यह है कि प्रश्न इंपोर्टेंट है कुछ वजह है जिस वजह से आप इस पर व्यवस्था नहीं देना चाहते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आसन ऐसे इंपोर्टेन्ट इश्यूज, जिनमें नेशनल इंट्रेस्ट इन्वाल्व हो, विदेशी लोग आयें—

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आप भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अगर आप कहें तो मैं सदन की कार्यवाही बन्द कर दूं ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था को मानेंगे। मगर यह नहीं होगा कि जिस स्थगन प्रस्ताव को आपने पढ़ा ही नहीं, जिस पर बोले ही नहीं, उस पर लोगों को भाषण देने की पहले से ही इजाजत दे दी जावे। अभी माननीय रामनारायण जी ने कहा, महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है तो ले लेंगे—

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं श्योपत सिंह जी की बात नहीं कह रहा।

(व्यवधान)

**श्री नूरा** : हमारा प्रस्ताव है, हमें भी बोलना है।

**श्री अध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : यदि आप मुझे कुछ कहने के लिए समय देंगे तो मैं आभारी हूंगा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे पूछें। उनका अमुक प्रस्ताव चाहे स्थगन हो, चाहे ध्यानाकर्षण, अथवा आधे घंटे की चर्चा से संबंधित हो उसके बारे में पूछ सकते हैं उस पर आसन द्वारा व्यवस्था दी जा सकती है। वास्तविकता यह है कि सारी तुरन्त आसन व्यवस्था नहीं दे सकता तो आसन के द्वारा संकेत किया जाता है कि आप चेम्बर में आकर मिलें। रामनारायण जी चौधरी ने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि आधे घंटे की चर्चा के लिये आपने संकेत किया था। हाँ, किया था, और यह प्रश्न सरकार की जानकारी के लिए भी मैंने भेजा। वह प्रश्न अदालत के विचाराधीन है, सब 'जुडिस' है, तो ऐसी स्थिति में मैंने उसको अस्वीकार किया। इसके उपरान्त माननीय सदस्य को और जानकारी देनी है या बात करनी है तो मुझसे चेम्बर में आकर मिल ले। मैंने अस्वीकार इसलिए किया कि जो अदालत में विचारार्थ मामले हैं उन मामलों में 99 परसैन्ट चर्चा नहीं उठाई जाय, यह परम्परा रही है। अतएव मैंने यह व्यवस्था दी है।

**श्री मूलचंद डागा** : मेरा दूसरा पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है।

**श्री नूरा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री मूलचंद डागा** : सर, ग्रान ए पोइंट ग्राफ ग्रार्डर।

**श्री नूरा** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, और व्यवस्था का प्रश्न है तो आप मेरे चेम्बर में मिलें। आप स्वयं यह सोच सकते हैं कि एक घन्टा जीरो आवर का है वह बढ़ कर दो घन्टा हो जाता है और कभी कभी ढाई घन्टा होता है। चार, पांच या हद से हद 6 स्थगन प्रस्तावों पर मैं व्यवस्था दूं और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखूं तो आखिर कार सदन की दूसरी कार्यवाही भी होगी या आज इस सदन की व्यवस्था में ही निरन्तर समय तक पड़े रहेंगे ? यह तो मेरे ख्याल में अनुचित होगा। जितने स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आते हैं उनकी संख्या में माननीय सदस्यों के समक्ष रखूं ? क्या इतनी ज्यादा संख्या में जो स्थगन प्रस्ताव मेरे पास हैं उन पर व्यवस्था दूं ? वह सदन में रोजाना आ सकते हैं ? 20-30 स्थगन प्रस्ताव क्या रोजाना सदन में आ सकते हैं ?

**श्री श्योपत सिंह मकासर** : कुछ सदस्य, जिनके प्रस्ताव पहले आ जायं, भाषण दे दें और जिन्होंने नहीं रखे या पहले नहीं आये तो....

**श्री अध्यक्ष** : मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे सम्माननीय सदस्य निवेदन यह है कि जिन स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी गई है उन पर 5-5 मिनिट चर्चा उठायें। माननीय श्री नूरा, आपका अगर महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है तो चेम्बर में आकर मुझे सूचना दें तो मैं कुछ उत्तर दे सकता हूं।

**श्री नूरा** : धन्यवाद।

**श्री मूलचंद डागा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह था....

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मुझे पाइंट आफ आर्डर पर बोलने की आपने पहले आज्ञा दी थी।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य डागा साहब, मेरी यह व्यवस्था है कि माननीय श्री रामनारायण जी चौधरी के पश्चात् पाइंट आफ आर्डर रेज करने के लिए श्री रामकृष्णदास जी गुप्ता को समय दिया गया। अतएवं आप कृपया बाद में पाइंट आफ आर्डर उठायें।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**सत्र काल में सरकार द्वारा सदन से बाहर मद्यनिषेध सम्बन्धी घोषणा**

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि जब सत्र चल रहा है तो राज्य सरकार को अपनी नीति सदन के फ्लोर पर ही घोषित करनी चाहिए। आज आकाशवाणी ने सुबह 8 बजे समाचार प्रसारित किया इसमें मुख्य मन्त्री की ओर से यह बतलाया गया कि राजस्थान सरकार की शराबबन्दी के बारे में यह नीति है कि 1 अप्रेल, 1979 से पूर्ण शराबबन्दी न होकर 1 अप्रेल, 1980 से होगी, और इस वर्ष कुछ नये जिलों में शराबबन्दी की जायगी। शराबबन्दी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब कि वित्त मन्त्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने लगातार इस सदन में यह आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में इस सदन में नीति के बारे में घोषणा की जायगी, घोषणा सदन के चलते हुए....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपने कहा वह ठीक है। यह घोषणा सदन में आने के पेशतर ही श्री गोकुल भाई जी भट्ट साहब से कोई न कोई आपस में समझौता कर के...

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष, गोकुल भाई भट्ट....

**श्री मूलचंद डागा** : यह पालिसी है और पालिसी को सदन में रखें।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा यह घोषणा इस सदन के फ्लोर पर की जानी चाहिए थी। सदन के द्वारा ही राज्य सरकार इस प्रकार की खबर देती। ऐसा न करके मैं समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। हम आपसे चाहेंगे कि इसके लिए आप उनको सदन में ताड़ना दें ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती न करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य जानते हैं और सब लोग जानते हैं इसको।

**श्री मूलचन्द डागा** : जी नहीं, हम नहीं जानते हैं। सदन में यह घोषणा की गई थी।

(श्री मूलचन्द डागा)
कि एक दो दिन में आप सदन को बतायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने थोड़े दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि जो रूस के प्राइम मिनिस्टर के साथ समझौता हुआ उसके सम्बन्ध में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से टेलिविजन पर वार्ता हुई, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई उसको उन्होंने दूसरी जगह पर रखा है, तो इस बात का प्रश्न उठाया गया था लोकसभा में और राज्य सभा में। इस सदन का अधिकार है कि यदि सदन सत्र में हो और सरकार नीति सम्बन्धी कोई निर्णय ले तो अखबारों और आकाशवाणी को सूचना देने के पूर्व उसको सदन में घोषणा करनी चाहिए। यह माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठता का प्रश्न है। यह सदन चल रहा है तो कोई भी पालिसी डिसीजन हो तो इस सदन में घोषणा करनी चाहिये। पूर्व में भी यह परम्परा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन का यह अधिकार है, और इस सदन का यह अधिकार इसलिए है कि यह सदन सावरिन है। सदन सावरिन है, इस सदन के प्रति गवर्नमेंट रेस्पान्सिबल है इसलिए यह सदन में घोषणा करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई निर्णय लिया है नीति सम्बन्धी तो सबसे पूर्व सदन में उसकी घोषणा होनी चाहिए। पूर्व में भी यह परम्परा रही है। यह एस्टेब्लिस्ड प्रेक्टिस है। इस प्रकार की एस्टेब्लिस्ड प्रेक्टिस से किसी प्रकार का डिपार्चर हो तो सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसलिए मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब कभी भी जो कोई नीति सम्बन्धी घोषणा हो वह सबसे पहले सदन में करें। बाद में अखबारों और आकाशवाणी को सूचना दी जानी चाहिये। जैसा कि लोकसभा में हुआ गलत सूचना दी गई थी। लोक सभा की मार्फत सूचना. चाहे वह गलत सूचना हुई हो, देनी पड़ती है। इस सदन की इतनी प्रतिष्ठा है। सूचना देने पर गलत होने पर भी देश में और सारे संसार में तुरन्त ही प्रसारित कर दी गई। यह सदन की महत्ता है और गरिमा है, और यह इस सदन का अधिकार है। पूर्व में यह परम्परा रही है और यह एक एस्टेब्लिस्ड प्रेक्टिस है कि कोई नीति सम्बन्धी घोषणा हो, मंत्रिमण्डल का निर्णय हो, चाहे इन्डिविजुअल मिनिस्टरी कोई नीति सम्बन्धी घोषणा करना चाहे यदि सदन का सत्र चल रहा है तो यहां घोषणा करनी चाहिए। हो सकता है की कन्सल्टेटिव कमेटीज में पालिसी सम्बन्धी निर्णय लिया जाता है तो पालियामेंट की मीटिंग बुलाकर घोषणा करते हैं मिनस्टर फार पालियामेंट्री अफेयर्स ताकि पूरे देशको इतला हो जाय, पालियामेंट की कन्सल्टेटिव कमेटी के निर्णय के सम्बन्ध में। यह एक तरीका है, एक एस्टेब्लिस्ड प्रेक्टिस है। जब सदन का सत्र नहीं होता है तो मुख्य मंत्रीजी और प्रोहीबिशन मंत्री जी निर्णय लें तो निर्णय लेने का उनका अधिकार है, लेकिन उसकी सूचना सदन को देनी चाहिए।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : अध्यक्ष महोदय,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह जो मैटर है इसके सम्बन्ध में विधान सभा में मेरा रिजोल्यूशन नॉन-आफिशियल पेंडिंग है। गये साल से यह पेंडिंग है अभी भी इसको पेंडिंग रखा है क्योंकि जल्दी ही डिसीजन लेने वाले हैं। जब वह हाउस के अन्दर पेंडिंग है और आपको घोषणा करनी थी तो उस दिन ही कर देते मेरे प्रस्ताव के जवाब में।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो बात कही है सदन की परम्परा की, एक एस्टेब्लिस्ड प्रैक्टिस और सदन की मर्यादा की, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं कि कोई भी नीति सम्बन्धी घोषणा जब सत्र चल रहा हो तो सत्र में ही होनी चाहिए। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो कुछ भी समाचार पत्रों में छपा है उसकी सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं है। अभी इस मसले पर केबिनेट में चर्चा करनी है और केबिनेट में विचार नहीं किया गया है। केबिनेट में विचार करके, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जो भी घोषणा है वह हाउस के अन्दर ही की जायगी। समाचार पत्रों में छपी डिटेल्स मुझे नहीं मालूम हैं, लेकिन यदि मेरा कहना मानते हैं तो सरकार की ओर से सूचना नहीं दी है। अखबारों ने क्या चीज लिखी है मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी मान्यता है कि जो कुछ भी नीति सम्बन्धी मामले हों वह सदन में बतलाये जायें और उसके बाद समाचार पत्रों में दें।

**श्री मथुरादास माथुर** (डीडवाना) : मैं मुख्य मन्त्री जी से एक बात, माननीय अध्यक्ष, आपके अ पूछना चाहता हूं। जो कुछ रेडियो में कहा गया है और अखबारों में छपा है क्या वह सही है या गलत है ? अगर गलत है तो मामला खुद ब खुद खतम हो जाता है। अगर सही है तो मामला चालू हो जाता है। मुझे कहना पड़ेगा कि रेडियो से ब्रोडकास्टर होने व अखबारों में छपने के बाद पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, सरकार या मुख्य मन्त्री महोदय की तरफ से कोई कांट्रेडिशन नहीं छपा है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि जो समाचार पत्रों में खबर छपी है, अगर वह सही है....

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : गलत है।

**श्री मथुरादास माथुर** : गलत है तो ठीक है। वह कह दें कि सही है तो मैं आगे सवाल करूंगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय महोदय, डीडवाना से जो माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने रेडियो और सरकार के सम्बन्ध में कुछ कहा है। मैं समझता हूं कि रेडियो पर राजस्थान सरकार के रेफरेंस में नहीं आया है। मैंने पहले ही कह दिया है मेरी तरफ से या सरकार की तरफ से यह सूचना नहीं दी गई है। अखबारों में छपी है, वह सही है या गलत है, यह केबिनेट की मीटिंग होने के बाद ही निश्चित होगा।

**श्री मथुरा दास माथुर** : केबिनेट मीटिंग हुई नहीं फिर भी अखबारों में छपा है इसके दो ही सोर्स हो सकते हैं या तो मुख्य मन्त्री जी या गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट हाउस के सदस्य नहीं हैं।

**श्री बजरंग लाल शर्मा** : माननीय

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अखबार पढ़ा ही नहीं है। वह पढ़ कर बता दें कि यह सच है या गलत है ?

**श्री मथुरादास माथुर** : मुख्य मन्त्री से यही उम्मीद की जाती है कि वह सवेरे उठते ही चाय की प्याली के साथ में अखबार पढ़ें। गोकुल भाई भट्ट ने कोई घोषणा की है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह गोकुल भाई कभी कहते हैं 7 नवम्बर से होगा, कभी कहते हैं 1 अप्रेल से होगा। अब 1 अप्रेल से नहीं होगा। 1980 से होगा। यह सरकार की नीति है, गोकुल भाई भट्ट की नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि गोकुल भाई भट्ट और मुख्य मन्त्री जी ने मिल कर सदन के अधिकारों का हनन किया है। यह हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेज है। यह गलत है तो गलत है। सही है तो हमारा ब्रीच आफ प्रिविलेज है। इस पर प्रिविलेज मोशन आएगा। इस पर ब्रीच आफ प्रिविलेज अलाउ करें। मुख्य मन्त्री जी ने अखबार देखा है या नहीं देखा है लेकिन जो छपा है, वह सही है या गलत है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया है।

**एक माननीय सदस्य** : आज तो तम्बू उठ गये हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** : आपके तम्बू तो कायम हैं।

(व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह ...** : पीछे बोतल छोड़ गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय सदस्य को यह चिन्ता है कि तम्बू क्यों उठ गये हैं ?

**श्री मथुरादास माथुर** : हमें तो यह खुशी है कि उनके तम्बू उठ गये और आपके तम्बू रह गये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप जो लाभ उठाना चाहते थे, ईश्वर की कृपा से वह मिल नहीं पा रहा है। यह कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही कहता।

**श्री मथुरादास माथुर** : आपने ऐसा प्रश्न उठाया है। हमने तो तम्बू गड़ाये हैं आपने उठाये हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हमने अपनी ओर से या सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं दी है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही निर्णय होगा। जो निर्णय होगा, उससे सदन को अवगत कराया जाएगा। जहां तक माथुर साहब ने ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात कही है जहाँ तक प्रिविलेज का प्रश्न है, सदन की यह परम्परा रही है कि सदन की मर्यादा अगर तोड़ी है और आप कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो ले आयें।

**श्री शिवचरण सिंह** : कैबिनेट के किसी मन्त्री ने इस्तीफा तो नहीं दिया ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपकी परम्परा के अनुसार चलने वाला कोई मंत्री नहीं है।

**श्री ईश्वरचंद्र** : हमारे चार माननीय सदस्यों ने भी भूख हड़ताल के लिए तम्बू लगवाये थे, उनका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : वह शर्म के मारे हाउस में नहीं आये हैं। मनोहरसिंह जी मेहता हाउस में नहीं आये हैं। उजला अरोड़ा भी नहीं आयी हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप उनको प्रवोक कर रहे हैं।

**श्री मथुरादास माथुर** : हम तो आपको प्रवोक कर रहे थे कि आप इस्तीफा दे दें।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है, कोटा में पॉलिटैक्निक कालेज के छात्रों पर वहां के बस आनर्स ने और कुछ अन्य लोगों ने हमला किया है। करीब 40 छात्र घायल हुए हैं जिनमें से कुछ होस्पिटल में हैं। वहां के प्रिंसिपल के चोटें आई हैं। कुछ कर्मचारियों के चोटें आई हैं। यह सारा का सारा ताण्डव कोटा शहर में हुआ है। ऐसा महसूस होता है, अध्यक्ष महोदय, यह एक रिवाज सा होता जा रहा है। राजस्थान में आज यह स्थिति है कि जब सुबह उठ कर अखबार उठा कर पढ़ते हैं, तो एक न एक बात कभी बीकानेर, कभी जोधपुर, कभी गंगानगर, कभी सीकर, कभी उदयपुर में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सदन शुरू हुआ है, छात्रों के झगड़े, पुलिस का लाठी चार्ज, पुलिस की इमदाद के साथ झगड़े शुरू हो रहे हैं। उनका नतीजा क्या होता है? अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में विद्यार्थी वर्ग में भयंकर असन्तोष व्याप्त हो रहा है। इसका नतीजा हमारे प्रदेश के लिए खराब हो रहा है। हमारी सरकार को सोचने की फुरसत नहीं है। वहां जो घटना घटी है, वह राष्ट्रदूत में आज आई है। दूसरे अखबारों में भी डिटेल्स आये हैं। जब हमने अखबार को पढ़ा तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल राज है। मैं कुछ पोर्शन पढ़कर सुनाऊंगा ताकि हाउस को यह पता लग सके, हाउस को यह महसूस हो सके कि किस प्रकार का जंगल राज है। कानून और व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वह पढ़ कर सुनाता हूं।

"स्थानीय पालिटैक्निक महाविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के तथा ट्रक वालों के सशस्त्र हमले के फलस्वरूप 3 दर्जन छात्र घायल हो गये हैं जिनमें से 6 की हालत चिन्ताजनक है। ट्रक वालों द्वारा लाठियों, बर्छियों, सरियों, व तलवारों से हमला किया गया है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे शर्म की बात तो यह है कि इस सारी घटना के वक्त, जिस प्रकार से हमला किया गया है, पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे। यह एक शर्मनाक प्रश्न है कि पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार से दंगे और फसाद हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, गृह मन्त्री जी बतायें कि इस प्रकार के हालात प्रदेश में कब तक चलने देंगे? इस जंगल राज को प्रदेश में कब तक इजाजत देंगे? आखिर बड़े-बड़े अधिकारियों पर और पुलिस पर जो खर्चा हो रहा है, उसका मतलब क्या है? प्रदेश में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। लोगों के इस प्रकार से सर फोड़े जायं।

(श्री श्योपतसिंह, मकासर)

बड़े-बड़े अधिकारी मौजूद हों, पुलिस अधिकारी मौजूद हों, वायरलैस की गाड़ियां मौजूद हों फिर भी छात्रों पर लाठी चार्ज हो यह शर्मनाक बात है। छात्रों पर हमला क्यों हुआ ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत में गृह मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमला किया है, उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? विद्यार्थियों के पढ़ाई के दिन हैं। उनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं। जिन इन्स्टीट्यूशन में, जिस कालेज में इस प्रकार की घटना हो जाये, क्या वहां लड़के पढ़ सकते हैं ? आपकी निकम्मी पुलिस के कारण लोग घायल हुए हैं। वहां पर आपने अशान्ति पैदा कर दी है। दिलो दिमाग में भय पैदा कर दिया है। जिसका असर उनकी परीक्षाओं पर पड़ेगा इसलिए आप भी उन गुनहगारों के साथ शामिल हैं, आप भी गुनहगार हैं, आपने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और सख्ती नहीं की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, तीन सदस्यों का कोटा से आने वालों का प्रस्ताव है।

**श्री सम्पतराम** (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्योपतसिंह जी ने जो तथ्य रखे हैं, मेरी सुबह भी बातचीत हुई, मेरी जानकारी के मुताबिक यह बहुत सही नहीं है। जो भी तथ्य मुझे अभी प्राप्त हो सके हैं वह मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं :—

दिनांक 21 मार्च को पोलीटेक्निक कालेज के छात्रों एवं सिटी बस के एक कण्डक्टर में कुछ झगड़ा हो गया था, जिस पर दोनों ही ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस घटना को लेकर पोलीटेक्निक के छात्रों ने दिनांक 26 मार्च, 79, को नगर में जुलूस निकालने हेतु कालेज के समीप स्थित मोटर मार्केट पहुंच कर कुछ ट्रकों की मांग की मगर ट्रक मालिकों ने उन्हें ट्रक देने से इन्कार कर दिया। इस पर छात्रों ने एक ट्रक में शहर में होकर जुलूस निकाला और उनके एक प्रतिनिधि मण्डल ने नगर दण्डनायक तथा अपर पुलिस अधीक्षक से मिल कर कण्डक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। कोटा नगर में सिटी बस नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही है और नगर दण्डनायक इस समय नगर प्रशासक भी हैं। उन्होंने छात्रों को इस घटना के बारे में जांच करा कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

छात्रों ने वापिस लौटते समय रास्ते में एक अन्य ट्रक को अगुवा कर लिया मगर पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे छुड़ा दिया।

कल दिनांक 27 मार्च को प्रातः 10.30 बजे कुछ छात्रों ने कालेज से बाहर आकर ट्रक मालिकों के जुलूस निकालने हेतु ट्रकों की मांग की। ट्रक मालिकों द्वारा ट्रक देने से मना करने पर छात्रों ने पथराव किया। जिस पर वहां उपस्थित ट्रक ड्राइवरों, कण्डक्टरों एवं उनके समर्थकों ने उन छात्रों का कालेज प्रांगण के अन्दर तक पीछा किय

(श्री सम्पतराम)

और कालेज नोटिस बोर्ड तथा अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस पर छात्रों की उत्तेजित भीड़ ने उन पर पथराव कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। बाद में छात्रों की उग्र भीड़ ने मोटर मार्केट पहुंच कर दुकानदारों व ट्रकों पर पथराव किया जिस पर दुकानदारों, मैकेनिक व ड्राइवरों आदि ने छात्रों के इस हमले का प्रतिरोध किया।

सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों दलों में चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप किया परन्तु दुकानदारों, ट्रक चालकों आदि, जिनकी संख्या करीब एक हजार थी, कालेज में घुस गए उन्होंने होस्टल की खिड़कियों व दरवाजों को तोड़ दिया व छात्रों पर हमला कर मारपीट की। पुलिस ने पीछा कर इन हमलावरों को बाहर खदेड़ कर स्थिति पर नियन्त्रण किया।

इस कार्यवाही में पुलिस के 16 कर्मचारियों के चोटें आईं जिनमें दो कान्स्टेबलों के सिर में गम्भीर चोटें आई हैं। 17 छात्रों के भी चोटें आई हैं जिनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिनकी हालत सन्तोषजनक है। 8 अन्य दुकानदारों, चालकों आदि के भी चोटें आई हैं।'

'इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस में चार अभियोग पंजीबद्ध होकर अनुसन्धान जारी है।'

'स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है। कोशिश की जा रही है जिससे ट्रक वालों और स्टूडेंट्स में राजीनामा हो जायगा।

(व्यवधान)

**श्री हरीश शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट बेबुनियाद और गलत है। जो घटना घटी है पोलीटेक्निक महाविद्यालय में छात्रों के साथ निर्ममता से पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, इनको आपने इजाजत दी है क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, दो तीन का, मैंने नोट कर रखा है।

**श्री हरीश शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की जालसाजी है यह विद्यार्थियों को मारने की। माननीय गृह मंत्री जी, पुलिस उन लोगों के साथ थी, मेरे पास प्रेसीडेन्ट का फोन आया है, बड़ी गम्भीर स्थिति है। इस पर गृह मंत्री जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ट्रक वालों और दुकानदारों ने पुलिस वालों को कहा कि मारो-पीटो। यह पुलिस की साजिश है, डी०एस०पी०, एस० पी० ने दुकानों में जाकर उन्हें मारा और छात्रों को ऊपर से फेंका गया।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : तहस नहस कर दिया।

**श्री हरीश शर्मा** : जैसे दो सेनाओं में कोई गम्भीर युद्ध हो रहा हो। यह, अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गम्भीर मामला

# Page No. 81

(81)



(श्री हरीश शर्मा)

है, इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान पत्रिका में जो हवाला आया, पत्रकारों ने जो दशा देखी वह सदन के समक्ष रखना चाहता हूं :—

"पोलिटेक्निक छात्रसंघ के अध्यक्ष कामेश्वरनाथ सक्सेना ने बताया कि हमलावर छात्रावास में छात्रों के रेडियो, केलकुलेटर, घड़ियां, कपड़े आदि सामान ले गए और बीमार छात्र मोहनपाल सिंह को कमरे से लगभग 25 फीट नीचे फेंक दिया।

मारपीट में लेक्चरार डा० के० शृंगी, लाइब्रेरियन बृजेन्द्र कौशिक तथा तखतसिंह चौहान को चोट आई। पोलिटेक्निक छात्रों ने इस पूरी घटना के लिए पुलिस को दोषी ठहराया है और दोषी पुलिस अधिकारियों व हमलावरों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

हमलावरों ने छात्रावास में घुसकर कमरों के कांच की खिड़कियां व दरवाजे तोड़ दिये और छात्रों के सामान को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने पोलिटेक्निक के नोटिस बोर्ड एवं लेबोरेटरी को भी क्षति पहुंचाई तथा साइकिल स्टैंड पर खड़ी पन्द्रह-बीस साइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया।

इससे पूर्व ट्रक आपरेटर्स यूनियन के लोगों ने कालेज पर हमला किया। यूनियन के लोगों ने पोलिटेक्निक पर हमला किया और छात्रों के साथ मारपीट की। बाद में छात्रों ने इन लोगों को पोलिटेक्निक से बाहर खदेड़ दिया। इतने में पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। छात्रों ने ट्रक यूनियन के लोगों एवं पुलिस पर हलका पथराव किया। पता चला है कि छात्रों ने पोलिटेक्निक से सामने की दुकानों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर भी पथराव किया बताया। बाद में पुलिस के सामने मोटर मार्केट के दुकानदार पोलिटेक्निक में घुसे और छात्रों पर हमला कर उनकी अच्छी तरह पिटाई की।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर मामले को सरकार टालना चाहती है, इस तरह से टालने से कोई काम नहीं चलने वाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारा कोटा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बन्द है, स्थिति बहुत गम्भीर है, इसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। घायल छात्रों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाये। दोषी एस० पी० और डी०एस०पी० को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए। आयन्दा के लिए आदेश दिया जाय कि पुलिस को साथ लेकर महाविद्यालय में नहीं घुसने दिया जाय। महाविद्यालय सरस्वती मां का मन्दिर है। वहां पर छात्रों को मारा, प्रोफेसरों को मारा, लाइब्रेरियन को मारा, शीशे तोड़ दिए। आपने कितने आदमियों को गिरफ्तार किया, कितनों को आपने सजा दी, क्या केस दर्ज किया? यह सब हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने तत्काल क्या कार्यवाही की? गृह मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़ दी इससे क्या होता है?

**श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :**

(श्री माणकलाल ठाकोर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय गृह मन्त्री महोदय को पुलिस प्रशासन द्वारा प्राप्त हुई है उस सूचना के आधार पर इन्होंने बयान दिया है लेकिन जो हमको जानकारी मिली है, वह केवल पत्रों के आधार पर ही नहीं बल्कि टेलीफोन से विश्वसनीय व्यक्ति से जानकारी मिली है उससे साफ प्रमाणित होता है कि पोलीटेक्निक छात्रों के बच्चों, विशेष रूप से जो छात्र होस्टल में रहते हैं, के साथ होस्टल में घुसकर के जिस निर्दयता के साथ मारपीट की, उनको लूटा गया, यह कोटा के इतिहास में दर्दनाक घटना है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रक ड्राइवर और मालिक आज कल सरकार से चिढ़े हुए हैं क्योंकि उन पर जो टैक्स लगाया गया है उस सम्बन्ध में भी वे प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनका बाल बांका करना सरकार के लिए मुश्किल है वे अपना गुस्सा अबोध बच्चों पर निकालते हैं। मैं उन बालकों को, जो छात्रावास में रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वे बहुत ही शालीन संयम से रहने वाले, ईमानदार और कर्मठ बच्चे हैं। उनमें किसी तरह की अनुशासनहीनता या गुंडागर्दी करने की भावना नहीं है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। एक बच्चा भयंकर रूप से बीमार था उसको उठाकर कहीं भेज दिया गया, उसको कतल करने की साजिश की गई। उसके साथ ही एक बच्चे का अपहरण किया गया और तरह भयंकर और पशुतापूर्वक आक्रमण किया गया। हो सकता है गृह मंत्री को इसकी सूचना पूरी तरह से नहीं हो लेकिन उनको जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए और इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी अपनी सी० आई० डी० द्वारा लेनी चाहिए। साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे सरकारी पक्ष की राय हो और विपक्ष के सदस्य मान लें तो एक समिति यहां के विधायकों की वहां भेजनी चाहिए। वह समिति वहां जाकर जांच करे और निष्पक्ष रिपोर्ट दे।

इसमें संदेह नहीं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता कई जगह है लेकिन जहां तक पोलीटेक्निक महाविद्यालय का प्रश्न है और छात्रवास के विद्यार्थियों का सवाल है, वह एक अपवाद है। वे शांतिप्रिय हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। गृहमन्त्री, जिनके सम्बन्ध में आज की तारीख में मैं नहीं कहना चाहता, उन छात्रों के विरुद्ध हैं, उनका हाथ था या उनको पिटवाना चाहते हैं। मुझे जो फोन से सूचना मिली है, मैं मानता हूं कि वास्तव में ज्यादती उनके साथ हुई है और पुलिस खड़ी-खड़ी देखती रही है, पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों की मदद की है, क्योंकि ट्रक वालों और पुलिस का वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि इंजीनियर और ठेकेदार का होता है। आप जानते हैं कि लेन देन के मामले में उनका आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण ट्रक मालिकों को इनाम दिया है और बच्चों को सजा दिलाई है। इसलिए आप निष्पक्ष जांच करायें और दोषी व्यक्तियों को मुअत्तिल कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोपाल पचेरवाल।

**श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : गृहमन्त्री ने अपने बयान में कहा है कि 26

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मार्च को कन्डक्टर और छात्रों के बीच झगड़ा होने के बाद छात्रों द्वारा जलूस निकाला गया। यह सरकार मानती है कि कन्डक्टर और छात्रों में झगड़ा होने के बाद छात्रों द्वारा जलूस निकाला गया? उसके बावजूद 27 मार्च को जलूस निकालना चाहते हैं और पुलिस 26 व 27 के बीच में मौन धारण कर बैठी रही। छात्र उत्तेजित थे, स्थिति भयंकर हो सकती थी उसके बावजूद प्रशासन मौन धारण कर बैठा रहा तो यह गृह मन्त्री के लिए शर्म की बात है। गृह मन्त्री जी अगर पुलिस प्रशासन पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो आप इस विभाग को छोड़ कर दूसरा विभाग ले लें, जो आप संभाल सकते हैं। जब से श्रीमान् के पास गृह विभाग आया है; तब से राजस्थान में पुलिस का आतंक बढ़ा है, पुलिस के द्वारा ज्यादा लाठी चार्ज हुए हैं। पुलिस कस्टडी में कई लोगों की मौतें हुई हैं, पुलिस कस्टडी में ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं।

26 मार्च को जलूस निकाला गया और 27 को जलूस निकालने की तैयारियां हो रही थी और पुलिस कान में तेल डालकर सोती रही, गृह मन्त्री सोते रहे तो राजस्थान का क्या होगा? आप निर्णय करें। आपने कहा कि 27 तारीख को छात्रों ने फिर जलूस निकाला। किसी ड्राइवर को पकड़ कर ट्रक पर कब्जा किया और उन्होंने जुलूस निकाला। जब छात्र जुलूस निकाल रहे थे तो छात्रावास में जनता क्यों घुस गई और जुलूस कलेक्टर या सिटी मजिस्ट्रेट के पास आया। दुकानदारों ने, ट्रक ड्राइवरों व मालिकों ने छात्रवास में जाकर छात्रों की पिटाई की तो छात्र उनसे कैसे मिले? इसमें हमें शंका है, दुरुस्त करें। पुलिस के नेतृत्व में, पुलिस की शह से यह सब कुछ हुआ है।

कांग्रेस के शासन में हाड़ोती के विद्यार्थियों ने रोजगार-मांगा तो उन पर लाठी चार्ज किया। अगर हम भी निरंतर छात्रों के आंदोलन को दबाते गए तो इसका अंजाम बुरा होगा। कांग्रेस को भी भुगतना पड़ा और संभवतः आपको भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से छात्रों पर आए दिन लाठी चार्ज करना, उन पर गुंडा एक्ट लागू करना, यह शोभाजनक बात नहीं है। गंगानगर में कालेज के विद्यार्थी छात्र नेता महेश पेडीवाल को वहां की पुलिस ने नंगा कर पीटा और पेशाब पिलाकर मोरारजी बनने की बात कही। अगर पुलिस विभाग ने पेशाब पिलाकर मोरारजी बनाना शुरू कर दिया तो मैं पुलिस अधिकारी से कहना चाहूंगा कि कहीं सम्पतराम को भी उसी तरह गंगानगर का एस. पी. या डी वाई. एस. पी. मोरारजी न बना दें। तो इस तरह गंगानगर में छात्रों की पिटाई की और उन पर गुंडा एक्ट लागू किया, उन पर पुराने केसेज चल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर मुकदमें चलेंगे। हमारे गृह मंत्री कांग्रेस में रहे हैं उनको मालूम है। सरकार में जनता पार्टी के मन्त्री बैठे हैं, इमर्जेंसी में इन्हीं लोगों पर पुलिस के केसेज चले हैं। उन केसेज के बावजूद भी जयप्रकाश बाबू के आह्वान पर लोगों ने लड़ाई लड़ी, अगर उन पर गुंडा एक्ट लागू किया तो 50 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के जमाने में मुल्जिम रहे हैं, आज भी उन पर केसेज चल

(श्री गोपाल पचेरवाल)

रहे हैं, उन लोगों ने भी कानून तोड़ा है, उन पर भी गुंडा एक्ट लागू हो, मन्त्रि-मंडल के कई सदस्यों पर भी लागू हो। अगर छात्रों को पुराने मुकदमों के आधार पर गुण्डा करार दिया जा रहा है तो।.......

श्री अध्यक्ष : कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो कोटा में छात्रों के साथ जो दंगे वालों द्वारा मारपीट की गई, उनके छात्रावास में घुस गए, तोड़-फोड़ की गई, भवन का नुकसान किया गया उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। जो दोषी हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है तो क्या आपका ट्रक आपरेटर्स एसोसिएशन से तालमेल है? क्या पुलिस अधिकारियों के निर्देश हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा छात्रों को पीटा जाए? जो छात्र पिटाई के कारण अस्पताल में भर्ती हैं उनका राज्य कोष से उपचार कराया जाए और जिन-जिन छात्रों का नुकसान हुआ है, उनकी किताबें एवं सामान बाहर फेंका गया है उसकी जांच करा कर दोषियों को दंड दिलाने की कार्यवाही करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जो गृह मन्त्री ने खौफनाक रिपोर्ट सदन में पेश की कि विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद में एक हजार की भीड़ उस कालेज में घुस गई और उन्होंने भवन को तहस नहस कर दिया। सबसे ज्यादा चोटें विद्यार्थियों को आई हैं। अस्पताल में भर्ती हैं वे विद्यार्थी हैं। थोड़ी बहुत भी गैरत होती गृह मन्त्री में और सरकार में तो.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप, पुनः भाषण देने लग गए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह जो रिपोर्ट पढ़ी गयी यह बहुत खौफनाक रिपोर्ट है....

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : लड़कों में झगड़े होते है और शांति और व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस जाती है तो उनकी बात नहीं मानते। आप लोग सब जगह झगड़े पैदा करते हैं.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : पुलिस जिम्मेदार है। झगड़ा क्यों बढ़ने दिया?

श्री सम्पतराम : बात करते हैं.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको पद्म-भूषण से विभूषित कीजिए। जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई है उनको पद्मभूषण से विभूषित कीजिए, राष्ट्रपति इनाम दीजिए। यह शर्मनाक बात है और आपके राज्य पर एक कलंक बनी हुई है। आपकी पुलिस गोलियों से मारे। आखिर हुआ क्या है? आप जाकर देखिये। ललित किशोर जी बैठे हैं, जाकर देखिये। क्या हालत पैदा की है? कितनी खौफनाक रिपोर्ट है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कैसे

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पुलिस की रिपोर्ट पर सन्तोष करें। यह रिपोर्ट तो बहुत खौफनाक है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी और राजस्व मन्त्री जी दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फलौदी तहसील के ग्राम जांमा में जांमेलाव मेला लगता है। भगवान जांमेदेव का अवतार हुआ था 450 वर्ष पूर्व उनकी स्मृति में एक मन्दिर बना था। वहां पर हजारों की तादाद में यात्री लोग आते हैं। वहां एक बड़ा भारी तालाब है जिसमें पन्द्रह बीस गांवों के मवेशी पानी पीते हैं। आज के रोज वहां पर 60-70 हजार आदमी गुरु जी की समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने एवं हवन करने इकट्ठे होते हैं और घी की आहुति देते हैं। यह मेला जबरदस्त भरता है। यह मेला 450 साल से भर रहा है। इस मेले में भाग लेने के लिए 50-60 हजार आदमी, औरतें और बच्चे आते हैं वह पुश्तैनी जमीन पर अपने-अपने गांवों से आकर रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वहां के भूतपूर्व जागीरदार श्री मेघसिंह जी हैं जिनकी एक्टीविटीज डेकायटी की पूर्व में रही हैं। उनके परिवार के लोग और दूसरे अनडिजायरेबल एलीमेंट्स, जो कि चोरी का धंधा करते हैं और डकैती का धन्धा करते हैं, कई जगह से लाकर लाठियां और हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। वह मेघसिंह के कोट में ठहरते हैं। यह मालूम पड़ा कि झगड़ा होने वाला है। जहां यात्रियों के ठहरने का स्थान है उस जगह पर यह नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वहां की जो मेला कमेटी के मन्त्री श्री हरीराम जी एडवोकेट हैं और रामनारायण जी एडवोकेट, जो कि जोधपुर जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ने एस०पी०, डी०आई०जी० और कलेक्टर जोधपुर से मिल कर सूचना दी कि भूतपूर्व जागीरदार ने यह गलत एक्शन किया है और दूसरी तरफ तार भेजा कि मेरी जान को खतरा है। श्री रामनारायण जी और हीरराम एडवोकेट, जो कि कमेटी मेला और प्रबन्ध कमेटी मन्त्री हैं, भी सम्पर्क किया है और कहा है कि वहां पहले भी ऐसी हरकत होने से सारा मेला उलट गया था और गोली चली थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत गृह मन्त्री जी और राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत भारी रिलीजियस मेला है। आप कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा लें। वहां पर 60-70 हजार आदमी एकत्र होंगे। ठहरने वाली जगह के लिए मेला कमेटी को पट्टा मिला हुआ है वहां पर यह भूतपूर्व जागीरदार झगड़ा करना चाहता है और जबरन दुकानों से सौ-सौ रुपया वसूल करके अपनी पर्सनल इनकम के हिसाब से ऐसी हरकत करना चाहता है। पूरे मारवाड़, हरियाणा एवं पंजाब के लोग मेले में आते हैं इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पुलिस तो जरूर गयी है, स्पेशल फोर्स भी गई है और आर०ए०सी० के प्लाटून को भी वहां भेजा गया है ऐसी मुझे जानकारी मिली है परन्तु मैं गृह मंत्री जी से यही चाहूंगा कि आप नाजायज कब्जे को नहीं होने दें। ऐसी हरकत नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हो जाये और कहीं बुरी घटना घट कर खून खच्चर न हो जाये। वहां पर उस भूतपूर्व जागीरदार को नाजायज कब्जा नहीं करने दिया जाये। मैंने राज्य सरकार को केवल आगाह किया है। आप कलेक्टर जोधपुर और एस० पी० जोधपुर से लेटेस्ट इनफोर्मेशन ले लें और इन्सट्रक्शन्स दे दें कि वहां ऐसी हरकत नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, खून खच्चर न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री** (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी यह मालूम किया जायेगा कि क्या बात है। फिर मैं जवाब दे दूंगा।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, पट्टा आपने मेला कमेटी को दिया हुआ है, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये राजस्व मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी का ध्यान इसलिए आकर्षित किया है; मैं समय नहीं लेना चाहता था लेकिन जब मैं विद्यार्थी था तो अएर्टव्हाइल जोधपुर स्टेट में इसी जागीरदार के खिलाफ में कम्पलेनेन्ट था उस समय जोधपुर स्टेट ने सख्त कदम उठाकर उसके पीछे पुलिस का दस्ता ऊंटों का लगाया था क्योंकि यह हरकत थी जुल्म करने को। नतीजा यह हुआ कि उस समय भी जोधपुर स्टेट ने बीकानेर के टीबों में इस जागीरदार को गिरफ्तार किया। इस मौके पर जब कि मेला भर रहा है और हजारों यात्री मेले के स्थान पर आने वाले हैं कोई भी घटना न हो जाये इस सम्बन्ध में आप राजस्व के मामले को तो बाद में देखना लेकिन अभी तो आप के द्वारा ऐसी कानून और व्यवस्था की कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए कि वहां पर किसी किस्म का इन्सीडेन्ट नहीं हो। इसके पीछे लालच है। यह लोभ लालच बुरी बला है, वहां पर दुकानें लगती हैं। किसी आदमी का पर्सनल कब्जा करके दुकानों से किराया लेकर नाजायज फायदा उठाने का इसके पीछे उद्देश्य है। पहले भी फायरिंग हो चुका है। जिस समय तक हजारों की तादाद में यात्री इकट्ठे हो जाएं उसके पूर्व जितने स्टैप्स लेने चाहिए और जिस जगह के ऊपर जो कब्जा किया गया है उसके ऊपर नाजायज कब्जा नहीं रहे इस सम्बन्ध में एडीशनल फोर्स भेज कर स्टैप्स लेने चाहिए ताकि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन नहीं बिगड़े।

**श्री रणजीतसिंह** (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, यह जांमोलाव धार्मिक स्थान है। उसी नाम से गांव का नाम रखा गया है। यह जो घटना माननीय सदस्य ने और मैंने रखी, यह घटना पहले कभी नहीं घटी। 30 साल के अर्से में ऐसी घटना नहीं घटी और अब यह घटना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है, सिर्फ वहां के जागीरदार का प्रश्न नहीं है, जब सब जागीरदार इस तरह से कर रहे हैं तो यह पीछे क्यों रहें। यह हमारे मारवाड़ में होड़ लगी हुई है, चाहे जालौर हो, चाहे सिरोही हो, चाहे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर हो चाहे नागौर हो, यह जो होड़ लगी हुई है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यन्त्र है। उनको पता है कि हमारे पीछे इस राज का बहुत बड़ा हाथ है। यह मैं मानता हूं कि 30 साल तक उन्होंने तकलीफें देखीं, उनको मौका नहीं मिला, अभी मौका मिल रहा है। गृह मन्त्री जी, आपसे

(श्री रणजीतसिंह)

चाहूंगा कि आपको बहुत ही सोच-समझ कर फैसला करना चाहिये। यह जगह-जगह का सवाल है। मैंने एक से पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया आपके राज ने हमारी जागीर छीनी है, हमारा जूता नहीं छीना, हम जूतों से मारेंगे। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आपके पास पुलिस फोर्स है पुलिस फोर्स उनके साथ रही तो सामन्तशाही हावी हो जायेगी। जांमोलाव धार्मिक स्थान है, इसकी रखवाली करना राज्य का फर्ज है।

**श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, जांमोलाव धार्मिक स्थान तो है ही, वहां 5,7 दिन तक मेला भरेगा। हजारों यात्री इस दिन भगवान से आशीश मांगने के लिए एकत्रित होते हैं हजारों आदमी इकट्ठे होने की वजह से वहां जमीन की कीमत बढ़ गई है। पंचायत ने 73-74 में पट्टा दिया था उस वक्त एतराज करना चाहिए था, 73 में नहीं किया, 74, 75, 76, 77 में कर लेते, कभी भी कर सकते थे लेकिन जोधपुर जागीरदार ने कभी एतराज नहीं किया। हम आपको आगाह करना चाहते हैं जब 50, 60 हजार इकट्ठे होते हैं, जो जमीन धार्मिक स्थान हो चुकी है, वहां पर 50, 60 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं यह आदमी वहां पर नाजायज कब्जा करके जमीन को बेचना चाहता है। जमीन का फायदा उठाना चाहता है, कमाई करना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जिलाधीश और एस०पी० से सम्पर्क किया था। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि यह गड़बड़ी न हो। मैं गृह मन्त्री जी को बताना चाहता हूं, गृह मन्त्री जी, आप सुन लें, वहां का थानेदार शराबी है, उससे मिल कर के वह उस जमीन को टंटे में डालना चाहता है। यह टंटा पैदा करना चाहते हैं। राजनैतिक फायदा उठा कर उस जमीन को कुडक करना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। आपका फर्ज है, वहां पर शांति बनाये रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सम्पर्क स्थापित करें, कोई टंटा न होने पावे। 5, 7 दिन मेला रहेगा। कोई झगड़ा हो गया तो हमने आपको आगाह कर दिया है, आपकी जिम्मेदारी होगी।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : जांमोलाव विश्नोई समाज के संस्थापक रहे, धर्म पिता है। वर्षों से है। 400 वर्षों से। उस पर नाजायज कब्जा कैसे होगा? यह समझने की बात है। रणजीत सिंह ने एक बात कही कि सामंतवादी हावी हो गये है। उनका भी सम्पर्क रहा है। कि विशेष कोई गड़बड़ न करे, कम्युनल कलर न दे, गृह मंत्री जी आप सम्पर्क करें। वायरलेस के माध्यम से जिलाधीश को सूचना दें कि वहां कोई गड़बड़ो न हो। धार्मिक स्थान है। यह जागीरदार की सम्पत्ति नहीं बने या उसके नाम से कोई झगड़ा खड़ा न किया जाये, उसका आप प्रयत्न करें।

**श्री रणजीत सिंह** : न मैं सामंत रहा हूं, न मेरा संपर्क रहा है। मैंने तो संघर्ष कराया है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलायत) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आपकी अनुमति से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना

# Page No. 88



(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में विद्युत संकट के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है...

**एक माननीय सदस्य** : जवाब तो देने दो।

**श्री मथुरादास माथुर** : वित्त मंत्री दे देंगे, और दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं। जोइंट रेस्पॉसिबिलिटी है, जवाब दो भाई।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : आज तीसरे दिन स्थगन प्रस्ताव के जरिए राज्य सरकार का, माननीय बिजली मंत्री जी का, राजस्थान के अनेक हिस्सों में विद्युत संकट पैदा हो गया है, उस ओर गम्भीरता से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर का दुर्भाग्य है कि भाखड़ा, चम्बल और कोटा का थर्मल पावर स्टेशन से जब कभी राजस्थान में बिजली संकट पैदा होता है तो बीकानेर को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आज सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी की परीक्षायें चल रही हैं, हजारों स्टूडेण्ट्स बीकानेर में परीक्षा दे रहे हैं, परन्तु पिछले सात दिनों से सायंकाल 7 बजे से 9 बजे तक लाइट नहीं रहती, स्टूडेंट्स अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वहां लाइट नहीं रहती, बहुत अंधेरा रहता है....

**श्री अध्यक्ष** : रोज।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : रोज। और जब लाइट आती भी है तो 60 वाल्ट का लट्टू भी 20 वाल्ट का काम करता है। यह सात दिन से लगातार स्थिति चल रही है। स्टूडेंट्स की हानि हो रही है, फेल होंगे, नम्बर कम आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं पता है कि बीकानेर के 300, 400 कुओं से पानी लिफ्ट किया जाता है, बिजली की कमी के कारण उन कुओं से पानी नहीं आ रहा है और बीकानेर में पानी का घोर संकट पैदा हो गया है। मेरे पास में तार आये हैं कि दो दो हफ्तों से कई स्कूलों में पानी नहीं पहुंच पाया है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत संकट है। जब भी कोटा का फेल होगा, एटेमिक पावर प्लांट फेल होगा, हमें बिजली नहीं मिलेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह सौतेला व्यवहार बीकानेर के साथ क्यों? जयपुर में मैं पिछले तीन हफ्तों से यहां पर हूं, यहां कभी लाइट नहीं गई। जयपुर में रहने वाले जो नागरिक हैं, क्या उनका दर्जा बीकानेर से अधिक ऊंचा है? अगर घोर संकट है तो बिजली जयपुर में भी जानी चाहिए। जयपुर के अन्दर, जयपुर की सड़कों पर बढ़िया बढ़िया लाइटें लग रही हैं, मर्करी लाइटें लग रही हैं जिनमें पावर की ज्यादा आवश्यकता होती है। नियोन साइन बोर्ड्स लग रहे हैं— यहां रात में भी दिन का आभास होता है। मुझे, अध्यक्ष महोदय, जयपुर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीकानेर का बिजली का घोर संकट जयपुर के लोगों को मालूम नहीं हो रहा है। जयपुर, कोटा में बिजली की पूर्ति पश्चिमी राजस्थान के शहरों से काट कर की जा रही है और ये कर रहे हैं तो मुझे उसका दुःख है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ कह रहा हूं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप इस बात का जवाब दें कि राजस्थान के सारे हिस्सों में क्या एक सा संकट है या नहीं है और नहीं है तो फिर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

बीकानेर की जनता को ही क्यों प्यासा मारना चाहते हैं ? क्या बीकानेर के स्टूडेंट्स लाइट के अभाव में परीक्षा नहीं दें और दें तो क्या फेल हों ? अध्यक्ष जी, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके निकट कहीं न कहीं दोष है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाया था कि जब भी राजस्थान में विद्युत संकट आता है तो बीकानेर को सबसे ज्यादा हानि दी जाती है। लोग कहते हैं आपके यहाँ के दो-दो मंत्री हैं—आप अपने मंत्री वापिस ले लीजिये लेकिन बीकानेर शहर को बिजली दीजिये एक तो हमारे राज्य मंत्री जी हैं, जिनको पावर नहीं है और पावर नहीं होने से साइकिल पर चलते हैं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अनुपूरक अनुदानों की मांगें भी हैं, मुख बन्द भी है, समय का ध्यान रखिये। खास-खास मुद्दों पर बोल कर चर्चा समाप्त करिये।

**श्री रतन लाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, ये बिना करन्ट वाले भी करन्ट की बात करें, यह कहां तक उचित है ?

**श्री अध्यक्ष** : इनको आप समझाइये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : अध्यक्ष जी, बीकानेर में पेय जल का संकट; स्टूडेंट्स की पढ़ाई का संकट और अस्पताल में बिजली के अभाव में आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहूंगा विद्युत मंत्री जी आश्वासन दें कि बीकानेर में 220 के० वी० का स्टेशन जल्दी से जल्दी लगाया जाय। बीकानेर में आवश्यक सप्लाई के लिये, अन्य आवश्यक इमर्जेन्सी सप्लाई के लिये 200 के० वी० का स्टेशन नहीं लगायेंगे तो जो योजना है आपकी उसमें तो अभी पांच साल लगेंगे और हम लोग हमेशा पिटते रहेंगे। अध्यक्ष जी, बीकानेर के लिए मेरा दायित्व है और आपकी सहायता से विद्युत मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनका ध्यान केवल कोटा की ओर ही न फैले, आज कोटा में विद्युत का अभाव नहीं है।

**श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)** : है, झालावाड़ में है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मेरे कथन को आप अपने आदेश से फोर्स दें और आदेश दें कि मंत्री महोदय पश्चिमी राजस्थान के शहरों के साथ इस प्रकार उपेक्षा का व्यवहार नहीं करें।

(व्यवधान)

**श्री श्रवण लाल (हिन्डौन)** : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं विद्युत मंत्री जी का ध्यान जिला सवाई माधोपुर में पक रही गेहूं की फसल के बारे में दिलाना चाहता हूं जो बिजली के अभाव में....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

**श्री श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय, बिजली का ही मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : बीकानेर की समस्या आप सवाई माधोपुर में ले जा रहे हैं।

**श्री श्रवणलाल** : अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल विद्युत संकट से खराब हो रही है। अब केवल एक पानी की जरूरत है उनको और पानी समय पर नहीं मिलने के कारण सारे करे कराये पर पानी फिर जायेगा।

(व्यवधान)

फसल को देखते हुए वहां भी इस संकट को दूर करवाया जाय।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (विद्युत मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर शहर में विद्युत संकट की चर्चा की है। पोंग डेम की चारों मशीनें बैठ जाने के कारण यह संकट पैदा हो गया है और यह माननीय अध्यक्ष महोदय, कि टेल पर यह संकट अधिक बढ़ जाता है। जयपुर, कोटा को बीकानेर से कम्पेरीजन करते हुए यह अवश्य है कि लांग लाइन डिस्ट्रिब्यूशन में कठिनाई अवश्य होती है। जो वोल्टेज का फलक्चुएशन होता है जैसा उन्होंने कहा कि 7 से 9 बजे तक बिजली की कठिनाई वहां उत्पन्न हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसे चम्बल की लाइन से जोड़ने की भी कोशिश की गई है लेकिन लांग लाइन होने के कारण वह भी इतना काम नहीं करती है। जहां तक दूरगामी योजना का सवाल है फलाना की योजना जो 33 के० वी० और 23 के०वी० के सर्किट हैं वह जब रतनगढ़ से खेतड़ी की 220 के० वी० की बन जायगी जो नई एक्स्ट्रा लाइन है उसकी स्वीकृति हो गई है और जनवरी–मार्च, 80 के बीच रतनगढ़ से खेतड़ी का काम बन जायगा। जहां तक पीने के पानी का सवाल है हम उस कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं और जो अभी पोंग डेम के कारण कठिनाई हो गई थी, उसको शीघ्र ही दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सवाई माधोपुर के किसानों के लिये बिजली सप्लाई की बात है, हम प्रयत्नशील हैं। 40 प्रतिशत इण्डस्ट्रीज को सप्लाई कम कर दी है, क्योंकि आखिर टाइम पर हमें किसानों को देना होता है और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

(व्यवधान)

**श्री शिवचरण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान की जनता को एक महीने से मद्य-निषेध के बारे में बड़ा भारी धोखा दे रखा है।

(व्यवधान)

**श्री मथुरादास माथुर** : यह बिजली का सवाल चल रहा है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके पास में जोधपुर में, बीकानेर में पहले थर्मल पावर स्टेशन थे ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : डीजल सेट्स थे।

**श्री मथुरादास माथुर** : तो मेरा निवेदन है ऐसी स्थिति में जब आपने कहा कि पोंग डेम की लाइन खराब हो गई और एटोमिक पावर स्टेशन बन्द हो गये तो यह आपके बस की बात तो है नहीं। ठीक है, आपने इन्डस्ट्रीज में कटौती भी की है, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं

(श्री माथुरादास माथुर)

आपके पास थर्मल पावर स्टेशन्स हैं और वह भी आपने जोधपुर, बीकानेर से हटाया नहीं है, उनको चालू करके सप्लाई शुरू कर दें ताकि इन दिनों जबकि स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, दिक्कत न हो और बिजली आ जाय।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न इससे प्रासंगिक है और वह इसलिए प्रासंगिक है कि जोधपुर, बीकानेर खास तौर से टेल हैड पर आये हुए हैं जो थर्मल कोटा में लग रहा है, यह जोधपुर के साथ अन्याय कर रहे हैं। माथुर साहब ने केवल थर्मल की ही बात कही है मगर टेल हैड पर न लगा कर जो लगाया है उससे तो कई वर्षों में हमारे यहां समाधान नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो आपका लांग टर्म का मामला है।

आप जो छलांग भर रहे हैं; कोट की तरफ छलांग भर रहे हैं, महरबानी करके थोड़ा बहुत हिरण की तरह छलांग भर कर उधर रेगिस्तान की तरफ भी ध्यान दीजिए और जो व्यवस्था करना चाहिए वह तुरन्त करिये। आपकी चार मशीनें तो पोंग डेम में खराब हो गई और यह जो आपका राणाप्रताप सागर का प्रोजेक्ट है वह ठप्प हो गया, अभी उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमारे यहां पर जो थर्मल पड़े हुए हैं उनको चालू करवा दीजिए ताकि विद्यार्थियों की जो इमिजियेट प्राब्लम है वह सोल्व हो जावे। इसके बाद में हम जानते हैं कि जोधपुर डिविजन की क्या गति करने वाले हैं, इसका तो हम अनुमान लगा सकते हैं।

**श्री ईश्वर चन्द्र** : क्या यह सही है कि राजस्थान में 1.30 करोड़ यूनिट की जरूरत रहती है और आपके विभाग का यह कहना है कि आपके पास 1.37 करोड़ यूनिट अवेलेबल है। जब अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है तो फिर झगड़ा क्यों खड़ा हो रहा है ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि रतनगढ़ से खेतड़ी लाइन, 220 के० वी० की लाइन लगाई जा रही है और सब स्टेशन खेतड़ी में बनाने जा रहे हैं। यह जो रतनगढ़ से खेतड़ी की 220 के० वी० की लाइन का जिक्र आपने अभी किया है, मैं आपको बताता हूं कि बारह महीनों से इसकी कार्यवाही चल रही है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यह लाइन कब तक चालू हो जाएगी और सब स्टेशन जो है वह कब तक चालू हो जाएगा ? झुंझुनूं जिले की और सीकर जिले की, दोनों जिलों का इस लाइन से बहुत बड़ा सम्बन्ध है और खेतड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि एशिया का ताम्बे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी बिजली की आवश्यकता है और झुंझुनूं जिले में आज बिजली का सबसे बड़ा कोटा खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट ले जाता है, सबसे ज्यादा हिस्सा ले जाता है। आप बताइए कि यह सब स्टेशन कब तक शुरू करवा देंगे।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दो तीन सवाल उठाए गए हैं। विरोधी दल के माननीय नेता ने एक सवाल किया, थर्मल पावर स्टेशन कोटा में क्यों स्थापित किया जा रहा है....

**श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** (मालवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मावली के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं,

(श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी)

क्या यहां पर भी कोई प्लांट लगाने की योजना है ?

**श्री शिवचरण सिंह** : मावली के लिए आपको एडजोर्नमेंट मोशन देना चाहिए। हमारा टाइम क्यों खराब करते हैं ?...

(व्यवधान)

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : शायद माननीय मदेरणा साहब को जानकारी होगी कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, उसके कूलिंग के लिए बहुत बड़ी तादाद में पानी की आवश्यकता होती है और वहां पानी की उपलब्धि होती है वहीं पर अच्छी प्रकार से इसको लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा थर्मल प्रोजेक्ट अगर जोधपुर में लगाना सम्भव हो सका तो हम अवश्य लगायेंगे किन्तु उसके लिए प्रोपर रा-मेटीरियल चाहिए, कूलिंग के लिए बहुत बड़ी तादाद में पानी चाहिए। जहां तक छोटे जो अभी इस प्रकार के थर्मल स्टेशन हैं, हम उनको चालू करते हैं। बीकानेर के बारे में तो मुझे अभी पता नहीं लेकिन जोधपुर को हम चालू करते हैं। पिछले साल भी किया था और जब इसकी मीटिंग हुई थी उसमें माननीय खेतसिंहजी भी पधारे थे, परसरामजी भी वहां थे, जब भी ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको चालू करते हैं। मुझे बीकानेर के थर्मल स्टेशन के बारे में जानकारी नहीं है....

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : बीकानेर थर्मल पावर स्टेशन को तो उठा कर ले गए ...

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : सुन लीजिए। उसकी वर्किंग कण्डीशन ऐसी थी कि जिसके कारण सम्भव नहीं हुआ था। फिर भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी सवाल आया माननीय रामनारायणजी का, रामनारायणजी चले गए सवाल करके। उन्होंने सीकर और झुंझुनू जिले की बात कही और कहा कि बिजली के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। मैंने निवेदन किया था कि जनवरी और मार्च, 80 के बीच में वह स्टेशन, सब स्टेशन चालू हो जाएगा, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि लगातार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक जनरेशन के बारे में बात कही थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीने के पानी के लिए, विद्यार्थियों की समस्या को हल करने के लिए, किसानों की समस्या को हल करने के लिए पूरे प्रयत्नशील हैं। अभी एक सुझाव आया, एक माननीय सदस्य ने सवाल किया कि राजस्थान में जनरेशन की कमी नहीं है, पावर ज्यादा है। यह बात तो एवरेज की है लेकिन जब पीकलोड पर पावर होती है तब वह समस्या नहीं रहती। इसलिए इसके बारे में वे जानकारी प्राप्त करलें। इस बात की भी चर्चा यहां पर की गई कि विद्युत मंत्री को क्या ज्ञान है विद्युत का, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं....

**श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी** : इसका मतलब है कि हम गलत कह रहे हैं।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या दो हजार किलोवाट का सब स्टेशन लगाने की कार्यवाही करेंगे या

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

नहीं करेंगे ? बीकानेर में दो हजार किलो वाट का छोटा थर्मल स्टेशन लगाने की योजना है या नहीं, क्योंकि बीकानेर जिले की समस्या के अगले पांच साल तक तो हल होने की सम्भावना नहीं है। पांच साल के पहले बीकानेर जिले को आप डीप वोल्टेज नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपकी कपैसिटी नहीं है। इसलिए दो हजार किलोवाट का स्टेशन लगा दें, यह बीस लाख रुपये में लग जाएगा। बीस लाख रुपये में दो हजार किलो-वाट का स्टेशन स्थापित किया जा सकता है। आप इसके बारे में बताइये, इसके बारे में मालूम करिये····

(व्यवधान)

**श्री रणमलसिंह (सीकर)** : आपने खेतडी रतनगढ़ की 220 के. वी. लाइन की बात कही किन्तु खेतडी से सीकर बहुत नजदीक है, उसको जोड़ने में क्या कठिनाई है ?

**श्री बंशीलाल सारस्वत** : अध्यक्ष महोदय,····

**श्री अध्यक्ष** : अब चर्चा समाप्त करें।

**श्री शिवचरण सिंह** : मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी सूचना मिली है कि बीकानेर की बिजली की समस्या के बारे में नहीं बल्कि मद्यनिषेध के बारे में सरकार से नाराजगी की वजह से सदन के बाहर मद्यनिषेध समिति किसी का पुतला जला रही है। क्या प्रोहिबिशन मंत्रीजी को जानकारी है कि वह पुतला किसका जलाया जा रहा है ? अगर पुतला जलाया जाता है तो दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। या तो मुख्य मंत्री का या आपका। यह बहुत गंभीर घटना बाहर हो रही है। सदन के बहुत से माननीय सदस्य भी उस प्रोसेशन के अन्दर गए हैं। कृपया आप सदन को जानकारी दें कि यह सरकार की स्पष्ट नीति के अभाव में मद्यनिषेध समिति के लोग आन्दोलन पर हैं और आप चुप बैठे हैं। सदन के बाहर पुतला जल रहा है, 109 सदस्यों ने दस्तखत किये थे, आपकी पार्टी मीटिंग में भी बहुत खींचातानी हुई थी। इसके लिए कम से कम संतोषजनक जवाब दें ताकि राजस्थान की जनता डार्क में नहीं रहे।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : माननीय मंत्री जी आपने घोषणा की थी कि मैं भी सत्याग्रह में शामिल हो जाऊंगा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा था कि हम भी आपके साथ सत्याग्रह में बैठ जायेंगे, उस सब का क्या हुआ····?

(व्यवधान)

**श्री शिवचरणसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इस सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है····

(व्यवधान)

**श्री हीरालाल आर्य** : व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री शिवचरणसिंह** : एक महीने से राजस्थान सरकार और नशाबन्दी समिति ने मिलकर बहुत बड़ा नाटक चला रखा था। राजस्थान की नशाबन्दी समिति के पास टैक्स पेयर की पूंजी है और राज्य सरकार भी टैक्स पेयर की पूंज से चलती है। नशाबन्द समिति के अध्यक्ष भाई गोकुलभाई भट्ट समिति से बहुत बड़ा अमाउण्ट लेते हैं और दूसरे लोग

(श्री शिवचरण सिंह)

भी लेते हैं प्रचार के नाम पर। पिछले एक महीने से नशाबन्दी समिति और सरकार के बीच में नाटक हो रहा है उससे लोगों में बड़ी भारी निराशा है। एक तो जनता पार्टी के लोग....

**मेजर श्री फतहसिंह** : एक लाख या दो लाख रुपया जो इनको मिलता है वह बन्द कर दिया जाय।

**श्री शिवचरण सिंह** : हमारी सरकार, नशाबन्दी समिति वालों से पूछते हैं या नहीं पूछते हैं कि उस पैसे का क्या उपयोग होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नशाबन्दी समिति के इस नाटक के कारण कि एक अप्रेल से पूर्ण नशाबन्दी हो रही है, एक हजार आदमी जो शराब पीने वाले थे वे मर गए हैं। यह राज्य सरकार हजारों आदमियों की हत्यारी है। राज्य सरकार की इस थोथी घोषणा से कि हमें आगे से शराब पीने को नहीं मिलेगी, हजारों आदमियों ने सुसाईड कर लिया। आदतन शराब पीने वाले लोग इस वजह से कि सरकार राजस्थान में मद्य निषेध कर रही है, गम के मारे मर गए हजारों आदमी और अब आप ने अपनी घोषणा वापस ले ली। केवल इसका नतीजा यह है कि राज्य सरकार जो मद्यनिषेध समिति को रुपया देना चाहती, उनको चाहे लाखों करोड़ों रुपया देना चाहे....

(व्यवधान)

**श्री श्रवण लाल** : आगे क्या हुआ?

**श्री शिवचरणसिंह** : आप तो मेरे जैसे ही हैं; मेरे साथी हैं, आप क्या बोलते हो?

**मेजर श्री फतहसिंह** : माननीय शिवचरणसिंहजी, मैं इण्टरवीन करता हूं आपको, मुझे क्षमा करें। यह शराब ज्यादातर आपका समाज, हमारा समाज, पिछड़े समाज के लोग पीते हैं। अगर सरकार इस शराब को बन्द कर रही है और समाज की बुराई आप मानते हैं तो यह पैसा इस शराब बन्दी के प्रचार के लिए इस शराबबन्दी की समिति को नहीं दे कर के विभिन्न संस्थाओं को, जिनके लोग ज्यादा शराब पीते हैं, उनको दे दिया जाय ताकि वे प्रचार करें।

**श्री शिवचरण सिंह** : मैं आपकी बात की ताईद करता हूं लेकिन शराब के प्रचार के नाम पर चाहे गोकुलभाई भट्ट हों, चाहे माननीय अग्रवालजी हों और चाहे कोई खण्डेलवालजी हों, चाहे लम्बे-चौड़े शर्माजी हों, रोजी रोटी का जरिया है और संस्था बनाकर बीस-पच्चीस साल से यह रोजी रोटी का जरिया चल रहा है कभी कोई खादी संघ तो कभी कोई दूसरा संघ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से 200 आदमियों से चंदा लिया गया है। वे प्रदर्शन करने आये हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से इनको बहका कर लाया गया है कि शराबबन्दी कर रहे हैं। मैंने कहा, शराबबन्दी तो होगी नहीं। यह इनके आपस में तय हो गया है कि शराबबंदी के लिए इनको 50 लाख रुपया दे दिया जाए। अगर शराबबन्दी नहीं होती है तो मद्य-निषेध समिति को एक पैसा नहीं देना चाहिए। यह मद्य निषेध समिति फर्जी लोगों की संस्था है। सरकार के माध्यम से टैक्स पैयर का यह धन लूटती है। मद्य-निषेध करना था।

**मेजर श्री फतहसिंह** : यह ब्लेक मेल कर रहे हैं।

**श्री शिवचरणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां विधान सभा में कहा था कि पूर्ण नशाबंदी की जाय। मोरारजी भाई का सब्जेक्ट है। इससे शराब बन्दी की बात एक साल आगे बढ़ गई है। मन्त्री महोदय तो हंगर स्ट्राइक पर नहीं गये हैं। परन्तु इनके साथ ही चार अन्य सदस्यों ने भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही थी।

(व्यवधान)

इनमें से एक श्रीमती उजला अरोड़ा हैं, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य श्री बालकृष्ण थानवी हैं और वयोवृद्ध सदस्य श्री मनोहर सिंह मेहता हैं। इनके जीवन का खतरा है। अगर ये माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, भूख हड़ताल पर बैठ गये तो ये बिना मरे नहीं हटेंगे। वे शराब बन्दी के लिए इतने पक्के हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि वित्त मन्त्री महोदय इसको स्पष्ट करें कि किसी परिस्थिति में इतना ह्यूमिलेशन उन्होंने बर्दाश्त किया है। उन्होंने यह घोषणा की थी कि शराब-बन्दी नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वे मद्य-निषेध के पूरे समर्थक थे। अगर उनकी नहीं चली तो मेरे साथ अन्याय हो गया है। मैंने सिगरेट भी छोड़ दी है। अगर यह फर्जी नाटक करना था तो मैं भी क्यों सिगरेट छोड़ता। अगर वे कह देते कि मैं फर्जी नाटक कर रहा हूं तो मैं भी फर्जी काम करता। लेकिन उनको कम से कम इतना फर्जी नाटक राजस्थान की गरीब जनता के साथ नहीं करना चाहिए था। मद्यनिषेध के जो पक्ष धर हैं, उनके घर वाले शराब पीते हैं। इनको राजस्थान की जनता की फिक्र नहीं है। इनको तो इनको घर वालों की फिक्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय........

**श्री परसराम मदेरणा** : वित्त मंत्री महोदय के लिए ऐसी बात कहना कि वे फर्जी नाटक कर रहे हैं, गलत है। वे सिद्धान्तों के पक्के हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस पर उनका अटल विश्वास है।

**श्री सूरज पाल सिंह** : सवाल कुर्सी का है।

**श्री जय कृष्ण शर्मा** (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री महोदय ने इस सदन के सामने घोषणा की थी।

(व्यवधान)

उस घोषणा से मुकर करके उन्होंने इस सदन के साथ, बहुत बड़ा धोखा किया है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग की मांग को उन्होंने बिना नीति की घोषणा करके यहां पर सदन से मन्जूर करवाई। आबकारी का जो बजट पेश किया जा रहा था.......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपका नाम तो नहीं है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैं तो इस शराब बन्दी पर बोल रहा हूं।

आबकारी नीति के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कि यह जनता के साथ धोखा है।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है लेकिन यह उनकी आत्मा की पुकार है।

**श्री अध्यक्ष** : आप समय नष्ट न करें, माननीय सदस्य।

**श्री मथुरादास माथुर** : अध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते हैं कि यह बहस लम्बी न चले इसलिए वित्तमन्त्री महोदय अपना वक्तव्य दे दें।

**श्री शिवचरणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को बड़ा भारी भ्रम है। यह सारा नाटक ठेकेदारों ने कराया है या इसलिए किया गया है कि मद्य-निषेध संस्था को सब्सिडी और अधिक मिले, राजस्थान सरकार ने अनाप-शनाप टैक्स लगा दिये। यह सोचकर कि शराब बन्दी होगी तो उस रेवेन्यू को दूसरे सोर्स से बढ़ाया जाय। रेवेन्यू कम होगी। सेन्टर सबसीडी पूरी नहीं देगा। इसलिए टैक्स लगा दिया। यह सारा नाटक इसीलिए हुआ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, दो बज रहे हैं। महरबानी करके बिजनेस लिया जाए.........

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, हम को पूर्ण विश्वास है कि वित्त मन्त्री महोदय पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इससे हम निश्चिन्त हैं। उनके यह कहने के बाद कि उन्होंने जो जुबान दी है उस पर वे अड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। एक तारीख को मद्य-निषेध होगा ही। या वे स्वयं भूख-हड़ताल करेंगे या इस्तीफा दे देंगे। आप अपनी घोषणा पर पक्के रहेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री अहिरियेन्द्र (वित्त मन्त्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह जलूस विधान सभा के पास आया है, वह राजस्थान नशाबन्दी समिति द्वारा आयोजित किया गया है। यह जुलूस शायद आज 12 बजे के करीब प्रारम्भ हुआ। यह जुलूस शायद और भी ज्यादा बड़ा होता, लेकिन कल कुछ लोगों ने इस तरह की चर्चा कर दी, इस तरह की अफवाह फैला दी कि जलूस निकलेगा नहीं और सब जगह पर लोगों ने ऐसी-ऐसी सूचना भेज दी। जुलूस निकाला गया है, यह ठीक है। जुलूस इसलिए है, इसकी असली मंशा यह है कि 1 अप्रैल, 79 से पूर्ण नशाबन्दी लागू हो। इसमें यह जो पुतला बनाया गया है यह पुतला न तो मुख्यमंत्री जी का है और न मेरा है। किसी मंत्री का पुतला नहीं है। यह शराब का पुतला है। शराब राजस्थान से समाप्त होनी चाहिये।

**श्री शिवचरणसिंह** : इस पुतले के प्रोसेशन में पैसा किसका लगा है ?

(व्यवधान)

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : शिवचरण जी, बात तो सुनजे।

**श्री आदित्येन्द्र** : कुछ सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं कि जिनसे मैं भटक जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं। यह शराबबन्दी का मामला है। यह विशुद्ध सामाजिक, नैतिक और आर्थिक है, यह राजनैतिक नहीं है, न इसे राजनैतिक रूप दिया गया है। मैं फिर आप से निवेदन करना चाहता हूं यह विशुद्ध नैतिक आंदोलन कामयाब उसी समय हो सकता है, जब कि इसको राजनीति का रूप नहीं दिया जावे। यह एक राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय सवाल है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं एक बार नहीं, अनेकों बार कह चुका हूं कि मेरा मत यही है कि 1 अप्रैल, 79 से ही पूर्ण नशाबन्दी लागू हो और यह आग्रह रहेगा, सदा ही। लेकिन अगर मंत्रिमण्डल कुछ और तय करता है और वह बात मुझे पसन्द नहीं है तो मैं जो कुछ भी मेरी मंशा है, जो कुछ भी करना चाहता हूं, जो कुछ भी करना चाहूंगा वह उसके बाद ही सोचूंगा, उसके पहले नहीं।

जहां तक सवाल यह है, जैसा कि खबरों में प्रकाशित हुआ, वे बम्बई के समाचार हैं और यह ठीक है कि गोकुल भाई और मुख्य-मन्त्री जी के बीच में कुछ बातें हुई हैं और कुछ उसका रास्ता निकाला गया है। यद्यपि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। मुझे स्वयं भी अभी यह मालूम नहीं है कि वह क्या है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले इसमें मंत्रिमण्डल में विचार होगा। मन्त्रि-मण्डल में विचार होने के बाद जो निश्चय होगा उसकी जानकारी सदन को दी जायेगी। जहां तक लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है, लॉ एण्ड आर्डर की कोई बात नहीं हो सकती। शांति व्यवस्था रहेगी क्योंकि यह पूर्ण अहिंसात्मक है। जहां तक नशाबन्दी मण्डल पर आरोप लगाये गये हैं, नशाबन्दी मण्डल में जो व्यक्ति लिए गए हैं वे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कुछ सेवायें हैं और जो कुछ गांधीवादी विचारधारा को जानते हैं। फिर भी उनमें जो कमी है, आदमी में कमी होती ही है लेकिन जो कुछ भी वे काम कर रहे हैं, वे नशाबन्दी का काम कर रहे हैं। जहां तक संस्था का सवाल है, पिछले वर्ष में राज्य की ओर से अनुदान भी दिया गया। यह नशा-बन्दी मण्डल भी राज्य द्वारा गठित किया गया है। इसके लिए भी राज्य अनुदान दिया गया है और इसका पिछले दिनों में काम भी रहा है, काम किया है। लेकिन यह जो आयोजन किया गया है, यह नशाबन्दी मंडल द्वारा नहीं है। इसमें जो भी है, जनता ने पैसा दिया है, उसी के द्वारा आयोजन किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चय अभी जो भी लेना होगा उसके लिए आप तैयार रहें।

**श्री मूलचंद डागा** : कौन सी तारीख तक एलान कर दिया जायेगा, कौन सी तारीख तक घोषणा की जायेगी सदन में, और आप प्रतिज्ञा निभायेंगे ?

**श्री शिवचरणसिंह** : इसका कार्य क्षेत्र क्या शराब ही है या दूसरी नशीली चीजें भी ली गई हैं। क्या आपके नशाबन्दी मण्डल के अध्यक्ष बीकानेर के वैद्य हैं जो आसव बेचते हैं शराब की जगह। गोविन्द नारायण

(श्री शिवचरण सिंह)

जी वैद्य हैं, आयुर्वेद की दुकान है बीकानेर में, आयुर्वेद की दवाइयों में आसव बनाते हैं स्पिरिट मिला कर। क्या वे नशाबन्दी समिति के अध्यक्ष हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, आज 28 मार्च है। एक अप्रैल को 3 दिन बाकी हैं यह आपके स्मृति पटल पर रहना चाहिये। तीन दिन बाकी हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : पहले दो दिन कहा था वो तो भूल गये। अब तीन दिन बाकी हैं।

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, जो भी वक्तव्य दिया गया है उससे राजस्थान की जनता में, आज खबर आ चुकी है नवज्योति पेपर में कि माननीय मुख्यमंत्री जी और गोकुल भाई के बीच में समझौता हो गया है और यह बात तय हो गई है कि एक अप्रैल से नशाबन्दी राजस्थान में लागू नहीं होगी और 13 जिलों में लागू की जायेगी और आगे जाकर अक्टूबर, नवम्बर तक लागू होगी। यह समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है। इसलिए वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने समाचार पत्र पढ़े नहीं हैं और यह बात अच्छी तरह से प्रचार में आ गई है, समझौता हो गया है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें। बहुत कह डाला।

**श्री शंकरलाल** : माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं। सदन के नेता अगर इसके बारे में कुछ कहें, कोई निर्णय हो गया है तो बता दें।

**श्री मूलचन्द डागा** : माननीय अध्यक्ष, दो साल से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जहां नगर परिषद् और नगर पालिकायें हैं, आज पाली शहर में कम से कम 3 हजार फाइलें इस बात की हैं कि वहां पर प्रशासक ने 8 गुना, 9 गुना गृह कर लगा दिया। न उन्होंने कोई रिवीजन किया, न नियमों की अनुपालना की। मैंने उनको दरख्वास्त भी दी थी और यहां के स्वायत्त शासन मंत्री जी को दरख्वास्त भी दी थी कि अगर वे राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा 104 के तहत देखलें, इस प्रकार का गृह कर लगाया जा रहा है। मेरा अच्छा भाग्य है कि स्वायत्त शासन मंत्री जी भी आ गये हैं। जो गृह कर 100-150 रुपये होता वहीं एक हजार रुपये लिया जा रहा है। नोटिस इश्यू कर दिये हैं। मजदूरों की कच्ची बस्तियों पर गृह कर नहीं लगता लेकिन अब यह नई बात हुई है। प्रशासक महोदय से, डिप्टी सेक्रेटरी से, मुझे आशा है आप जांच करवा लेंगे। यहां से अपना अधिकारी भेज दें और भेज कर जांच करवा लें। अगर कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार काम हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

कल भी एक डेपुटेशन, अखबारों में खबर पड़ी कि प्रशासक से मिला है। सारा काम नौकरशाही के भरोसे आपने छोड़ दिया है। उसके कारण यह हो रहा है कि कई कच्ची बस्तियों में और मजदूरों के मकानों

(श्री मूलचन्द डागा)

पर जिनकी हालत नहीं है गृह कर लगा दिया गया है और उनको देना पड़ रहा है।

(2.19म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके अलावा गृह कर आठ गुना व दस गुना बिना सोचे समझे नियमों के विरुद्ध लगा दिया है। मैं आपके द्वारा मांग करूंगा कि महरबानी करके आप डिप्टी डायरेक्टर को भेज दें या किसी को भेज दें, सारी बातों की जांच करने के लिए, और हमें न्याय देने की कृपा करेंगे।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह कार्यवाही भू० पू० प्रशासक महोदय ने की थी।

**श्री मूलचन्द डागा** : इन्होंने नहीं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : फिर भी नियमों के विरुद्ध कार्यवाही की है तो उसको निश्चित रोक दिया जायगा।

**व्यवस्था का प्रश्न**
**तारांकित प्रश्न के लम्बे उत्तर**

**श्री मूलचन्द डागा** : Thank you, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर क्वेश्चन्स के सम्बन्ध में उठाना चाहता था लेकिन मैं नहीं उठा सकता था। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर 42 के अन्दर है। रूल 42 के अन्दर यह साफ है—

"Lengthy answers to starred questions may, on statement by the Minister concerned, be laid on the Table without being read, but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being laid on the Table."

मैंने, श्रीमान्, आज एक क्वेश्चन पूछा था उसके अन्दर....

**श्री ईश्वरचन्द्र** : Singular includes plural.

अगर 10 मेम्बर ने दिया है तो क्या 10 को देंगे।

**श्री मूलचन्द डागा** : Let him have an escape.

**श्री ईश्वरचन्द्र** : It does include. In Law, singular always includes plural.

**श्री मूलचन्द डागा** : मेरा क्वेश्चन नं. 391 था और 391 के अन्दर मैंने यह क्वेश्चन किया था। मैंने टेबल आफिस में पूछा, नोटिस आफिस में पूछा और बराबर इसकी जांच की कि अगर जवाब दिया हो और सदन की मेज पर रखा हो तो उसकी प्रतिलिपि मिल जाय, लेकिन रूल 42 की अनुपालना नहीं की गई। मैंने मंत्री महोदय से उसके लिए पूछ लिया लेकिन वह सदन

# Page No. 100

(100)



(श्री मूलचन्द डागा)

की मेज पर नहीं है। तो यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वह सदन की मेज पर रखें और क्वेश्चन करने वाले हों उसके लिए। उसमें यह साफ है—

"..........by the Minister concerned, be laid on the Table without being read, but a copy in such case may be delivered to the member" the word is delivered' and not laid on the Table of the House "asking such question in advance of the answer being laid on the Table."

So, I was deprived of my right and the answer was not delivered to me.

**श्री ईश्वरचन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष, अगर कोई क्वेश्चन कलेक्टिवली पूछा जाय और 3-4 मेम्बर्स द्वारा भेजा गया हो तो क्या सारे मेम्बर्स को आन्सर की प्रतिलिपि दी जानी चाहिए ? यह क्वेश्चन माननीय डागाजी ने और नवरंगसिंह जी ने क्लेक्टिवली पूछा था इसलिए उनकी क्लेक्टिव प्रोपर्टी है और उसकी कापी वह नवरंगसिंह जी के पास पहुंच गई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह उठाना था तो उस समय उठाना चाहिए था।

**श्री मूलचन्द डागा** : इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी ने कहा था कि नहीं उठा सकते। पाइंट आफ आर्डर क्वेश्चन अवर में नहीं उठा सकते।

I could not raise the point of order in the question hour.

**श्री उपाध्यक्ष** : उस वक्त व्यवस्था नहीं दी गई थी।

**श्री सूर्य नारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मुझसे मिल लें मैं निराकरण कर दूंगा, लेकिन इनको तो सदन का समय........

**श्री मूलचन्द डागा** : रूल 295 में दिया हुआ है।

Where shall I raise a point of Order. I cannot raise point of order in the qusestion hour.

जब प्रश्न का समय समाप्त हो जाय तो मुझे अधिकार है पाइंट आफ आर्डर उठाने का रूल 295 में।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय डागाजी मुझे मालूम है रूल के बारे में।

**श्री मूलचन्द डागा** : आपने कहा कि उस समय नहीं उठाया तो कैसे उठा सकता था ?

**श्री सूर्य नारायण चौधरी** : डागा जी, आगे का काम करने दें। बैठिये।

**श्री मूलचन्द डागा** : मेम्बर क्वेश्चन पूछे तो उसको आन्सर की कापी डिलीवर की जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय डागा जी, जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है और आपने उस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है तो मेरी मान्यता है कि जितने भी माननीय सदस्य एक साथ एक क्वेश्चन पूछें तो आंसर की अलग-अलग प्रतिलिपि उनको मिलना चाहिए, और इस बारे में अगर व्यवस्था नहीं हो सकी है तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो।

श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल (जैतारण)** : माननीय उपाध्यक्ष, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अन्दर समान कार्य करने वाले समान कर्मचारियों को किसी राज्य द्वारा समान वेतन मिलना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजस्थान के अन्दर नहीं मिलता है। विश्व बैंक की कृषि विस्तार योजना लागू है और जिसके अन्दर करीब-करीब 700 ग्राम सेवक कार्यरत हैं उन्हें केवल कोटा जिले के अन्दर ज्यादा तनख्वाह मिलती है और शेष 17 जिलों के अन्दर 100 रुपये कम दिये जाते हैं। 355 रुपये उनको दिये जाते हैं और जिलों में जब कि कोटा जिले में 450 और 500 रुपये दिये जाते हैं।

मैं केवल एक प्रश्न के रूप में रखना चाहूंगा कि गत वर्ष उन ग्राम सेवकों का जुलूस हमारे यहां आया तो कृषि मन्त्री जी ने और हमारे सामुदायिक मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि उनके साथ न्याय किया जायगा। मैं केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विसंगति उनके वेतनमानों के अन्दर क्यों हैं ? एक ही राज्य के अन्दर, एक ही कार्य के लिए, एक ही योजना के अन्दर एक ज़िले में ज्यादा देते हैं और 17 जिलों में कम तनख्वाह मिल रही है। उसके लिए उन्होंने एजीटेशन का नोटिस दे रखा है। इसके बारे में मन्त्री महोदय बता दें। मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहूंगा।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपने विचार रखा है उस पर राज्य सरकार विचार कर लेगी और जो भी समाधान हो सकेगा, करेगी। आप इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री महोदय से चर्चा कर लेंगे तो ठीक रहेगा।

## समिति का प्रतिवेदन

### अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रावतराम, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1978-79, के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

**श्री रावतराम (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1978-79 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) अनुसूचित जाति के छात्रावासों से सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

(श्री रावत राम)

(2) छात्रवृत्ति सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन ।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है।

(स्वीकृत)

श्री हरजी राम बुरडक ।

**राजकीय उपक्रम समिति का पांचवा व छठा प्रतिवेदन**

**श्री हरजी राम बुरडक** (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० से सम्बन्धित समिति का पांचवा प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कोटा तापीय विद्युत परियोजना से सम्बन्धित समिति का छठा प्रतिवेदन ।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

**अजमेर शहर में पेयजल की समस्या**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री कल्याणसिंह सांखला ।

**श्री महबूब अली** (राज्य मंत्री जन-स्वास्थ्य) : मैं जवाब दे देता हूं ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : नियमों के अनुसार वह ध्यानाकर्षण करेंगे उसके बाद आप उत्तर देंगे ।

**श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर, पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और इस सदन में मैं पुनः कर रहा हूं कि राजस्थान के प्रमुख नगर अजमेर में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करती जा रही है और वहां के लोगों का जीवन दूभर कर रही है, और सरकार उस ओर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। यह बहुत दुःख की बात है। अजमेर नगर में पानी की कमी से कितना नुकसान पहुंचा है, और आज भी अजमेर का विकास पानी की कमी के कारण रोका जा रहा है यह बहुत दुःख की बात है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अभी गर्मी प्रारम्भ नहीं हुई है और ऊंचे इलाकों और बस्तियों में 10-15 मिनिट भी पानी नहीं पहुंच रहा है और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि वहां पर 60-70 कच्ची बस्तियां अजमेर नगर में होते हुए भी एक इन्च नई पाइप की लाइन शिड्यूल्ड कास्ट्स की

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

बस्तियों में पीने के पानी के लिए नहीं लगायी है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपको पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि सारी कच्ची बस्तियों में और शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में पीने के पानी की प्राथमिकता दें, और पानी के वितरण की व्यवस्था करें। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच रहा है जहां पर टैंक वगैरह सैन्क्शन्ड हैं उन टैंकों को इस वर्ष बनाया जाय। अन्तर्राष्ट्रीय मेला उर्स का अजमेर में आ रहा है जिसमें तीन लाख लोग हिन्दुस्तान के ही नहीं बाहर से भी आते हैं वहां पर पीने के पानी की समस्या बनी रही तो हमारी सरकार के लिए और हम सबके लिए शर्मनाक घटना होगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस समस्या का हल युद्ध स्तर पर किया जायेगा।

**श्री नवलराय बच्चाणी** (अजमेर, पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर की पानी की समस्या पर बोलना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है।

**श्री नवलराय बच्चानी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय लूंगा। इस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि दो मिनट का समय देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर एक ऐसे भौगोलिक स्थान पर है। यह जयपुर पहले ही राजधानी बना हुआ था, अन्यथा अजमेर राजस्थान की राजधानी बनता। अजमेर पानी के कारण पिछड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा, अजमेर की पानी की समस्या का हल किया जाये। बनास से जो पानी आने वाला है, वह कालेड़ा से लाइन बिछाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसमें बहुत समय लग गया है। यह कब होगा ?

इसी प्रकार से अजमेर में तारागढ़ एक स्थान है। वहां पर 4-500 परिवार रहते हैं। बाहर से भी वहां पर लोग आया करते हैं। पानी की समस्या के कारण वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसके अलावा इमामबाड़ा और उसके पास का हिस्सा है। वहां पर भी पानी की समस्या है।

इसी प्रकार से पहाड़गंज में नीचे की बस्तियों में पानी की समस्या है। वहां के लिए कहा गया था कि पानी पहुंचाया जाएगा लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचाया गया है। वहां पर गली गली में जाने से पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ है। मई के महीने में उर्स का मेला आ रहा है। उसके लिए अभी से व्यवस्था की जाये ताकि लोगों को पानी के लिए नहीं रोना पड़े।

**श्री महबूब अली** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : प्वाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप उसी बात को बार बार रिपीट करते हैं। वह कोई वजन नहीं रखता है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : अगर आपकी अनुमति हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे मालूम है, आपका पाइंट आफ आर्डर क्या होगा।

**श्री महबूब अली** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले जिन माननीय सदस्यों के द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये हैं। उसके बारे में निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अजमेर एक ऐसा शहर है, जहां पानी की समस्या भयंकर है, लेकिन यह आज से नहीं है। काफी लम्बे समय से चली आ रही है। काफी समय से है। जब से जनता सरकार आई है तब से इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले साल उर्स के अन्दर मैं स्वयं अजमेर में था। मुझे इस बात का गर्व है कि उस समय अजमेर में आने वाले जायरीन ने इस बात को सराहा था। पानी का बहुत अच्छा इन्तजाम था। पिछले साल बहुत ही अच्छा इन्तजाम था।

माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उर्स के मौके पर किसी प्रकार की पानी की किल्लत नहीं रहने दी जायेगी। अजमेर के अन्दर जो कुएं हैं, जैसा कि पिछले वर्ष में इन्तजाम किया गया था। वहां से पानी दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि फाई सागर में पानी है। ढाई लाख पौने तीन लाख गैलन पानी वहां से रोजाना लिया जा रहा है। बनास में तीन ट्यूबवैल चालू कर दिये गये हैं। वहां से पानी लिया जा रहा है। इसी प्रकार से नगर के जो ओपन कुएं हैं, उनके अन्दर ट्यूबवैल लगाकर पानी लिया जा रहा है। अजमेर के अन्दर पानी की जो किल्लत है, उसमें मई के महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है।

माननीय सदस्य ने जो तारागढ़ की बात कही है। तो कुछ मकान बहुत ऊंचाई पर हैं कुछ मकान बहुत नीचाई पर हैं। इस कारण डिस्ट्रीब्यूशन आफ वाटर बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस बात का प्रयास किया जाता है कि जितना हो सके अच्छी तरह से पानी दें। एक तो पानी की कमी और अजमेर की टापोग्राफी इस तरह की है। तीन लाख अजमेर की पापुलेशन है। इतने ही बाहर के लोग जाकर इकट्ठे हो जाते हैं।

इस कारण अजमेर की समस्या गम्भीर रही है। तारागढ़ आबू और यहां के बीच में सैकेण्ड पीक है। इतना ऊंचा है। वहां पर जो टांके बने हुए हैं, उनमें पानी रहता है। वहां के जो निवासी है, उनको तो दिक्कत नहीं होती है लेकिन जो जियारत करने वाले ऊपर जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। मैंने स्वयं देखा है। मैं वहां गया था। वहां मशकों से पानी ले जाया जाता है। लेकिन कोई परमानेंट हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि अगले वर्ष कोई इन्तजाम हो जाएगा। जहां तक इमामबाड़े का सवाल है और उसके पड़ौस का सवाल है, वहां पर पाइप को डाला जा रहा है। वहां पानी की स्थिति ठीक हो जाएगी।

(व्यवधान)

(श्री महबूब अली)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अजमेर की समस्या प्रस्तुत की गई है, मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं यह समस्या उसी समय हल होगी जब बनास योजना के आने से 32 लाख गैलन एक्स्ट्रा पानी प्रति दिन आने वाला है वह आ जाय। लेकिन जो अस्थायी रूप से हल करने की बात है, मैंने निवेदन किया है कि कुओं से पानी लिया जाएगा।

(व्यवधान)

लेकिन यह सारी व्यवस्था पिछले सितम्बर से की है। फाईसागर में इतना पानी आ नहीं रहा है। जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह सितम्बर से अब तक की है।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा.........

**श्री महबूब अली** : मैं माननीय सदस्य को और हाउस को यह विश्वास दिलाता हूं कि समस्या को हर प्रकार से सोल्व करने की कोशिश की जा रही है।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं........

**श्री उपाध्यक्ष** : आप कृपया विराजें।

**श्री कल्याणसिंह सांखला** : आपने यह कहा है कि अजमेर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है। इतने इंजीनियर देते हैं। इतना स्टाफ है। मैं यह कहता हूं कि भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है तो आप उसको सही नहीं कर सकते? इतना पैसा आप स्टाफ पर खर्च करते हो, वह किस लिए रखा हुआ है? जो आप यह कहते हैं कि जमीन ऊंची-नीची है, तो क्यों नहीं वहां पर टांके बने अभी तक? गुलाब वाड़ी में, पहाड़गंज में, तारागढ़ पर, आप कब तक टांके बना देंगे? कब तक वहां पर पानी की सप्लाई हो जायगी?

**श्री नवलराय बच्चानी** : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में पानी का कोई साधन नहीं है। मन्त्री महोदय स्वयं जानते हैं कि तारागढ़ पर पानी गन्दा है। छः-छः बार पानी को छान कर पीते हैं। यात्री हवा ठेठ तक पहुंच नहीं सकते हैं। आप क्यों नहीं वहां का सर्वे कराते हैं? पानी के अभाव में वहां कुछ नहीं हो रहा है। आप आश्वासन दें कि क्या करने वाले हैं? तारागढ़ के लिए आप क्या योजना बनाने जा रहे हैं? तारागढ़ पर मिलिट्री के कई भवन बने हुए खाली पड़े हैं। पानी के अभाव में वहां पर्यटन विभाग कुछ नहीं करता। टी० वी० केन्द्र आदि नहीं खुल सकता। पानी की व्यवस्था की जाय, तारागढ़ पर भवनों को काम में लाने की कोई योजना बनाई जाय।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय, बाद में उत्तर दे देना।

**श्री भंवरलाल ऐरन** : उपाध्यक्ष महो-

(श्री भंवरलाल ऐरन)

दय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फिर मेला आने वाला है उर्स का, उसके लिए तो आपने टेम्प्रेरी अरेन्जमेंट करने के लिए कह दिया, लेकिन वहाँ पर पेयजल की स्थायी समस्या है उसका स्थायी हल करने के लिए आपने कोई बात नहीं कही। तारागढ़ के लिए यह कह दिया कि वहां पर टाँके हैं। मैं, माननीय मन्त्री जी, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में उसका स्थायी हल निकाला जाना चाहिए। इस बारे में आप आश्वासन दें।

**श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर शहर में सन् 47 से पानी की समस्या चली आ रही है। मैं यह नहीं समझता कि उसके बाद प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया हो। जो भी योजना बनायी जाती है, क्यों नहीं इन स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है? आपने बनास योजना और दूसरी योजना बनाई उससे अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। मैं नहीं समझता कि अजमेर की जनता, जो शिक्षित भी है, और वहां पर मजदूर भी हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या उनको पानी नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं 50 साल की स्थिति को ध्यान में रख कर योजना बनायी जाती है? एक-एक साल की योजना बना कर कभी 35 मिनट पानी देते हो, कभी 40 मिनट देते हो। इस प्रकार से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। यह बहुत ही दुःख की बात है।

**श्री मूलचन्द डागा** : पाइन्ट आफ आर्डर सर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

**श्री चिरंजीलाल गर्ग** : जनता पानी के लिए परेशान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री मूलचन्द डागा** : नियमों के विरुद्ध....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, भाषण देते हैं। नियमों में प्रावधान भी नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जायगी।

(व्यवधान)

माननीय श्री उगमराज।

**श्री रतनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

**श्री मूलचन्द डागा** : पाइन्ट आफ आर्डर। रूल 131 के अन्दर जो अटेन्शन काल करता है वही बोल सकता है। दूसरे मेम्बर को इजाजत नहीं है।

**श्री कल्याणसिंह सांखला** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तारागढ़ में....

**श्री मूलचन्द डागा** : रूल 131 में यह है कि जो अटेन्शन काल करे, वही बोल सकता है। उसके बाद जवाब आ जाना चाहिए। उस पर। कोई नहीं बोल सकता है। जवाब आ गया अब क्यों आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करेंगे ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय डागा, जी बिराजिये।

**श्री कल्याणसिंह सांखला** : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि तारागढ़ के ऊपर शिया सम्प्रदाय की दरगाह होने के नाते आप पानी नहीं पहुंचाना चाहते ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया ऐसे प्रश्न नहीं करें।

**श्री महबूब अली** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री ईश्वरचन्द्र** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिया और सुन्नी का सवाल उठाया है, आप इसको एक्सपन्ज करा दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : एक्सपन्ज कराने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

**श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न ब्यावर के पेयजल के बारे में पूछना चाहता हूं। अजमेर और ब्यावर की गम्भीर समस्या को देखते हुए श्रीकरण शारदा ने लोक सभा में एक प्रश्न पूछा था। उसका जो जवाब आया वह इस प्रकार से है :—

"The scheme of water supply from Banas River to Ajmer district is divided in two parts. The first comprises of laying of pipe line from Nasirabad to Beawar and Kishangarh. The first part of the scheme has been sanctioned for Rs. 8.73 crores in the year 1975-76 and the work is in progress."

तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ब्यावर के लिए, नसीराबाद के लिए, किशनगढ़ के लिए पीने के पानी की आपकी क्या योजना है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजिये। प्रस्ताव केवल अजमेर के लिए है।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के लिए निवेदन कर रहा हूं। तीन लाख की जनसंख्या है, वहां पर उर्स मेले में लोग बाहर से जियारत करने के लिए आते हैं तो वहां पर क्या दशा होगी। आने वाले आदमियों के सामने भारत की इज्जत रहे, हमारी शान रहे। हम दुःख पाते हैं और पानी की तंगी नहीं आने देते। सरकार तीस वर्षों में इसकी व्यवस्था नहीं कर पायी। अब

(श्री रतनलाल वर्मा)

जनता सरकार आ गई है, आप इसकी क्या व्यवस्था करेंगे और कब तक स्थायी हल करेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बिराजिये ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : आपने कहा है, सात-आठ लाख रुपये लगेंगे । एक करोड़ भी लगे तो करना होगा । बड़ी नाजुक स्थिति है । जनता दुःख पाती है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बिराजिये ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : कभी हिन्दू और मुसलमानों का विवाद अजमेर में नहीं हुआ । वहां पर लोग मिलजुल कर रहते है । मन्त्री महोदय जवाब देते हैं 7-8 लाख रुपये लगेंगे । क्या वेल्यू रखते हैं सात-आठ लाख रुपये की ? हिन्दुस्तान भर के लोग आते हैं । आप यह बतादीजिए कि कितने दिनों में इसका इन्तजाम कर देंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अजमेर जिले के माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त कर दी है ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : पुष्कर का मेला भी लगता है ।

(व्यवधान)

**श्री हरिसिंह (जन स्वास्थ्य मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में पीने के पानी की समस्या काफी गम्भीर है । अजमेर में पीने के पानी के लिए जितना पैसा खर्च किया गया वह खर्चा पर केपिटा राजस्थान में सबसे ज्यादा है ।

बनास से अजमेर में जो अभी पानी लाया जा रहा है, वह बड़ी स्कीम है । करीब 8.73 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार से सैंशन हुए हैं । यह स्कीम फेनेज । में है, कार्य चालू है । बनास से अजमेर 80 मील पड़ता है । यह 80 मील की पाइप लाइन बिछाने का कार्यक्रम एक दिन में नहीं हो सकता । अजमेर की पानी की समस्या वार टाइम बेसिस पर हल हो रही है । माननीय सदस्यों की भावना को मैं मानता हूं कि अजमेर को पानी मिलना चाहिए । वहां उर्स का मेला लगता है, धार्मिक स्थान है । व्यवस्था की जाएगी । ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है ।

**श्री मूलचन्द डागा** : कब तक की जाएगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अनुदान की मांगें ।

**श्री रतनलाल वर्मा** : मंत्री महोदय समय तो बता दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह गम्भीर समस्या है । इसका स्थाई समाधान किया जा रहा है । अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1978-79 ।

**अनुपूरक अनुदान की मांगें 1978-79**
**मांग संख्या 3 सचिवालय, मांग संख्या 6 न्याय एवं मांग संख्या 36 सहकारिता**

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,87,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए।

**श्री बिरदमल सिंघवी** (खाद्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाय।

**श्री कैलाश मेघवाल** (सहकारिता मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,03,73,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए।

**श्री मूलचन्द डागा** : जिन मंत्रियों ने अपनी पूरक मांगें रखी हैं उन्होंने ब्रेक-अप नहीं दिया, जिस काम के लिए खर्च करेंगे, डिटेल्स नहीं हैं। नियमों में है कि they must give details। उपाध्यक्ष जी, गत वर्ष भी आपने व्यवस्था दी थी कि इसका ब्रेक-अप दिया जाए। अगर नहीं दिया है तो आप एक मिनट में बता दें....

**श्री उपाध्यक्ष** : सारा ब्रेक-अप दिया हुआ है।

**श्री मूलचन्द डागा** : इसमें नहीं है।

**श्री कौशल किशोर जैन** : अनुपूरक मांगों में डिटेल्स हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : नहीं है। आपने लिखा है सचिवालय द्वारा विभागों के लिए टंकण यंत्र आदि खरीदने के लिए 15 लाख। कितनी मशीनें खरीदनी हैं?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके साथ जो दूसरे विवरण दिए गए थे, उसमें जानकारी दी गई है।

**श्री मूलचन्द डागा** : उसमें भी नहीं है। आप बतायें। एक मिनट में मंत्री बतायें।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : जहां विवरण और अधिक देना है, दिया गया है। जो इसमें विवरण दिया गया है वह सामान्य समझ वाले व्यक्ति के लिए काफी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय डागा जी असामान्य हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने कहा कि आप 15 लाख रुपए का ब्रेक-अप बतायें। कब मशीनें खरीदेंगे?

### मांग संख्या 3 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक सचिवालय के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय....

**श्री मूलचन्द्र डागा** (पाली)

(श्री मूलचद डागा)

1. हिन्दी टंकण यन्त्रों की कमी और टंकण यंत्रों का रख-रखाव ठीक नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिए।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

2. सचिवालय में टंकण यंत्रों की खरीद में हुए घोटालों पर चर्चा के लिए।

**श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर)

3. सचिवालय द्वारा अन्य विभागों के लिये टंकण यंत्र आदि क्रय के लिये अपेक्षित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा)

4. सचिवालय द्वारा अन्य विभागों के लिये टंकण यंत्र के क्रय में हुये घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा)

5. हिन्दी लिपि के टंकण यन्त्रों के अभाव से आशुलिपिकों की कठिनाइयों पर चचा के लिए।

**श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं)

**श्री हजारीमल सारण** (सरदारशहर)

6. आवश्यकतानुसार हिन्दी की टंकण मशीनें उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

**मांग सं. 6 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

1. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण हेतु परामर्शदाता के गठन पर होने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर)

2. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण हेतु सरकार द्वारा सलाहकार नियुक्त करने में भारी पक्षपात एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर चर्चा के लिये।

**श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर)

3. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण हेतु स्थाई परामर्शदाता के गठन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली)

4. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में मुकदमात का शीघ्र फैसला न

(श्री मूलचन्द डागा)

होने के कारणों पर सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा)

5. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लम्बित मामलों के शीघ्र नहीं निपटाने से राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

**श्री अयूब खां** (तिजारा)

6. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव**

मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

**श्री अजीतसिंह** (टोंक)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा)

3. सहकारिता विभाग द्वारा फर्जी सहकारी समितियों को समाप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर)

4. सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में सरकार की भारी उदासीनता की चर्चा के लिये।

5. जिला जालौर में सहकारी समस्याओं के निष्क्रिय होने एवं सहकारी आन्दोलन असफल होने की चर्चा के बारे में।

6. सहकारी संस्थाओं के व्यवस्थापकों की दयनीय हालत के बारे में चर्चा के लिये।

7. सहकारी बैंकों को एकीकृत करने के बारे में चर्चा के लिए।

8. सहकारी संस्थाओं के शीघ्र चुनाव करवाने के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिए।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल)।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)।

9. ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के समुचित वितरण की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए।

**श्री गुलावचन्द कटारिया** (उदयपुर)।
**श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा)।

10. ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में तथा ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर)।

11. उदयपुर नगर के उपभोक्ता भंडार द्वारा सीमेंट में किए जा रहे घोटाले के संबंध में चर्चा के लिए।

# Page No. 112

(112)



(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

12. अपेक्स बैंक द्वारा जबरदस्ती थोपी गई पास बुकों के घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) :

13. प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण में कृषकों को परेशान करने व समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

14. उपभोक्ता वस्तुओं का गांवों में वितरण नहीं किए जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली)।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण समय पर न होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

16. पाली जिले के उपभोक्ता भण्डारों में व्याप्त घोटालों व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

**श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू)

**श्री हजारी मल सारण** (सरदारशहर)।

17. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता भण्डार में किये गये घोटालों से संबन्धित विभागीय अधिकारियों का प्रमोशन कर देने पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान सहकारी डेयरी संघ से सम्बन्धित सदस्य सहकारी संस्थाओं का शोषण किये जाने पर चर्चा के लिये।

19. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा वकीलों को गलत रूप से भुगतान करने पर चर्चा के लिये।

**श्री अयूब खां** (तिजारा)

20. जिला अलवर में सहकारी समितियों द्वारा हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

21. सहकारी बैंकों द्वारा जिला अलवर में घोटाले किए गए हैं, इस पर चर्चा के लिए।

22. सहकारिता विभाग में किए गए घोटालों पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 3, 6 व 36 पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष** : अब तो कटौती प्रस्तावों पर चर्चा आरंभ करें। 4½ बजे मुखबंद है।

(व्यवधान)

इससे पहले कि आप चर्चा आरंभ करें, मैं समय की जानकारी देना चाहूंगा। 4½ बजे मुखबंद का प्रस्ताव है, उससे पहले मंत्री महोदय उत्तर देंगे। कम से कम 4 बजे तो वह उत्तर दें। डागाजी आप चर्चा आरंभ करें।

**श्री मूलचंद डागा** : मैंने सरकार की निष्क्रियता ऐसी कभी नहीं देखी। सबसे पहले बजट पेश किया। उसके बाद पहले भी मांगें लेकर आए और 4 करोड़ की पहले पास करवा लीं। आज जब तारीख 28 हो गई है तो आप पूरक मांगें फिर लेकर आए। एक अरब रुपये की मांग और कर दी है। इन्ट्रोडक्टरी भी गलत दिया है। उसमें लिखा

(श्री मूलचंद डागा)

है कि 'महंगाई भत्ते की दरों' में वृद्धि। पहले 4.18 करोड़ की मांगें और आज 1.30 लाख की मांग लेकर आए हैं। पहली मांग में लिखा है कि टंकण यंत्र खरीदेंगे। हिंदी के या अंग्रेजी के? अब विनियोग विधेयक पास हो जाएगा, दो दिन में खरीद लेंगे या खरीद ली हैं? आप कहते हैं कि हिंदी का प्रचार करेंगे लेकिन हिंदी की टंकण मशीनें नहीं खरीद रहे हैं। जितनी मशीनें हैं उनका मेन्टेनेन्स ठीक नहीं होता है। सचिवालय में तो ज्यादा तनख्वाह देते हैं जब कि होना चाहिए equal pay for equal work. सचिवालय वाले को ज्यादा तनख्वाह और बाहर काम करने वाले को कम। जो 15 लाख लेना चाहते हैं उससे कौनसी मशीनें किस पर्पज के लिए खरीदेंगे? कुछ नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि 28 तारीख को सदन को चाहिए कि इतनी बड़ी धनराशि मंजूर नहीं करे क्योंकि आप उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे।

दूसरा विधि परामर्श दात्री के लिए है। राजस्थान सिविल लेखा अधिकरण रिपोर्ट में सारी मांगें रखी हैं। उन मांगों की पूर्ति करने के लिए कार्यवाही नहीं की। इसके लिये किसी आदमी को मुकरर करते। इन्होंने तीन मांगें रखी थीं। राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखा है। अधिकरण के आदेश का पुनार्वलोकन के संबंध में अधिनियम में विशेष उपबंध किए जाने तथा अपील के लिए वर्तमान में 60 दिन की अवधि को बढ़ाए जाने का उन्होंने सुझाव दिया था। दूसरी मांग की थी, तीन माह की अवधि में स्थगन आदेश प्राप्त किया जाए अन्यथा अधिकरण के आदेशों की अनुपालना आवश्यक रूप से होनी चाहिए। स्थगन आदेश के अभाव में केवल रिट प्रस्तुति की वजह से अधिकरण के निर्णयों की क्रियान्विति नहीं करना युक्तिसंगत है।

यह जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर तो बना नहीं। अब किसको मुकर्रर करेंगे? वहां एक श्री एम० एल० गुप्ता हैं जिन्हें पहले करप्शन के कारण हटाया गया है। उनसे कैसे न्याय होगा? वहां पर एक जुडिशियल अधिकारी और दूसरे नान–जुडिशियल अधिकारी हैं। न्याय कानून व नियमों के आधार पर होना चाहिए।

अब मेरा सवाल सहकारिता के बारे में है। हमारे युवा मंत्री श्री कैलाश मेघवाल हैं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : भरतपुर में करोड़ों रुपयों का घोटाला पकड़ा है। इसके लिए तो धन्यवाद दीजिए।

**श्री मूलचंद डागा** : इन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार नहीं फैले इसके लिए एक भाषण दिया था और यह बताया था कि नरेन्द्रसिंह चौहान हैं जिसका आपने खुद ने सदन में जिक्र किया था और उस पर डिसकशन हुआ था। श्री नरेन्द्रसिंह चौहान के बारे में पहले आपने निर्णय लिया था। जो हमारे राजस्थान उपभोक्ता संघ के जनरल मैनेजर हैं उनकी क्या करामात है। उपभोक्ता भण्डार में माल नहीं बिकता है। केवल स्लिप काटते हैं। अगर कोई माल खरीदने जाता है तो स्लिप काटते हैं और माल

(श्री मूलचंद डागा)

दूसरी जगह से लाते हैं। हमारे यहां सवाई मानसिंह अस्पताल में एक दवा की दुकान भी लगी हुई है वहां उन्हीं आदमियों को रखते हैं जो कि कमीशन देते हैं। इसके लिए आपने आश्वासन दिया था। अखबारों में बहुत प्रचार आया था और आपने कहा था कि मैं उसको हटा दूंगा, इसके लिए कार्यवाही करूंगा। आपके यहां तो इस आदमी की और तरक्की हो गयी। इनको तो आपने और आगे बढ़ा दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार की जगह आपने अब उनको जोइन्ट रजिस्ट्रार का प्रमोशन दे दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने सहकारिता में बराबर देखा। भरतपुर के बारे में कहा था। आडिट रिपोर्ट पर हमने चर्चा की थी। उसका क्या हुआ? भ्रष्टाचार में सारे केसेस तो इन्होंने रजिस्टर कर दिये लेकिन आप उत्तर दें कि क्या इन केसेस की इन्क्वायरी हो गयी और सजा हो गयी? माननीय मुख्य मंत्रीजी नारा देते हैं कि हमने भ्रष्टाचार का राजस्थान से उन्मूलन कर दिया है। यह उन्मूलन का नारा नारा ही रह गया है। काम कुछ होता नहीं है। आप उत्तर दीजिए कि भरतपुर और अपेक्स बैंक में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनका क्या हुआ?

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री कौशलकिशोर जैन।

**श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स पेश की गयी हैं मेरा यह निवेदन है कि सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स बराबर पेश की जाती हैं इसके लिए निवेदन नहीं करना है लेकिन जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि माननीय सहकारी मंत्री महोदय विराजमान हैं इन्होंने इस योजना में आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक से उनके अवधि पार बकाया ऋण के लिए 107.50 लाख रुपया मांगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो अवधि पार ऋण हैं इसके लिए राजस्थान सरकार की क्या नीति होगी? 1977-78 में 40 करोड़ 47 लाख के अवधि पार ऋण दिये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय डिपोजिट केवल 42 करोड़ 95 लाख थे। मेरा निवेदन है कि सहकारी बैंकों को डिपोजिट्स बढ़ाने चाहिए। यह बार-बार अनुदान देने वाली बात उचित नहीं है। अनुदान आपने डिमाण्ड से मांगा है, हम इसको स्वीकार तो करेंगे लेकिन, मंत्री महोदय, राजस्थान के सहकारी बैंकों में आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जो 1977-78 के अन्दर 40 करोड़ 47 लाख के ऋण दिये गये। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि आप जो बोनस देते हैं अपने कर्मचारियों को उसको इसके साथ बांधिये।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इनका मोशन ही नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं?

**श्री उपाध्यक्ष** : कटमोशन तीनों पर हैं।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

गए, सारे श्रमिकों ने मिल कर मजदूरों का प्रतिनिधि चुन लिया और बहुमत से चुन लिया। 9 बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में श्री लक्ष्मी-निवास झुंझुनूंवाला है जो कि 5 मिलों के मालिक हैं उनको डाइरेक्टर बना दिया गया। मैंने निवेदन किया और भीलवाड़ा की जनता ने निवेदन किया कि मजदूरों का अध्यक्ष है उसको मजदूरों का डाइरेक्टर बनाया जाये लेकिन आपने नहीं बनाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछले एक डाइरेक्टर श्री सिद्दीकी थे उसने प्रति मजदूर 30 रुपये लिये कि मजदूर संघ की अपनी कार हो लेकिन वह कार नहीं आई। वह भी आपके पास मामला है। आप उसकी सुनवाई करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें और निवेदन करना चाहूंगा इस मिल के बारे में बार बार वहां के चैयरमैन का स्टेमेंट आ जाता है कि मिल इतने फायदे में है। आज के दिन 8 लाख रुपये की मशीनें खराब पड़ी हैं। 6 लाख की मशीनें एक साल से खराब पड़ी हैं। डबलिंग मशीन 400 स्पिंडल्स की चाहिये, 332 की खरीदी गई। आपके समय में नहीं खरीदी गई। भूतपूर्व चेयरमैन के जमाने में खरीदी गई। अगर गलत पर्चेज हो गई तो उस मशीन को डिस्पोज आफ कर देना चाहिये, नई लाते, कुछ निर्णय करते। लेकिन अनिर्णय की स्थिति में वह पड़ी हुई है। रीलिंग मशीन, बेलिंग मशीन, प्रेसिंग मशीन, मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा, 8 लाख की मशीनें बेकार पड़ी हैं। अभी-अभी थोड़े दिनों पहले वहां के चैयरमैन ने अपने लिये चैम्बर बनाया है, 30 हजार का चैम्बर बनाया है। मजदूरों के बैठने के लिये चैम्बर नहीं बनाया। यह पूंजीवादी तरीका कब तक चलता रहेगा? जनता राज में पूंजीवादी तरीका समाप्त करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, 11 हजार तक स्पिंडल्स की व्यवस्था कर दीजिये। बार बार हम कांग्रेस के मित्रों पर आरोप लगाते हैं। राजनैतिक नियुक्तियां करते हैं। एक व्यक्ति को....

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : यह सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स पर बोल रहे हैं या सहकारिता पर बोल रहे हैं? अगर आप अलाउ कर देते हैं तो मर्जी आपकी।

**श्री उपाध्यक्ष** : सप्लीमेंट्री में इसका प्रावधान है। उसी के बारे में कह रहे हैं।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : एक व्यक्ति को काटन कलेक्टर के पद पर रखा गया। आज लाखों रुपये का घोटाला वह व्यक्ति कर रहा है। श्रीमान, यह जो आपकी सचिवालय की डिमाण्ड है, टंकन की खरीद के बारे में 15.87 लाख रुपये की मांग है उसमें गौर करने की बात है। यह टंकण हिन्दी के होंगे या अंग्रेजी के होंगे?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री)** : हिन्दी के।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : इसमें लिखा नहीं। मैं विश्वास चाहता था। आप ने कह दिया, हिन्दी के होंगे। अंग्रेजी को छोड़िये, हिन्दी को लाइये। हिन्दी के टंकन की व्यवस्था कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने

(श्री कौशल किशोर जैन)

(व्यवधान)

मुझे समय प्रदान किया है, मैं आपका आभारी हूं। पुनः धन्यवाद दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री का जो बजट आपने जो पेश किया, मेरा ऐसा केलकुलेशन है कि पिछले वर्ष केवल 6 प्रतिशत बढ़ोतरी थी लेकिन इस वर्ष 14 पाईंट समथिंग की बढ़ोतरी हुई, यह वृद्धि किन कारणों से हुई, इसको स्पष्ट करें? ऐसी कौनसी मजबूरियां आ जाती हैं कि आगे चलकर एस्टीमेट्स गलत हो जाते हैं?

सहकारिता विभाग ने उपभोक्ता भण्डार खोला है, इस बात के लिए खोला है कि जनता को आराम देना चाहिये। व्यापारी लोग जनता को लूटते हैं, उनसे बचाने के लिये खोला है। यह चर्चा पहले भी हुई है। उदयपुर का उपभोक्ता भण्डार सीमेंट का 90 प्रतिशत व्यापार खुद करता है। पिछले दो महीनों प्रयत्न करने के बाद एक दिन, 16 तारीख के दिन कलेक्टर साहब से निवेदन किया, घोटाला हो रहा है, आप चलें या आप अपने किसी अधिकारी को भेजें। आपको सुन कर बड़ा ताज्जुब होगा उपभोक्ता भण्डार के स्टोर के बारे गुलाब बाग के बाहर जो होटल है उसमें बोरों को खोला जाता है और बोरों को खोलकर सीमेंट निकाली जाती है फिर नये कट्टे तैयार किये जाते हैं। एक दिन नहीं अनवरत कार्यक्रम चलता रहता है। इन्सपेक्टर ने जाकर देखा। उसकी रिपोर्ट बनाई। पता नहीं, भगवान जाने क्या हुआ, हम समझ नहीं पाये। श्रीमान, उसी गोदाम से 30 बोरे बाहर निकल रहे थे उसी समय इन्सपेक्टर को लेकर पहुंचा था। पूछा, बोरे कहां ले जा रहे हो, बिल कहां है? श्रीमान, उस बिल को देखा गया। वह बिल फर्जी निकला अर्थात आपकी बिल बुक भी दो नम्बर की होती है। वह फर्जी बिल था। नियमित रूप से बराबर धन्धा चलता रहता है। यही नहीं वहां 1350 बोरों का स्टाक था। हमारे कार्यकर्ताओं ने गिना, 50 कम निकले। श्रीमान, सारी कार्यवाही हो गई, जो इन्सपेक्टर आया था सारे कागजात बनाकर उसको सुपुर्द कर दिये। एक लम्बे अर्से से ऐसा चल रहा है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री महोदय, यह सारे अखबार रंगे पड़े हैं। आपने पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद आपने क्या किया? एक्शन लेना नहीं चाहते। 16 तारीख की अखबार पढ़ने के बाद मंत्री महोदय आपने क्या कार्यवाही की? इतने दिन गुजर गये, आपने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि उसमें बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों का प्रभाव है। केस को दबा कर रफा दफा कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े परिश्रम से ऐसे घोटाले पकड़ में आते हैं। यदि वे प्रभावशाली लोग अपने प्रभाव से दबाने का प्रयत्न करते हैं, हमारी सरकार ढीली हो जाती है तो यह बड़े दुःख का विषय है। पहले जो यू. आई. टी. के चैयरमैन थे, उन्होंने सत्यानाश किया। उनको उपभोक्ता भण्डार में ले आये। वहाँ जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
यू. आई. टी. का सैक्रेटरी था, श्यामलाल पारीक, उसको भी अपने साथ ले आये ताकि मिली भगत के कारण घोटाले हो सकें। जिस आदमी के सामने चैकिंग हो रहा था वह दो तीन मिनट रहने के बाद रफू चक्कर हो गया। कहां चला गया, पता नहीं। इस प्रकार की कार्यवाही होती है। इस प्रकार के घोटाले जब आपके सामने आते हैं, चाहे वह हमारा आदमी हो, चाहे किसी का आदमी हो, पनिशमेंट मिलना चाहिये। जैसे एक कौऐ को मार कर लटका दिया जाता है तो सब कौऐ भाग जाते हैं। एक को अगर सजा दी तो निश्चित रूप से जो लोग विभाग में गड़बड़ी करते हैं वे गड़बड़ियां दूर होंगी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

केवल दो मिनट और लूंगा।

श्रीमान्, वसूली का जो रवैया है, वसूली होनी चाहिये, मैं इससे कोई इन्कार नहीं करता लेकिन वसूली का समय तो हो। जब किसान के घर अनाज आया नहीं तो देगा कहाँ से? इसलिए कोई समय तय करें। जब उसके घर अनाज आये या दो पैसे आयें तब तो आपकी वसूली का कुछ लाभ होगा, अन्यथा आपकी वसूली बेकार जाती है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं जो वसूली की है, उस वसूली पर किया गया व्यय कितना होता है, यह तो बता दें? आप यह तो कह देते हैं कि 40 प्रतिशत वसूली कर ली और 50 प्रतिशत वसूली कर ली लेकिन कभी आपने यह हिसाब लगाया कि इस वसूली को करने में कितना खर्च आया है? आप छोटे-छोटे कर्मचारियों को दूर-दूर जाने के लिए जीपें दे देते हैं। जितना पट्रोल फूंकेगा उतना पैसा लेकर नहीं आयेगा। कई बार खाली पैट्रोल जला कर बिना कोई रिकवरी किये ही चले आते हैं। तो इसे भी आपको अवश्य देखना चाहिये कि वसूली में कितना खर्चा आता है। मैं कहता हूं आपका विभाग भगवान के भरोसे पर चलने वाला है और भगवान ही इसकी रक्षा करें। मैं एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, भरतपुर में जो आपने किया उसके लिए तो बधाई है लेकिन उदयपुर में भी करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इसके लिए आपको धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नाथू राम।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वर चन्द्र।

**श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी टंकण के बारे में मैंने एक प्रस्ताव दिया है। अब राजस्थान में हिन्दी के साथ जो मजाक हो रही है वह भी देख लीजिये। आप लोग सचिवालय में जाते होंगे। वहां जहां जहां पीक दान लगे हुए हैं वहां वहां लिखा हुआ है कि हिन्दी में काम करके सरकार की सहायता कीजिये। अब जो भी आदमी जाता है वह उस पोस्टर को देखता है और उसी के पास लगे पीक दान में अपना पीक थूक देता है अर्थात उसको देखा और साथ ही उस पर थूक दिया। तो यह स्थिति तो आपने हिन्दी की कर रखी है। इस बारे में तो मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है?

(श्री ईश्वरचन्द्र)

उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्जरेशन हो रहा है हिन्दी के नाम पर, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। 10-10-78 को एक सवाल पूछा था, कितने हिन्दी के टाइप चाहिये आपको काम करने के लिए। मुख्य मंत्री जी ने कहा था, 400 टाइप राइटर और चाहिये। तो मैं अब पूछना चाहता हूं कि 10-10-78 के बाद कितने टाइप राइटर बढ़े, कितने खरीद लिये और कितने और खरीदना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोषणाओं की दुनियां कुछ और होती है और घोषणाओं को अमली रूप देने की दुनियां कुछ और होती है। आज राजस्थान में इस प्रकार का बहुत कुछ हो रहा है।

आज जितने आई. ए. एस. आफिसर हैं और पता नहीं कहां कहां से इम्पोर्ट किये हैं - कोई केरल से है तो कोई कर्नाटक से है तो कोई तामिलनाडु से है वे सब लोग हिन्दी में काम करने के लिए कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ वे स्वयं अंग्रेजी में नोट लिखते हैं और सारा काम अंग्रेजी में करते हैं। कभी-कभी तो हमारे मंत्री लोग भी अंग्रेजी में काम करते हैं। कितने हमारे यहां अंग्रेजी दी हैं, इस पर तो एक दिन पूरी बहस हो जाय। हमारे मंत्री जब अंग्रेजी में काम करते हैं तो....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय ईश्वर चन्द्र जी, आप माननीय सूर्य नारायण जी की तरफ इशारा न करें।

**श्री ईश्वर चन्द्र** : मैं उनकी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर कह रहा हूं कि हमारी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हिन्दी में काम करने वालों की आज कोई कमी नहीं है। आप चाहे कितनी ही भर्ती कर लें लेकिन टाइप राइटर की आड़ को लेकर हिन्दी में काम न करें, यह शोभनीय नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री राम नारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे सूर्य नारायण जी की तरफ इशारा करें और चाहे किसी की तरफ इशारा करें। ये तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं....

(व्यवधान)

**श्री ईश्वर चन्द्र** : हम आपकी तरह नहीं हैं, इन्दिरा के जिस प्रकार आप चट्टे-बट्टे हैं।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आपने हिन्दी के सम्बन्ध में पिछले 30 सालों से जो हीन-भावना भर दी है, उसको मिटाने में समय लगेगा।

(व्यवधान)

**श्री ईश्वर चन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह ठीक है कि 30 साल के कचरे को साफ करने में कुछ समय तो लगेगा....

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपने कोई मोनोपोली नहीं ले रखी है, जनता साफ कर देगी आपको....

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : इसके लिए छाती कूट रहे हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजें।

**श्री ईश्वर चन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिविल सेवा अधिकरण के बारे में जो मौजूदा स्थिति है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। दो आई. ए. एस. आफिसर बैठा रखे हैं। मैं जिस बारे में बोलना चाहता हूं उसमें आई. ए. एस आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सर्विसेज की मोरेलिटी का सवाल है....

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण (बिलाड़ा)** : आई. ए. एस से आपको एलर्जी हो गई है क्या ?

**श्री ईश्वर चन्द्र** : मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि सिविल सेवा अधिकरण में दो आई. ए. एस. को बैठा रखा है। केवल एक आर एच. जे. एस. हैं और उसका चैयरमैन आई. ए. एस. आफिसर है। माननीय विधि मन्त्री जी, आप तो वकील रहे हो क्या आप जुडिशियरी का इस तरह मखौल करा रहे हैं ? आप वहां पर जुडिशियरी का अवमूल्यन कर रहे हैं। यह सिविल सेवा अधिकरण का मामला है....

**श्री रामनारायण चौधरी** : जुडिशियरी को तो पूरी तरह नष्ट कर दिया आपने। सारे चट्टे-बट्टे हाई कोर्ट के एक से हैं....

(व्यवधान)

**श्री रतन लाल वर्मा** :....लोक तन्त्र की तो हत्या कर दी आपने और फिर सदन में चिल्ला रहे हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय राम नारायण जी, आप बोलना चाहते हैं तो बाद में बोल लें। इस तरह बीच-बीच में इन्ट्रप्शन्स न करें। यह आपका पीरियडिकली इन्ट्रप्शन्स ठीक नहीं है।

**श्री शिव चरण सिंह** (बयाना) : ये तो प्रेक्टिसनर लायर हैं, जिनके सामने आप जुडिशियरी की बात करते हैं। यह सब पोलशन बाजी है यहां कुछ बात करते हैं और वहां कुछ बात करते हैं। जो प्रेक्टिस करने वाले वकील हैं वे तो जुडिशियरी के भ्रष्टाचार की बात करते हैं...

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजे।

**श्री शिवचरणसिंह** : यह सब पोलशन बाजी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

**श्री ईश्वर चन्द्र** : दो मिनट और दे दीजिये। दूसरा जो आपने सर्विस ट्रिब्यूनल बना रखा है, विधि मंत्री जी, इसके डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर कैम्प्स लगाइये यदि आप सस्ता और सुलभ न्याय देना चाहते हैं तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अख्तर सिद्की ने एक पर्चा निकलवाया है और कहा है कि कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का केस चलाया जावे। उसने जुडिशियरी को चेलेन्ज किया है और हाई कोर्ट के जजेज पर आरोप लगाया है। मैं उसको यहां पढ़ भी नहीं सकता हूं, इतने खराब उसने जुडिशियरी पर चार्जेज लगाये हैं और हमारा उच्च न्यायालय तमाशा देख

(श्री ईश्वर चन्द्र)

रहा है। माननीय राम नारायण जी सही कहते हैं और अगर हम उनमें वापिस कान्फीडेन्स बढ़ाना चाहते हैं तो जो पर्चे में लिखित प्रूफ दिया गया है, जिसमें इस तरह की भाषा लिखी गई है उसमें आप हिम्मत से काम करिये और हमारे हाई कोर्ट के जजेज की इमेज को ठीक करिये। और इसके साथ ही यह जो स्टेट सर्विसेज के चार केडर हैं, आर ए एस, आर. पी. एस, आर. जे. एस और राजस्थान एकाउण्टस् सर्विस, इनमें समानता स्थापित करिये और जो आई. ए. एस. और राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस हैं इसमें समानता स्थापित कीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज को कलेक्टर के अधीन रखने की प्रथा समाप्त करिये। ये कुछ बुनियादी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं।

एक बात और निवेदन कर दूं। अभी तक तो मैंने कैलाश जी को छूआ भी नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो टाइम बेहुत है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, ये तो अविवाहित हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी जुडिशियरी है और यह इसके बारे में एक लम्बा चौड़ा पर्चा निकला है ..

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्योपतसिंह जी, बिराजिये।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : यह हालत है आपकी जुडिशियरी की।

**श्री शिवचरणसिंह** : जुडिशियरी के लिए तो आपके विधि मंत्री शान्तिभूषण ने पार्लियामेंट में कहा है....

**श्री कौशलकिशोर जैन** : सुनने दीजिए साहब, टाइम बहुत कम है।

**श्री ईश्वर चंद्र** : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको पता है कि टेक्नकल आबजेक्शन के नाम पर विधि मत्री को बिल्कुल बचा लिया था।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूं कि किस तरह से जुडिशियरी के बारे में हजारों की तादाद में इतने बड़े-बड़े पर्चे निकाले गए हैं। आखिर कोई सरकार नाम की चीज रही है या नहीं ? कायदे कानून नाम की कोई चीज रही है या नहीं ? मैं कम से कम यह चाहूंगा....

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया इसको सदन की मेज पर रखने से पूर्व मेरे पास पहुंचा दें।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अखबार है जयपुर कार्निवल के नाम से इसने विधायकों को कायर और देशद्रोही कहा है और इसमें आगे लिखा है कि राजस्थान हाई कोर्ट में नन्दलाल की ऐतिहासिक रिट।

**श्री ईश्वर चन्द्र** : इसको विधि मंत्री जी को दे दें वे दावा कर देंगे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह पेम्फलेट सदन की मेज पर रखा नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी मैंने अनुमति नहीं दी है।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : सरकार के सर्विस ट्रिब्यूनल में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मुकदमे गवर्नमेंट की तरफ से प्लीड कर रहे हैं, उसके अन्दर बड़ा भारी पक्षपात हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे वकील का उदाहरण में आपको देता हूं, एक एक रिट पर जहां पर 3500) रुपये दिए जाते हैं वहां पर केवल एक केस में पचास हजार रुपये का मेहनताना इसको दिया गया है। विधि मन्त्री जी, जो इस न्याय प्रशासन में आज कोई टेलेंटेड वकील हैं, मेरीटोरीयस वकील हैं और जो अपनी टेलेंट के आधार पर वकालत करता है उसको कोई नहीं पूछता है। आप उसका नाम चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी टेलेंटेड वकील को प्लीड करने के लिए नहीं रख कर बल्कि घटकवाद के आधार पर केस दिए जाते हैं, इनको अपाइन्ट किया जाता है। पूरे न्याय प्रशासन में आज यही हो रहा है और हजारों लाखों रुपये के मुकदमे इन लोगों को दिए जाते हैं जिनको माई लार्ड की स्पेलिंग लिखना नहीं आता....

(व्यवधान)

मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा में नहीं पड़ना चाहता लेकिन अगर आपको न्याय प्रशासन की गरिमा रखनी है, अगर आपको जुडिशियरी की गरिमा रखनी है तो इस तरह से जो आपके विभाग में आपाधापी हो रही है इसको रोकिये और जहां पर भी कोई वकील अपाइन्ट करें उसमें कोई पार्टी पालिटिक्स का सवाल नहीं रख कर जो टेलेंटेड है, टेलेंटेड प्रूव्ड हैं उनको मौका दीजिए, यहां पर कोई घटकवाद का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

जिस तरह से आपने सर्विस ट्रिब्यूनल बनाया है इसी पैटर्न पर आपको सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल कायम करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

अब आप कहें तो कैलाशजी को भी छू लूं साहब। एक ही मामला कहता हूं। यह जो आप गरीबों को ऋण दे रहे हैं उसमें आपका भूमि विकास बैंक मार्जिनल फार्मर को ऋण नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? यह कहते हैं कि तुम्हारे पास चार बीघा जमीन है वह बैंक की फिजेबिलिटी में नहीं आती है इसलिए उनको ऋण नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, जितने भी स्माल फार्मर्स हैं उनके साथ में अन्याय हो रहा है। इसलिए कृपा करके अगर इसमें संशोधन करने की जरूरत हो तो करिये और तभी आप इन अन्त्योदयी परिवारों को, छोटे किसानों को उससे लाभ दिला सकते हैं। दूसरा एक तरीका और अपना रखा है। जिस दिन किसान दरख्वास्त देता है ऋण देने के लिए उस दिन उसकी दरख्वास्त दर्ज नहीं की जाती है बल्कि जब वे देखते हैं कि सारी फार्मलिटीज पूरी हो गई हैं, दो चार दिन में ऋण दे देंगे उस दिन उसकी दरख्वास्त को दर्ज करते हैं और यह बता देते हैं कि हमने दस दिन में ऋण वितरण कर दिया। यह बिलकुल गलत तरीका है। इसलिए जिस दिन काश्तकार एप्लीकेशन दे उसी दिन उस एप्लीकेशन को दर्ज किया

(श्री ईश्वर चन्द्र)

जाना चाहिए और उसके बाद में एक निश्चित समय दीजिए कि एक महीने के अन्दर अन्दर आपको ऋण देना है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बिराजें माननीय ईश्वरचन्द्र जी। आपने काफी समय ले लिया है।

**श्री हरजीराम बुरड़क।**

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल सारण।

**श्री हजारीमल सारण** (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं यह सहकारी आन्दोलन देश में बड़ी पुनीत भावना से, बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ में प्रारम्भ किया गया था। इसके पीछे न केवल लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का ही उद्देश्य था बल्कि लोगों के जीवन में आपसी सहयोग, सद्भाव और सहकारिता की भावना को बढ़ावा मिले, यह भी एक लक्ष्य था। कांग्रेस शासन के अन्तिम वर्षों में सहकारिता आन्दोलन को बड़ा धक्का लगा। उस शासन ने सहकारिता आन्दोलन को राजनीति में उलझा कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया और मैं तो कहता हूं कि उसका जनाजा निकाल दिया। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी....

**श्री मूलचन्द डागा** : इसमें केवल जिस विभाग की डिमाण्ड होती है, जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड होती है उसके बाद जिस विभाग के बारे में कटमोशन होता है उसी के बारे में बोल सकते हैं। जनरल भाषण ठीक रहे हैं, क्या यह अच्छी बात है। आप चाहे जो कुछ कह दें, We can speak only on cut motions और इसके अलावा....

**श्री रामनारायण चौधरी** : सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य अपने कटमोशन पर ही बोल रहे हैं और नीति सम्बन्धी प्रश्न भी उठा सकते हैं। मान्यवर, उनको दबाया नहीं जावे। कांग्रेस के हों या कोई हों, इसका मतलब यह नहीं है कि उनको दबाया जाय।

**श्री हजारीमल सारण** : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस शासन ने अपने आखिरी वर्षों में सहकारिता जैसे पवित्र आन्दोलन को देश में बड़ा धक्का पहुंचाया, इन्होंने उसका जनाजा निकाल दिया और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ज्यों ही यह हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने आकर इसको दफना दिया।

(व्यवधान)

हमने इसको ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सौंप करके इसको दफना दिया, जला दिया। बड़े अफसोस की बात है कि आज जो हमारे मन्त्री, हमारे अधिकारी जो सरकारी प्रशासन में बैठे हुए हैं उन्होंने इसे दफना दिया है। सरकार के द्वारा यह जो प्रगति विवरण दिया गया है उसमें केवल यह लिखा हुआ है कि कितना ऋण वितरण कर दिया, कितना लोन दिया और कितनी वसूली हुई, कितना ब्याज वसूल हुआ। इस प्रगति विवरण में इसके अलावा और कुछ नहीं

(श्री हजारीमल सारण)

है। क्योंकि है भी क्या इनके पास इसके अलावा लिखने को ? सहकारी समितियों को मात्र सरकारी ऋण वितरण की एजेंसी बना दिया है, इसके अलावा सहकारी समितियों को कोई महत्व नहीं है, न बैंक का महत्व है। प्रगति विवरण में लिखा है कि 143 मार्केटिंग सोसायटीज 1978 तक हैं। ये 143 सोसायटीज तो 1977 से पहले की हैं। उसके बाद कोई मार्केटिंग सोसायटी बनी ही नहीं है और जो सहकारी समितियां मरी हुई पड़ी हैं, राज्य के अन्दर उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है, उनको पुनर्जीवित नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ? स्टेट के अन्दर इससे दुगुनी तिगुनी मार्केटिंग सोसायटीज बन सकती हैं, क्या ये सोसायटीज उपयोगी नहीं हो सकती हैं, प्रदेश के अन्दर ? लेकिन कौन बनाये ? कहने को तो हमारे सहकारिता मन्त्री जी नौजवान हैं लेकिन वे सहकारिता के विरोधी हैं। कैलाश मेघवाल नौजवान तो हैं लेकिन उनमें यह विरोधाभास है। ऐसे मन्त्री जो बैठे हुए हैं, उनके हाथों से सहकारिता आन्दोलन पनपे, उसका विकास हो, उससे लोगों को लाभ मिले, यह तो सवाल ही खतम हो जाता है। इसमें राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाईनेंस कारपोरेशन की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि इसमे बहुत सारे घर बनाये गए, बहुत सारे घर बनाने के लिए ऋण दिया गया। मेरे यहां चूरू जिले में अनेक लोगों ने अपने घर बनाने के लिए इस कोरपोरेशन में हजारों रुपये जमा कराये। अभी तक पता ही नहीं है कि वे रुपये कहां गए और यदि भूल से एक सहकारी समिति को जिसके बारे में माननीय रावतराम जी को ध्यान हो, उसमें इस सोसायटी को लोन दिया कारपोरेशन ने। आज तक न तो मकान बने, उसको दस वर्ष हो गए, न उसकी किश्तें रिलीज हुई, लोग रोते फिर रहे हैं। उनके मकान बने नहीं। यह इस कारपोरेशन की हालत है, फाइनेंस कारपोरेशन की हालत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किस तरह से सहकारिता आन्दोलन की प्रगति हुई है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे अनेक कारण हैं और उनमें हिस्सा पूंजी का भी एक बहुत बड़ा कारण है। सहकारिता आन्दोलन के सामने अनेक समस्याएं हैं। आज लोगों को ऋण मुहैया कराने के पहले हिस्सा राशि जमा कराते हैं। पहले उनसे लेते हैं और उसके बाद लोन देने का सवाल आता है। क्यों नहीं गरीबों की, हरिजनों की, कमजोर तबके के लोगों को हिस्सा पूंजी सरकार स्वयं उपलब्ध कराये ताकि उनको सहकारी समिति का सदस्य बनने में कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो।

दूसरी समस्या यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि जो सहकारी समिति का ऋण है, उसकी वसूली होती है। उसका जो ब्याज वसूल होता है वह 16 प्रतिशत की दर से वसूल होता है। एक काश्तकार के लिए यह ब्याज की दर बहुत अधिक है। जबकि दूसरी ओर जो इन्डस्ट्रीज हैं उनको यह सरकार सस्ती ब्याज दर पर ऋण देती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि किसानों

(श्री हजारीमल सारण)

को जो 16 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यह ब्याज दर घटायी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऋण के लिए साल भर में उनसे मांग नहीं की जाती है। जब फसल आती है, उनसे मांग नहीं की जाती है और किसी भी समय यह विभाग फ्लाइंग स्क्वेड लेकर उसके घर पहुंच जाता है और ऋण की वसूली उसके घर के सामान आदि से की जाती है। यह सहकारी समिति के ऋण वसूली का तरीका है। सहकारी समिति के ऋण की वसूली करते वक्त किसान के साथ व्यवहार ठीक से नहीं किया जाता है। इसके अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं होता। इसके अतिरिक्त सहकारिता के आन्दोलन, प्रचार के लिए न कोई प्रशिक्षण की ही व्यवस्था है। एक भी जिला सहकारी संघ ऐसा नहीं है जो लोक प्रशिक्षण के काम में लगा हुआ हो। इस प्रकार आज यह सहकारी आन्दोलन मर चुका है। सहकारी समितियां मर चुकी हैं। किसी को चिन्ता नहीं है कि सहकारी आन्दोलन पनपे, उसका विकास हो और यह सहकारी समिति, सहकारी आन्दोलन लोगों के लिए उपयोगी हो, लोगों की आर्थिक स्थिति को बदले, उनका मानस बदले। यह सब करने की हमारी सरकार की इच्छा नहीं है। सरकार को इस बात की फिक्र नहीं है। सारी संस्थाएं मर चुकी हैं। इनको पुनर्जीवित करना है तो इनके तत्काल चुनाव कराये जाएं। ऋण पर ब्याज दर को घटाया जाए। इनको मजबूत बनाया जाए। इनको अनुदान दिया जाए। इसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को लिया जाए ताकि सहकारी आन्दोलन पनप सके।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रघुनाथ विश्नोई।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस जनता सरकार के आने के बाद से सचिवालय का खर्चा बहुत अधिक बढ़ गया है। इतने ज्यादा कमिश्नर्स के पद बढ़ा दिये गये हैं और इसका सबूत यह है कि हमारे सामने सप्लीमेन्ट्री डिमान्डस् आई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार खर्चा अन्धाधुन्ध बढ़ा रही है। एक तरफ तो मितव्ययता की बात करती है और दूसरी तरफ इस सरकार ने अत्यधिक खर्च बढ़ाया है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह सचिवालय के खर्चे को कम करे। यह नान प्लान का खर्चा बढ़ रहा है इस पर रोक लगाई जाये।

दूसरा, मेरा न्याय प्रशासन के बारे में कटौती प्रस्ताव था। जब श्री सूर्य नारायण चौधरी न्याय मन्त्री बने तो इन्होंने लीगल एडवाइजर, गवर्नमेन्ट एडवोकेट और सलाहकार को मुकर्रर करने में वह सीमा तोड़ी है। जो सीमा हमने तीस वर्ष में नहीं तोड़ी वह इन्होंने कुछ ही अर्से में तोड़ी। आपने तो एक नई परम्परा कायम कर दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उधर के भी कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा है कि जिस वकील ने क्रिमीनल केस की कोई पैरवी नहीं की, उसको भी आपने कानूनी सलाहकार नियुक्त कर दिया। इस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मामले में जैसा कि पहले किया जाता था, आपने सेशन और डिस्ट्रिक्ट जजेज की रिकमन्डेशन को नहीं माना। वकीलों का जो पैनल था उसको भी ठुकरा दिया। कोई बात नहीं। परन्तु इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने एडवोकेट्स मुकर्रर करने का जो तरीका अपनाया वह पक्षपातपूर्ण था, इसमें आपाधापी की गई। जहां जो चौधरी था उसको बनाया बाकी का पैनल खारिज कर दिया। यह जो नई परम्परा आपने डाली है, गलत है। पहले भी ऐसा नहीं होता था। आप जब शुरू शुरू में आए थे, तो आप जोश के साथ भाषण देते थे। उससे हमें यह आशा बंधी थी कि आप जब भी मन्त्री बनेंगे तो राजस्थान प्रदेश में नये नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे. ईमानदारी के साथ काम करेंगे परन्तु इस न्याय विभाग में जो आपने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की, जो आपाधापी की, पहले एडवोकेट के लिए हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जजेज की रिकमन्डेशन पर पैनल बनते थे, उन पैनल्स को भी आपने ठुकरा दिया। यह सोच कर के की तीस वर्ष बाद हमारी बारी आई है। अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे ? थोड़े से अर्से में आपने जो कार्यवाही का नमूना बताया उससे घबरा कर मुख्य मन्त्री महोदय को आपका विभाग लेना पड़ा। क्योंकि बदनामी इस विभाग की ज्यादा हो रही थी। सरकार के केस फेल हो रहे हैं। जजेज यह कहने लगे थे कि सरकार की पैरवी हमको करनी पड़ती रही है। आपके गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स को डाकूमेन्ट एक्जीक्यूट करना नहीं आता है। वे हाथ पर हाथ रखे कोर्ट में खड़े रहते हैं। वे दूसरी पार्टी से मिल लेते हैं। अब सिंघवी साहब आपका मौका आया है, इसलिए आपको भी नहीं चूकना चाहिए। परन्तु यह जो आप डींग मारते हैं, यहां सदन में खड़े होकर, इससे आपकी इमेज नहीं बन सकी। चौपड़ पर लोगों के सामने आप खड़े नहीं रह सकते। आपने उदाहरण खराब दिया है। यह घोर पक्षपात किया है। आसाम से चीफ जस्टिस को वापस बुला लिया। एक घर की हाईकोर्ट बन रही है। आप जजेज को डिमोरेलाइज कर रहे हैं। उनको आज मिनिस्टर्स के घर जाना पड़ रहा है। वे टेलीफोन करके मिनिस्टर से एंगेजमेन्ट लेते हैं। यह तो आज की जुडिशियरी का हाल है। पर्चे बंटे तो कहा गया कि जुडिशियरी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। आज इस पर खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। इस तरह की कार्यवाही से डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी। यह खतरनाक घटना बढ़ती जा रही है। आप परम्पराएं गलत डाल रहे हैं। आप इनको डिमोरेलाइज कर रहे हैं। यह आज विधि मन्त्री और मुख्य मन्त्री की हिमाकत है। दूसरी तरफ वे जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट करने को कहें। उनको पूरी हाउसिंग सुविधा नहीं दी जाती है। उनको मीटिंग में आश्वासन आपने दिया है, फिर भी फेसिलिटी नहीं दी गयी है। ऐसी हालत आपने न्यायिक सेवाओं की कर ली है। सीनियर आर. ए. एस. और आर. जे. एस. के वेतनमान समान नहीं हैं। उनकी सुविधा, उनकी जरूरतों पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है फिर कहते हैं इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी है। टेलीफोन पर सिफारिश करते हैं। आये दिन उनकी ट्रान्सफर की लिस्ट निकलती है। यह तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जुडिशियरी की हालत हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री एडवोकेट रह चुके हैं। जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रस्ताव सरकार के सामने आए हैं, आपने उनके प्रति सिम्पेथी जरूर जाहिर की है। आपने भी एक-दो भाषण इस सम्बन्ध में दिये परन्तु आज तक उनकी मांगों को आपने मन्जूर नहीं किया। उनकी पूरी सुविधाएं नहीं दीं। आप न्याय मंत्री हैं। जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर में हाईकोर्ट की सीट है। उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको तो आप मन्जूर करें, उनके वाजिब वेतनमानों का ध्यान रखें। दिल्ली में इनका प्रदर्शन हुआ था। शान्ति भूषण जी ने क्या कहा? अब जुडिशियल सर्विसेज का इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। न्याय के आसन पर जो बैठे हैं, उनका यह प्रदर्शन होना उचित नहीं है। अब परम्पराएं टूट गई हैं। फिर भी मैं न्याय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जुडिशियल सर्विसेज में जो असन्तोष है उसको दूर किया जाना चाहिए। राजस्थान के जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने गवर्नर महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को मेमोरेण्डम दिए हैं। उन पर आपको विचार करना चाहिए। उनको ज्यादा डिमोरेलाइज नहीं किया जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि गरीब आदमी को न्याय मिले, शीघ्र मिले और सस्ता मिले परन्तु आज गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं है। इस पर न्याय मंत्री महोदय आपको गंभीरता से सोचना चाहिए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पांच कटौती प्रस्ताव सहकारी विभाग की मांगों पर है। आपका काल-बेल की तरफ ध्यान जा रहा है, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। सहकारिता की डिमान्ड उस दिन चली गई। जब जे.पी. साहब के मरने की गलत सूचना दी। इस सरकार की बेवकूफी की वजह से यह हुआ। इसी प्रकार से हमारी यह न्याय प्रशासन की मांग भी सदन में डिसकस नहीं हो पायी। ये अनुपूरक अनुदान को मांगें हैं। ये थोड़े से कटमोशन हैं। उनका स्कोप लिमिटेड है। बहुत सारे कटमोशन खारिज हो गये। इसलिए आप इसकी गंभीरता को देखते हुए थोड़ा समय अलाउ करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी गंभीरता से लें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इधर के सदस्यों ने भी आज रिकार्ड तोड़ दिया है। घण्टी न बजावें। मैं रेलेवेंट ही बोल रहा हूं। ये मेरे पांच कटमोशन ही एडमिट हुए हैं। परन्तु यह महत्वपूर्ण है। यह मांग बिल्कुल ही अन-डिसकस रह गई। पहले यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए डिस्ट्रिक्ट यूनियन थी अब आप चालू क्यों नहीं करते?

जो सहकारी संस्थाओं का काम था अब उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। आपका राज आने के बाद आपने सहकारी संस्थाओं के कार्य को खतम कर दिया। आप सहकारी संस्थाओं को पनपाना नहीं चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने अन्त्योदय की क्या योजना बनाई है, इससे सारे सहकारी बैंकों का भट्टा बैठ गया। सारे अन्त्योदययों को कोआपरेटिव का लोन दे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दिया और वे बैंक डूब गये हैं। सहकारी बैंकों की आपको कोई चिन्ता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, वसूली के लिये जाते हैं तो या तो वे मिलते नहीं या फिर गाय बूढ़ी होने से मर गई, भैंस मर गई, आप क्या वसूल करेंगे ? इसलिये यह हाल आज आपका है। एकीकरण करने की बैंकों की योजना आपने बनाई, उसका क्या हुआ ? इसके अलावा....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया चर्चा समाप्त करें।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उपाध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी का यह कहना है कि सहकारिता के जितने कर्ज हैं आज दिन तक, वे माफ कर दिये जायें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : अन्त्योदयियों के तो माफ करने ही पड़ेंगे। यह तो सरकार का प्रोग्राम है, मैंने तो माफ करने का कहा नहीं। नगरपालिकाओं के 8-8 करोड़ और वाटर वर्क्स के रेण्ट चार्ज डूब गये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी संस्थाओं में जो मैनेजर्स हैं उनके सम्बन्ध में हमने एडजोर्नमेण्ट मोशन रखा था उस पर मुख्य मन्त्री जी ने खड़े होकर कह दिया था। तो यह तो सहकारी संस्थाओं के काम हैं। उनको जितना वेतन दें हमें एतराज नहीं। सहकारी संस्थाओं की क्या यह हैसियत है कि वह पूरा वेतन दे सकें ? अपेक्स बैंक वाले, सी. सी. बैंक वाले, भूमि विकास बैंक वाले तो ज्यादा तनख्वाह लें और व्यवस्थापक नहीं, ऐसा क्यों ?

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया चर्चा समाप्त करें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा तो कोई है ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको काफी टाइम हो गया माननीय सदस्य।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आज मैं एक ही हूं कटौती प्रस्ताव पेश करने वाला....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आज सबसे पहले जिन माननीय सदस्यों को पुकारा, उसी क्रम से पुकारा जिन्होंने कटौती प्रस्ताव....

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह तो ठीक है, लेकिन मेरे अलावा कोई और बोलने वाला नहीं है।

मैं तो पांच कटौती प्रस्तावों पर आपके जरिये मन्त्री जी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैनेजर्स हैं अपेक्स बैंक के, 1-2 पर्सेन्ट हो उनको मत लेवें। सारी सोसायटीज का एक कमीशन होना चाहिये, मैनेजर्स का, एल. डी. सीज. की, यू. डी. सी. की सर्विस तय होनी चाहिये जैसे पंचायत समिति जिला परिषद् सेवा चयन आयोग बनाया गया वैसा ही आयोग बनाया जाना चाहिये। आप सहकारिता आन्दोलन के नीचे राजस्थान को लाना चाहते हैं। खाली कहने से नहीं, वर्ना जनता आपकी आगे परवाह नहीं करेगी। आपके क्रय-विक्रय संघ, होल सेल भण्डार लोन लेकर, घोटाला करके ठप्प हो गये तो आप उनको पुनर्जीवित के नाम पर समाप्त करना चाहते हैं या जीवित करना चाहते हैं, बतावें ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रघुनाथ जी, कृपया समाप्त करें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपने चुनावों के बारे में घोषणा की थी, कि जनवरी में चुनाव करवा देंगे। मैंने स्पेशियली पूछा था। पंचायत मन्त्री महोदय ने तो जवाब दे दिया। आपका कमिटमेंट था उसका क्या हुआ ? सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक होंगे ? क्या सहकारी संस्थाओं का ढांचा बिगाड़ करके फिर चुनाव करवा देंगे ? दुःख है इसके बारे में। मैनेजर्स सर्विस बोर्ड आप बनाना नहीं चाहते और जनता का आप उसके जरिये भला करना नहीं चाहते हैं, यह आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपने, जैसा कि गिरधारी लाल जी एवं हजारी मल जी ने कहा कि मंत्री महोदय तो एन्टी कोआपरेटिव हैं। आप को-आपरेटिव मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं हो कि सारे सहकारी आन्दोलन खतम हो जाये। यदि ऐसा आप चाहते हैं तो करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रघुनाथ जी, कृपया बिराजें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : बस इन्हीं शब्दों के साथ, सहकारी संस्थाओं के कब तक आप चुनाव करा देंगे ? स्पष्ट घोषणा सदन में करें, अपनी चर्चा समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अयूब खां। श्री अजीत सिंह। माननीय अजीतसिंह जी, क्या आप बोलेंगे ? कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

**श्री अजीतसिंह** (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गांवों में सहकारिता और उचित मूल्य की दूकानों की विचित्र प्रणाली है। उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों का हाल बिल्कुल विचित्र बना रखा है, सहकारी संस्थाओं ने। वैसे तो मिनिस्टर साहब ने सारा का सारा राष्ट्रीयकरण कर दिया इसलिए और बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जनता पार्टी का अपने आदमियों पर भी विश्वास नहीं, अपने कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास नहीं। ऐसी हालत में सहकारिता की भावना....

(व्यवधान)

एक सरकारी चुनौती बन कर रह जायेगी। आज गांवों में जोर जबर्दस्ती से वसूलियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर्स को प्रशासक बना रखा है, एस. डी. ओ. और तहसीलदार को बना रखा है, उनको न तो आवश्यकता है देखने की और न समय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई ऐसा कानून बनाइये ताकि सारी जनता का फायदा हो। लोग बड़े परेशान हैं, जनता पार्टी की इमेज बिगड़ रही है। हमने गई दफा निवेदन किया लेकिन न तो कोई कानूनन चुनाव करवाये जा रहे हैं न कुछ। बिल्कुल सरकारी विभाग बन कर रह गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ऋण देने का एक पैनल होना चाहिये, जिसके माध्यम से ऋण मिले। एक जगह जाते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी लेकिन ऋण नहीं मिलता। बड़ी भयंकर स्थिति है। छोटे काश्तकारों को ऋण देने के लिये आपने ऐसी व्यवस्था की है लेकिन, आपके बैंक, न तो

( श्री अजीतसिंह )

उनकी हैसियत है न कोई ऋण देता है।

दूसरे, अन्त्योदय के बारे में बगैर पैसा जमा कराये ऋण नहीं मिलता। आप गरीब की मदद करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था करिये ताकि गरीब को फायदा मिले। इसी भावना के साथ इस विभाग की स्थापना की गई है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसमें बहुत बदल करने की आवश्यकता है, इसमें आप नये कानून लाकर सुधार लावें और जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की घोषणा करें।

इसके साथ ही हमारे जिले में उचित मूल्य से दवा बेचने की दुकानें नहीं हैं जैसी जयपुर में हैं वैसी जिला स्तर पर भी होनी चाहिये। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से ऋण आ गया है। हम चाहते हैं कि इन दुकानों को जिला स्तर पर भी ले जावें। इसके साथ-साथ गांवों में उचित मूल्य की दुकानों को वितरण प्रणाली सुधारने के लिए ऋण लिए ऋण मिले। वहां भी ऐसी कोई उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं इसलिए उचित मूल्यों की दुकानों के व्यवस्था में और सुधार लावें अन्यथा सुधार होने वाला नहीं।

इसके अलावा सीमेंट में लगातार चोरी होती है। मंत्री महोदय यह तो पुरानी आदत हो गई। पहले शक्कर निकालते थे। अब सीमेंट निकालते हैं। आपने यह व्यवस्था कायम कर रखी है ? लोग शिकायत करते हैं तो भी सुधार नहीं आता। कलेक्टर वगैरह सी. सी. बैंक के अधिकारियों के साथ कार्यवाही कर नहीं सकते। इसलिए आप नया कानून लाकर सदन से पास करवाए। सारी सहकारिता को चेनेलाइज करें तभी जाकर सहकारी विभाग ठीक हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरचन्दसिंह, क्या आप बोलना चाहेंगे ? आप पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

**श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग पर जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड रखी है अगर नेक काम सहकारी विभाग करके अपने उद्देश्य के पालन में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा मांग करें तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम पास करें। लेकिन सवाल यह है कि यह विभाग भ्रष्टाचार का घर है। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इसमें बैठा रखे हैं। माननीय मंत्री जी, जब इनके पास भ्रष्टाचार की शिकायत करें तो छाती पर हाथ ठोक लेते हैं कि देख लूंगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सूरतगढ़ के अन्दर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसने इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है। मैंने लिखित में उसके बारे में शिकायत दी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपने अजमेर जिले से बुलाकर अपने परिवार के लोगों को क्रय-विक्रय संघ सूरतगढ़ में 2 आदमी रखे, रावतसर में दो आदमी रखे, पीलीबंगा में 4 आदमियों को नौकरी दी, काला टीला में चार आदमियों को नौकर रखा। क्या गंगानगर जिले में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं जिनको कि नौकरी दी जा सकती है ? लेकिन सवाल यह है कि एक जाति विशेष का आदमी होने के कारण अपनी जाति के ही लोगों को और अपने रिश्तेदारों को वहां ले जाकर भर दिया गया। अगर व्यापारिक पद्धति के लोगों को आप सहकारी संघ में घुसने देंगे तो यह संघ मर जायगा यह आपका सहकारिता का आन्दोलन बन्द हो जायगा।

दूसरे, इसके साथ ही मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि दुनियां भर की शिकायतें

(131)



(श्री हरचन्द सिंह)
सहकारी संस्थाओं के बारे में हैं और हालत यह हो गई कि यहां सदन में बारबार उनके खिलाफ आरोप लगाये हैं कि सहकारी संस्थाओं में करप्शन है। उनकी जांच के आदेश हो गये, जांच में साबित हो गया। आपने उन सहकारी संस्थाओं को देख लिया और रजिस्ट्रार ने आदेश दे दिये। लेकिन रजिस्ट्रार महोदय के आदेश को वह असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपनी जेब में लगाये बैठा रहा और उसमें वह अपनी चला रहा है। मैंने लिखित में शिकायत की है, लेकिन असिस्टेंट रजिस्टार के खिलाफ कार्यवाही नहीं की।

माननीय अध्यक्ष, मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर काला टीला में एक राजस्थान श्रमिक सहकारी समिति, काला टीला है। उसका कार्य-क्षेत्र काला टीला में होना चाहिए। सहकारी नियमों में यह प्रावधान है कि सहकारी संस्था का कार्य-क्षेत्र दूसरी सहकारी संस्था के कार्य क्षेत्र में नहीं हो सकता है। जब उस संस्था को भंग करने के आदेश दे दिये तो इन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार महोदय ने उस संस्था के कार्य-क्षेत्र को बदल कर पीलबंगा में कर दिया। कारण उसका स्पष्ट है। उस एक आदमी ने 11 सोसायटीज फर्जी नाम से बनाई हैं। उनके बारे में जांच की और जांच में साबित हो गया कि यह अनियमित सोसायटीज हैं। उस आदमी का नाम माणकचन्द खोसला है। मैंने बारबार इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से शिकायत की है, लेकिन उस आदमी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

एक उपभोक्ता भंडार पीलीबंगा में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जिन लोगों के बारे में कहा उन्होंने वह खोल रखा है। उस उपभोक्ता भंडार का एक भी सदस्य उपभोक्ता नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसकी जांच करा लें। वह उपभोक्ता सामान उठा रहा है। मेरे पास उसका सबूत है। इस आदमी के खिलाफ आपका विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है। यह व्यापारिक संस्था सहकारी आन्दोलन के विरुद्ध है। माननीय मंत्री महोदय को भी यह बराबर मालूम होगा।

इसी तरीके से अजमेर जिले में जो भूमि विकास बैंक है उसके सैक्रेट्री और प्रोजेक्ट आफिसर हैं वह चयन से नियुक्त होने चाहिए थे लेकिन एक आई. ए. एम. आफिसर के रिश्तेदारों को बैठाना था, यह दोनों रणजीत सिंह कुम्मट के रिश्तेदार हैं जो पहले रजिस्ट्रार थे उनको बैठा दिया गया। मान्यवर वहां काश्तकारों के लड़के नौकर थे और 7–6–76 से नौकर थे, श्री शिव कुमार, शिव राज और राज सिंह, इन लोगों को नौकरी से निकालकर अपने रिश्तेदारों को रख दिया। इस तरीके के केसेज को देखते हुए अधिक डिमाण्ड के लिए बहुत बड़ी मांगें पेश करें तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह भ्रष्टाको पनपायेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वह राजस्थान की सीमा में भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे लेकिन यह भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान के अन्दर हैं। आप मेहरबानी करके, मैं बड़े पुरजोर शब्दों में बारबार यह निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को वहां से हटा दें।

वह असिस्टेन्ड रजिस्ट्रार सरकारी जीप

(श्री हरचन्द सिंह)

को लेकर हरियाणा अपने दोस्त की शादी में गया। वहां पर जीप पकड़ी तो रिश्वत देकर छूट कर आये। जीप का एक्सीडेन्ट हो गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, और, श्रीमन्, 3 हजार रुपया उस जीप की रिपेयर में लगाया। यह मेरे पास उसके बिल हैं, यह मैं सदन की मेज पर पेश करता हूं। उसका भुगतान हुआ है सूरतगढ़ बैंक से और जीप प्राइवेट काम में ली गई और गांव भर में उसकी चर्चा है। हम चाहते हैं कि सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाय लेकिन रंगरेलियां मनाने के लिए सहकारिता विभाग जीप उनको दे तो पहले मंत्री महोदय, आप वहां से भ्रष्टाचार को समाप्त कीजिये। अगर इस सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाना है और काश्तकार के जीवन में सहकारिता की भावना पनपे। इसलिए पुरजोर शब्दों में अपील करूंगा कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। यह वही प्रशासक हैं जो आपके विभाग की अनुमति के बिना जम्मू और काश्मीर गये और हजारों रुपयों का घोटाला किया। ऐसे लोगों के खिलाफ, क्या आपकी हिम्मत है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाने की? अगर राजस्थान से आप भ्रष्टाचार खतम करना चाहते हैं तो आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत करें और उनको वहां से हटायें। उनको तुरन्त सस्पेंड किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन करता हूं कि आप भ्रष्टाचार को मिटाने में पहल करें। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय विधि मंत्री।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो डिमाण्ड है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्रावधान रखा है वह हिन्दी टंकणों के लिए रखा गया है। दो-तीन लीडिंग कम्पनीज हैं जैसे रेमिंग्टन, हालडा और दूसरी कम्पनियां तो उनसे सम्पर्क स्थापित किया गया है। 600 टंकणों की मांग है, उसमें हम ज्यादातर हिन्दी के टंकण प्राप्त कर रहे हैं। कुछ प्रस्ताव अंग्रेजी टंकणों के भी आ रहे हैं।

यहां मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं। लेकिन माननीय विश्नोई साहब ने मेरे विधि विभाग में कुछ नियुक्तियों के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा, माननीय उपाध्यक्ष, कि हाईकोर्ट और दूसरे सेशन्स जजेज हैं, उनकी रिकमन्डेशन्स के विरुद्ध नियुक्तियां की गई हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सारी फाइलें मौजूद हैं वह स्वयं आकर देख लें कि एक भी व्यक्ति की नियुक्ति जो धारा 24 सी. आर. पी. सी., जिसके अन्दर यह आवश्यक है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों मिलकर 6-7 आदमियों की पैनल भेजेंगे, उसके बाहर नहीं किया गया। यह बात दूसरी है....

**श्री मथुरादास माथुर** : एक उदाहरण पूछ लूं आपकी इजाजत हो तो? कन्हैया लाल ए. पी. पी. का सेशन्स कोर्ट ने दिया है वह नाम आ गया क्या?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : नाम जानना चाहते हैं।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : एक गंगानगर के रामस्वरूप जी एडवोकेट का नाम डिस्ट्रिक्ट जज के पैनल में सर्वप्रथम था वह आपने खत्म कर दिया और किस ने रिकार्ड किया है। आपने दुबारा पैनल मांगे और आपने आपकी जाति के दूसरे आदमी को मुकर्रर किया ? क्या यह सत्य है ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आप स्पेसिफिक मामला बता रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों फाइलें मंगा दूंगा। आप देख लें। मैं आपको विश्वास में लेकर चलने के नाते....

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : पी.पी. नियुक्त किये हैं किंतु जिनके नाम सेशन्स जज ने रिकमण्ड किये हैं उनका न कर आपा-धापी की है। पोपाबाई का राज है कि आपने अपने लोग बैठा रहे हैं। पहले इन्होंने बैठाये हैं और अब आप बैठा रहे हैं जिनका 323 के केस में भी किसी कोर्ट में कोई वकालतनामा नहीं है।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : यह हो सकता है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : जो भी पैनल है, उसमें फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड को न लेकर लास्ट को लिया है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : यह राज्य सरकार की अन्त्योदय योजना के अनुसार है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मुझे अफसोस है, ऐसे आदमी को नियुक्त किया है कि जो हनुमानगढ़ में नेकर पहनकर घूमता है। जो कभी दफ्तर में नहीं जाता है। मैं चैलेंज करता हूं।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि छह सात का पैनल है। दो और तीन को न लेकर अन्त को लिया है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : यह बिल्कुल पार्टीबाजी के आधार पर हो रहा है।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : इसके सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इस प्रकार की नियुक्तियां न्यायोचित होनी चाहिए।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : सरकार ने जो भी नियुक्तियां की हैं, सरकारी इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिए की हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता नहीं है। उनकी हैसियत तो जाकर देखें।

(व्यवधान)

**श्री सूर्य नारायण चौधरी** : यह तरीका ठीक नहीं है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : क्या तरीका मिलेगा ? यह कोई पोपाबाई का राज है ?

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : ग्राप किस तरह बोल रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सूर्यनारायण जी चौधरी, पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यह पोपाबाई का राज है। पोपाबाई का राज कह कर उन्होंने सम्पूर्ण नारी जाति का ग्रपमान किया है I Object to it, Sir. यह गलत है, इसको निकाला जाये। क्या नारी जाति ने प्रशासन प्रशंसनीय नहीं किया है ? क्या कमी ग्रौर ग्रव्यवस्था नारी के प्रशासन में रही है ?

**एक माननीय सदस्य** : इसको निकाला जाये।

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यह सम्पूर्ण नारी जाति के लिए बड़े ग्रपमान की बात कही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इसको हंसी में नहीं उड़ाया जाये।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : यह बात सही है कि पहले पोपाबाई का राज था। ग्रब वह पोपाबाई का राज हट चुका है।

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : इन्दिरा गांधी का राज था, वह पोपाबाई का राज था। वह ग्रब हट गया है। माननीन सदस्य का कहना ठीक है।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : ग्राप ग्रभी से डुबा रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : इन्दिरा जी ने राज किया था। ग्राप तो रो रहे हो।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्या, ग्रापने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। कुछ कामन बातें ऐसी होती हैं कि जिनकी चर्चा भी होती है। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसे व्यवस्था का प्रश्न कहा जाये।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : समस्त नारी जाति का ग्रपमान किया है। कोई मुकाबला नहीं किया है।

**श्री निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : माननीय सदस्या, क्या ग्राप पोपाबाई का विरोध करती हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा** : इसका भावार्थ तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह होगा कि ग्रंधेर नगरी, चौपट राजा।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : वह शासन चला गया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : ग्रन्धेर नगरी चौपट राजा। टके सेर भाजी टके सेर खाजा।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : वाह, वाह।

**श्री परसराम मदेरणा** : I am in possession of the floor of the House.

इसका मतलब यह है कि पैनल पर नाम एक नम्बर पर है उसको सलेक्ट न करके अन्त का जो है उसकी बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ ? भूतपूर्व न्याय मन्त्री जी आपने चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या बाकी रहा है ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आप सुन तो लें।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : जज ने कहा है, यह इस काबिल ही नहीं है।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट जज से पैनल मांगा गया। वह मैरिट पर नहीं रखे गये सिर्फ नाम रखे गये। एक, दो, तीन इस प्रकार से।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उनको आपने जोड़ा है।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : बिल्कुल नहीं जोड़ा है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मैं चैलेंज करता हूं। रामगोपाल एडवोकेट का पहली कोर्ट में नाम था, उसको दूसरी कोर्ट में भेजा गया।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उससे क्या फर्क पड़ता है ?

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : क्यों नहीं पड़ता है ? फर्क पड़ता है ?

(व्यवधान)

फर्क यह पड़ा है कि जिसका पहली कोर्ट में नम्बर आया, उस कोर्ट ने ही कह दिया कि यह निकम्मा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्योपत जी, बिराजिये।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : वह बिल्कुल निकम्मा है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड नाम हुए हैं। इस प्रकार नहीं हैं तो फिर पैनल क्या हुआ ? इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। सातवां नाम भेजने का मतलब ही यह था।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : हमने खोटे आदमी को नहीं कहा है। भले आदमी के लिए कहूंगा। उसका प्रोटेक्ट करूंगा। आप तो खोटे आदमी को भेजते है।

(व्यवधान)

**श्री ईश्वरचन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो नाम पहले है, वही लिया जाये।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : पैसे के बल पर यह होता है।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामनारायणजी, बिराजिये।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : फिर झूठ बोलते हैं।

(व्यवधान)

**श्री मथुरादास माथुर** : माननीय मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं। सुनने की बात अलग है। एक भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर बोलते हैं। उनके समय में की हुई नियुक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया है। जो कुछ कहा है, अच्छे लोग थे, उनको ही लिया है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप हाउस की एक कमेटी बना दें। उसमें मेजोरिटी आप जनता पार्टी को रखिये और बैठ कर उसके बारे में चर्चा कर लें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तरीका है और राजस्थान सरकार के नियम निकले हुए हैं। जो आदमी कभी हाई कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के लिए भी अपियर नहीं हुए है उनको हाई कोर्ट में एडवोकेट बनाया। वह वहां पैरवी नहीं कर सकते हैं। सरकार के मुकदमे खारिज होते हैं। जनता का रुपया इस प्रकार से बरबाद होता है। अगर आप अपने पाइन्ट पर इतने मजबूत हैं तो मैं भी फैक्ट की बात कहता हूं। उस कमेटी के आप चेयरमैन बन जायं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : इनको मत बनाइये।

**श्री मथुरादास माथुर** : हम सेकिण्ड, थर्ड नाम नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने एक दिन भी हाई कोर्ट में एपियरेंस नहीं किया है। उनको आपने डिप्टी एडवोकेट बना रखा है। एडवोकेट जनरल एक पोलिटिकल पोस्ट है उस पर मर्जी हो उसको करें। बाकी पोस्ट पोलिटिकल नहीं हैं। इसके लिए रूल्स हैं।

आप हाउस की कमेटी बना दें। इस तरह से सदन में हल्ला-गुल्ला होने से कोई फैसला नहीं हो सकता। कमेटी ने कहा है कि इन-इन लोगों के अपाइन्टमेंट होने की वजह से हुआ है, कोई तो आर, एस. एस. के मेम्बर हैं और

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : मैं माननीय माथुर साहब से कहना चाहता हूं आपके जमाने में भी ऐसा ही हुआ था।

(व्यवधान)

**श्री मथुरादास माथुर** : हमारे जमाने में तो बहुत कुछ हुआ होगा।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : कानून के जानने वालों को तो लगाओ।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : अच्छे लोगों को लगाओ भले ही आपकी पार्टी के हों।

(व्यवधान)

**श्री निर्मलकुमार सकलेचा** : कांग्रेस की सरकार चली गई, कांग्रेस के समर्थक आज भी नहीं चाहते कि उनको।

(व्यवधान)

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : मैं माननीय माथुर साहब को दावत देता हूं कि वह पहले देख लें और आवश्यकता समझें तो कहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर** : मैंने देखा है, तब ही बोल रहा हूं।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : वे भी जितने आप जिम्मेदार हैं उतने ही हैं।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मैं साबित करूंगा आपकी बेईमानी को····

(व्यवधान)

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। मैंने आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए भरसक कोशिश की है लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजेज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल में नाम नहीं भेजा।

(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल ऐरन** : मैं माननीय माथुर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने अजमेर में माणकचन्द जैन को लगाया। सैल्स टैक्स के वकील थे, 323 का कभी मुकदमा नहीं लिया, सी आर. पी. सी. की एक धारा को नहीं जानते, किस आधार पर आपने लगाया ?

**श्री मथुरादास माथुर** : ये मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया।

(व्यवधान)

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : ये तो डूब रहे हैं, तुम भी डूबना चाहते हो ?

**श्री मथुरादास माथुर** : हाई कोर्ट में रिट पेश हुई है, आर्गूमेन्ट्स हो चुके हैं, मैं इसलिए चुप रहा था। जस्टिस गुमानमल लोढा के सामने पी. डी. के अपाइन्टमेन्ट को लेकर फैसला रिजर्व है, इसलिए चुप था। इस तरह चोरी और सीना जोरी करो और कहो कि जो कुछ किया ठीक किया····

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 3 का जो मोशन मूव किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड** : मैं एक क्वेशचन पूछना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय खेतसिंह जी, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप नियमों में प्रावधान बता दीजिये। आपने चर्चा में भाग नहीं लिया और न आपका कोई कटौती प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : मेरे से वैसे ही पूछ लेना, मैं बता दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड** : आपने जो अपाइन्टमेन्ट्स किए हैं उनके लिए रूल्स बने हुए हैं। उनमें यह है कि····

(व्यवधान)

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : माननीय खेतसिंहजी, आप मजबूर नहीं करें वरना सब कुछ कह दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री रघुनन्दन व्यास** : जो नियमों में विश्वास नहीं करते उनको क्या उत्तर दिया जाय ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय खेतसिंहजी, मैं जानकारी देना चाहूंगा, एप्रोप्रिएशन बिल पर किसी भी स्टेज पर किसी भी डिस्किशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।

(व्यवधान)

**श्री मथुरादास माथुर** : डिबेट हुई हो तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं....

**श्री रामनारायण चौधरी** : आपको रेस्ट्रिकशन लगाने का अधिकार है मान्यवर, लेकिन

(व्यवधान)

**श्री बिरदमल सिंघवी (विधि मन्त्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने न्याय प्रशासन के विषय में जो चिन्ताएं व्यक्त की हैं, न्याय की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से उनकी चिन्ता करना स्वाभाविक भी है क्योंकि हर कोई सस्ता और आसान न्याय पाने की अपेक्षा करता है। इस विषय में चिन्ता व्यक्त की गई, वेतनमान के विषय में कहा गया, मैं स्वयं मानता हूं। अब जो पे-कमीशन बिठाया गया है वह इन सारी बातों का निर्धारण करेगा। आर. जे. एस. और आर. एच. जे. एस, आर. पी. एस. वगैरह का

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : वह जजों के लिए भी होगा क्या ?

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आप बैठिये।

**श्री बिरदमल सिंघवी** : सर्विस ट्रिब्यूनल में कर्मचारी लोग अपील कर सकते हैं। 76 में कांग्रेस राज में इसका गठन हुआ था इसलिए कि सर्विस के मामले जल्दी से निपटा दिये जायं। उसके विषय में कहना चाहता हूं कि जो पैनल में लॉयर थे वे पूरा समय नहीं दे पाते थे और उनको प्रेक्टिस भी अलाउ थी। अब हमने होल टाइमर रखने पर विचार किया है। राज्य सरकार ने लीगल असिस्टेन्ट लगाया, एक स्टेनोग्राफर लगाया है। इससे सर्विस के लोगों को न्याय में आसानी होगी। केसेज जल्दी निपट रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : अच्छे वकील नहीं आ सकेंगे। आपने गलत तरीका अख्तियार किया है।

(व्यवधान)

**श्री खेतसिंह राठौड़** : गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स के बारे में कहिए।

**श्री ईश्वरचन्द्र** : कभी सर्विस ट्रिब्यूनल के काम को भी करवाया है ?

(व्यवधान)

**श्री श्योपसिंह मकासर** : जो कभी अदालत में नहीं गए, 323 के मुकदमे नहीं लिए

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : परामर्शदाता किसे मुकर्रर किया जायगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा और उसको क्या वेतन मिलेगा ? मैं समझता हूं, अच्छा वकील जो महीने में 5 हजार रुपया कमाता है, वह इस काम में नहीं आएगा । आपका क्राइटेरिया क्या है ? बतायें

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मुखबन्द का समय हो चुका है, मैं मांगों के सम्बन्ध में सदन की सहमति लूंगा ।

**श्री परसराम मदेरणा** : क्या समय निर्धारित किया गया है ?

**मांग संख्या 3, 6, 36 का पारण**

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले से ही कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया था, एक्सटेंड नहीं हुआ है । अब मुखबन्द का प्रयोग हो रहा है ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,87,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 54,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,03,73,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण**

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या4 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

16,00,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 34,19,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मांग संख्या का नाम बताइए ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मांग संख्या पढ़ देना आवश्यक नहीं है ।

**श्री खेतसिंह राठौड** : हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि आप हमारा इस तरह से मूड बिगाड़ रहे हैं । जिस तरह से आप बोल रहे हैं, वह आपत्तिजनक है ।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कोई भी माननीय सदस्य पाइंट आफ आर्डर उठा सकता है ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह राजस्थान विधान सभा है, आप हैडमास्टर की तरह हम को डांट रहे हैं । आप डिप्टी स्पीकर हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं न हेड मास्टर हूं न बनना चाहता हूं ।

**श्री मथुरादास माथुर** : आप मांग संख्या के साथ मुख्य शीर्षक तो बोलें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या आप बता सकते हैं कि मांग के बारे में इतना ही कहना काफी नहीं है ? खेतसिंह जी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इतनी मांगों को कौन याद रख सकता है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाएं तो मैं अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

**व्यवस्था का प्रश्न मांग पर सदन का विनिश्चय प्राप्त करने की प्रकिया**

**श्री मूलचन्द डागा** : रूल 283 है :—

Question for decision :

"A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question **put by** the Speaker on a motion made by a member."

आप अगर इस मोशन को सदन के सामने रख रहे हैं तो उक्त नियम के तहत पूरा मोशन रखना होगा । 283 व 284 अगर देखेंगे ;

"When a motion has been made, the Speaker shall propose the question for consideration, and put it for the decision of the House. If a motion embodies two or more separate propositions, those propositions may be proposed by the Speaker as separate questions.

(श्री मूलचन्द डागा)

तो कहना पड़ेगा कि मांग संख्या यह है।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : यह सप्लीमेंट्री मांग है क्वेशचन नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा** : अरे, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

हर एक प्रपोजल मोशन है। पूरा पढ़िए।

**श्री शंकर लाल** (जेतारण) : डागाजी ने जिन नियमों का हवाला दिया है, उसके अतिरिक्त जहां नियम स्पष्ट नहीं होते हैं या अंकित नहीं होते हैं, वहां सदन की परम्परायें नियमों का रूप लेती हैं। आज इस सदन में 20 साल से हम बैठते आये हैं, जब भी पूरक मांगें आईं या कभी भी आसन की तरफ से मांगें पारित कराई गई हैं तो पूरा नाम लिया गया है मांग संख्या फलां सहकारिता, मांग संख्या फलां जिला प्रशासक। 1957 से लेकर सदन की कार्यवाही देख लीजिए। तो आसन को मांग संख्या का नाम लेना बहुत जरूरी है। इसलिए नाम लें वरना यह बजट का मामला है। गलत परम्परा आपके द्वारा डाली जा रही है वह ठीक नहीं है। इसलिए सही बात हो, परम्परा के अनुकूल हो उसको आप स्वीकार करें। मांग संख्या का हैड बोलने में क्या दिक्कत है? वरना इस किताब में भी केवल मांग संख्या ही लिख देते। आज तक ऐसा होता आया है। दुबारा मांग संख्या रखें, नाम लेकर पारित करायें।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : इन मांगों को हमने पिछले मार्च में स्वीकार किया था। तो यह जरूरी नहीं है कि मार्च में जो मांग सामने आई वह अभी याद हो और समझ में आए, जैसे सहकारिता है, पशुपालन है। मांग संख्या इतनी, मुख्य शीर्षक दोनों पर जब तक सदन में हमसे अनुमति नहीं लेंगे तब तक जो कार्यवाही आप कर रहे हैं वह गलत हो रही है। उधर के माननीय सदस्य अपने विवेक को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनका विवेक क्लोज्ड है....

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : बिराजिए नियम पढ़ लीजिए।

**श्री मूलचन्द डागा** : सरकार ने मोशन रखा और मांग रखी, हमने प्रपोजल्स दिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : डागाजी, मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा अगर खेतसिंहजी को, इस मामले में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। मैंने केवल यही कहा था कि किसी प्रश्न को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाइए। इसका रेलेवेंट रूल 151 है कि पूरक मांग किस तरह से प्रस्तुत की जाती है। उसमें दिया हुआ है....

151. "Supplementary, additional excess and exceptional grants and votes of credit. Supplementary, additional, excess and exceptional grants and votes of credit shall be regulated by the same procredure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptation, whether by way of modification, addition

(श्री उपाध्यक्ष)

> or omission as the speaker may deem to be necessary or expedient.

जिस तरह से जनरल ग्रान्ट पास की जाती है उसी तरह से सप्लीमेंट्री ग्रान्ट भी पास होनी चाहिए और उसी तरह से प्रस्तुत होनी चाहिए। इसी प्रकार की ग्रान्ट जनरल और सप्लीमेंट्री ग्रान्ट क्रम संख्या में आये उसका विवरण भी दिया जाता है। तो इसी तरह की परम्परा 151 की तरह निर्वहन होनी चाहिए लेकिन स्पीकर को डिस्क्रिशन भी दिया हुआ है। वह चाहे तो ओमीशन भी कर सकता है। मैं इस मामले में बताना चाहूंगा कि इसमें स्पीकर को डिस्क्रिशन दिया हुआ है

> "addition or omission as the speaker may deem to be necessary or expedient."

तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा। आज की मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं मैं चाहूंगा कि क्रम संख्या के अलावा उसका विवरण भी नहीं दिया हुआ है जिसको ओमीशन माना जाये। इसकी मैं स्वीकृति देता हूं।

**अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पराण**

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,64,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,54,86,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,19,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या 12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,32,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,35,28,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,88,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,02,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,57,95,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)
को 3,38,05,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,81,98,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,22,81,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,32,15,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,07,34,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 64,21,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,31,64,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,72,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,02,20,000 रुपये की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 के सम्बन्ध में 31 मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)
1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,17,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,81,64,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 96,57,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,01,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,29,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को 22,16,27,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 43,76,54,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,10,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,69,50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,01,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,00,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय वित्त मंत्री महोदय।

**सदन की कार्यवाही**
**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही का समय कार्यसूची में समाविष्ट कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि जब तक कि कार्यसूची की कार्यवाही पूरी न हो जाये, सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्यसूची में समाविष्ट कार्यवाही पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

**अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण**

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स सत्ता पक्ष वालों को यह तो बता दें कितने करोड़ रुपये की मांगों पर हां करवा रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय, रामनारायण जी, विराजें आप....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य विराजें। माननीय वर्मा जी, विराजें। माननीय रामनारायण जी, विराजें।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत की गई हैं। मांगें किस विभाग की हैं, उस विभाग का कौन सा मुख्य शीर्षक है वह सब आना चाहिए। मुख्य शीर्षक नहीं होता है तो सदन अंधकार में रहता है ..

**श्री कौशल किशोर जैन** : हम कितने बुद्धिमान है ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** : आसन की व्यवस्था की आप आलोचना करते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : मुझे याद नहीं पड़ता ऐसा पहले कभी हुआ कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स में विभाग का नाम लिखा नहीं, उसके बिना पास की जा रही है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : 151 को आपने जिस तरीके से पढ़ा है और पारित करवाया है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : आप सरकारी पक्ष को प्रोटेक्शन देते हैं। यह पक्षपात कब तक चलेगा ? आपको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिये। मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स से इतना तो एलान करवा दीजिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, विराजें। वित्त मंत्री महोदय।

**विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन**
**राजस्थान विनियोग (संख्या-1)**
**विधेयक 1979**

**श्री आदित्येन्द्र (श्री वित्त मन्त्री)** : मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : सुनाई नहीं दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : दुबारा और माननीय सदस्यों को साफ कर दें।

**श्री आदित्येन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री मूलचन्द डागा** : कितना रुपया आपको और चाहिए ?

**श्री आदित्येन्द्र** : मैं विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय माथुर साहब, इस स्टेज पर बोलना चाहेंगे ?

**विधेयक पर विचार**

**श्री आदित्येन्द्र** : मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1979 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैंने नियम 154 की उपधारा (2) के तहत अनुमति के लिए निवेदन किया है....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपका नाम भी पुकारूंगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने 154 के तहत लिख कर दिया है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष जी, मेरी चिट भी आई हुई है।

**श्री मथुरा दास माथुर (डीडवाना)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने 130 करोड़ रुपया राजस्थान के कन्सोलीडेटेड फण्ड में से स्वीकृति हेतु विधेयक पेश किया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में 130 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लेकर आज तक कोई कभी आया ?

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जब हम बजट बनाते हैं, बजट पेश करते हैं, और आपने पिछला बजट 78-79 का मार्च में जब पेश किया था उस वक्त आपने सब परिस्थितियों को देख कर इस सदन से अपना बजट पारित करवाया था। उसके बाद में

(श्री मथुरादास माथुर)

मान सकता हूं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, दौराने साल में कुछ खर्च ऐसे करने पड़ते हैं जिसका पहले आपको अन्दाजा न हो तो मैं समझ सकता हूं सप्लीमेंट्री के लिए आप सदन में आयें। जब आप बजट पेश करते हैं, 5 पर्सेंट कमी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है मगर इस तरह की बहुत बड़ी मांग को लेकर आप सदन में आये इससे साफ जाहिर होता है कि आपने जो बजट बनाया उसमें आपका एस्टीमेट बहुत गलत निकला।

वित्त मंत्री जी, आज तो मैं विरोधी मामले उठाने की कोशिश नहीं करूँगा। 30 तारीख के दिन मेन बजट 1979-80 का जो आपने पेश किया है, उसका बिल आयेगा तब मैं राज्य सरकार की वित्तीय नीति, राज्य सरकार की खामियों पर चर्चा करूंगा और राज्य सरकार के फालतू खर्च पर सवाल उठाऊंगा। इस वक्त आज दो-चार मुद्दे ऐसे उठाना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो दौराने 1978-79 गुजरे हैं। मेरा पहला पाइन्ट, वित्त मंत्री जी, आपके विभाग से ही सम्बन्धित है और वह यह है कि आपके विभाग में किस तरह लोगों पर ज्यादती होती है ? हमारे यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, एक एसोसियेशन है, कुछ व्यापारी है जो फैल्ट का धन्धा करते हैं। जो वूलन फैल्ट का धंधा करते हैं। फैल्ट का मतलब कपड़ा नहीं है नमदा है और वह नमदा तो आपके विभाग ने माना है। वह वूलन क्लाथ में होने से भारत सरकार की एडीशनल एक्साइज ड्यूटी वसूल की गई और सैल्स टैक्स वसूल नहीं किया गया। बराबर भारत सरकार को एक्साइज ड्यूटी 11 पर्सेन्ट जो होती है, वे देते रहे। 1976 में, उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि फैल्ट फेबिक है इसलिए इस पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकती है और इस पर सैल्स टैक्स लगेगा। मैं समझता हूं 76 के बाद उस पर सैल्स टैक्स लग जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब फेब्रिक मान लिया तो सैल्स टैक्स लगना ही चाहिये।

अब भारत सरकार ने अपनी एडीशनल एक्साइज ड्यूटी को बन्द कर दी और आपने सैल्स टैक्स लेना शुरू कर दिया। 76 से 78 तक उन लोगों ने भारत सरकार को 11 पर्सेन्ट एडीशनल एक्साइज ड्यूटी दे दी जिसका हिस्सा भी आप फाइनेन्स कमीशन के फार्मूले से लेते रहे हो।

अब आपके विभाग ने 68 से 76 तक सैल्स टैक्स की डिमान्ड बना कर हजारों रुपयों का नोटिस दे दिया है कि 31 मार्च तक जमा करायें। वे आपके पास आये, आपने तरजीह दी लेकिन आपका विभाग बिल्कुल शान्त बैठा है। जब उन लोगों ने एडीशनल एक्साइज ड्यूटी दे दी जब तक वह फैल्ट था और जब अब सुप्रीम कोर्ट ने फेब्रिक मान लिया और उसके अनुसार सैल्स टैक्स दिया है तो अब किस प्रकार आप 68 से फैल्ट टैक्ट और फेब्रिक टैक्स दोनों वसूल करना चाहते हैं ?

एडीशनल एक्साइज ड्यूटी रिफन्ड नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

हो सकती है जिसका हिस्सा आपने ले लिया है। अब उनको नोटिस दिया जा रहा है कि तुम 8 साल का पुराना सैल्स टैक्स का पैसा दो। आप गौर कीजिये इससे व्यापारियों पर कितना बोझ पड़ रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों में भी इस प्रकार की एक स्थिति बना रखी है कि जो इनके घेरे में आ जाता है, उसको तो छोड़ देते हैं और जो इनके घेरे में नहीं आता है उनको ये परेशान करते हैं—यह जिन्दा मिसाल है। आपके विभाग को देखना चाहिए कि जो व्यापारी एक प्रकार का टैक्स दे चुका है उससे दुबारा आप किस प्रकार वसूल कर रहे हैं?

वह रिट्रास्पेक्टिव डेट से 10 पर्सेन्ट सैल्स टैक्स दे सकता है बशर्ते एक पर्सेंट रिफन्ड करना पड़ेगा और जो अब तक राशि दे चुके हैं वह एडजस्ट करनी पड़ेगी। वे यही चाहते हैं कि सैल्स टैक्स लिया जाय इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनकी तकलीफ को आप देखें। इस पर आपके यहां से कोई फैसला नहीं हो रहा है और नोटिस देकर उनको परेशान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैंने एक दफा यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पे स्केल लागू करने के लिए कहा था। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था, वह प्रश्न मैंने यहां सदन में उठाया था। करीब 8-9 महीने पहले का यह प्रश्न है। उस वक्त हमारे यहां के कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा था, यूनिवर्सिटी के 250 लेक्चरर्स हैं और वे 250 लेक्चरर्स यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पे स्केल के हकदार हैं। राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को लिख कर पूछ लिया, आई० सी० ए० आर० को लिख कर पूछ लिया और दोनों ने कह दिया कि इनको यूनिवर्सिटी के पे स्केल मिलने चाहिए। मैंने सदन में जब यह सवाल रेज किया था था तब कहा था, हमारे भूतपूर्व एग्रीकल्चर ने मिनिस्टर ने जो यहां अभी नहीं हैं, मौजूदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां मौजूद हैं इसलिए, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, आप और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब दोनों ही उनको मेरा यह सन्देश पहुंचा दें कि जो आपने वायदा किया था और सदन में कहा था कि मैं सहमत हूं, मैंने मामला केबिनेट में भेज दिया है तो क्या आज तक 8 महीने से केबिनेट में ही पड़ा है?

अब 31 तारीख तक यह फैसला हो जाय। आपको यह भी मालूम है कि यू० जी० सी० 1979 तक ही मदद देगा, इसके बाद नहीं देगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबको मिल चुका है, रीडर को मिल चुका है, प्रोफेसर्स को मिल चुका है और दूसरी फैकल्टीज वालों को भी मिल चुका है लेकिन इन 250 लेक्चरार्स को नहीं दे रहे हैं जो पी-एच० डी०, एम-एस० सी हैं। उस समय भी बहुत लम्बी चर्चा हुई थी। उदयपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर आज इनका ग्रेड केवल 300–600 का है और यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन आफिसर्स, जो इनके मातहत हैं, का ग्रेड 500-1000 का है। उपाध्यक्ष महोदय, उनके मातहतों को, उनके सबो-

(श्री मथुरादास माथुर)

डिनेट्स को तनख्वाह ज्यादा मिलती है और उनके ऊपर जो आफिसर्स हैं उनको उनने कम तनख्वाह मिलती यह तो एक बहुत बड़ी विडम्बना है। ज्यादाह तनख्वाह वालों की क्वालिफिकेशन बी० एस-सी० और कम तनख्वाह लेने वालों की क्वालिफिकेशन एम० एस-सी०। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो मैं मान सकता हूं। आप यह कह देते कि हम यू० जी० सी० के पे स्केल लागू नहीं करेंगे लेकिन आपने और दूसरी यूनिवर्सिटियों में तो कर दिया केवल इस उदयपुर यूनिवर्सिटी के जो 250 लेक्चरार्स हैं उनको ही नहीं दिया। एक्टेन्शन आफिसर्स जो उनके सबोर्डिनेट हैं उनको ज्यादा तनख्वाह मिले और उनकी ज्यादा ग्रेड हो और लेक्चरार्स की वही पुरानी ग्रेड हो, यह कुछ समझ में नहीं आता है। यू०जी० सी० के हिसाब से रिवाइज होकर आई है वह 700-1600 की ग्रेड है और वही उनको भी मिलनी चाहिए।

राज्य सरकार में अनियमितताएं हो जाती हैं, मैं इसको मानता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है लेकिन जब सदन के सामने रख दिया गया है, मिनिस्टर ने कमिटमेंट कर लिया है कि मैं एग्री करता हूं कि यू० जी०सी० ने जो कहा है वह मिलना चाहिए उसके बावजूद 8 महीनें में इसका कोई फैसला नहीं कर रहे हैं और वे लोग घूम रहे हैं। उनके असिस्टेन्ट को ज्यादा तनख्वाह देते हैं और उनको कम देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी का जो एल० डी० सी० है वह भी 350-550 की ग्रेड में है और ये 300-600 की ग्रेड में है तो इनकी हालत एक एल० डी० सी० से भी बदतर कर रखी है। अब क्या आप लेक्चरार्स से आशा करते हैं कि वे लड़कों को अच्छी पढ़ाई करवायेंगे? आज जो युनिवर्सिटी की हालत बिगड़ी है उसका एक कारण राज्य सरकार भी है। सबोर्डिनेट को ज्यादा तनख्वाह मिले और उनके आफिसर्स को कम मिले, यही कारण हो जाते हैं कि वे हड़ताल पर जाते हैं, घेराव करते हैं, दंगा-फसाद करते हैं और अनेक तरह की कार्यवाहियां करते हैं। फिर उनकी इन्क्वायरी होती है और इन्क्वायरी रिपोर्ट को आप शील्ड करते हैं। शील्ड करके रिपोर्ट को आप शाया कर देते हैं और फिर यह कहा जाता है कि यूनिर्वसिटी के लड़के यूनिर्वसिटी के लेक्चरार गड़बड़ करना चाहते हैं। इसमें कुछ उनकी जवाबदारी है तो कुछ हमारी भी जवाबदारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी से और शिक्षा मंत्रीजी से, वे यहां पर नहीं है, वे जहां कहीं पर भी हों, मेरी आवाज उन तक पहुंचा दी जाय। मौजूदा कृषि मन्त्री जी उस वक्त वहां पर गए थे। उन लड़कों से बातचीत करने के लिए गए थे। उस वक्त आज के कृषि मन्त्री जी लड़कों के बीच में और लेक्चरार के बीच में बिचौलिये का काम कर रहे थे। इधर-उधर उनके डेपुटेशन गए थे फिर उसके बाद भूख-हड़ताल हुई थी, आन्दोलन हुए थे, डेमानस्ट्रेशन हुए थे उस वक्त हमने भी इस आश्वासन पर, जो सदन में दिया गया था कि केबिनेट में तय हो जायेगा, रिकमण्ड करके भेजा था और भूख हड़ताल तुडवाई थी। उसमें मौजूदा कृषि मंत्रीजी शामिल थे। वे भी इसलिए आ गए थे कि कांग्रेस वाले और विरोधी

(श्री मथुरादास माथुर)

दल वाले इसका यश नहीं ले जाएं इसलिए वे भी वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको करवायेंगे। अब तो आप खुदगद्दी नशीन हैं, खुद आ गए हैं मिनिस्टर के पद पर, खुद का फैसला करवाया हुआ है........

**श्री शिवनारायण** : आप कौन से कट-मोशन पर बोल रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय माथुर साहब, मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। आपने जो स्लिप मेरे पास भेजी थी उसमें किस सम्बन्ध में आप बोलेंगे इस बारे में उल्लेख नहीं था। नियमों के अनुसार आप किन-किन विषयों पर बोलेंगे यह इण्डीकेट कर देते तो मैं भी शायद रेस्ट्रिक्ट कर सकता।

**श्री मथुरादास माथुर** : नियमों के अनुसार ही बोल रहा हूं। जो मांगें आपने रखी हैं उसमें कृषि विभाग की भी मांग है, इसकी मांग हैं। मांगें पारित होने पर थर्ड रीडिंग में हम उन पर बोल सकते हैं। यह जो डिमांड्स आपने वोट कराई है, कृषि की भी डिमाण्ड उसमें शामिल है इसीलिए बोल रहा हूं। मैं इन डिमाण्ड्स के बाहर नहीं जाऊंगा। यह जवाबदारी मैं भी समझता हूं। मैं इस वक्त फाइनेंशियल मेटर्स रेज नहीं कर रहा हूं लेकिन जो मुद्दे उठा रहा हूं वे 1978-79 के बजट से ही सम्बन्धित है। मैं इतनी क्षमता रखता हूं समझने की कि मुझे किन पर बोलना चाहिए। उसी आधार पर बोल रहा हूं। मैं जो निवेदन कर रहा हूं आप उस पर ध्यान दें, वित्त मन्त्री जी, और मेरी बात कृषि मंत्रीजी तक पहुंचा दें।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और वह है लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। यह डिमाण्ड उस दिन डिस्कशन पर नहीं आ सकी थी इसलिए अभी मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई मन्त्री जी और कैलाशजी, दोनों ही यहां पर नहीं हैं फिर भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर लिफ्ट इरिगेशन की बात थी। चीफ मिनिस्टर ने भी लिफ्ट इरिगेशन के बारे में बात की थी। मगर इस सदन के अन्दर मुझे यह कहा गया था, चीफ मिनिस्टर के कमरे में मीटिंग हुई उस मीटिंग में लिफ्ट इरिगेशन नागौर की, कोलायत की और चूरू की, इन तीन चार जगहों पर लिफ्ट इरिगेशन की बात चली थी। आपकी मीटिंग में ड्रिंकिंग वाटर के लिए लिफ्ट लायेंगे यह कहा गया था। मैं कहना चाहता हूं, आपकी छठी पंचवर्षीय योजना बन गई, उसमें इसका कोई समावेश नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना का एक साल चला गया, दूसरा साल जा रहा है लेकिन लिफ्ट इरिगेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है?

सदन में चर्चा होती है तो उसमें कोई जिक्र नहीं आता है। न इस साल के बजट में जिक्र है और न आगे आने वाले वर्षों के लिए कोई जिक्र है, न कोई टोकन प्रोवीजन ही किया है। इसके बाद में आपका क्या इरादा है? मैं यह जानना चाहता हूं। क्योंकि यह

(श्री मथुरादास माथुर)

डिमाण्ड डिस्कस नहीं हो पाई थी इसलिए मैं यह सवाल रेज कर रहा हूं। हमको जवाब दें कि इस बारे में ग्रापकी क्या नीति है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं........

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** बैठे-बैठे यह क्या हो रहा है। क्या कोई नाटक मण्डली चला रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी :** It is against the decorum of the House. यह कोई कांफ्रेंस चला रहे हैं। This is not the way.

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, चर्चा हो रही है, ग्रापको गंभीरता से सुनना चाहिए।

**श्री गुल मोहम्मद :** ये माननीय सदस्य ही बीच-बीच में टोकती हैं। इन्हीं की ग्रादत है।

(व्यवधान)

**श्री मथुरादास माथुर :** ग्रापकी कैसी ग्रादत है उससे भी हम वाकिफ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के ग्रन्दर अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं तो उसको सुनें।

**श्री रघुनन्दन व्यास :** ग्रापसे ग्राधी उम्र के लोग हैं सिवाय एक को छोड़ कर, जो बातें कर रहे हैं।

**श्री मथुरादास माथुर :** इस सदन में एक बिल ग्राया था ग्रौर उसमें प्रो-वाइस चांसलर की पोस्ट क्रियेट की गई उसकी बड़ी चर्चा हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई। हमने कल ही ग्रखबारों में पढ़ा कि सीनेट के ग्रन्दर बहस हुई है ग्रौर इस बात पर बहस हुई कि वाइस चांसलर ग्रौर प्रो-वाइस चांसलर की पे रेंज की जावे। पैसा तो राज्य सरकार देती है, वित्त मंत्री जी सप्लीमेंट्री ग्राण्ट से रुपया लें तो सदन में उनको कोसा जाता है कि टैक्स पर टैक्स लगाया जाता है। वहां पर सीनेट के ग्रन्दर फैसला करने के लिए मीटिंग बुलाई। वहां पर दो ग्रुप हैं जिससे बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं। उसमें यह प्रश्न ग्राया कि जो वाइस चांसलर हैं उनको 2500) रु० मिलते हैं, ग्रब वाइस चांसलर को 3500) रु० महीना दिया जावे। यह प्रस्ताव लेकर ग्राए। जो बजट रखा गया था ग्राफिशियली उसमें यह प्रपोजल लेकर ग्राए। वाइस चांसलर के दफ्तर से जो बजट रखा जाता है, उसमें यह प्रपोजल रखा गया कि वाइस चांसलर की तनख्वाह 3500) रु० कर दी जावे ग्रौर जो प्रो-वाइस चांसलर हैं, उनको नाराज कैसे किया जावे, वे कहीं नाराज न हो जावें इसलिए उनकी तनख्वाह भी तीन हजार कर दी जाए। दो हजार से तीन हजार कर दी जाय। इस तरह का यह प्रस्ताव ग्राता है यूनिवर्सिटी में जहां पर बारह महीने में से पांच महीने काम करते हैं। तीन महीने छुट्टी ग्रौर तीन महीने हड़तालें। यह ग्राज हालत है वहां की।

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं इस सवाल को इसलिए रेज कर रहा हूं, मेरी पूर्ण धारणा है और मैंने पहले भी बहुत कुछ कह दिया था, यूनिवर्सिटी के बारे में लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर आप इनको एकेडेमिक आटोनोमी दीजिए, आप इनको एग्जामिनेशन कण्ट्रोल करने की आटोनोमी दीजिए मगर फाइनेंशियल कण्ट्रोल सरकार के अपने पास में रखना चाहिए। सदन के अधीन रखना चाहिए। जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया वहां पर खर्च करते हैं, 5 करोड़ और 62 लाख रुपया इन यूनिवर्सिटीज को देते हैं। हर साल जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा वहां पर जाता है और उसके बदले में सिवाय स्ट्राइक्स के और आपसी गुटबाजी के, आपसी फजीतेबाजी के कुछ नहीं होता है। वाइस चांसलर बैठा-बैठा क्या करता है। रोम जलता रहा और नीरो बंशी बजाता रहा। बात करते हैं ढाई हजार से साढ़े तीन हजार करने की लेकिन मैं कहता हूं कि वाइस चांसलर की तनख्वाह बन्द होनी चाहिए। ऐसी सूरत में मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर कीजिए और फाइनेंशियल कण्ट्रोल यूनिवर्सिटीज से कैसे लिया जा सकता है; आप अपने वित्त विभाग और शिक्षा विभाग से विचार करके यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम लेकर आयें कि यह फाइनेंशियल कण्ट्रोल किस तरह से राज्य सरकार लागू कर सकती है? एक डिप्टी सैक्रेटरी या स्पेशल सैक्रेटरी जा करके उनकी कमेटी मीटिंग में बैठ जाय, कभी जाय और कभी नहीं जाय, इससे कोई कण्ट्रोल नहीं होता है। 5 करोड़ और 62 लाख पर ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं जिस पर कण्ट्रोल होना चाहिए, यह मैं आपसे मांग करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, one minute more. एक महत्वपूर्ण सवाल गैस के बारे में है, ताप्ती गैस राजस्थान को मिलनी चाहिए यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ताप्ती की जो गैस निकली है यह उसी से सम्बन्धित मामला है। इस गैस के अन्दर हिन्दुस्तान का सभी अवाम हकदार है और राजस्थान का भी हक है। मगर मोरारजी भाई गुजरात और बम्बई को ताप्ती गैस दे करके उसके बाद यह कहें कि राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है, राजस्थान को कोई गैस नहीं दी जावे यह सरकार के लिए और इस सदन के लिए चिन्ता का विषय है। हमारी इस गैस से आमदनी बढ़ने वाली है, हमारी स्टेट के अन्दर इस गैस के आधार पर कारखाने लगा सकते हैं जिनसे स्टेट की आमदनी बढ़ सकती है, स्टेट के रिसोर्जेज बढ़ सकते हैं। नान टैक्स रैवेन्यू बढ़ेगी। मगर आज के दिन हमने इस बारे में परवाह ही नहीं की।

मैंने बहुगुणा को खत लिखा, पूरे आंकड़े दिये कि इतनी गैस पैदा होगी, हम मांग करते हैं कि इसमें राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए। जब गैस गुजरात के आखिरी बोर्डर तक आएगी तो गुजरात से पचास-साठ मील आगे कर दें तो हमारे राजस्थान

(श्री मथुरादास माथुर)

के सांचौर के इलाके तक गैस पहुंच सकती है। पचास साठ माइल पाइप लाइन अगर बढ़ा देते हैं तो इसमें कौन सी मुश्किल है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पाइप लाइन को आगे बढ़ा कर राजस्थान को ताप्ती गैस का हिस्सा दिया जाय। मुझे उम्मीद है कि सरकार भी बड़ी पुरजोर कोशिश करेगी, मगर मुख्य मन्त्री जी को अपने हाथ सशक्त करने के लिए सदन के प्रस्ताव की जरूरत हो तो हम सदन में सभी दलों के लोग शामिल होकर प्रस्ताव पारित करने को तैयार हैं। किसी प्रकार से, मुख्य मन्त्री जी, डेपुटेशन ले जाने की जरूरत हो तो हम सभी सहयोग की गारण्टी देते हैं, हम सब तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। अगर शराबबन्दी के नाम पर भूख हड़ताल कर सकते हैं तो अच्छा होता कि इस मांग पर कि राजस्थान को ताप्ती की गैस का हिस्सा मिले, जिससे राजस्थान को करोड़ों की आमदनी हो सकती है, नान टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है। प्रदेश की काया-पलट हो जाएगी, नर्मदा जल और ताप्ती गैस से। इस राजस्थान को अरबों रुपयों की आमदनी हो सकती है। योजना मंत्री जी इस पर चिंतन करें और भूख हड़ताल भी करनी हो, तो इस बात पर करें तो हम समझ सकते हैं कि राजस्थान के आम अवाम के लिए, राजस्थान की तीन करोड़ जनता की भलाई के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम इसके लिए आंदोलन करें। अगर गुजरात और महाराष्ट्र हिन्दुस्तान के अंग हैं तो राजस्थान भी भारत का अंग है और राजस्थान को भी ताप्ती गैस का हिस्सा लेने का अधिकार है। यह मांग करनी चाहिए कि गैस का हिस्सा बराबर बांटा जाए। फिर हम तो इतने नजदीक हैं, गैस गुजरात तक आ रही है, पचास-साठ मील आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे यहां पर गैस पहुंच सकती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बारे में वे जो कुछ भी कदम उठायेंगे उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। मतभेद हमारे निपट लेंगे। मगर इस मामले में हम को कोई एजीटेशन चलाना पड़े तो चलाना चाहिए और भारत सरकार को मजबूर करना चाहिए कि हमारा हिस्सा भी हमको मिले। मुख्य मंत्री महोदय ने लिखा है। मेरे पत्र का जवाब यह आया है I acknowledge your letter. इसके आगे कुछ नहीं लिखा गया है इस पत्र में। मेरा अनुरोध है कि तुम्हारी पार्टी की ही केन्द्र में हकूमत है। हमारे मुख्य मन्त्री केन्द्रीय नेताओं में एक वरिष्ठ नेता हैं। इसलिए राजस्थान को फायदा पहुंचायें तो कम से कम ऐसे मौके पर इतिहास बनता है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं परन्तु राजस्थान में राजस्थान कैनाल बने, नर्बदा का पानी आए, ताप्ती गैस आये, गंग और भाखरा कैनाल हो तो हमारा भूगोल बदलेगा। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में सक्रिय कदम उठावे और जितना सहयोग वह विरोधी दल का लेना चाहे, वह सहयोग विरोधी दल देने को तैयार है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामनारायण चौधरी।

आप विचार तो अभिव्यक्त करें परन्तु मैं इसका टाइम निश्चित करना चाहता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, जिसने नोटिस पहले दिया है उसका नाम पहले आयेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी एक स्लिप पहुंची है उसमें आपका नाम नहीं है और न उस पर किसी के हस्ताक्षर हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने सबसे पहले दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें न तो माननीय सदस्य का नाम लिखा है और न हस्ताक्षर ही हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मैंने दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, दस मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्या होगा ? एक निर्दलीय विधायक को कब मौका मिलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामनारायण जी, इस चर्चा को जनरल डिबेट में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, आपके इस अनुशासित सदस्य का क्या होगा ?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, विराजिए। मुझे स्लिप मिल चुकी है।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने विनियोग (विधेयक) संख्या 1 1979 प्रस्तुत किया है, मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे रद्द कर दिया जाए। रद्द करने का, मान्यवर, कारण यह है कि इस विधेयक के द्वारा जितनी बड़ी धनराशि के विनियोजन का प्रस्ताव वित्त मंत्री महोदय ने किया है, वह सारा का सारा, मान्यवर, नान प्लान बजट का है, प्लान एक्सपेंडीचर का नहीं है। किसी भी सरकार को अपने प्रशासन पर, नौकरों के वेतन पर, उनकी सुख-सुविधा पर, मंत्रियों के ऐशो-आराम पर, मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ पर, उनको बढ़ाने पर, और दूसरी चीजों के ऊपर जनता के धन जो खर्च करने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, यह 131 करोड़ रुपये की धनराशि बचाई जानी चाहिये थी। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर माननीय माणकचन्द सुराणा, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री मास्टर आदित्येन्द्र साहब ईरान के शाह की खुशामद कर रहे थे, अब वे वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं और कभी कभी सऊदी अरब का नाम लेते हैं, कि 200 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल के लिए उनसे लेंगे, यह 131 करोड़ रुपया बचा कर यदि राजस्थान कैनाल में खर्च किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यह जो अतिरिक्त व्यय की मांग ली गई है यह राजस्थान के अन्दर कोई काम नहीं आने वाली है। इस एक एक पैसे को बचाया जाता, परन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया। इनमें न कोई कमिटमेंट है, न कोई डिवोशन है और न ही डेडीकेशन है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

ताज्जुब है कि ये दूसरे काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं ?

**श्री गुल मोहम्मद** : यह अक्ल का ठेका क्या आपने ही ले लिया है ?

**श्री मूलचन्द डागा** : यह तो है ही ?

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, यह 131 करोड़ रुपया खर्च न करके बचाया जाता....

**श्री रतनलाल वर्मा** : माननीय सदस्या ने फूंक मार दी और ये बोल गए।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह 131 करोड़ रुपया बचा कर राजस्थान कैनाल में, राजस्थान के इरिगेशन में, राजस्थान के इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर खर्च किया जाता तो आज राजस्थान की काया-पलट हो जाती। मैं माननीय वर्मा साहब से पूछना चाहता हूं कि आप स्वयं इसको देख लें, जो सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स आज आपने पास की है, उसको आप देख लीजिए और खड़े होकर कह दीजिए कि वे बिलकुल ठीक है तो मैं इससे आगे एक शब्द नहीं बोलूंगा।...

**श्री रतनलाल वर्मा** : आप जो कानून बना गए हैं, वही हम कर रहे है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : हमने कभी 130 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स नहीं रखी हैं।

**श्री रतनलाल वर्मा** : आपकी फूंक से रामनारायण जी बोल रहे हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : उपाध्यक्ष महोदय, 131 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के रूप में इस सदन में आज से पहले कभी स्वीकार नहीं हुए हैं। यह जनता पार्टी का ही शासन है, जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने सदन में इतना बड़ा सप्लीमेंट्री बजट ला कर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को बिना इसका कारण बताये कि किस-किस मद में यह खर्च किया गया है, सरकार ने उनको बिलकुल अन्धकार में रख कर उनसे यह पास करवाया है। मैं इस अवसर पर, मान्यवर, यह कहना चाहूंगा कि गांव में एक सेठ भी किसी अन्धे से अंगूठा लगवाता है तो वह भी बताता है कि इतना रुपया तेरे नाम लिखा है। परन्तु इस सरकार ने माननीय सदस्य जो सत्ता पक्ष में हैं, उनके दिमाग में यह झूठा भ्रम पैदा किया है और मुझे अफसोस है कि आपने इसको पास कर दिया। माननीय वर्मा साहब बहुत बुलन्द व्यक्ति हैं। इधर माननीय भाटी साहब है, वे अभी यहां पर नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या आप में यह हिम्मत नहीं हैं कि आप इस सरकार से पूछ सकें कि आप यह खर्चा अधिक कैसे कर रहे हैं ?....

**श्री रतनलाल वर्मा** : हमने अच्छी तरह से पढ़ कर, अध्ययन करके, सोच-समझ

(श्री रतनलाल वर्मा)

करके इसको पास किया है और आगे भी करेंगे। हम आपकी तरह निर्बुद्धि नहीं हैं। इसको पढ़ा नहीं........

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के अन्दर छोटी से छोटी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आतीं, हमारे सामने आतीं तो हम उसको आइडियल मॉडल कहते परन्तु जब हमसे 131 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की अनुमति ली जाती है तो इसको बजट ही कहा जाएगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं कहा जा सकता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बजट जिस समय तैयार किया गया उस वक्त आपका दिमाग बंद था और उस समय आपने हमारी बात को नहीं सुना, उस पर ध्यान नहीं दिया और आज उसका ही यह नतीजा है कि 131 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स आपको लेकर यहां पर आना पड़ा। आपकी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही ने ज्यादा खर्च किया है, अपने स्वयं के लिए यह खर्च किया है और इससे राजस्थान का कोई हित नहीं हुआ है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं विषय से थोड़ा डिपाचर्र होने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा। इस सदन में माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत जिस समय अपोजीशन में बैठते थे, उस समय वे जय समन्द झील का नाम ज्यादा लेते थे। मुख्य मन्त्री बनने के बाद जय समन्द झील के लिए उन्होंने कानसिंह आयोग बिठाया। मैं सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मत्स्य मन्त्री महोदय यहां पर मौजूद नहीं हैं, उस जय समन्द झील और राज समन्द झील मछली का ठेका आपने एक बोगस सहकारी समिति को 8 लाख 11 हजार रुपये में दिया है। मान्यवर, 8 लाख 11 हजार का मत्स्य उद्योग का ठेका दिया, दुनिया में कहीं भी यह सिस्टम नहीं, जब तक तीन टेंडर कम से कम प्राप्त नहीं हो जायं, तब तक टेंडर स्वीकृत नहीं होता, री-टेण्डर करवाये जाते हैं। लेकिन आपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सहकारी समिति के नाम से दे दिया, जो एक बेईमानी और धोखा है। आपको पता है मच्छी का भाव क्या है। जो 6 रु० किलो थी वह आज 18 रु० किलो बिक रही है और आने वाले वर्षों में 50 रुपये हो जायेगी।

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : आपने कितनी मछलियां पालीं ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करूंगा आप इस राज समन्द झील को देखें—

(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय सदस्य, बीच में टोक रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : मछलियों की कोई निश्चित कीमत नहीं, मान्यवर, मैं सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करूंगा....

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो मछलियां हैं हीं, लेकिन इनके मुकाबले में कोई मदारी नहीं हो सकता ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : मैं निवेदन करूंगा मन्त्री जी, से इस जय समन्द झील के ठेके में बदबू आती है जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा था इसमें मछलियों की गन्ध आती है। अब बदबू कहां गई ? उन्होंने बदबू को बन्द कर दिया या स्वयं बदबू हो गये । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर,

(व्यवधान)

ये कहते हैं हमने जुडिशियरी का सैपरेशन किया । इन्होंने जुडिशियरी का सत्यानाश कर दिया । मान्यवर, आपातकाल के दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिपोर्ट दी राष्ट्रपति को....

(व्यवधान)

किस प्रकार केन्द्र के विधि मन्त्री और मन्त्री महोदय ने फाइलें मांगी जो हाई कोर्ट में पेश हुई उसके आधार पर विधि मन्त्री जी फंस गए और उससे निकलने के लिए, स्वयं को साफ साबित करने के लिए जो गुमानमल लोढ़ा को हाई कोर्ट का जज बना दिया । आप लोगों को शर्म नहीं आती । राजस्थान को न्याय दे रहे हो। मान्यवर, बेडोल कर रहे हैं। पहले भूतपूर्व जज रे साहब की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार के व्यक्ति को वापस राजस्थान में नहीं भेजा जा सकता, उस व्यक्ति को आपने लाकर यहां पर चीफ जस्टिस बनाया और सारे हाई कोर्ट को आपने सीमित कर दिया एक कमरे में । गुमानमल लोढ़ा, की 10-20 हजार की इनकम थी उनके यहां से जाने के बाद हाई कोर्ट में फैसले करवाये । आप कहते हैं जुडिशियरी को आजाद किया, आपने जुडिशियरी को कैद किया । आज आप उन लोगों को प्रमोशन देकर चीफ जस्टिस बना रहे है, जो आपसे तय कर लेते हैं । जो अपने ईमान पर हैं, जो निष्ठा से कर्तव्य पालन कर रहे हैं उनको नहीं बना रहे हैं । बड़े आए जुडिशियरी को आजाद करने वाले । जुडिशियरी का सत्यानाश हो गया है जनता पार्टी के शासन में, प्रदेश में, तमाम शासन में। विधि मन्त्री जी, इसी प्रकार की एक और बात है, मैसूर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, जो यू० पी० में रहे, वहां किस प्रकार चीफ जस्टिस बने । दुनियां में कहीं ऐसा उदाहरण नजर नहीं आता ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामनारायण जी, कृपया चर्चा समाप्त करें ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : इस प्रकार के काम जुडिशियरी में आज तक नहीं हुए । माननीय पुरुषोत्तम मंत्री जी, मैं मानता हूं, उनमें लगन है, कुछ करने की तमन्ना है । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या इन लोगों के इशारों पर जो लोग आज सत्ता के खिलाफ हैं उनके केसेज तो आपने री-ओपन कर दिए लेकिन क्या आपने उन लोगों की जमीनों को देखा है जो आपको सत्ता में लाये हैं, आपकी हां में हां मिलाने के लिए राजस्थान के लैंड लोर्ड्स हैं, यहां के सामन्तशाह हैं उनकी जमीनों को क्या आपने देखा है ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रकाशसिंह बादल, पंजाब आपने उन पर क्या किया ? ऐसे ऐसे लोगों के नाम है, जो इन्सानों के नाम ही नहीं होते—टमाटरसिंह, आलूसिंह, फूलसिंह, बंटासिंह, इस प्रकार के पूरे के पूरे गांव प्रमाणित है, साढ़े बारह करोड़ की सारी जमीन....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान कैनाल को आपने डुबा दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामनारायण जी, कृपया अब आप बिराजें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : एक मिनट। राजस्थान कैनाल में आपने क्या किया ? मैंन कैनाल में सारे हरियाणा के लोग मिलेंगे। माननीय प्रधान मन्त्री जी मोरारजी देसाई ने मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा आप भूमि का अलाटमेंट....

(व्यवधान)

जन जाति के लोगों को ही अलाटमेंट न करें। प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्री जी को लिखा कि राजस्थान कैनाल की जमीन का आवंटन अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को ही न किया जाय बल्कि उन लोगों को भी किया जाय जो आज इस दृष्टि से सक्षम हैं। जो खेती कर सकते हैं ऐसे लोगों को आवंटन किया जाय। इससे स्पष्ट है, मान्यवर, उन लोगों को, जो साधन सम्पन्न हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया अब विराजें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक को रद्द किया जाय। यह बेकार है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रघुनन्दन व्यास।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रघुनन्दन व्यास।

**श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मुद्दों पर ही विचार के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय रामनारायणजी ने कहा कि वित विनियोग को हां पक्ष के लोगों ने बिना पढ़े ही पारित करने का प्रयत्न किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी एक-एक मांग को पढ़ा है और समझा है। दूसरा आरोप माननीय सदस्य का है कि 139 करोड़ की सप्लीमेंट्री मांग है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले वर्ष विकास में इतना काम हर क्षेत्र में लिया है उसके कारण से स्वभाविक रूप से खर्चा बढ़ा है, उस खर्च को सप्लीमेंट्री मांग के जरिये आपके सामने लाये हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** : विकास का कार्य कहां है यह तो बता दें।

(व्यवधान)

आप पार्टी के ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे हैं।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन कामों की ओर राज्य सरकार का और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिन मांगों पर डिस्कशन नहीं हुआ है उनमें एक टूरिज्म की मांग है, दूसरा मुझे कहना है ग्रामदानी ग्रामों की समस्या के बारे में, राजस्थान में गोचर और देवस्थान डिपार्टमेंट की समस्याओं के बारे में। मैं इन दो-तीन प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं जिला सिरोही से आता हूं। सिरोही जिले में ग्रामदानी गांव 15-20 हैं जिनमें 5-7 गांवों से मेरा सम्बन्ध है। उनमें से एक गांव माननीय गोकुलभाई भट्ट का जन्म-स्थान है। एक गांव को छोड़ दिया जाय तो सारे गांवों में छुआछूत कायम है, जागीरदारी प्रथा कायम है, बेगार कायम है। एक चौखर नाम का नया ग्रामदानी गांव बसा है वहां पर लोगों की पिटाई होती है। उनको कहा गया कि 20-20 वर्ष से उनके मुकदमे चल रहे हैं, उन पर जुर्माना हो गया, फिर भी रेगुलेराइज नहीं करेंगे। उन गांवों की ऐसी दुर्दशा है। मैं ग्रामदानी गांवों का विरोधी नहीं हूं। मैं उनके पक्ष में हूं। मैंने दादा धर्माधिकारी का पूरा साहित्य पढ़ा है। 15 वर्ष पूर्व आबू रोड में सम्मेलन हुआ था उसको मैंने अटेन्ड किया है। जहां सब में समानता हो, जहां सबमें जीवन हो, जहां सब में निर्भयता हो ऐसी ग्रामदानी पद्धति की आवश्यकता है। वहां पर जागीरी प्रथा जीवित है, तानाशाही जीवित है। लेकिन देखिये कि दूसरी ओर राज्य सरकार ने क्या किया? उन गांवों का विकास नहीं किया उनको नेग्लेक्ट किया उनकी उपेक्षा की। यह कांग्रेस के समय में हुआ, माननीय उपाध्यक्ष। दुर्भाग्यवश मैं कह सकता हूं कि जनता सरकार ने भी विद एक मोटिव, इस शब्द का प्रयोग करूं, उन गांवों को नेग्लेक्ट किया है। उनको न तो अन्त्योदय योजना के काम में रखा है और न फूड फार वर्क में रखा। न वहां सड़कों का काम हुआ है, न कोई विकास का काम हुआ। जमीन किसी की है और जोतता कोई है। मालिक खड़ा होता है और खेत जोतता है तो पिटाई होती है जूतों से। कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होती है। इस प्रकार की दुर्दशा है। तो मैं राज्य सरकार से, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ग्रामदानी गांवों का मूल्यांकन किया जाय। जो थीसिस है उसकी थीसिस के आधार पर हमने जिस प्रकार के समाजवादी समाज, समग्र-क्रान्ति की कल्पना के रूप में ग्रामदानी गांवों को प्रश्रय दिया है वह असफल हो रही है। उस पर हमारा चिन्तन होना चाहिए।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में राजाओं का राज्य जाने के बाद सारे मन्दिरों, जो राजाओं के मन्दिर थे, को देवस्थान के अन्दर लिया गया। सिरोही राज्य में एक ऐसा मन्दिर है जो आज दिन तक राजस्थान सरकार के देवस्थान बोर्ड में नहीं आया है। 30 वर्षों से उसमें घपले चल रहे हैं। आबू पर्वत पर बड़े-बड़े मन्दिर हैं उन बड़े-बड़े मन्दिरों में करोड़ों के घोटाले हैं। जमीनों का पता नहीं, भूमि का पता नहीं, पैसे का पता नहीं। उनकी दुर्गति हुई है। मेवाड़ में एकलिंगजी का मन्दिर है केसरियाजी का मन्दिर है आबू का विश्व-विख्यात देलवाड़ा का मन्दिर है अचलगढ़ का मन्दिर है उनकी करोड़ों की सम्पत्ति कहां जा रही है? उनकी देवस्थान बोर्ड में क्या स्थिति

है इस पर राजस्थान सरकार ने कभी सोचा नहीं । यह एक दूसरा प्रश्न है । जैसे राजाओं का राज्य ले लिया, इन्स्ट्रूमेंट आफ एक्सेशन के जरिये कार्यवाही की गई । माननीय उपाध्यक्ष, मैं कह दूं कि सिरोही के गांवों में जागीरी जमाने के पूर्व की स्थिति कायम है राजस्थान सरकार ने उस ओर देखा नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य तो यह है कि हमारी जनता पार्टी के वरिष्ट नेता जागीर रिजम्प्शन के पूर्व की स्थिति सिरोही जिले में मेन्टेन करना चाहते हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ओर राज्य सरकार विचार करे, सोचे और वहां पर जो नर्क तुल्य जीवन जीने वाले लोग हैं उनके बारे में पूर्ण रूप से विचार करे ।

दूसरा प्रश्न टूरिज्म का है । इस पर मैं कल बोलूंगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मूलचन्द डागा ।

**श्री मूलचन्द डागा** : श्रीमन्, मैं बहुत कम समय लूंगा । मेरे से पूर्व बोलने वाले नेता ने जनता पार्टी सरकार की तारीफ की थी । आप जो खर्चा बता रहे हैं वह कम खर्चा है । वह देखकर आप ताज्जुब करेंगे, उस खर्चे से मालूम होगा कि बड़ा खर्चा कहां कहां पर हो रहा है । राजस्थान में भोजन की व्यवस्था के लिए 90 हजार रुपये रखे हैं जो कि दिल्ली में है उसकी पूर्ति करनी है । जोधपुर हाउस के अन्दर हमारे मुख्य मन्त्री ज्यादा ठहरा करते हैं । उसके लिये 60 हजार की और मांग की है । कुल यह मांग की गई है 34,19,000 रु० की तो यह है प्लान्ड एक्सपेण्डीचर आपका । समय कम है । मैं बताना चाहता हूं कि 34 लाख रुपये केवल एशो-आराम की जिन्दगी बिताने के लिए मंत्री लोगों का खर्चा है । यह आपकी एडिशनल डिमाण्ड है ।

अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से खर्चा बढ़ाना चाहते हैं नौकरशाही पर । इस पर पहले 9 करोड़ दिये । 9 करोड़ के सिवाय अब कितना और देने के लिये लिखा है 3 करोड़ 12 लाख । यह नौकरशाही के बजट में 3 करोड़ 12 लाख रुपया ज्यादा दिया गया है कि राजस्थान के कर्मचारियों की ऋण की मांग की पूर्ति के लिए, 25 लाख मोटरें खरीदने के लिए । यह समाजवादी बजट है ? यह राम मनोहर लोहिया की आत्मा बोल रही है ?

**एक माननीय सदस्य** : 75-76 में कितना था ।

**श्री मूलचन्द डागा** : 25 लाख मोटरों के लिए और पहले आपने कहा कि एक करोड़ मकान बनाने के लिए ऋण । इस प्रकार उनके लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपया रखा है । इसकी सप्लीमेंट्री डिमाण्ड इन्होंने की है ।

मैं पर्यटन विभाग की डिमाण्ड पर बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग में कितना रुपया खर्च किया ? कोई दुःख की बात नहीं, इन्होंने श्रीमती गायत्री देवी को बना दिया कोर्पोरेशन का चैयरमैन । वहां पर कोई जन-प्रतिनिधि नहीं । दूसरे कोई 5-4 एम. एल. ए. हों—

**श्री रघुनन्दन व्यास** : She is the fittest lady for tourism.

(169)



**श्री मूलचन्द डागा** : वह फिटेस्ट लेडी बन गई। मैं कहता हूं कि कोई जन प्रतिनिधि है नहीं ? टूरिज्म का यह हाल है मंगलोर में पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्णय ने लिया गया था कि ट्रैवलिंग एजेन्ट्स की कान्फ्रेंस होगी एनुअल वह जयपुर में होगी, लेकिन वह काठमाण्डू में हुई। काठमाण्डू में डाइरेक्टर तो चले गये और गाड़ी अलग से गई है। यहां के चैयरमैन, वित्त मंत्री जी को मालूम नहीं होगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में कैसे पैसा बरबाद कर रहे हैं। पहले डाइरेक्टर चले गये काठमाण्डू और फिर यहां से उनकी मोटर अलग गई है। उन्होंने कहा कि काठमाण्डु बाद में गाड़ी लेकर आओ। यह हालत है। आपने कहा कि जैसलमेर में मेला लगाया है तो पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों की बीवियां घुस गई, गेस्ट बाहर रह गये और टूरिस्ट्स आये थे वह भी बाहर रह गये। सारे अखबारों में इसकी चर्चा हुई है। यह आपके टूरिज्म विभाग का हाल है। तो मैं बताना चाहता था कि टूरिज्म का बड़ा काम हुआ है, किस प्रकार का खर्चा टूरिज्म पर करते जा रहे हैं।

अब मैं आपको बताऊं कि सरकारी कर्मचारियों पर आप सहूलियतें देने में कितना खर्चा करते जायेंगे ? गरीबों को देने के लिए बम्बई में हमारे मुख्य मंत्री जी भीख मांगते हैं, मकान बनाने के लिए कर्जा दो। वह पूंजीपतियों से भीख मांगते हैं। एक तरफ कोई देखे कि इतना बड़ा बजट सप्लीमेंट्री बजट 28 तारीख को लेकर आये और कन्सोलिडेटेड फण्ड को दो दिन में खर्च कर देंगे। यह एक नई बात है।

अब मैं कहूं विधि विज्ञानशाला के बारे में। मैंने कहा था कि कितने मुकदमात पेंडिंग हैं इतना खर्च करने के बाद

(व्यवधान)

पहले कैसे कर दिया ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** : 95% मंजूर होगा।

**श्री मूलचन्द डागा** : तो मैंने पहले कहा था। आपके केसेज बढ़ रहे हैं। तो 1975-76 के केसेज के सम्बन्ध में मैंने क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा कि 1977-78 में 1400 की जांच हुई, 321 सेक्टर की जांच हुई, और अब मार्च में 375 केसेज पेंडिंग हैं। 300 और भेज रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा। आप स्टाफ बढ़ोतरी करेंगे। पुलिस और एण्टीकरप्शन का स्टाफ बढ़ा दिया है। हाउस में पेश नहीं किया। थड़ियों के मामले में कमीशन मुकर्रर किया है। अब मैं और कहना चाहता हूं। उसके अन्दर क्या हुआ।

(व्यवधान)

इस हाउस के अन्दर नियम हैं। नियम ठीक से समझें। नियमों की पालना होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमान्, इस हाउस में एक आदमी का शासन चालू है। श्री भैरोसिंह ने सभी का नियन्त्रण कर रखा है। बाकी सारे मन्त्री अंगूठा छाप है। कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के लिए

(श्री मूलचन्द डागा)

रुपया बरबाद किया है। पहले भी मैंने कहा है अभी भी मैंने देखा। 4 लाख का एडवर्टाइजमेंट का बजट देना चाहते हैं। अब क्या है? यू. एन. ओ. की टीम आने वाली है। टीम आ रही है। किसी मन्त्री की हिम्मत नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री रघुनन्दन व्यास** : राजस्थान के अन्दर अगर यू. एन. ओ. की टीम आकर सर्वे करे तो आपको क्या एतराज है?

**एक माननीय सदस्य** : आप क्या बोल रहे हैं?

**श्री मूलचन्द डागा** : एक-एक पत्रकार को 31-31 हजार दिया गया है। केवल अपना प्रचार करने के लिए भैरोंसिंहजी ने यह किया है। वह यह काम करते हैं। दूसरे मन्त्री चुप रहें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप घण्टी मत बजाइये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं।

सारे पत्रों को एडवर्टाइजमेन्ट 1 लाख 95 हजार का दिया है।

(व्यवधान)

कुछ शर्म तो करें। आपकी तो शर्म से गरदन झुक जानी चाहिए। आप तो समय बढ़ाओ, यही काम है। आप तो मुख्य सचेतक के काम के नहीं रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आपको क्या पता है?

**श्री मूलचंद डागा** : हमें पता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्री डागा साहब।

**श्री मूलचंद डागा** : दो मिनट हमको और दे दें।

आप इक्वल पे फार इक्वल वर्क दें। हमने यह किया है। सिंचाई मन्त्री जी बैठे हैं। विद्युत विभाग में एक बात देखी है। हर एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर एक अर्दली घर पर काम करने के लिए रख सकता है। उसकी तनखाह विद्युत विभाग देगा। हर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के 250 रु. का अर्दली घर पर बैठा है। कमिश्नर और फाइनेंस कमिश्नर यहां पर अर्दली रखने का नियम बनाते हैं। हर एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास एक अर्दली है। वह क्या करता है? अपने भाई भतीजे को रख लेता है। दूसरे नाम से रख लेता है। इस तरह से वह रुपया उठा लेता है। यह मैंने नई बात देखी है। अर्दली हैं, आप उनकी जांच करा लेना। मैं सुनना चाहूंगा, आप क्या उत्तर देते हैं? मैंने कहा स्किल्ड लेबर पी. डब्ल्यू. डी. में रिकार्डेड हैं। मैं विधायकपुरी में रहता हूं। देखा उनको मिनिमम वैजेज से भी कम मिलता है। स्किल्ड लेबर को 110 से कम मिलता है। जो टेम्प्रेरी है उसको 180 रुपया मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी तरह से जो कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है। यह जो मैंने विचार रखे हैं, आप बजट की पूर्ति करना चाहते हैं?

[redacted]



(श्री मूलचंद डागा)

अब हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी की आखरी मांग है। आप कहते हैं, 16 लाख रुपया राजस्व अभियान का टी. ए., डी. ए. का है। राजस्व अभियान का काम था। म्यूटेशन का काम। यह काम उसका नहीं था। कोई काम आया तो अभियान। अभियान में कोई और काम नहीं हुआ। 16 लाख रुपया खर्च हो गया।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय डागा जी, कृपया विराजें।

**श्री मूलचंद डागा** : यह चर्चा है। बड़ा बड़ा बोलता हूं। यह नॉन प्लान एक्सपेण्डीचर है, अनावश्यक है। बिना मतलब का खर्चा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल (जैतारण)** : उपाध्यक्ष महोदय,....

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस आई के लोग तो बोल गये हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, आपका नम्बर सबके बाद में आया है। इस लिए सबके बाद में बोलें।

**श्री शंकरलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, दुहराना नहीं चाहूंगा कि बड़ी रकम का अप्रोप्रिएशन बिल और सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट्स अभी हुई हैं। 29,22,81,000 की यह पेश की जा रही हैं। संक्षेप में कुछ मुद्दों की तरफ ध्यान दें। यह राज्य की फालतू खर्चे की राशि है। यह अनावश्यक खर्चा इस सदन से स्वीकृत कराया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी राशि इन मांगों के अन्दर श्रम और रोजगार की है। जो 29,22,81,000 की है। इस सारी सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट्स के अन्दर सबसे बड़ी धनराशि एम्प्लायमेन्ट और लेबर पर खर्च करें तो वास्तव में कुछ समस्या के हल का संकेत भी मिलना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं दिए गए और जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि बेरोजगारी आपके राज में बढ़ी है। आपके बजट की राशि भी बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी घटी नहीं है। बेरोजगारी भी बढ़ी है, जो टेबल आपने दी है सेवा नियोजन निदेशालय की जो सबसे पीछे है, उसमें प्रत्येक जिलेवार आंकड़े दिए गए हैं, उन सबको पढ़ कर तो मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन सम्पूर्ण आंकड़े जो हैं वह यह है कि 3,22,285 आदमी आपके एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के अन्दर 31 दिसम्बर तक रजिस्टर्ड हुए, जब कि पहले 2,17,886 आदमी 31 दिसम्बर, 77 तक बेरोजगार थे। इस प्रकार बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है लेकिन करोड़ों रुपया आपने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए लिया। मैं समझता हूं, माननीय वित्त मन्त्री जी, आप इतना तो बताते कि यह रुपया किस बात के लिए लिया जा रहा है और इतना रुपया आपने कहां खर्च किया ?

(श्री शंकरलाल)

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य के अन्दर जो पहली प्राब्लम है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है प्रशासन की जो जिलाधीश कहा जाता है, उसके द्वारा सारे जिले का प्रशासन चलता है, वह सरकार का प्रतिनिधि होता है और जिला प्रशासन के जरिये ग्रामीण और दूसरे लोगों पर उसके प्रशासन की छाप पड़ती है और सारा कार्य होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर आपने इसका मूल्यांकन कराया हो तो जिला प्रशासन के नाम पर, विकास के नाम पर और मीटिंग के नाम पर सारे जिले के ऑफिसरों को बुलाकर उलझा देते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं, पेशी के लिए और फरियाद लेकर वे निराश होकर इधर-उधर घूमते रहते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एडीशनल कलेक्टर, ए. डी. एम. की जो पोस्टें आपने क्रिएट कीं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में वह इसलिए क्रिएट की गई कि कलेक्टर पूरा समय विकास में नहीं दे पाता है। ए. डी. एम. पूरा समय विकास में लगायेगा और लोगों की पेशियाँ भी सुनेगा और समय भी पूरा लगायेगा। लेकिन कलेक्टर ने उनको भी अपने कार्य में जोत लिया। संकड़ों की संख्या में केसेज हैं। पाली जिले में जब मैं जाता हूं तो देखता हूं, ए. डी. एम. को भी जोत दिया गया दूसरे कामों के अन्दर। माननीय मंत्रीजी आपने आदेश निकाले थे एडीशनल कलेक्टर केस वर्क लेगा। कलेक्टर को उसको दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए। एक पोस्ट असिस्टेन्ट टू कलेक्टर की आर. ए. एस की क्रिएट की, वह कागजों को इधर से उधर करने के अलावा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करता। यह पोस्ट बिल्कुल निरर्थक है। पहले यह नहीं थीं, कुछ ही लोगों को लगाने के लिए आपने इन लोगों को लगाया है। आपको जिला प्रशासन को मजबूत करने के लिए अदालतों का खर्चा कम करना चाहिए। कई तरह से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मरुस्थल के विकास और पशुओं की चराई की समस्या है। मरुस्थलों की जब डिमाण्ड आई तो आपके आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशि भी आप खर्च नहीं कर पाए। एक तरफ तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही में डी. पी. ए. पी के तहत बड़े-बड़े चरागाह बनाकर पशुओं के लिए चराई की व्यवस्था करनी चाहिए वह तो आप नहीं कर पाए, लाखों की तादाद में पशु बाहर जाते हैं चरने के लिए, झगड़े होते हैं, कतल हो जाते हैं, मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार से बात करेंगे, उन्होंने आपको मना कर दिया, बाहर पशु जा नहीं सकते और यहाँ पर चराई का कोई साधन नहीं, कहाँ जाय? आकाश-पाताल में जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं के लिए चराई की ही नहीं, दवाइयों की भी समस्या है। इसमें ब्लैक मार्केटिंग होता है। मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। अजमेर में बालकृष्ण मेडिकल स्टोर ने 5 रुपये के इन्जेक्शन 25 रुपये में दिए, 371 का मुकदमा भी दायर हुआ लेकिन सरकार ने उसको वापिस ले लिया। यह आपने क्यों

(श्री शंकरलाल)

वापिस लिया ? यह सरकार ही बता सकती है।

वन विभाग में भी यह है कि आज राजस्थान में चराई की दर अलग-अलग जंगलों में अलग-अलग है। गायों और भैंसों का मेडिकल ट्रीटमेन्ट निःशुल्क किया जाता है, उनको निःशुल्क दवा दी जाती है लेकिन भेड़ और बकरियों के इलाज के लिए पैसा देना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि पशुपालकों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या सरकार कदम उठाने जा रही है।

अन्त में केवल एक ही मांग के विषय में और निवेदन करूंगा, हालांकि बहुत सा लिखकर दिया है, एक न्याय प्रशासन की मांग पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। इस बारे में यह सुझाव देना चाहूंगा कि क्या आप यह चाहते हैं कि जुडिशियल सर्विस के आदमी भी सड़कों पर आकर एजीटेशन करें? इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको जो सर्विस में ग्रिवान्सेज हैं उसके लिए एक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति होनी चाहिए जिस प्रकार से दूसरी सेवाओं के लिए ट्रिब्यूनल हैं। आज राज्य सरकार की सेवाओं में अगर किसी के साथ ज्यादती हो तो वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है लेकिन न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कोई ग्रिवान्स हो तो वे कहां जायेंगे ?

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी बहुत सी मांगें हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं पांच, सात दिन पहले की बात है, एक सिविल एण्ड एडीशनल जज जो सोजत पेशी पर जाना चाहता था, उनके पास जीप नहीं थी, कलेक्टर से उन्होंने जीप मांगी, कई जीपें वहां पर तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की और कई लोगों की खड़ी थीं, लेकिन कलेक्टर ने कह दिया कि जीप नहीं है। उनको बस में जाना पड़ा, बस में बहुत भीड़ थी, उनको काफी तकलीफ में जाना पड़ा फिर जब ऐसी हालत है तो हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं ? उनके पास जीप नहीं है। जो फालतू का काम करें उनके पास तो जीपें हैं, उन लोगों के आवास की भी समस्या है उनकी सीनियोरिटी की समस्या भी है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के नियम संख्या 22 में स्पष्ट लिखा है कि डेट ऑफ अपाइन्टमेन्ट से सीनियोरिटी मानी जायगी लेकिन 1967 के आदमी डिस्ट्रिक्ट जज बन जावें, और 1960 में जिनका अपाइटमेंट हुआ है, वे अभी तक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बने। मेरे पास लिस्ट है। मैं विधि मंत्री से भी कहूंगा कि आप किस प्रकार से न्यायिक सेवाओं में निष्पक्ष रहे हैं जो एजीटेशन नही करते। तो इसलिए आप दो बातें करें। एक तो ट्रिब्यूनल नियुक्त करें और दूसरे ग्रिवान्सेज ट्रिब्यूनल के तहत नहीं आते हैं जैसे आर० ए० एस० और आई० ए० एस० के समान वेतममान हैं उनके लिए कमेटी बनायें। उनका चूंकि मुंह बंद था इसलिए वे बोल नहीं सके।

मैं अपने क्षेत्र की जुडिशियरी से ताल्लुक रखने वाली बात कहूंगा। मैंने प्रश्न भी किया था कि बाली व देसूरी तहसीलें पाली जिले का अंग हैं लेकिन न्याय प्राप्त करने के लिए उनको सिरोही जिले में जाना पड़ता है। उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया

(श्री शंकर लाल)

था कि राजस्थान मुख्य न्यायालय द्वारा सिफारिश की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व में सिफारिश की थी परन्तु तत्कालीन सरकार ने वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं समझा। क्यों नहीं समझा ? कौन-से कन्सीडरेशंस हैं जबकि बाली व देसूरी पाली जिले के अंग हैं ? न्याय सस्ता व सुलभ होना चाहिए। लोगों को सिरोही जाना पड़ता है, आप हाई कोर्ट जज की राय नहीं मानते, आप जुडिशियरी की राय नहीं मानते।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त करें। कुछ चर्चा तो वृद्धिचन्द जैन के लिए रहने दीजिए।

**श्री शंकरलाल** : आज राजस्थान में जो सहकारिता में काम करने वाले व्यवस्थापक हैं, सहकारी समितियों के मैनेजर्स हैं, जो गांव गांव में हजारों की संख्या में हैं, उनका वेतन केवल 2(:0)। आप उनसे आशा करते हैं कि सहकारिता को जन आंदोलन बनाये ? सहकारी समितियों को मजबूत करें ? जहां सहकारिता के अन्दर लाखों रुपए फालतू खर्च करते हैं, उन लोगों को कम से कम 300-400) रुपए तो दीजिए। सहकारिता मन्त्री हमेशा मुझ से झगड़ते हैं, छाती ठोकते हैं, उन्होंने उत्तर में स्वीकार किया था कि इस बारे में विचार करेंगे। तो सहकारिता को जन आंदोलन बनाने के लिए इन व्यवस्थापकों को उचित पारिश्रमिक दें।

**श्री उपध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द जैन।

**श्री वृद्धि चंद जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1978–79 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है और पाया कि नान प्लान एक्सपेण्डीचर में अधिकांश राशि खर्च करने जा रहे हैं। इस प्रकार नान-प्लान एक्सपेंडीचर में अधिकांश राशि खर्च करने से साबित होता है कि गवर्नमेंट मशीनरी राज्य प्रशासन पर हावी है और अधिकांश खर्चा गवर्नमेंट मशीनरी पर खर्च करने के लिए रखा है। मैंने कुछ विषयों पर भी विचार व्यक्त करने का कार्यक्रम रखा था विशेषतौर पर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। हमारे राजस्व मन्त्री, माननीय श्री अब्दुल हादी को प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में जमीन रिजर्व कर दी गई थी इसलिए अलाटमेंट बंद कर दिया गया, अलाटमेंट इसलिए बंद कर दिया गया कि सूखा संभावित क्षेत्र के लिए इन जिलों में जमीन की आवश्यकता है। जवाब तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुन्दर परन्तु उसकी कार्यान्विति है या नहीं ? इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर जिलों में और रेगिस्तानी जिलों में कितनी जमीन आपने रिजर्व रखी ? कितनी जमीन चरागाह के लिए रखी, कितनी वनों के सुधार के लिए रखी ? मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि थोड़ी जमीन थी, वह हमारे बाड़मेर जिले में सब की सब शरणार्थियों को दे दी गई है। कोई भी जमीन हमारे क्षेत्र में गोचर के सुधार के बारे में सरकार के पास रिजर्व नहीं है, वनों के सुधार में जो मरुस्थल

(श्री वृद्धिचंद जैन)

है वह पहले की रिजर्व की हुई थी उसके अलावा कोई जमीन फारेस्ट एरिया के लिए गोचर सुधार के लिए फौडर बैंक के लिए, पशु नस्ल सुधारने के लिए नहीं रखी है, सारी की सारी दी गई है। शरणार्थियों को दी गई या दूसरे अतिक्रमण करके ले गए। तो सूखा संभावित क्षेत्र, वनों के सुधार के लिए, चरागाह के विकास के लिए कोई जमीन नहीं रखी गई है तो यह क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है? उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी जो भी जमीन बाकी रह गई उसको सूखा संभावित क्षेत्र के लिए रिजर्व रखा जाए और गवर्नमेंट की जमीन जो सिवाय चक की जमीन है उसका आवंटन नहीं किया जाए।

मैं उस बात पर जोर देता हूं कि जिनके पास 8–10 साल से जमीन है, उनका नियमन जो एडवाइजरी कमेटी में हमने कर दिया है, विधायकों को विश्वास में लेकर कर दिया है तो उसको आप मान्यता दें। शरणार्थियों को राजस्थान केनाल पर बसाइए। बाड़मेर व जैसलमेर जिले में ही उनको न बसाया जाए। बाड़मेर की इकानामी साऊंड नहीं है। वहां अकाल पड़ता रहता है, हमारे जिले की जनसंख्या भी बढ़ गई है। हमारे जिले के लोग थोड़ी सी जैसलमेर में जमीन खरीदकर बसने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जरूर स्कोप है परन्तु बाड़मेर जिले में स्कोप नहीं है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी जमीन नहीं मिलेगी। जब अन्त्योदय वालों को भी जमीन नहीं मिलती है तब जमीन चरागाह सुधार के लिए रखनी चाहिए।

अब मैं न्यायिक प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। लीगल एड के बारे में बात होती है। गरीब आदमी को अभी तक न्याय नहीं मिला, वह अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता। कांग्रेस सरकार थी तब नहीं मिला, इमर्जेंसी में कुछ मदद जरूर मिली परन्तु उसके बाद जनता सरकार आई, उसने कोई लीगल एड गरीब लोगों को नहीं दी। अगर फाइट करें खातेदारी अधिकारियों के बारे में तो वे नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों के लिए प्रावधान किए गए, उनको ऐसा वकील मिलता है जिसकी कोई प्रेक्टिस नहीं है, नालेज नहीं है, उनके केसेज को और खराब करता है। इसलिए लीगल एड गरीब लोगों को वास्तव में आप देना चाहते हैं तो आपको अधिक राशि जिलों में रखनी पड़ेगी, अच्छे वकील मुकर्रर करने पड़ेंगे तब जाकर वास्तव में गरीबों को सहायता मिलेगी।

तीसरी बात, मैं राजस्थान नहर के बारे में बोलूंगा और लिफ्ट केनाल के बारे में भी कहूंगा। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लिफ्ट केनाल के द्वारा हमें कोई सिंचाई में जमीन की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो पीने के पानी की व्यवस्था करें। आपने आश्वासन भी दिया था कि योजना बनायेंगे प्रोफेसर केदार जी ने आश्वासन दिया था कि योजना बनायेंगे और राजस्थान नहर से पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। तो पीने के पानी की योजना बनायेंगे तब भी

(श्री वृद्धिचंद जैन)

हमें सन्तोष हो जायेगा क्योंकि हमारे यहां नलकूप की जो ग्रामीण जलप्रदाय योजना बनाई है उन योजनाओं से बहुत कम क्षेत्र कवर होता है और वह भी नलकूपों से पानी कम हो रहा है। स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि पांच छः साल में वह नलकूप जीवित नहीं रहेंगे और उनमें पानी नहीं रहेगा। एक गंभीर समस्या पैदा हो जायेगी सीमावर्ती क्षेत्रों में और पानी की ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जब नलकूपों में पानी खतम हो जायेगा। हमने भविष्य के लिए ध्यान ही नहीं दिया और राजस्थान केनाल से पीने का पानी नहीं पहुंचा तो यह डेजर्ट एरिया और भी डेजर्ट हो जायेगा और सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है तो हिन्दुस्तान के पास जो पाकिस्तान है हमारे देश की सुरक्षा भी कठिन हो जायेगी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान केनाल के जरिये लिफ्ट केनाल के जरिये हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाये, उसे प्राथमिकता दी जाये। हम सिंचाई के लिए डिमाण्ड नहीं करना चाहते हैं और आपकी डिफिकल्टी है तो हम प्रेस नहीं डालना चाहते हैं लेकिन पीने का पानी तो चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** (कोलयत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 130 करोड़ की सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड लेकर आये हैं और विनियोग विधेयक संख्या 1 आया है। यह पास होगा। वित्त मन्त्री जी का कन्ट्रोल नहीं और मुख्य मन्त्री जी का कंट्रोल नहीं है। रुपया खर्च कर दिया और पास करना होगा लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी जनता सरकार को देखना चाहिये कि जितना रुपया जिस काम के लिए सैंक्शन हुआ है वह काम हुआ है या नहीं। आज राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। कांग्रेस शासन में थोड़ा बहुत इन्फ्रास्ट्रचर तैयार हुआ वह इतना नहीं है कि इतने बड़े बजट को वह समय पर खर्च कर सकें। आज इन्जीनियर्स के पास चाहे वह इरिगेशन का महकमा हो या पी.डब्ल्यू.डी. का महकमा हो या पी. एच. ई. डी. का महकमा हो और अन्य विकास के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास में रुपया होते हुए उनके पास सीमेंट और आइरन नहीं हैं और अन्य आवश्यक चीजें नहीं हैं। आज बीकानेर जिले में 50 प्रतिशत पी. एच. ई. डी. का बजट इसलिए खर्च नहीं हो रहा है कि उनको पाइप नहीं मिल रहे हैं। गुजरात और दूसरी स्टेट्स जो पाइप बनाने वाली कम्पनीज हैं उनको उन्होंने एडवान्स दे दिया है और सारा माल बुक कर लिया है हमारी स्टेट को पी. एच. ई. डी. को वाटर स्कीम के लिए रुपया होते हुए भी वह स्कीम इसलिए एक्जीक्यूट नहीं हो पाती कि हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं। जब तक हमारी सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देगी तो हम चाहे कितनी भी अपनी विकास की योजनायें बनायें, ग्रामोन्मुखी योजनायें बनायें उसकी बात नहीं चलने वाली है। आज रुपयों का अपव्यय हो रहा है माननीय वित्त मन्त्री जी हर डिपार्टमेन्ट की यह स्थिति है कि येन केन प्रकारेण 31 मार्च तक जीरो दिखा दिया जाये कि हमने सारा रुपया खर्च कर दिया। राजस्थान केनाल में 40 प्रतिशत पहले माल बुक करके एडवान्स जा रहा है और माल आने वाला नहीं है। महज रुपया खर्च करना है इसलिए रुपया

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

एडवान्स किया जा रहा है। यही स्थिति विद्युत मण्डल की है। उनको भी माल नहीं मिल रहा है एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ नान-प्लान के तहत एक अरब रुपया 1/10 आफ दी बजट नान-प्लान में खर्च किया जायेगा।

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी का ध्यान सारे वर्ष शराबबन्दी की ओर रहा है और अन्त में आकर चारों खाने चित्त पड़े हैं। इनका साथ श्री गोकुल भाई तो छोड़ गये हैं और मुख्य मंत्री के ट्रैप में आकर वित्त मंत्री पद से और त्याग पत्र देना पड़ेगा। और यहां आकर बैठेंगे। तो साल भर तक वित्त मंत्री जी ने अपने विभाग के जरिये दूसरे मंत्रियों पर कोई चैक नहीं किया, कोई स्क्रूटनी नहीं की कि रुपये का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है और नानप्लान का इतना खर्च हो रहा है। कोई चैक नहीं है। मुझे ध्यान है कि 22 स्टूडेन्ट्स के जीवन के एक वर्ष को बचाने के लिए मेडिकल कालेज में सीट नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि उससे इतना खर्चा बढ़ेगा लेकिन 60 लाख रुपया मेडिकल के नान-प्लान में खर्च किया जा रहा है। यह इस सरकार की अव्यवस्था की ओर इंगित करता है और हमारी सरकार की क्या इमेज है और क्या कर गुजरने की इच्छा है। यथास्थिति रखी हुई है क्योंकि कोई शराबबन्दी को पीट रहे हैं कोई अन्त्योदय को पीट रहे हैं और कोई काम के बदले अनाज को पीट रहे हैं। काम के बदले अनाज की योजना का रूप वही हुआ जो अकाल के रुपयों का हुआ। काम के बदले अनाज में 28 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया और उसमें अधिकांश मिट्टी का काम किया। सीमेन्ट नहीं मिल रही है और दूसरा मैटीरियल नहीं मिल रहा है। उन लोगों को टेक्नीकल नो हाउ कुछ नहीं मिली और सारा रुपया 28 करोड़ गेहूं का था उसमें से अधिकांश रुपया बिना किसी योजना के खर्च किया गया। आज राजस्थान केनाल का रुपया इसलिए भी खर्च नहीं हो पा रहा है कि वहां पर काम करने वाली लेबर नहीं है। राजस्थान की कई योजनायें पर इस कारण से कम काम हुआ है क्योंकि हर जगह काम के बदले अनाज की योजना चालू कर दी और कोई भी आदमी अपने गांव को छोड़कर नही जाना चाहता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया दो मिनट में ही चर्चा समाप्त करें।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान समय कम है इसलिए वित्त मन्त्रालय की एक गम्भीर अनियमितता की ओर दिलाना चाहता हूं और वह है वूलटाप का मामला। उसमें क्या हुआ ? 2 करोड़ का टैक्स है और आपने माफ करने का फैसला लिया है रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से। कांग्रेस के शासन में भी अथक प्रयास के बाद पालिटिशियन भी पीछे की डेट से टैक्स माफ नहीं करा सके लेकिन हमारी सरकार ने पीछे की डेट से वूलटाप का टैक्स माफ किया है। उसका क्या कर रहे हैं आप ?

**श्री माणकचन्द सुराणा** : माननीय गुप्ता जी आपने नोटीफिकेशन को भी पढ़ा है ? कहां है उसमें रिट्रोस्पेक्टिव शब्द ? गुप्ता

(श्री माणकचन्द सुराणा)

जी आप बिना नोटीफिकेशन पढ़े एक जिम्मेदार मेम्बर होते हुए अनावश्यक चार्ज नहीं लगायें और अगर आपने इसको अपनी आदत का पार्ट बना लिया है तो फिर करोड़ क्यों कहते हैं 200 करोड़ कहें और दो साल क्यों दो सौ साल कहें।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया कि आप लोगों की किसी बद-नियती से कुछ सेठों को लाभ देने के लिये किया है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको नोटिस दूंगा, तब आप पर आरोप लगाऊंगा।

**श्री माणकचन्द सुराणा** : आप नोटिस जल्दी से दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : I am in possession of the floor of the House.

**श्री माणकचन्द सुराणा** : आप जल्दी से नोटिस दीजिये।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : आप कह सकते हैं वूलटाप के मामले में आपने किया है कि नहीं किया है? उस नोटिफिकेशन में किया है....

**श्री माणकचन्द सुराणा** : आप चार्ज लगाइये....

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : पहले आप कहिये....

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

**श्री माणकचन्द सुराणा** : आप नोटिस दीजिये, आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। आप की तरह बीकानेर में मण्डी को बर्बाद नहीं करूंगा।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : सवाल यह है कि जो टैक्स आपने लगा दिया उसको रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट से माफ कर सकते हैं या नहीं? आज सेठों का टैक्स माफ किया है....

**श्री माणकचंद सुराणा** : आप नोटि-फिकेशन तो पढ़िये, रिट्रोसपेक्टिव वर्ड कहां है?

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : वूलटाप पर टैक्स 76 में एक्जम्पट करने का नोटिफिके-शन किया गया था, यह समझा जाये कि यह टैक्स है नहीं। 1976 के अन्दर टैक्स कमिश्नर ने यह नोटिफिकेशन निकाला कि वूल टाप पर टैक्स एक्जम्पट किया जाये, इसका मतलब टैक्स था।

**श्री माणकचंद सुराणा** : सन् 76 में जनता सरकार थी क्या? आप क्या कह रहे हैं?

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : मेरा आरोप यह है, जनता सरकार से करवाया जा रहा है....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : जो कांग्रेस वाले नहीं कर सके, वह जनता पार्टी वालों ने कर दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, आप चर्चा समाप्त करें।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : आयोजना मंत्री जी....

**श्री रतनलाल वर्मा** : इस तरह से समय बरबाद कर रहे हैं। इन के घर में रामराज है। सब को एक समान समझते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय गुप्ता जी, चर्चा समाप्त करें।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : माननीय वित्त मन्त्री, आयोजना मन्त्री जी, मैंने बूल टाप के मामले पर किसी पर बोनाफाइड आरोप नहीं लगाया है। यह मेरी ड्यूटी है कि अगर जनता सरकार गलत काम करती है तो सही समय पर चेतना दूं। मैंने वार्निंग दी है। यह भी मेरी वार्निंग है। आप बीकानेर शहर में जाओ, रोम पर क्या चर्चा होती है। किसी अच्छी सरकार पर, किसी अच्छे मन्त्री पर लोग अंगुली उठायें तो जांच होनी चाहिये। जनता अंगुली क्यों उठाती है ? जब आप इन बेन्चेज से बोलते थे आपने कुम्भाराम पर एक करोड़ का आरोप लगाया था। मैंने नहीं लगाया आरोप। जिस दिन आरोप लगाऊंगा, उसका नोटिस दूंगा। आपको डाकूमेंट्री प्रूफ दूंगा।

उपाध्यक्ष जी, अन्त में लोक सेवा आयोग की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा....

**श्री उपाध्यक्ष** : किसी भी चीज को कहने की कोई सीमा होती है। कोई चर्चा का समय भी होता है।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : जो विषय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोला गया, जो विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये बोला गया, जो विषय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बोला गया, फिर वही बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय दाऊदयाल जी ने जो आपत्ति उठाई है, बहुत वाजिब है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मैं बात यह कहना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के कुछ पद रिक्त होने वाले हैं। कुछ मेम्बर रिटायर्ड होने वाले हैं। आपके सचिवालय में चर्चा है जनता सरकार अपने रिटायर्ड होने वाले अधिकारी को वहां पर मेम्बर बनाना चाहती है। जैसे कांग्रेस सरकार ने रिटायर्ड इन्जीनियर को आई. ए. एस. आफिसर्स को बनाया था जिनका रिकार्ड ठीक नहीं था उन लोगों को पी. एस. सी. का मेम्बर बना दिया गया था। जनता सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप लोक सेवा आयोग को इम्पार्शियल बनाना चाहते हैं तो सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों को वहां मेम्बर न बनायें जैसा कांग्रेस शासन में हो रहा था वरना पी. एस. सी. इम्प्रूव नहीं होगी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भ्रष्टाचार और घुस जायेगा। जो चर्चायें आ रही हैं वह चर्चायें गंभीर हैं। जैसे चौधरी रामचन्द्र को बनाया। क्योंकि जो नाम आ रहे हैं, अगर वे मेम्बर बन गये....

**एक माननीय सदस्य** : किन के नाम आ रहे है ?

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप विराजें, कृपया।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : जनता सरकार को सही समय पर चेतावनी मिलनी चाहिये। यह भगवान का शुक्र है कि मंत्रियों पर आरोप नहीं लग रहे हैं अभी दबी दबी जुबान से कहते हैं कि फलां मिनिस्टर ऐसा है। जिस दिन आयेगा, राम कृष्ण पहला व्यक्ति होगा आपके मुंह पर आरोप लगायेगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अन्दर कोई आप सन्तोष न कर लें।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजें आप।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : बीकानेर में वूल टाप का क्या मामला है, सरकार जवाब दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

**श्री अयूब खां** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप चर्चा में काफी भाग ले चुके हैं। श्री अयूब खां।

**श्री रतनलाल वर्मा** : मैं भी गुप्ता जी को चैलेन्ज करता हूं वे सदन में जिस दिन किसी मन्त्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सिद्ध करते हैं, हम सब सहयोग करेंगे, हम अलग होने वाले नहीं हैं....

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय भंरोंसिह जी मान नहीं सकते....

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा** : हम कपड़ा झड़का कर मांगने वाले नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

**श्री रतनलाल वर्मा** : मैं अब भी कह रहा हूं आप थोथी पंचायती मत करो।

(व्यवधान)

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मुझे किसी का भय नहीं है।

**श्री रतनलाल वर्मा** : जी आये जैसे बोल जाते हैं।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : डर नहीं है राम कृष्ण को।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय रामकृष्ण दास जी बिराजें, माननीय रतन लाल जी बिराजें।

आप आपस में वार्तालाप करना चाहते हैं तो उसके लिये यह सदन नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री रतन लाल वर्मा** : अखबारों में नाम आ जाय, इसलिये विधान सभा में बोलना, यह गलत है।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मंत्रियों के सिखाये पर बोल रहे हो।

**श्री रतन लाल वर्मा** : कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हम तो अब भी कहते हैं कि लगाना चाहिये।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : आरोप नहीं है, बीकानेर में जो चर्चा होती है, उसी को मैं सदन में कहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय वर्मा जी, माननीय गुप्ता जी अगर सदन की इसी तरह कार्यवाही चलाई जानी है तो मैं बहुत खेद के साथ कहना चाहूंगा कि यह आपत्तिजनक है और खास-तौर से मैं रामकृष्ण दास जी को और रतन लाल जी को कहूंगा कि वे कोई बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इस तरह आपस में झगड़ कर।

(व्यवधान)

Shri Ram Krishan Das Gupta: I only spoke on his Provocation, Sir. I submit my uncalled for regrets कृपया माननीय सदस्य, मैं कह रहा हूं आप विराजें।

**श्री रतन लाल वर्मा** : मैं अब भी निवेदन कर दूं बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के कोई आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। आरोप लगाना है तो पहले आप नोटिस दें। बिना नोटिस के आरोप लगाना ठीक नहीं होगा।

**श्री रामकृष्ण दास गुप्ता** : मैंने किसी भी मंत्री पर आरोप नहीं लगाया है।

**श्री रतन लाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, ये बे-ताले बोल जाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अयूब खां।

**श्री अयूब खां** (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ये पूरक मांगे 130 करोड़ की जो प्रस्तुत हुई हैं यह सारा खर्चा प्रशासन पर होगा ...

**श्री रघुनन्दन व्यास** : हो गया।

**श्री अयूब खां** : यह उनके भत्ते और दावतें तथा अन्य दूसरे खर्चों पर यह खर्च होगा। मेरा यह निवेदन है कि जो हमारे मंत्री लोग साइकिल पर आने लग गये, स्कूटर पर आने लग गये, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पर आ गये। मैं यह कहता हूं नीचे वाले जो प्रशासक हैं उनका खर्चा तो कम कर सकते हैं। इस आधार पर जो पिछली मांग है वह कम है और जो प्रस्तुत हुई है वह ज्यादा है। ये ज्यादा नहीं होनी चाहिये थी, कम होनी चाहिये थी।

इसी सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सरकार के सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस चलते हैं ये भी सब हमारे मंत्रियों और अधिकारियों की सुख-सुविधा के लिये हैं। मैं कहता हूं जब सबको टी. ए., डी. ए. मिलता है तो फिर क्या मतलब है कि इनको कन्सेशनल रेट पर वहां सुख-सुविधा दी जाय? इससे सरकार को घाटा होता है। जो सुविधायें वहाँ दी जाती हैं वह एक विशेष वर्ग को दी जाती हैं और बराबर उस वर्ग को मदद दी जा रही है।

(श्री ग्रयूब खां)

मैं यह पूछना चाहता हूं क्या इससे गरीबी मिटेगी बल्कि गरीबी और अमीरी में बहुत बड़ा फर्क होता जा रहा है और बराबर होता रहेगा जब तक ये सुख-सुविधायें उनको मिलेंगी। जब तक यह व्यवस्था चेन्ज नहीं होगी तब तक यह हालत बदलेगी नहीं, इसके लिये जनता सरकार ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार भी जिम्मेदार है। यह हालत अंग्रेजों के जमाने में थी जब अधिकारी ऊपर से ज्यादा आते थे और नीचे से कम जाते थे। इस कारण आपका प्रशासनिक खर्चा ज्यादा पड़ता है। मैं समझता हूं ऐसे खर्चों को कम किया जाय।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजें। आप पहले भी चर्चा में भाग ले चुके हैं। मैं अब आपको अनुमति दूं यह आवश्यक नहीं है। न तो आपका नाम है और जो कागज आया है उसमें आपके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री श्योपत सिंह मकासर** : मैं हाथ से खुद देकर आया हूं। दस्तखत नहीं किये हैं तो 6 फीट का खुद आया हूं आपके पास।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, माननीय सदस्य मैं आपको अनुमति कतई नहीं दूंगा। माननीय वित्त मन्त्री जी।

**श्री आदित्येन्द्र (वित्त मन्त्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों की स्मृति को ताजा करने के लिए निवेदन कराना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय जो मांगें पारित की गई थीं वे लगभग 906 करोड़ की थीं। उसके बाद गत वर्ष सितम्बर मास में जो विधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया था उसमें अनुपूरक मांगें 418 करोड़ की पारित की गई थीं और अब जो अनुपूरक मांगें पारित की जा रही हैं वे 130 करोड़ की हैं। इस प्रकार से वर्ष 1978-79 में 938 करोड़ के लगभग मांगें पारित की गई हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इतनी अनुपूरक मांगों की राशि किसी भी वर्ष में पारित नहीं की गई है। उन माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं पिछले 3-4 सालों के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1971-72 में बजट अनुमान की मांगें 417 करोड़ 42 लाख की थीं और सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स 158 करोड़ 50 लाख की थीं। इस प्रकार से लगभग 38 पर्सेन्ट सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड्स उस समय पारित की गई थीं। इसी तरह वर्ष 1974-75 में जब कि बजट अनुमान 505 करोड़ 64 लाख के थे, अनुपूरक मांगें 79 करोड़ 30 लाख की थीं। इस प्रकार लगभग 14 पर्सेंट की अनुपूरक मांगें रखी थीं। वर्ष 1975-76 में 570 करोड़ 70 लाख का बजट अनुमान था जब कि अनुपूरक मांगें 192 करोड़ 30 लाख के लगभग थीं और इस प्रकार से 26 70 लाख की अनुपूरक मांगें थीं।

इस वर्ष और पिछले साल 1977-78 में जब कि 835 करोड़ 94 लाख की मांगें

(श्री आदित्येन्द्र)
बजट पारित करते समय रखी गई थीं परिवर्तित बजट में जब कि 52.51 करोड़ की अनुपूरक मांगें पेश की गई। इस प्रकार से केवल 6.28 पर्सेन्ट अनुपूरक मांगों की राशि थी। वर्ष 1978–79 में 906.41 करोड़ की मांगें बजट पारित करते समय थीं, पारित की गई थीं जब कि अनुपूरक मांगें 134.83 करोड़ की हैं जो कि लगभग 14.88 करोड़ की हैं। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि जो अनुपूरक मांगों की धनराशि है वह अधिक नहीं है और पिछले सालों की अपेक्षा कम है। ये मांगें भी इसलिए रखी गई है कि कुछ ऐसे मामले थे, जैसे अभी राज्य के कुछ भागों में बाढ़ आ गई थी और एक विशेष बात यह हुई कि मंहगाई की दर में वृद्धि हो गई। तो तीसरी बात विकास व्यय का बढ़ना भी था। इन तमाम बातों के कारण यह अनुपूरक मांगें 134 करोड़ के करीब की हुई हैं।

अब में, माननीय सदस्यों ने कुछ बिन्दु उठाये हैं, उनका उत्तर संक्षेप में देना चाहता हूं। डीडवाना से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री मथुरादास जी ने यह कहा है कि वूल फेल्ट का प्रश्न है। यह वूल फेल्ट का प्रश्न एक पेचीदा कानूनी प्रश्न है। इस पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगे या सैल्स टैक्स लगे यह अभी प्रश्न विवादास्पद है और अभी सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है लेकिन फिर भी इस बात के ऊपर विचार किया जा रहा है कि क्या राहत दी जा सकती है उसके लिए। इसी तरह से उन्होंने उदयपुर में यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, जो रिसर्च करते हैं, के बारे में कहा है कि उनको न तो पे स्केल मिले और न पे फिक्सेशन हुआ। पे स्केल का जहां तक प्रश्न है उसके बारे में उन्होंने एक विवाद उठा दिया है। हम यह भी नहीं चाहते कि उनको पे स्केल न मिलें यू. जी. सी. के लेकिन वह यह कह रहे हैं कि उनका पे फिक्सेशन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि उनका जो मंहगाई भत्ता जब कभी था उस का भी लाभ मिल सके। फिर भी उनकी फाइल है वह सामने है। एक बार हम उनको हीयरिंग का मौका जरूर देना चाहते हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : पिछले साल भूख-हड़ताल से उठाया था तब वायदा किया था।

**श्री आदित्येन्द्र** : दूसरा, माननीय सदस्य चौधरी रामनारायण जी ने कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह रुपया बेकार खर्च किया जा रहा है इसलिए इन मांगों को नामन्जूर कर देना चाहिए। लेकिन जैसा अभी बताया कि जो भी अनुपूरक मांगें हैं वह अनुपूरक मांगें प्रारम्भ में बजट अनुमान सम्बन्धी जो मांगें पारित कराई गई थीं उनके अनुपात में पिछले कई सालों से बहुत कम हैं। माननीय डागा साहब ने तो यहां तक कहा है कि मिनिस्टर्स का जो जीवन है वह विलासितापूर्ण है राजस्थान हाउस और जोधपुर हाउस में बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, वे ही चिंतित हों, इस बात मे हम भी चिंतित हैं। हम भी यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सादगी बरतें और इसके बारे में विचार हुआ है। चाहे हम इस बजट में यह नहीं बतला सके कि कितनी मितव्ययता हो और कितनी सादगी लाई जावे फिर भी अपने मंत्रिमण्डल के सदस्य और मुख्य मंत्रीजी के साथ

(श्री आदित्येन्द्र)

जो भी चर्चा, जो बातें हुई हैं उन्होंने यही कहा है कि इसके बाद यानि बजट अधिवेशन के बाद इस पर विचार किया जावे और दूसरे लोग अगर मान लें, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी उसमें सम्मिलित किया जावे और विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जावे कि कितनी कहां-कहां पर मितव्ययता हो सकती है, कहां कहां सादगी लाई जा सकती है।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : हमारे जैसे बन जाओ आप तो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप जैसे बन जावें तो मितव्ययता की जरूरत ही नहीं है। भगवान आप जैसा बना दे, मैं तो यही चाहता हूं।

**श्री आदित्येन्द्र** : दूसरा जो हम चाहते हैं, इसके लिए स्वयं इच्छुक हैं या जो कुछ भी हम चाहते हैं वह यह है कि जिनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, जिनकी सुख-सुविधाएं ज्यादा हैं उनकी सुख सुविधायें कम की जावें और उनको कम से कम और अधिक सुविधायें नहीं दी जावें। लेकिन आज ऐसा वातावरण बना हुआ है कि हर जगह से मांगें आ रही हैं, हर कोई चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिलें। ज्यादा से ज्यादा वेतन में वृद्धि हो। मुझे इस बात का भी खेद है कि हम लोग जो यहां बैठे हैं माननीय जितने भी विधायक हैं वे भी मांग समय-समय पर करते रहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाय। लेकिन इस मामले में मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि उस चीज में हम यह चाहते हैं कि अगर हम उनकी मांगों के साथ अपनी मांगों पर विचार करेंगे तो दूसरे लोग भी अपनी मांगें रखना कभी भी छोड़ नहीं सकते और हमें वह भी करना पड़ेगा। आज एक ऐसा वातावरण बना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कि इसको रोकना कठिन हो रहा है अगर असम्भव नहीं है तो।

**श्री अयूब खां** : यह कह कर आप हमें चुप नहीं करा सकते।

**श्री शंकरलाल** : आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की तनख्वाह एम. एल. एज. के बराबर कर दीजिए हमें संतोष हो जाएगा। हमारे से अधिक राज का नौकर तनख्वाह पाये यह नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के खिलाफ है....

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपके राज में तो सभी को बराबर करके गए थे।

**श्री आदित्येन्द्र** : यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहता है तो सभी काम आसान हो सकते हैं।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जैसे एक आरोप लगाया है कि बिजली बोर्ड की ओर से एक अर्दली फाइनेंस कमिश्नर के यहां रहता है। यह बात बिल्कुल गलत है। कोई अर्दली वहां नहीं है और न ही कोई अर्दली का अलाउन्स ही मिलता है। मैं भी यह सुन कर आश्चर्य में रह गया कि यह कैसे हो सकता है ?

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : यह आरोप किसी ने नहीं लगाया।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : आरोप यह था कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक अर्दली रखने की स्वीकृति दे दी है। वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने बजट में दी होगी।

**श्री ईश्वर चन्द्र** : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनको अर्दली रखने की पावर दे दी है और असिस्टेंट इंजीनियर तक के आदमी अपोइन्ट कर रहे हैं। उसके लिए 240) रुपये महीना स्वीकृत किया है। उसमें फाइनेंस कमिश्नर का कहां जिक्र है।

**श्री आदित्येन्द्र** : ऐसा मैंने कुछ सुना होगा।

अब मैं और बातें जो हैं उन पर अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि रिपिटिशन ही हुआ है, सबने एक ही बात रखी है और अभी फाइनेंस बिल भी आने वाला है, पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स बिल भी आने वाला है, कल दूसरा बिल और है, पैसेंजर एण्ड गुड्स टैक्स बिल, एप्रोप्रियेशन बिल भी है उसमें सभी तरह की माननीय सदस्य चर्चा उठायेंगे और उन चर्चाओं का जवाब भी दिया जाएगा, इसलिए अभी मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि फाइनेंस बिल को पास करें।

**श्री मथुरादास माथुर** : क्या प्रश्न पूछने की हमको अनुमति होगी ?

**श्री उपाध्यक्ष** : बाद में जब नेक्स्ट चर्चा आए तब उठा लें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या—1) विधेयक, 1979 विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

**विधेयक का पारण**

**श्री आदित्येन्द्र** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या—1) विधेयक, 1979 को पारित किया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय श्योपतसिंह जी, आप चाहें तो इस स्टेज पर कह सकते हैं।

**श्री श्योपतसिंह मकासर** : मेरे तो वैल्यूएबल सुझाव हैं, सुनना चाहे तो अच्छी बात है।

**श्री टीकमचन्द्र कान्त** : आज रहने भी दो।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या—1) विधेयक, 1979 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ?

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 7-00 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 29 मार्च, 1979 के म.पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(181)



**परिशिष्ट-1**

(तारांकित प्रश्न 628 का विवरण)

**परिशिष्ट 'अ'**

| क्र. सं. | नाम कर्मचारी व पद | जाति | निवास-स्थान | पंचायत समिति रियां में कार्यरत होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री भगवती सिंह, श्रम निरीक्षक मेहड़ा | राजपूत | रिट आखोर जि. गोरखपुर (यू.पी.) | 18-9-78 हैड क्वाटर मेड़ता है रिया पं. स. भी इनके पास है। |
| 2. | श्री रामजीत सिंह सहायक निरीक्षक रियां | राजपूत | फतहपुर जादो जिला बुलन्दशहर (यू. पी.) | 29-6-77 |
| 3. | श्री वीरपाल सिंह चौहान सहायक निरीक्षक, रियां | राजपूत | बुलन्दशहर (यू.पी.) | 27-6-77<br>27-6-77 |

(182)



परिशिष्ट "ब"

| क्र.सं. | नाम कर्मचारी | पद | नियोजित स्थान | कार्यरत अवधि | स्थानान्तरण किये जाने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री भगवती सिंह | ऋण निरीक्षक | जोधपुर | 6-5-68 से 18-3-69 | सहायक निरीक्षक के पद पर कार्यरत रहे। |
| | | | बीकानेर | 19-3-69 से 16-12-73 | प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया गया। (सहायक निरीक्षक) |
| | | | — | 17-12-73 से 21-10-76 | आदेश दिनांक 7-12-73 के द्वारा निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। |
| | | | कोटा | 22-10-76 से 20-2-77 | सहकारी महाविद्यालय कोटा में निरीक्षक के प्रशिक्षण में रहे। |
| | | | पायल | 21-2-77 से 16-8-78 | प्रशासनिक दृष्टि से। |
| | | | मकराना | 17-8-78 से 17-9-78 | वसूली की दृष्टि से स्थानान्तरण किया गया। |
| | | | मेड़ता शाखा | 18-9-78 से कार्यरत हैं। | प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। |
| 2. | श्री रामजीतसिंह | सहायक निरीक्षक | रियाबडी (नागौर) | 31-1.72 से 28-6-77 | |
| | | | पादुकला (रियां पं. समिति) | 29-6-77 से कार्यरत हैं। | वसूली कार्य को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण किया गया। |
| 3. | श्री वीरपालसिंह चौहान | सहायक निरीक्षक | जयपुर | 1-5-65 से 31-1-69 | |
| | | | सवाई-माधोपुर | 1-2-69 से 11-5-69 | प्रशासनिक दृष्टि से |
| | | | जयपुर | 12-5-69 से 4-11-70 | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सवाई-माधोपुर | 5-11-70 से 28-5-72 | प्रशासनिक दृष्टि से |
| | | | धौलपुर | 29-5-72 से 4-9-73 | ,, ,, |
| | | | परबतसर (नागौर) | 5-9-73 से 20-8-74 | ,, ,, स्थानान्तरण किया गया। |
| | | | नागौर | 21-8-74 से 2-2-75 | सहायक रजिस्ट्रार, सह. समि. नागौर के आदेश क्र. 7716-20। प. निशा. सविस/74 दि.21-8-74 के द्वारा निलम्बित किये गये। मुख्यावास नागौर रखा गया तथा रजिस्ट्रार, सह.समि. राज. जयपुर के आदेश क्रमांक सविरा। परिवाद (49)73 दिनांक 27-1-73 द्वारा बहाल किये गये। |
| | | | नागौर | 3-2-74 से | निलम्बन से बहाल कर सहा. रजि. नागौर के कार्यालय में नियोजित किया। |
| | | | बायल (नागौर) | 16-3-75 से 3-2-76 | पं. सं. बायल में इन्चार्ज, सहकारी प्रसार अधिकारी के पद पर नियोजित किया गया। |
| | | | नागौर | 4-2-76 से 2-6-76 | केन्द्रीय सह. बैंक लि. नागौर के अधीन। |
| | | | लाडनूं शाखा | 3-6-77 से 26-5-77 | वसूली की दृष्टि से किया गया। |
| | | | क्षेत्र रियां | 27-6-77 से कार्यरत हैं। | वसूली की दृष्टि से किया गया। |

**परिशिष्ट "स"**

| तारीख शिकायत | शिकायत कहां से प्राप्त हुई। | शिकायत के मुद्दे | शिकायतों पर निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15-3-73 | श्री मांगी लाल पुत्र सुखाराम सुनार नि. मानिया त. धौलपुर जिला-भरतपुर | गुण्डा गर्दी व जालसाजी | शिकायत पत्र पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां धौलपुर से जांच कराने पर शिकायतें झूठी व निराधार पाई गई तथा मामला फाइल कर दिया गया। |
| 19-4-74 | प्रधान,पं सं. परबतसर सदस्यगण खानपुर, ग्राम सेवा समिति लि. | समितियों में अनियमित, चुनाव कराना। सदस्यों से रकम प्राप्त कर रसीद नहीं देना | श्री चौहान के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की गई एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 24-11-75 के द्वारा उसे परिनिन्दा (सेनश्योर) के दण्ड से दण्डित किया गया। |
| 13-6-74 | श्री जेठा बैरवा सदस्य, राजस्थान विधान सभा परबतसर | चुनाव में अनियमितताये करना, अभद्र व्यवहार करना, शराब के नशे में रहना | |
| 13-2-76 | सहायक रजिस्ट्रार नागौर | स्वेच्छापूर्वक अवकाश का उपयोग करना स्वेच्छापूर्वक बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यावास छोड़ना विभागीय आदेशों की अवहेलना तथा सहकारी संस्था में गलत चुनाव कराना | श्री वीरपालसिंह चौहान के विरुद्ध इन मामलों के कारण राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील रूल्स 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही की गई एवं जांच कराये जाने पर जांच अधिकारी संयुक्त रजिस्ट्रार जोधपुर द्वारा निर्दोष पाये जाने पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राज- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | आचरण संदिग्ध होना स्थानीय राजनीति में लिप्त | स्थान जयपुर के आदेश दि. 21-2-77 के द्वारा श्री चौहान को दोषमुक्त कर दिया गया। |
| -3-77 | श्री भंवरलाल मंत्री बाकलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा तकनीकी सहा. राज. जयपुर | बाकलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में श्री वीरपालसिंह चौहान सहायक निरीक्षक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के क्रम में। | जांच कराये जाने पर श्री चौहान को दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु सहा. रजिस्ट्रार नागौर को पत्र दि. 6-6-78 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। कार्यवाही जारी है। |

## परिशिष्ट 'स'

**सहकारिता मंत्री महोदय के यहां से पंचायत समिति रियांबड़ी के सहायक निरीक्षकों के विरुद्ध निम्न शिकायतें दिनांक 22-3-79 को और प्राप्त हुई हैं :**

| तारीख शिकायत 1 | शिकायतें कहां से प्राप्त हुई 2 | शिकायत के मुद्दे 3 | शिकायत पर की गई कार्यवाही 4 |
|---|---|---|---|
| तारीख अंकित नहीं। | प्रार्थीगण, पंचायत समिति, रियांबडी के प्रतिनिधि एवं व्यवस्थापक, | सहकारी विभाग के नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक के अन्तर्गत पंचायत समिति, रियांबडी क्षेत्र में कार्यरत सहायक निरीक्षकों की गलत कार्यवाहियां के संबंध में | शिकायतें दिनांक 22-3-79 को प्राप्त हुई। जांच हेतु सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर को भेजी जा रही हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। |
| 24-2-79 | कोषाध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारीसमिति, गोरी। | उपरोक्तानुसार | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5-2-79 | अध्यक्ष, टूकिया ग्राम सेवा सहकारी समिति। | उपरोक्तानुसार | |
| 2-2-79 | मन्त्री, रियांबडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. | उपरोक्तानुसार | |
| — | मन्त्री (बिना हस्ताक्षर) रियांबडी ग्राम सेवा सहकारी समिति। | समिति के निरीक्षण रिपोर्ट भिजवाने बाबत | |
| 17-2-79 | मन्त्री (बिना हस्ताक्षर) रियांबड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति। | श्री वीरपालसिंह द्वारा समिति के वसूली में अनियमितता बरतने बाबत की जांच हेतु। | |
| — | प्रस्ताव दिनांक 24-10-78 रियांबड़ी ग्राम सेवा सह. समिति | श्री वीरपालसिंह सहायक निरीक्षक द्वारा ऋण वसूली करके सदस्यों को रसीदें नहीं दी आदि। | |
| — | कारम कारली ग्राम सेवा सह. समिति | श्री वीरपालसिंह सहायक निरीक्षक, रियांबड़ी द्वारा वसूली में गम्भीर अनियमितता बाबत। | |
| — | मन्त्री, रियांबड़ी ग्राम सेवा सह. समिति | श्री वीरपालसिंह सहायक निरीक्षक, रियांबड़ी द्वारा वसूली में गम्भीर अनियमितता बरतने हेतु। | |

## परिशिष्ट—'द'

श्री चौहान सहायक निरीक्षक के विरूद्ध मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय मेड़ता सिटी में दो मामले दर्ज हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री घीसा राम पुत्र श्री छोटू बावरी निवासी रियाबडी ने आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत मुकदमा नम्बर 75 दिनांक 17-7-78 को 800 रुपये की वसूली कर रसीद नहीं देने बावत मुकदमा दर्ज कराया गया ।

2. श्री हजारी राम पुत्र कनीराम बावरी, रियांवडी ने आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत मुकदमा नं. 76 दिनाक 17-7-78 को बावत 1500 रुपये की रसीद नहीं देने के कारण दर्ज कराया है ।

3. मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सहकारी विभाग में प्राप्त नहीं हुई है किन्तु इस सम्बन्ध में श्री नथमल मंत्री ग्यांबड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. से शिकायत प्राप्त होने पर मामले में विभाग द्वारा श्री चौहान के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1985 की धारा 70 के तहत कार्यवाही जेर तजबीज हैं । जांच रिपोर्ट आना शेष है ।

---

(188)



## परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

### झालावाड़ डिपो में बसों का अभाव

632. **श्री निर्मल कुमार** (झालरापाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के झालावाड़ डिपो में बसों की काफी कमी है जिससे जनता को बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है ?

(2) झालावाड़ डिपो में बसों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

### सावी नदी पर ग्राम बचाव बांध का निर्माण कार्य

633. **श्री अयूब खां** (तिजारा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सावी नदी पर पिछले दो तीन वर्षों में गांव बचाव बांध बांधते समय अनियमितता, लापरवाही की गई ?

(2) क्या इस सन्दर्भ में वहां के लोगों से शिकायत, आरोप पत्र प्राप्त हुए ? यदि हो, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त हुई थी।

(2) जी हां, श्री बनवारी लाल गुप्ता, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्राथमिक जांच की जा चुकी है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। श्री लाजपत राय, उप अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। श्री बलराम सिंह, उप अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच कर रहा है। श्री रूप नारायण, उप अभियन्ता के विरुद्ध प्राथमिक जांच की जा रही है।

### शिक्षकों की वरिष्ठता सूची

634. **श्री सुभाष चन्द आर्य** (सूरजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न निदेशालयों द्वारा एक ही विज्ञापन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदों के लिये इन्टर-सी वरिष्ठता सूची का निर्माण आधार एक ही है ? यदि हां, तो क्या एक ही विज्ञापन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विभिन्न विषयों के अनुदेशकों की इन्टर-सी वरिष्ठता

(श्री सुभाष चन्द आर्य)

सूची होरीजेन्टल आधार पर (समान वरीयता) की गई है ?

(2) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक ही विज्ञापन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों की इन्टर-सी वरिष्ठता सूची वरटीकल आधार पर (विषय वार) बनाई गई है ?

(3) एक ही मंत्रालय में वरिष्ठता सूची निर्माण के भिन्न-भिन्न आधार 'क्यों हैं ? क्या इस प्रकार समानता के अधिकार का हनन नहीं होता ?

(4) त्रुटिपूर्ण वरिष्ठ अध्यापकों की इन्टर-सी वरिष्ठता सूची को सुधारने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

(3) इस भिन्नता का कारण विभिन्न विभागों की सेवा शर्तों व नियमों में भिन्नता होना है ।

(4) वरिष्ठता सूची सही हैं । सुधारने का प्रश्न ही नहीं हैं ।

**विभिन्न न्यासों में आयोजित समारोह**

635, **श्री बजरंग लाल शर्मा**(बनीपार्क, जयपुर)—क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान के विभिन्न नगर न्यासों ने उनके ताजा गठन के पश्चात् क्या कोई समारोह, जल्से आयोजित किये ? यदि हां, तो किस-किस ने क्या-क्या, कब-कब और किस-किस उपलक्ष में आयोजित किये ? कृपया सूची मय उक्त सूचनाओं के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त समारोह, जल्सों पर कितना कितना व्यय किया गया ?

(3) उक्त समारोह में से कौन-कौन से न्यास के दायित्व और अधिकारों की परिधि में थे और कौन-कौन से अन्यथा ?

**चूरू का ग्रिड स्टेशन**

636. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू)क्या—विद्युत मन्त्री यह बताते की कृपा करेंगे :–

चूरू में जो ग्रिड स्टेशन मालेरी रोड पर नया बना है क्या उससे चूरू शहर को बिजली देने की कोई योजना सरकार बनाने का विचार रखती है जिससे चूरू कस्बे में आये दिन बिजली सप्लाई में होने वाली गड़बड़ियां दूर हो सकें ?

**उत्तर**

चूरू में मालेरी रोड पर अभी कोई ग्रिड सब स्टेशन बना हुआ नहीं है । केवल एक स्विचिंग स्टेशन है । अतः वहां से चूरू शहर को बिजली देने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता है ।

**मंगलाना (नागौर) सिचाई बांध के कार्य का फर्जी भुगतान**

637. **श्री कल्याण सिह सांखला** (अजमेर):–क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(190)



**(हरिकल्याण सिंह सांखला)**

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 18-10-78 को मंगलाना (नागौर) सिंचाई बांध के कार्य का फर्जी भुगतान ठेकेदार ज्ञानचन्द खूलर के उठाने की शिकायत पर मंत्री महोदय ने सम्बन्धित कागजात अपने कब्जे में किये थे ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या सिंचाई विभाग में सीमेंट का कार्य ठेकेदारों द्वारा करने पर विभाग द्वारा सीमेन्ट दी जाती है ?

(3) क्या सिंचाई विभाग में सीमेन्ट के कार्य करने वाले ठेकेदारों द्वारा सीमेंट अपनी ओर से लगा लेते हैं तथा विभाग से नहीं लेते हैं ? क्या भुगतान उठाने से पूर्व विभाग कभी इस बात की जांच करता है कि ठेकेदार सीमेन्ट कहां से लाया ?

(4) अधीक्षण अभियन्ता अजमेर वृत्त के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में ऐसे कार्य जिनमें सीमेंट ठेकेदार ने लगाई और विभाग द्वारा न लेकर कार्य किया, ऐसे समस्त कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**उत्तर**

1. जी हां । इसकी जांच जारी है ।

2. जी हां । परन्तु कभी-कभी विभागीय भण्डार में सीमेन्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा स्वयं भी लाई जाती है ।

3. जी नहीं । सामान्यतः ऐसा नहीं होता । ऐसी परिस्थितियों में जब विभागीय भण्डार में सीमेन्ट उपलब्ध नहीं होता है तब विभाग की अनुमति से ही ठेकेदार सीमेन्ट लाता है ।
   जी हां । भुगतान के समय इसकी जांच सामान्यतः की जाती है ।

4. सूची 'अ' संलग्न है ।

(कार्यों की सूची जिनके लिए ठेकेदारों द्वारा सीमेंट का प्रबन्ध किया गया

वर्ष 1977–78

| क्र. सं. | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | उपखण्ड | सीमेंट खर्च की गई | सीमेंट प्रदान की गई | ठेकेदारों द्वारा प्रबन्ध किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | गोपाल सागर मसुदा की बांई फीडर का रख-रखाव एवं मरम्मत | श्री इब्राहीम | ब्यावर | 52 थैले | — | 52 थैले |
| 2. | राजियावास की नहर की लाईनिंग | श्री चुन्नीलाल जेसवाल | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | काली टक्कर तालाब की नहर संख्या 2 एवं 3 की मरम्मत | मैसर्स काबरा श्रमिक ठेका सरकारी समिति लिमिटेड, | ब्यावर | 198 थैले | 48 थैले | 150 थैले |
| 4. | तिलौनिया तालाब के गाइड़ बन्ध की मरम्मत एवं सुधार | मैसर्स जनता श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि० बांदरनेंसीन्दरी | अजमेर | 497 थैले | 200 थैले | 297 थैले |
| 5. | विजयसागर लाम्बा की बिग-वाल की मरम्मत एवं सुधार | — | अजमेर | 434 थैले | 350 थैले | 84 थैले |
| 6. | तिलौनिया बांध की उसलाव वीयर के निर्देश वन्ध की मरम्मत एवं सुधार | — | अजमेर | 174 थैले | 150 थैले | 24 थैले |
| 7. | बनजारी तालाब की मुख्य नहर का विकास एवं बढ़ाव | मैसर्स सूरजपुरा श्रमिक ठेका स० लिमिटेड | ब्यावर | 436 थैले | --- | 436 थैले |
| 8. | नारायण सागर की खाटिया नहर की मरम्मत एवं सुधार | मैसर्स आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी लिमिटेड | ब्यावर | 36 थैले | --- | 36 थैले |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मकरोरा नहर की मरम्मत | श्री चुन्नीलाल | ब्यावर | 238 थैले | — | 238 थैले |
| 10. | नया तालाव गुलगांव की मरम्मत (स्कूल के अबटमेंट, वींगस एवं रिसाव रोक दीवार, का निर्माण) | मैसर्स अजमेर भवन का निर्माण संघ उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड. अजमेर | घेवड़ी | 319 थैले | — | 319 थैले |
| 11. | रिचमालिया वन्ध की शीघ्र मरम्मत | मैसर्स गणेश श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड अजमेर | अजमेर | 70 थैले | 40 थैले | 30 थैले |
| 12. | फूलसागर की दांयी मुख्य नहर के चैन 3.25 से 4.85 तक की मरम्मत | श्री ब्रह्मसिंह ठेकेदार मण्डोर, जोधपुर | — | 242 थैले | — | 242 थैले |

## परिशिष्ट 'अ'

### तारांकित प्रश्न 639 का विवरण

वर्ष 1975-76, 1976-77 व 1977-78 की आडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश में आये गबन घोटालों का विस्तृत विवरण

| वर्ष | नाम व्यक्ति | प्रकृति गबन/दुरुपयोग | राशि | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| 1975–76 | श्री पूर्णराम भू०पू०कोषा० | गबन | 5,510.08 | राशि वसूल हो चुकी है। |
| 1976–77 | श्री बृजलाल भू०पू०व्यवस्थापक | रोकड़ पोता कम तोड़ना | 1,000.00 | मामले राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षक गंगानगर के कार्यालय में विचाराधीन है। |
| | | रावतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति में जमा नहीं कराकर जमा बताना | 650.00 | |
| | | समिति के बचत खाते से 10,000/- निकाल कर 9,000/- जमा बताना | 1,000.00 | |
| | | 4 थैले खाद की बिक्री कम जमा करना | 368.00 | |
| | | | रु० 3,018.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | श्री पूर्णराम भू०पू०कोषाध्यक्ष | खाद की राशि मार्केट में कम दिखाना | 970.00 | |
| | श्री परताराम, भू०पू०व्यवस्थापक | बैंक में अधिक बताकर गबन करना | 300.00 | |
| | | 28 थैले खाद की राशि कम जमा करना | 2576.00 | |
| | | रोकड़ पोता कम तोड़ना/ | 4590.00 | |
| | | यूरिया खाद की राशि कम जमा करना | 1012.00 | |
| | | सदस्यों से प्राप्त वसूली की राशि जमा न करना | 4395.00 | |
| | | बैंक में जमा नहीं कराना | 3000.00 | |
| | | | 15,873.49 | |
| 7977–78 | श्री परताराम, | रोकड़ पोता | 8996.34 | दिनांक 24-1-79 को |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | भू०पू०व्यवस्थापक | कम दिखा कर | | मामले राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत विशेष लेखा परीक्षक के कार्यालय में रजिस्टर किये जाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। |
| | श्री धोकल राम मन्त्री | चीनी की बिक्री की राशि जमा नहीं करना | 746.00 | |

**मिलावट प्रतिरोधक कानून के अन्तर्गत न्यायालयों में पेश किये गये चालान**

640. **श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 22 जून, 1977 से 10 फरवरी 79 तक मिलावट प्रतिरोधक कानून के अन्तर्गत कितने चालान न्यायालयों में प्रस्तुत किए गये हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार जान-बूझ कर मिलावटियों को प्रश्रय दे रही है व मिलावट कानून को सख्ती से लागू न करने के गुप्त निर्देश सम्बन्धित कर्मचारियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

**तारांकित प्रश्न 640 (40) की सूची**

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत 22 जून, 1977 से 10 फरवरी, 1979 तक लिए गए नमूनों के केसेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए का विवरण

| क्र०सं० | जिले का नाम | चालान किए गए केसेज की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अजमेर | 17 |
| 2. | अलवर | 35 |
| 3. | भरतपुर | 33 |
| 4. | धौलपुर | 4 |
| 5. | जयपुर | 40 |
| 6. | सीकर | 7 |
| 7. | झुन्झुनू | 6 |
| 8. | सवाई माधोपुर | 20 |
| 9. | टोंक | 4 |
| 10. | बीकानेर | 11 |
| 11. | गंगानगर | 37 |
| 12. | चूरू | 29 |

| 2 | 3 |
|---|---|
| 13. जोधपुर | 17 |
| 14. जालौर | 12 |
| 15. बाड़मेर | 13 |
| 16. नागौर | — |
| 17. पाली | 26 |
| 18. सिरोही | 20 |
| 19. कोटा | 33 |
| 20. बूंदी | 6 |
| 21. झालावाड़ | 3 |
| 22. भीलवाड़ा | 23 |
| 23. बांसवाड़ा | 45 |
| 24. चित्तौड़गढ़ | 42 |
| 25. डूंगरपुर | 5 |
| 26. जैसलमेर | 6 |
| 27. उदयपुर | 26 |
| राजस्थान | 517 |

**पंचायत समिति, डेगाना में अध्यापक कल्याण कोष की स्थापना**

641. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर में अध्यापकों के लिए एक अध्यापक कल्याण कोष खोला गया था ? अगर हां, तो किस अधिकारी ने किस तारीख से इस कोष को प्रारम्भ किया ?

(2) इस कल्याण कोष में धन जमा होने की क्या प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य क्या है।

(3) कोष में अब तक कितनी धन-राशि एकत्रित हुई है ? तथा यह धनराशि कहां रखी जाती है एवं इसका हिसाब कौन रखता है ?

(4) क्या इस तरह का कोष खोल कर धन एकत्रित किया जा सकता है ? जिन अध्यापकों ने इस कोष में धन दिया है, उनकी सूची मय नाम व राशि के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) जी हां। श्री भागचन्द जैन तत्कालीन

(197)



(पंचायत मन्त्री)

विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 4-11-74 से कल्याण कोष आरम्भ करने का प्रस्ताव लिया गया था ।

(2) दिनांक 4-11-74 को वेतन प्रभारियों की बैठक के निर्णयानुसार वेतन वितरण के समय अध्यापकों से एक-एक रुपया एकत्रित किया जाकर कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक में जमा करवाया जाता था । शिक्षक कल्याण कोष का उद्देश्य शिक्षकों के हित के लिए राशि एकत्रित करना था जैसे कि अध्यापक की मृत्यु पर परिवार की सहायता, अध्यापक की लम्बी बीमारी में ऋण के रूप में सहायता देना, आर्थिक स्थिति गिरने पर ऋण अथवा अनुदान देना ।

(3) कोष में अब तक 1883 रुपये 76 पैसे ब्याज सहित जमा हैं । यह धनराशि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डेगाना में जमा है एवं इसका हिसाब श्री मगंजसिंह शिक्षा प्रसार अधिकारी के पास है ।

(4) जी हां । राज्य सरकार के शिक्षकों द्वारा भी शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना की गई है । पंचायत समिति में ऐसा कोई रिकार्ड अथवा सूची उप-...कि किन-किन अध्यापकों

**किशनगढ़ में मुन्सिफ कोर्ट**

642. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की राय में वर्तमान में लगभग कितने-कितने फौजदारी तथा सिविल मुकदमों के होने पर नये मुन्सिफ कोर्ट खोलें जाना न्याय संगत है ?

(2) वर्तमान में न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ (अजमेर) में कुल कितने फौजदारी एवं सिविल मुकदमे विचारार्थ हैं ?

(3) आम जनता को शीघ्र न्याय दिलवाने के वास्ते क्या राज्य सरकार न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट किशनगढ़ के पास विचारार्थ मुकदमों की संख्या देखते हुए शीघ्र किशनगढ़ में एक अतिरिक्त मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार ने कोई मापदण्ड निश्चित नहीं किया है, सामान्यतः एक न्यायालय के लिये 750 प्रकरण सुनवाई हेतु होने चाहिए ।

(2) वर्तमान में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ (अजमेर) में कुल 821 दीवानी मुकद-

(विधि मन्त्री)

(3) राज्य सरकार इस नये वित्तीय वर्ष में कुछ और न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रही है। केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद में उच्च न्यायालय से परामर्श कर किशनगढ़ में नया न्यायालय स्थापित करने पर विचार किया जा सकेगा।

**पंचायत समिति, जसवंतपुरा क्षेत्र में दांतसावास सुन्धामाता का स्थान**

643. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जसवंतपुरा के क्षेत्र में दांतसावास सुन्धामाता का स्थान बहुत प्रसिद्ध है और हर साल लाखों की संख्या में यहां तीर्थयात्री आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन मन्दिरों का एक ट्रस्ट यानि एक कमेटी द्वारा संचालन व निर्माण कार्य वगैरह किया जाता है ? क्या यह स्थान बहुत सुन्दर और रमणीक है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इन स्थानों को पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक यह स्थान पर्यटन केन्द्र बना दिया जावेगा ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां, फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**राजस्थानी भाषी ग्रामीण जनता की मातृ भाषा के विकास की योजनाएं**

644. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा राज्य की 82 प्रतिशत राजस्थानी भाषी ग्रामीण जनता की मातृ भाषा में विकास, सांस्कृतिक व अन्य प्रचार साधन क्यों नहीं जुटाये जाते हैं ?

(2) क्या आज तक राज्य सरकार ने उक्त जनता की मातृ भाषा में (राजस्थानी) प्रकाशन तथा प्रचार का कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या यह ग्रामीण जनता की बहु संख्या के अनुपात से मेल खाता है ?

(3) सीमा व पर्यटन के मशहूर नगर तथा जिला जैसलमेर के जिला सम्पर्क कार्यालय में क्या विशेष प्रचार व प्रसार तद् प्रयोजनार्थ जनता सरकार बनने के बाद किया है ? जन सम्पर्क निदेशालय ने भी इस बारे में अभी तक क्या कोई कदम उठाये हैं या विशेष प्रचार व प्रसार योजनायें बनाई हैं ? इसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) यह सही नहीं है कि राज्य की 82% ग्रामीण जनता राजस्थान भाषा बोलती

(जन सम्पर्क मन्त्री)

है। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान बोलने वालों का प्रतिशत केवल 7.68 है। अतः इस अल्प प्रतिशत को देखते हुए एवं इस भाषा में प्रचार सामग्री प्रकाशित करने तथा प्रचार के अन्य साधनों में सम्प्रेषणा का माध्यम राजस्थानी बनाने में आने वाले अधिक व्यय को देखते हुए राजस्थानी को प्रचार का माध्यम बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा जनता सरकार बनने के बाद जैसलमेर में आगामी सत्र में सूचना केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी है। यह विशेष प्रयास है।

**बनस्थली विद्यापीठ में एन. सी. सी.**

645. **श्रीमती सुमित्रासिंह** (भूंभुनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बनस्थली विद्यापीठ के प्रबन्ध मण्डल ने अगले शिक्षा सत्र से बनस्थली की एन. सी. सी. की वायु एवं सेना (विंग) को बन्द करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अनुमति प्रदान कर देगी ? क्या राज्य सरकार ने वायु विंग के लिये बनस्थली में लाखों रुपया खर्च करके एयर स्ट्रीप का निर्माण किया था ? यदि हां, तो फिर उसकी क्या [redacted] होगी ?

**उत्तर**

जी हां।

मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा एयर स्ट्रीप के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है।

**झालावाड़-सोयत रूट का राष्ट्रीयकरण**

646. **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ से सोयत रूट राष्ट्रीयकरण में ले लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उस रूट पर परिवहन निगम की बसें नहीं चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है और कब तक बसें चलने लग जावेंगी ?

(3) यदि परिवहन निगम बसें नहीं चलाता तो क्या प्राइवेट बस वालों को उस रूट का परमिट देने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह मार्ग राष्ट्रीयकृत है।

(2) जी नहीं। इस मार्ग पर निगम वाहन संचालन कर रहा है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

**विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद**

647. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों व माध्यमिक विद्यालयों मे शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कब से रिक्त पड़े हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) इतने पदों को इतने समय से रिक्त पड़े रखने का क्या कारण है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस सत्र में फरवरी 1979 तक तक 261 तृतीय वेतन श्रृंखला 232 द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं 39 वरिष्ठ अध्यापक (प्रथम श्रृंखला) के रिक्त हैं। रिक्त पदों की जिलावार सूची संलग्न है। पद कब से रिक्त हैं सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) यह सही नहीं है कि ये सभी पद साधारणतया अधिक समय से रिक्त पड़े हैं।

रिक्त पदों की सूचना माह फरवरी 1979

| क्र.सं. | नाम कार्यालय | द्वि०वे०श्रृं० | तृ०वे०श्रृं० | व० अध्यापक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | संयुक्त निदेशक (न) जयपुर | 9 | — | 2 |
| 2. | उपनिदेशक (न) जोधपुर | 6 | 2 | 3 |
| 3. | उपनिदेशक (न) उदयपुर | 8 | 18 | — |
| 4. | जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर | 5 | — | 2 |
| 5. | जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर | 2 | 31 | 1 |
| 6. | जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर | 7 | 50 | 2 |
| 7. | जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर-I | 6 | 28 | 1 |
| 8. | जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर-II | 11 | 7 | — |
| 9. | जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू | 16 | — | — |
| 10. | जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर | 15 | — | — |
| 11. | जिला शिक्षा अधिकारी, करौली | — | — | 1 |
| 12. | जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक | 3 | — | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर (छात्र) | — | 7 | — |
| 14. | जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू | 2 | — | — |
| 15. | जिला शिक्षा अधिकारी, गंगानगर | 12 | 4 | — |
| 16. | जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर | 20 | — | 3 |
| 17. | जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर | 18 | — | 4 |
| 18. | जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर | 20 | 8 | 1 |
| 19. | जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर | 13 | 13 | 1 |
| 20. | जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही | 10 | — | 2 |
| 21. | जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर | 12 | — | 4 |
| 22. | जिला शिक्षा अधिकारी, पाली | 13 | 2 | — |
| 23. | जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा | — | 11 | 2 |
| 24. | जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी | — | 4 | — |
| 25. | जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़ | 3 | — | — |
| 26. | जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा | 7 | 20 | 2 |
| 27. | जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा | 2 | — | 1 |
| 28. | जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर | 2 | 3 | 2 |
| 29. | जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ | 2 | — | 3 |
| 30. | जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर | 2 | 17 | 1 |
| 31. | जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर (छात्रा) | 4 | 9 | — |
| 32. | जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर (छात्रा) | — | 13 | — |
| 33. | जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा | — | 12 | — |
| 34. | जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद | 1 | — | — |
| 35. | व० जिला शिक्षा अधिकारी, ब्यावर | 1 | 2 | — |
| | योग | 232 | 261 | 39 |

**बाड़मेर जिले की ग्रामीण जल-प्रदाय योजना**

**648. श्री वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की नींवला जायडू, ऊंडू-पनाउडा, भाडखा-देरासर एवं भाडरवा रोहिली ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ग्रामीण योजनाओं को सम्पूर्ण तौर से क्रियान्वयन करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और उनके निराकरण के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) उक्त योजनायें कब तक पूरी तौर से क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) नीयमा सुरा जायडू योजना को अगले वर्ष पूर्ण कर सभी 13 गांवों को जल उपलब्ध करा दिया जावेगा।

उन्डूपनावडा योजना पूर्ण कर दी गई है।

भाडका देरासर योजना में स्वीकृत 10 ग्रामों में से 5 ग्रामों को जल वितरण किया जा रहा है। शेष पर निर्माण कार्य चालू है। विस्तार भाडका रोहिली योजना पूर्ण की जा चुकी है।

## विवरण

| क्र. सं. | योजना का नाम | ग्रामों की सं. | स्वीकृति वर्ष | स्वीकृत राशि | योजना के कार्य की प्रगति | योजना को पूर्ण करने एवं कठिनाई संबंधी विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | नीमलासुरा जायड़ | 13 | 75–76 | 29.60 | नीमला में नलकूप का कार्य पूर्ण हो चुका है। विशाला व सुरा में स्वच्छ जलाशयों के कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है एवं अन्य ग्रामों में जलाशय बना दिए गए हैं। योजना पर पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है। विद्युत लाइन हेतु धनराशि जमा करवा दी गई है। | यह योजना अभी क्रियान्वित स्थिति में है और 1980 में योजना पूरी होने का लक्ष्य है। योजना को पूरी करने में कोई कठिनाई नहीं है। |
| 2. | उन्डूपनावडा | 7 | 71–72 | 22.90 | यह योजना पूर्ण कर दी गई है। | इस योजना के अंतिम छोर के ग्राम अकादडा में लगातार जल उपलब्ध कराने में व्यवधान रहता है। ग्रामीणों द्वारा मार्ग में पाइप लाइन तोड़ दी जाती है। जिसके कारण जल सप्लाई में व्यवधान हो जाता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आशा है ग्राम को सुचारू रूप से नियमित जल उपलब्ध होने लगेगा। |
| 3. | भाडका देरासर | 10 | 72–73 / 75–76 (संशोधन वर्ष) | 13.50 / 20.78 (संशोधित धनराशि) | इस योजना के 5 गांवों को नियमित रूप से जल उपलब्ध कराया जा रहा है योजना के कार्य लगभग पूर्ण किए जा चुके हैं, नलकूपों के लिये पम्प प्राप्त कर लिये गये हैं। | योजना के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं किन्तु पहले सभी पम्पों की आवाप्ति न होने के कारण योजना के शेष भागों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं था। अब पम्प प्राप्त कर लिए गए हैं एवं शेष गांवों को शीघ्र ही नियमित रूप से जल उपलब्ध होने लगेगा। |
| 4. | मांडका रोहिली | 1 | 76–77 | 2.32 | इस योजना पर नियमित रूप से जल वितरण किया जा रहा है। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। | |

**जोधपुर जिले के खारे पानी वाले गांव**

649. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में जोधपुर व बिलाड़ा तहसील में कितने गांवों में पानी खारा है तथा पीने योग्य नहीं है ? क्या अकाल के दिनों में पानी की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार को लाखों रुपये व्यय करने पड़ते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि लूनी नदी के किनारे आये हुए गांव जहां पर कि पानी खारा है, वहां की जनता को वर्षा के पानी के अलावा कोई पानी पीने का उपलब्ध नहीं है ? क्या वहां पानी की व्यवस्था के लिए विभाग ने कोई योजना बनाई है ? अगर हां, तो कब तक इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) जोधपुर जिले के जोधपुर एवं बिलाड़ा तहसील में खारे पानी एवं स्त्रोतों हीन ग्रामों की संख्या क्रमशः 130 व 60 है। जी हां, अकाल के समय जल उपलब्ध करने हेतु धन–राशि व्यय की जाती है।

(2) जी हां। पेय–जल उपलब्ध कराने के लिये एक क्षेत्रीय योजना स्वीकृत की गई है जिसके 8 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष गांवों की योजना जिला आयोजना समिति के द्वारा प्रस्तावित किये जाने व धन की उपलब्धी के अनुसार बनाई जा सकेगी।

**शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु बजट का मामला**

650. **श्री उमराव सिंह गूजर** (महुवा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को विकास हेतु तथा आवश्यक सामान खरीद हेतु बजट माह जनवरी में रिलीज किया गया है इससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है क्योंकि अल्प समय में कार्य किया जाना सम्भव नहीं होता है ? बजट विलम्ब से रिलीज किये जाने का क्या कारण है ? कृपा करें ?

**उत्तर**

सामान्यतया राज्य की शिक्षण संस्थाओं का माह मई में बजट रिलीज कर दिया जाता है लेकिन क्रमोन्नत हुई शिक्षण संस्थाओं का बजट विभाग द्वारा प्राप्त क्रमोन्नति के आदेश होने पर ही रिलीज किया जाना सम्भव है।

**राज्य में नियुक्त आई. पी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी**

651. **श्री रामेश्वर प्रसाद गूजर** (जमवारामगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने आई. पी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी राजस्थान के रहने वाले हैं ?

(श्री रामेश्वर प्रसाद गूजर)

(2) राज्य में इस समय कुल कितने आई. पी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) किन-किन अधिकारियों के कौन-कौन से जिले में अपने व परिवार के नाम कृषि फार्म हैं जिनका वे उपयोग करते हैं ?

(4) कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इन फार्मों पर कार्यरत हैं ?

(5) यदि इन फार्मों पर सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

**टोडागंगा, तहसील लालसोट की लोहे की खान**

652. **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट) **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोडागंगा, तहसील लालसोट, जिला जयपुर के लोहे की खान में लोहे की कितनी मात्रा है तथा इस खान से निकलने वाले कच्चे लोहे में कितने प्रतिशत लोहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस खान को दुबारा ठेके पर देने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस खान के आसपास कोयले के भंडार का भी कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

**उत्तर**

(1) टोडागंगा, तहसील लालसोट, जिला जयपुर में लोहे के बहुत छोटे भण्डार होने के कारण लोहे की मात्रा अनुमानित नहीं की गई है। इसके अलावा यह क्षेत्र नवम्बर, सन् 1961 में खनन पट्टे पर दिया गया था और कच्चे खनिज में लोहे की मात्रा खनन पट्टा धारी ने 62·05 प्रतिशत रिपोर्ट की है।

(2) जी हां।

(3) इस खान के आसपास के क्षेत्र में कोयले के भण्डारों के उपलब्ध होने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिये राज्य सरकार द्वारा ही सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। खान के आसपास जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें कोयला के भण्डारों के मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

**राज्य में अन्त्योदय में चयनित परिवार**

653. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या अन्त्योदय योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने परिवार अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अभी तक शामिल किये जा चुके हैं ? जिलेवार सूची व जाति के वर्गीकरण को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(28)



(श्री गिरधारीलल भार्गव)

(2) क्या यह सही है कि कई अन्त्योदय परिवारों को राज्य सरकार की गारण्टी न दिये जाने के कारण सहायता नहीं मिल पाई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस कठिनाई को दूर करने का क्या प्रयास कर रही है ?

(3) क्या विश्व बैंक और भारत सरकार ने भी अन्त्योदय परिवारों को सहायता दिये जाने की घोषणा की है यदि हां, तो इस सहायता को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 1,60,516 एवं द्वितीय चरण में दिनांक 15.2.79 तक 1,11,111 परिवारों का चयन किया गया है जिलेवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति व अन्य के वर्गीकरण की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं।

# Page No. 209



List of Antyodaya Families Identified in First Round.

| S. No. | District | Identified | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | S.C. | S.T. | Others | Total |
| 1. | Ajmer | 2342 | 642 | 4232 | 7217 |
| 2. | Alwar | 3353 | 592 | 4425 | 3572 |
| 3. | Banswara | 613 | 5684 | 836 | 7133 |
| 4. | Barmer | 1229 | 543 | 2170 | 3942 |
| 5. | Bharatpur | 4764 | 589 | 6243 | 11596 |
| 6. | Bhilwara | 1323 | 1630 | 2353 | 5706 |
| 7. | Bikaner | 1216 | – | 1178 | 2394 |
| 8. | Bundi | 1236 | 640 | 1454 | 3330 |
| 9. | Chittorgarh | 2592 | 3699 | 2605 | 8396 |
| 10. | Churu | 2410 | 30 | 1733 | 4173 |
| 11. | Dungarpur | 248 | 3365 | 543 | 4160 |
| 12. | Ganganagar | 4399 | – | 1930 | 6320 |
| 13. | Jaipur | 5354 | 1881 | 5491 | 12726 |
| 14. | Jaisalmer | 668 | 347 | 1199 | 2214 |
| 15. | Jalore | 1327 | 746 | 1533 | 3606 |
| 16. | Jhalawar | 2085 | 1084 | 3742 | 6911 |
| 17. | Jhunjhunu | 1681 | 198 | 1523 | 3482 |
| 18. | Jodhpur | 1485 | 229 | 1808 | 3622 |
| 19. | Kota | 3178 | 1969 | 3412 | 8559 |
| 20. | Nagaur | 3272 | 33 | 2914 | 6219 |
| 21. | Pali | 1591 | 443 | 2580 | 4614 |
| 22. | S.Madhopur | 2431 | 780 | 3712 | 6923 |
| 23. | Sikar | 2255 | 338 | 3280 | 5873 |
| 24. | Sirohi | 861 | 1077 | 646 | 2584 |
| 25. | Tonk | 1737 | 581 | 2013 | 4321 |
| 26. | Udaipur | 2792 | 8811 | 3891 | 15494 |
| | Total : | 57134 | 36932 | 67350 | 169516 |

(209)



List of Antyodaya families Identified in Second Round

| S.No. | District | Identified S.C. | S.T. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajmer | 1207 | 243 | 2029 | 3889 |
| 2. | Alwar | 2233 | 413 | 4133 | 6078 |
| 3. | Banswara | 252 | 2637 | 353 | 3447 |
| 4. | Barmer | 2143 | 439 | 2199 | 2326 |
| 5. | Bharatpur | 2336 | 429 | 3410 | 6225 |
| 6. | Bhilwara | 1195 | 908 | 1017 | 2929 |
| 7. | Bikaner | 929 | 1 | 970 | 1209 |
| 8. | Bundi | NA | NA | NA | 2234 |
| 9. | Chittorgarh | 1614 | 606 | 2669 | 6288 |
| 10. | Churu | 1715 | 25 | 1397 | 3769 |
| 11. | Dungarpur | 2521 | 291 | 661 | 3413 |
| 12. | Ganganagar | 2010 | 1 | 1123 | 3194 |
| 13. | Jaipur | 3175 | 1131 | 3202 | 9529 |
| 14. | Jaisalmer | 232 | 195 | 862 | 1220 |
| 15 | Jalore | 1123 | 566 | 1297 | 2938 |
| 16. | Jhalawar | 1659 | 541 | 9596 | 4296 |
| 17. | Jhunjhunu | 1006 | 142 | 1932 | 3678 |
| 18. | Jodhpur | 1325 | 316 | 2933 | 3765 |
| 19. | Kota | 2072 | 1226 | 1523 | 5840 |
| 20. | Nagaur | 2414 | 24 | 2744 | 5182 |
| 21. | Pali | 1732 | 372 | 1866 | 2970 |
| 22. | S. Madhopur | 1863 | 701 | 2923 | 5497 |
| 23. | Sikar | 1616 | 173 | 2132 | 3911 |
| 24. | Sirohi | 632 | 841 | 512 | 1955 |
| 25. | Tonk | 1012 | 312 | 1374 | 2765 |
| 26. | Udaipur | 1523 | 3025 | 2748 | 8195 |
| | Total | 39370 | 18718 | 50789 | 111111 |

**हिण्डौन नगर न्यास द्वारा अवाप्त की गई भूमि**

655. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या हिण्डौन की तत्कालीन नगर सुधार न्यास ने कुछ भू-स्वामियों की भूमि अवाप्त की थी तथा उनको मुआवजे के रूप में उन्हें बसाने के लिये आवासीय भू-खण्ड देने का तय किया था ? यदि हां, तो अब तक किन-किन को आवासीय भू-खण्ड दे दिए गये और किन किन को भू-खण्ड नहीं दिए गये ?

**उत्तर**

जी हां। तत्कालीन न्यास ने कुछ भूस्वामियों की भूमि अवाप्त की थी तथा न्यास ने आपसी समझौता एवं जिलाधीश के अवार्ड के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद निम्न व्यक्तियों को भूखण्ड देना तय किया गया।

| क्रम | नाम व्यक्ति | भू-खण्ड |
|---|---|---|
| 1. | श्री गुलाब, कल्ला, सुक्की | 3 |
| 2. | श्री बद्रीप्रसाद, परसादीलाल आदि | 3 |
| 3. | श्री जगदीश प्रसाद | 3 |
| 4. | श्री दुर्गा गूजर | 1 |
| 5. | श्री रामजी लाल | 4 |
| 6. | श्री कल्याण प्रसाद वगैरहा | 4 |
| 7. | श्री ईश्वर दास | 1 |
| 8. | श्री स्वरूप चंद जैन | 1 |
| 9. | श्री केदार प्रसाद आदि | 14 |

उपरोक्त में से नं० 9 के व्यक्तियों को 14 भूखण्ड अभी तक नहीं दिये गये हैं बाकी सभी को भूखण्ड दे दिये गये हैं चूंकि इन 14 (चौदह) भूखण्ड वालों की भूमि में 14 भूखण्ड नहीं बने थे एवं अन्य भूखण्ड उपलब्ध नहीं हैं अतः इनसे भी भूखण्ड देने के लिये योजना के प्लान में आवश्यक संशोधन करवाये जाने के लिये उपनगर नियोजक कोटा को लिखा गया है। प्लान आने पर भूखण्ड देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

**काम के बदले अनाज योजना में गेहूं के लदान का भाड़ा**

656. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि काम के बदले अनाज योजना में गेहूं लदान का भाड़ा पंचायत कोष से दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायतों का अनुदान, गेहूं लदान भाड़े में ही समाप्त हो जाता है जिससे विकास के अन्य आवश्यक काम रुक जाते हैं ? अगर सही है, तो गेहूं लदान के भाड़े बाबत सरकार स्वयं विचार कर अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। पंचायतों के अनुदान का कुछ भाग इस कार्य हेतु खर्च होता है। राज्य सरकार इस हेतु अलग कार्यवाही कर रही है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

**अस्पतालों में दवाईयों का अभाव**

657. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि रोगियों को बहुत-सी दवाएँ बाजार से खरीद कर लानी पड़ती हैं क्योंकि वे अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती ?

(2) क्या यह भी सही है कि दवाइयों की दुकान चलाने वाले को लाइसेंस लेना जरूरी है ? यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें है ?

(3) क्या यह सही है कि यह शर्तें बहुत कठिन हैं जिसके कारण बहुत-सी जगह जहां डिस्पेन्सरी एवं ऐड पोस्ट हैं वहां कोई दुकान नहीं है ? कृपया उन जगहों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इन दुकानों के अभाव में चिकित्सालय का सुचारु रूप से चलना लगभग असम्भव है ? यदि हां, तो इस तकलीफ को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

अधिकांश औषधियां अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) जी हां।

ड्रग एवं कोस्मेटिक्स नियम 1945 के नियम 64 जिसमें लाइसेंस प्रदान किए जाने की शर्तें उल्लेखित हैं, संलग्न है।

(3) जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

**राज्य के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता**

658. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद राज्य के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता के लिये कोई समझौता किया है ? यदि हां, तो ये समझौते किन-किन संस्था से कब-कब किये और किस-किस प्रयोजन के लिये गये हैं ?

(2) इन समझौतों के अन्तर्गत कितनी-कितनी वित्तीय सहायता के लिये एग्रीमेंट किया गया था ? उसमें कितनी-कितनी वित्तीय राशि प्राप्त हुई है और कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है ? नहीं प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

(3) इस समझौते के अन्तर्गत अलग-अलग वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है ? और वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष, किस रूप में प्राप्त होती है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इन समझौतों के अन्तर्गत कोई निगम अथवा अन्य संस्थान निर्मित किये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2/2)



(श्री नूरा)

**उत्तर**

(1) राज्य विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कुछ कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार को सीधे (direct) प्राप्त नहीं होती है वरन् केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक समझौता भारत सरकार एवं संबंधित विदेशी वित्तीय संस्था के बीच होता है। राज्य सरकार का समझौता विदेशी संस्थाओं से केवल इन योजनाओं की क्रियान्विती आदि के संबंध में दायित्व निभाने हेतु होता है।

विभाग एवं योजनावार सूचना संलग्न सूची में दर्शाई गई है।

(2, 3 व 4) विभाग एवं योजनावार सूचना संलग्न सूची में दर्शाई गई है।

**वित्तीय सहायता के समझौतों की विभाग एवं योजनावार सूची**

| | |
|---|---|
| 1–सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना विभाग। | 1–सूखा सम्भावित परियोजना के अन्तर्गत जोधपुर एवं नागौर जिले हेतु माह जनवरी, 75 से जून, 1980 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक से कृषि, भूजल से लघु सिंचाई, डेयरी विकास, एवं भू अभिलेख को आदिनांक करने के कार्यक्रम हेतु योजना मंजूर कराई गई हैं।<br><br>2–सूखा सम्भावित कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक से परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार 6.30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होनी है। माह दिसम्बर, 78 तक 217.46 लाख रुपये तथा 5,94,216.30 अमेरिकन डालर्स (50-50 लाख रु.) के दावे भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।<br><br>3–यह सहायता राजस्थान सरकार को सीधे प्राप्त नहीं होती बल्कि भारत सरकार को प्राप्त होती है। वहां से यह सहायता के रूप में राजस्थान सरकार को 2 : 1 के अनुपात में प्राप्त होती है। सारी राशि भारत सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होती है।<br><br>4–इसके अन्तर्गत सम्बन्धित जिलों के लिये जिला विकास अधिकरण की स्थापना की गई है। |
| 2–राजस्थान नहर एवं चम्बल क्षेत्रीय विकास परियोजना। | 1–भारत सरकार ने वर्ष 1974 में राज्य के राजस्थान नहर सिंचित क्षेत्र विकास हेतु एवं चम्बल परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु समझौता किया है।<br><br>2–राजस्थान नहर सिंचित विकास |

(२५)



हेतु 830.00 लाख अमेरिकन डालर तथा चम्बल परियोजना क्षेत्र के विकास हेतु 520.00 लाख अमेरिकन डालर की वित्तीय सहायता के लिये समझौता किया है। समझौते के अनुसार यह वित्तीय सहायता वर्ष 1974 से 1980 तक प्राप्त की जावेगी दिसम्बर, 78 तक राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत 1495·58 लाख रुपये तथा चम्बल परियोजना के अन्तर्गत 1127·31 लाख रुपये के पुनर्भरण दावे राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं।

3–इस समझौते के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत धनराशि सहायता (क्रेडिट) के रूप में मिलेगी तथा चम्बल परियोजना के अन्तर्गत धनराशि ऋण के रूप में मिलेगी। दोनों ही परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता अवरोध रूप से अर्थात् भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी।

4–इस समझौते के अन्तर्गत राज्य सरकार ने भूमि विकास निगम का गठन किया है। तथा दो परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु कमान्ड एरिया एथारिटीज बनाई है।

3–राजस्थान नहर परियोजना।

1–राजस्थान नहर निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों के लिए निःशुल्क सहायता के रूप में खाद्यान्न गेहूँ, घी, (बटर आयल) दूध, चूर्ण, बीन्स आदि प्राप्त होती हैं। जो श्रमिकों को बाजार भाव से आधी दर पर बेचा जाता है। इस विक्रय

से प्राप्त धनराशि अनुबंध के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र पर विकास कार्यक्रमों पर व्यय की जाती है। यह विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना संख्या 259 (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण दिसम्बर, 1975 से आरम्भ हुआ। इस परियोजना संख्या 259 की अवधि मई 1979 तक बढ़ा दी गई है।

2—अनुबन्ध के अनुसार 31 मई 1979 तक निम्नलिखित मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का प्रावधान है :—

| | | |
|---|---|---|
| गेहूं | 30,998 | मीट्रिक टन |
| घी (बटर आयल) | 10,55 | ,, |

खाद्यान्नों की बिक्री से राज्य सरकार को दिसम्बर, 78 तक 280·35 लाख रुपये की आमदनी हुई है।

3—यह सहायता निःशुल्क रूप से प्राप्त होती है।

4—जी, नहीं।

इसके लिए कोई निगम अथवा संस्था निर्मित नहीं की गई है।

4—राजस्थान कोआरेटिव डेयरी फैंडरेशन लि०

1—राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18-12-78 को राजस्थान डेयरी विकास परियोजना के लिये सहायता हेतु विश्व बैंक (इन्टरनेशनल डवलपमेंट एसोशिएशन) से समझौता किया है।

2—यह समझौता 27.70 मिलियन डालर अर्थात 22·16 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए किया गया है। इस समझौते के अन्तर्गत 2.863 मिलियन

डालर का ऋण भारत सरकार से राजस्थान सरकार को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

3—इस समझौते के अन्तर्गत वित्तीय सहायता ऋण के रूप में भारतीय डेयरी विकास के माध्यम से प्राप्त होगी।

4—राज्य सरकार ने इस समझौते के अन्तर्गत राजस्थान डेयरी विकास की स्थापना 31-3-75 को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की है।

| | |
|---|---|
| 5—कृषि विकास | 1—कृषि विस्तार कार्यक्रम की योजना के लिए विश्व बैंक से 23.90 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करायी गई है यह योजना 1 नवम्बर, 77 से शुरू की गई है। |
| | 2—इस योजना हेतु विश्व बैंक से भारत सरकार को 11.70 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। धन राशि प्राप्त करने के लिये भारत सरकार के पास सितम्बर, 78 तक के लिए प्रस्ताव भेजे गये हैं। तथा अब तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई हैं। |
| | 3—यह वित्तीय सहायता ऋण के रूप में भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी। |
| | 4—जी नहीं। इसके लिये कोई निगम अथवा संस्था निर्मित नहीं की गई है। |
| 6—चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग | 1—"ब्रिटिश ऐड स्कीम" के अन्तर्गत भारत सरकार को राज्य के ग्रामीण एवं अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नशाबंदी सुविधाओं के विस्तार हेतु सहायता प्राप्त हुई है। |
| | 2—इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में तालुका स्तर पर 11 अस्पतालों तथा |

(217)



ब्लाक स्तर पर 25 प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर 18,20,000 रुपये के प्रावधान की स्वीकृति दी गई हैं। वर्ष 77-78 में तालुका स्तर के अस्पतालों व 35 ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये 25,95,500 रुपये स्वीकृत किये गये। वर्ष 78-79 में ब्लाक स्तर पर 14 प्रा० स्वा० केन्द्रों का चयन किया जिसके लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित पेटर्न के आधार पर 2,80,000 रुपये की राशि की स्वीकृति वांछनीय है।

3—उक्त राशि भारत सरकार को ग्रांट के रूप में प्राप्त होती है।

4—जी, नहीं। इसके लिये कोई निगम अथवा संस्था निर्मित नहीं की गई हैं।

**सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों की पदोन्नति का मामला**

660. **श्री सूरज पाल सिंह** (भीनमाल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग में करीब 129 सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं? इन अधिकारियों की सूची सदन का मेज पर रखें तथा यह दर्शायें कि उक्त अधिकारी कितने वर्ष से अस्थाई सहायक वाणिज्य कर अधिकारी का कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि करीब 97 सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों के पद विभाग में रिक्त हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि गत बजट अधिवेशन में मेरे एक तारांकित प्रश्न के जवाब में यह कहा गया था कि सहायक वाणिज्य कर अधिकारियों को स्थाई करने हेतु डी.पी.सी. जून माह तक बैठायी जायेगी परन्तु अभी तक डी. पी. सी. न बैठाने के क्या कारण हैं एवं उसके पश्चात् भी 49 निरीक्षकों को सहायक वाणिज्य कर अधिकारी पदोन्नत करने के क्या कारण थे ?

(4) सहायक वाणिज्य कर अधिकारी जो अस्थायी कार्य कर रहे थे को स्थायी करने हेतु डी. पी. सी. कब तक बैठा दी जायेगी ? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। वाणिज्यिक कर विभाग में 106 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं। अस्थाई सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ये अधिकारी सन् 1968 के पश्चात् से कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। 39 पद ही रिक्त हैं।

(3) जी हां। वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण का मामला विचाराधीन होने के कारण डी. पी. सी. नहीं बैठाई जा सकी है। विभाग में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के अधिक पद रिक्त होने के कारण राज्य हित में 49 वाणिज्यिक कर निरीक्षकों को अस्थाई पदोन्नत किया गया है।

(4) अस्थाई सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को स्थाई करने हेतु वाणिज्यिक

(वित्त मंत्री)

कर निरीक्षकों की वरिष्ठता का पूर्व निर्धारित होना नितान्त आवश्यक है जब तक वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो पाता तब तक डी. पी. सी. बैठाना सम्भव नहीं है। वरिष्ठता निर्धारण करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त बना लिये गये हैं तथा नियमानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये मामला 26-12-78 को आयोग को भेजा गया है। उनकी सहमति प्राप्त होने पर वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी तदोपरांत लगभग दो माह बाद डी. पी. सी. बैठाना सम्भव हो सकेगा।

(220)



राजस्थान सरकार
वित्त (ग्रुप-4) विभाग

तारांकित विधान सभा प्रश्न सं. 58।वि. मं.

**वाणिज्यिक कर विभाग के अस्थायी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों की सूची**

| क्रम सं. 1 | अधिकारियो के नाम 2 | पद पर नियुक्ति/पदोन्नति का दिनांक 3 | |
|---|---|---|---|
| 1. | सर्वश्री आक्षय नन्दन शर्मा | 4-1-68 | |
| 2. | श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता | 12-7-68 | |
| 3. | ,, तेजराज सिंह | 5-1-68 | |
| 4. | ,, रामेश्वर लाल छापरवाल | 15-7-68 | |
| 5. | ,, आर. जे. मूलचन्दानी | 3-1-68 | |
| 6. | ,, जितेन्द्र सिंह | 19-7-68 | |
| 7. | ,, सूरजभान भार्गव | 11-7-68 | |
| 8. | ,, शंकर लाल राय | 20-7-68 | |
| 9. | ,, शंकर लाल अग्रवाल | 12-7-68 | |
| 10. | ,, फादी सिंह | 19-7-68 | |
| 11. | ,, नौरतन मल अग्रवाल | 18-7-68 | |
| 12. | ,, हरिश चन्द्र सिन्हा | 20-7-68 | |
| 13. | ,, एल. एन. माथुर | 20-7-68 | |
| 14. | ,, श्याम सुन्दर | 15-7-68 | |
| 15. | ,, जगदम्बा प्रसाद माथुर | 9-10-69 | |
| 16. | ,, नरेन्द्र सिंह बोर्दिया | 24-2-69 | |
| 17. | ,, हरफूल दत्त | 25-2-69 | |
| 18. | ,, मणि राम | 9-10-69 | |
| 19. | ,, परमानाराम | 1-3-69 | |
| 20. | ,, पृथ्वी राज | 1-3-69 | |
| 21. | ,, गणेश लाल बोर्दिया | 17-10-69 | |
| | | 1970 | (निल) |
| 22. | ,, सी. वी. गुप्ता | 4-2-71 | |
| 23. | ,, सोहन लाल दुगड़ | 4-2-71 | |
| 24. | ,, शिव किशन | 4-2-71 | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 25. | श्री मनमोहन चन्द | 12-12-71 | |
| 26. | ,, भगवान दास गुप्ता | 13-12-71 | |
| 27. | ,, मित्र पाल सिंह | 17-1-72 | |
| 28. | ,, भंवर लाल सोनी | 4-2-72 | |
| 29. | ,, भैरू सिंह राणावत | 17-1-72 | |
| 30. | ,, जगदम्बा लाल चौरासिया | 13-1-72 | |
| 31. | ,, रामस्वरूप खत्री | 31-1-72 | |
| 32. | ,, प्रेम चन्द जैन | 31-1-72 | |
| 33. | ,, तनसुख दास शर्मा | 31-1-72 | |
| 34. | ,, ओंकार लाल अरविन्द | 11-12-72 | |
| 35. | ,, भीम सिंह II | 11-12-72 | |
| 36. | ,, मदन मोहन जोशी | 4-5-73 | |
| 37. | ,, नन्द लाल जांगिड़ | 4-5-73 | |
| | | 1974-75 | (विक्ष) |
| 38. | ,, कन्हैयालाल मीणा | 8-10-76 | |
| 39. | ,, युगल किशोर शर्मा | 8-10-76 | |
| 40. | ,, रामपाल सोमानी | 2-1-76 | |
| 41. | ,, मणिकान्त शर्मा | 2-1-76 | |
| 42. | ,, तेज सिंह | 2-1-76 | |
| 43. | ,, राम रतन चौधरी | 2-1-76 | |
| 44. | ,, भंवर लाल कावरा | 8-10-76 | |
| 45. | ,, आनन्दी लाल गुप्ता | 8-10-76 | |
| 46. | ,, फूलचन्द वर्मा | 2-1-76 | |
| 47. | ,, रमेश बहादुर चौधरी | 2-1-76 | |
| 48. | ,, बजरंग लाल मीणा | 8-10-76 | |
| 49. | ,, राम फूल | 8-10-76 | |
| 50. | ,, श्याम सुन्दर शर्मा | 8-10-76 | |
| 51. | ,, भगवान सिंह रावत | 8-10-76 | |
| 52. | ,, रामेश्वर शर्मा | 8-10-76 | |
| 53. | ,, मिश्री लाल मीणा | 8-10-76 | |
| 54. | ,, हिम्मत सिंह सामर | 8-10-76 | |
| 55. | ,, प्यारे लाल श्रीवास्तव | 8-10-76 | |
| 56. | ,, हरिमोहन भटनागर | 4-12-76 | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 57. | श्री दिनेश चन्द्र जोशी | 8-10-76 | |
| | | 1977 | (मिश्र) |
| 58. | ,, एस. सी. भार्गव | 23-10-78 | |
| 59. | ,, बी. एस. माथुर | 23-10-78 | |
| 60. | ,, गौतम प्रसाद गोयल | 23-10-78 | |
| 61. | ,, विजय शंकर जौहरी | 23-10-78 | |
| 62. | ,, मोहन सिंह II | 23-10-78 | |
| 63. | ,, ओम प्रकाश बाहेती | 23-10-78 | |
| 64. | ,, मेघराज जैन | 23-10-78 | |
| 65. | ,, अमर चन्द व्यास | 23-10-78 | |
| 66. | ,, गोपाल लाल शर्मा | 23-10-78 | |
| 67. | ,, पूरन चन्द पालीवाल | 23-10-78 | |
| 68. | ,, गोविन्द प्रसाद गोयल | 23-10-78 | |
| 69. | ,, बृज मोहन शर्मा | 23-10-78 | |
| 70. | ,, घनश्याम सिंह मीणा | 23-10-78 | |
| 71. | ,, अविनाश नारायण माथुर | 23-10-78 | |
| 72. | ,, चिरंजी लाल वर्मा | 23-10-78 | |
| 73. | ,, कैलाश चन्द्र सक्सैना | 23-10-78 | |
| 74. | ,, रणवीर सिंह | 23-10-78 | |
| 75. | ,, चिमन तलवार | 23-10-78 | |
| 76. | ,, सूवालाल जैन | 23-10-78 | |
| 77. | ,, विक्रम सिंह राठौड़ | 23-10-78 | |
| 78. | ,, सैयद नरूलहक | 23-10-78 | |
| 79. | ,, लखपत राज भण्डारी | 23-10-78 | |
| 80. | ,, राम बाबू वशिष्ठ | 23-10-78 | |
| 81. | ,, रतन लाल पूरबिया | 23-10-78 | |
| 82. | ,, नय बिहारी लाल सक्सैना | 23-10-78 | |
| 83. | ,, बलबीर सिंह सिनसिनवार | 23-10-78 | |
| 84. | ,, दलिप सिंह | 23-10-78 | |
| 85. | ,, नानगराम मुरड़िया | 23-10-78 | |
| 86. | ,, सूर्य प्रकाश वर्मा | 23-10-78 | |
| 87. | ,, प्रेम चन्द जैन | 23-10-78 | |
| 88. | ,, अमर पाल सिंह | 23-10-78 | |
| 89. | ,, टी. पी. गुप्ता | 23-10-78 | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 90. | श्री ओम प्रकाश शर्मा | 23-10-78 |
| 91. | ,, मूल सिंह | 23-10-78 |
| 92. | ,, चतरसिंह | 23-10-78 |
| 93. | ,, सुभाषचन्द्र अग्रवाल | 23-10-78 |
| 94. | ,, इन्द्रमणि तिवाड़ी | 23-10-78 |
| 95. | ,, शंकर दान | 23-10-78 |
| 96. | ,, राजेन्द्र कुमार गुप्ता | 23-10-78 |
| 97. | ,, प्रेम नारायण गुप्ता | 23-10-78 |
| 98. | ,, बाबू लाल कुमावत | 23-10-78 |
| 99. | ,, श्रवण लाल कंप | 23-10-78 |
| 100. | ,, सुरेश चन्द्र शर्मा | 23-10-78 |
| 101. | ,, हनुमान सिंह | 23-10-78 |
| 102. | ,, भोलाराम | 23-10-78 |
| 103. | ,, सादुल सिंह | 1-1-79 |
| 104. | ,, रमेश चन्द शर्मा | 1-1-79 |
| 105. | ,, श्याम सुन्दर भाटिया | 1-1-79 |
| 106. | ,, पुरुषोत्तम शर्मा | 1-1-79 |

**स्थगित प्रश्न**

(दिनांक 20-3-79)

**पंचायत समिति कुम्भलगढ़ का ऑडिट**

407. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ का सन् 1961 से 1978 तक बराबर ऑडिट हुआ ?

(2) यदि हां, तो 1961-62 में ऑडिट आब्जेक्शन क्या थे ?

(3) क्या ऑडिट आब्जेक्शन से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 1961-62 से लेकर 1977-78 तक सम्पन्न हो चुका है। वित्तीय वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 का अंकेक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि दोनों वर्षों का अंकेक्षण सहायक परीक्षक द्वारा एक साथ किया गया है। यह फरवरी, 1979 में ही सम्पन्न हुआ है।

(2) वित्तीय वर्ष 1961-62 के आडिट आक्षेपों की जानकारी के लिये आडिट प्रतिवेदन वर्ष 1961-62 की प्रति संलग्न है।

(3) आडिट रिपोर्ट में कुल 35 आक्षेप हैं जिनमें से 33 आक्षेप सहायक परीक्षक द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं तथा 2 आक्षेप (आक्षेप संख्या 26 एवं 33) बकाया है। यद्यपि यह बकाया आक्षेप गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं लेकिन फिर भी दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी।)

225

# परिशिष्ट सं० 3

(अतारांकित प्रश्न 747 (286) की सूची)

**Statement showing loan disbursed and loan-sanctioned but not disbursed under Antyodaya upto 31-1-79**

| S. No. | Districts. | COOPERATIVE BANKS Loan Disbursed No. | Amt. | San. but not disbursed. No. | Amt. | COOMERCIAL BANKS Loan disbursed. No. | Amt. | Sanctioned but not dis. No. | Amt. | TOTAL Loan disbursed. No. | Amt. | San. but not dis. No. | Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ajmer | 405 | 9.68 | 449 | 10.06 | 476 | 11.73 | 382 | 7.31 | 881 | 21.41 | 831 | 17.31 |
| 2. | Alwar | 1428 | 27.47 | 557 | 11.64 | 905 | 16.46 | 92 | 2.59 | 2333 | 43.93 | 649 | 14.23 |
| 3. | Banswara | 415 | 4.37 | 1573 | 21.93 | 191 | 2.26 | 16 | 0.11 | 606 | 6.63 | 1589 | 22.04 |
| 4. | Barmer | 727 | 20.24 | 727 | 35.62 | 97 | 2.32 | 44 | 1.54 | 824 | 22.56 | 771 | 37.26 |
| 5. | Bharatpur | 503 | 9.73 | 944 | 18.88 | 828 | 15.77 | 605 | 13.26 | 1331 | 25.50 | 1549 | 32.14 |
| 6. | Bhilwara | 183 | 4.85 | 257 | 5.90 | 157 | 3.52 | 163 | 8.11 | 340 | 8.37 | 420 | 14.01 |
| 7. | Bikaner | 115 | 3.59 | | 1.75 | 443 | 10.71 | 267 | 7.34 | 558 | 14.30 | 314 | 9.09 |
| 8. | Bundi | 125 | 2.98 | 1192 | 38.31 | 334 | 8.31 | 224 | 11.56 | 459 | 11.29 | 1416 | 49.87 |
| 9. | Chittorgarh | 2156 | 43.71 | 965 | 18.11 | 831 | 19.23 | 845 | 8.81 | 2987 | 62.94 | 1810 | 26.92 |
| 10. | Churu | 842 | 16.05 | 636 | 18.20 | 492 | 11.57 | 419 | 14.54 | 1334 | 27.62 | 1055 | 32.74 |
| 11. | Dungarpur | 1102 | 11.76 | 1555 | 43.14 | 19 | 0.18 | 153 | 1.86 | 1121 | 11.94 | 1708 | 45.00 |
| 12. | Ganganagar. | 285 | 12.18 | 471 | 17.99 | 362 | 15.67 | 567 | 2.99 | 647 | 27.85 | 1038 | 20.98 |
| 13. | Jaipur | 1103 | 23.37 | 1043 | 37.31 | 1671 | 31.15 | 1483 | 26.78 | 2774 | 54.52 | 2526 | 64.09 |
| 14. | Jaiselmer | 140 | 4.03 | 1.0 | 3.48 | 41 | 1.57 | 46 | 1.33 | 181 | 5.60 | 156 | 4.81 |
| 15. | Jalore | 639 | 14.01 | 244 | 7.37 | 570 | 9.60 | 194 | 5.95 | 1209 | 23.61 | 438 | 13.32 |
| 16. | Jhalawar | 371 | 12.83 | 809 | 8.48 | 298 | 2.58 | 131 | 1.27 | 609 | 15.36 | 940 | 9.75 |
| 17. | Jhunjhunu | 662 | 15.75 | 23 | 0.62 | 1286 | 31.62 | 279 | 8.34 | 1948 | 47.37 | 302 | 8.96 |
| 18. | Jodhpur | 611 | 16.18 | 225 | 10.15 | 145 | 3.45 | 70 | 2.02 | 756 | 19.63 | 295 | 12.17 |
| 19. | Kota | 582 | 5.08 | 2966 | 23.19 | 619 | 5.80 | 855 | 12.16 | 1201 | 10.88 | 3821 | 35.35 |
| 20. | Nagaur | 494 | 10.43 | 624 | 25.55 | 1116 | 20.93 | 454 | 13.10 | 1610 | 31.36 | 1078 | 38.65 |
| 21. | Pali | 575 | 12.78 | 438 | 17.34 | 775 | 11.48 | 490 | 27.24 | 1350 | 24.26 | 928 | 44.58 |
| 22. | S. Madhopur | 1454 | 35.84 | 532 | 18.44 | 1197 | 24.09 | 219 | 6.44 | 2651 | 59.93 | 751 | 24.88 |
| 23. | Sikar | 1112 | 23.82 | 321 | 4.97 | 913 | 15.51 | 294 | 5.93 | 1925 | 39.33 | 615 | 10.90 |
| 24. | Sirohi | 727 | 15.70 | — | — | 103 | 1.10 | — | — | 830 | 16.80 | — | — |
| 25. | Tonk | 618 | 10.74 | 155 | 5.32 | 927 | 16.59 | 461 | 10.97 | 1545 | 27.33 | 616 | 16.29 |
| 26. | Udaipur | 2202 | 48.40 | — | — | 1622 | 21.38 | 178 | 3.07 | 3824 | 69.78 | 178 | 3.07 |
| | TOTAL : | 19576 | 415.57 | 16863 | 403.82 | 16318 | 314.53 | 8931 | 204.62 | 35894 | 730.10 | 25794 | 608.47 |

Figures up to oct. Figures up to Nov. Figures up to Dec.

( Rs. in lacs )

| ABSTRACT : | Coope. Banks No. | Amt. | Commer. Banks No. | Amt. | Total No. | Amt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loan disbursement. | 19576 | 415.57 | 16318 | 314.53 | 35891 | 730.10 |
| San. But not disbursed. | 16863 | 403.85 | 8931 | 204.62 | 25794 | 608.47 |
| Total : | 36439 | 819.42 | 25249 | 519.15 | 61688 | 1338.57 |

226

# परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 749 की सूची)

## राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप—4) विभाग

**निदेशालय नगर भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के वर्ष का मानचित्र**

| सत्र | संवेतन | मजदूरी | यात्रा व्यय | चिकित्सा व्यय | कार्यालय व्यय 1. वाहन व्यय | 2. टेलीफोन पर व्यय | 3. अन्य व्यय | योग (1+2+3) | किराया रेट टैक्सेज/ रायल्टियां | भूमि व भवन के लिये भुगतान | प्रचार विज्ञापन सेमिनार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | 164669/- | 15950/- | 6165/- | 3037/- | 8808/- | 23402/- | 146922/- | 179132/- | 7600/- | — | 6577/- | 383130/- |
| 1977–78 | 389949/- | 20081/- | 11200/- | 7300/- | 14485/- | 19234/- | 58231/- | 91950/- | 17960/- | — | 6170/- | 544610/- |
| 1978–79 (जनवरी, 79 तक | 235018/- | 2053/- | 3346/- | 6009/- | 3980/- | 6083/- | 9642/- | 19705/- | 15467/- | — | — | 281598/- |
| कुल योग | 789636/- | 38084/- | 20711/- | 16346/- | 27273/- | 48719/- | 214795/- | 290787/- | 41027/- | — | 12747/- | 1299338/- |

# राजस्थान सरकार

## वित्त (प्र॰प-4) विभाग

निदेशक, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान, जयपुर का वर्ष 1976 से जनवरी, 1979 तक के व्यय का मानचित्र

| सत्र | संवेतन | मजदूरी | यात्रा व्यय | चिकित्सा व्यय | कार्यालय व्यय | किराया रेट कर/ रायल्टियाँ | भूमि व भवन के लिये भुगतान | प्रचार विज्ञापन एवं सेमिनार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | 188140/- | 36230/- | 8116/- | 4126/- | 183359/- | 7600/- | 82000/- | 6577/- | 516148/- |
| 1977–78 | 510900/- | 47700/- | 16000/- | 9800/- | 95470/- | 17960/- | — | 6170/- | 704000/- |
| 1978–79 (जनवरी, 79 तक) | 350250/- | 3194/- | 8036/- | 6969/- | 20379/- | 15467/- | — | — | 404295/- |
| कुल योग | 1049290/- | 87124/- | 32152/- | 20895/- | 299208/- | 41027/- | 82000/- | 12747/- | 1624443/- |

Page No. 229



228

**सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, अजमेर के व्यय का मानचित्र**

| सत्र | संवेतन | मजदूरी | यात्रा व्यय | चिकित्सा व्यय | कार्यालय व्यय | किराया रेट कर/ रायल्टियां | भूमि व भवन के लिये भुगतान | प्रचार विज्ञापन एवं सेमिनार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | 4208/- | 3610/- | 369/- | 90/- | 1382/- | .... | 82000/- | .... | 91659/- |
| 1977–78 | 28833/- | 6337/- | 1300/- | 500/- | 2000/- | .... | .... | .... | 38970/- |
| 1978–79 (जनवरी, 79 तक) | 27890/- | 1141/- | 935/- | 65/- | 158/- | .... | .... | .... | 30189/- |
| योग— | 60931/- | 11088/- | 2604/- | 655/- | 3540/- | .... | 82000/- | .... | 160818/- |

## राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप-4) विभाग

सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, बीकानेर के व्यय का मानचित्र

| सत्र | संवेतन | मजदूरी | यात्रा व्यय | चिकित्सा व्यय | कार्यालय व्यय | किराया कर रेट/ रायल्टियां | भूमि व भवन के लिये भुगतान | प्रचार विज्ञापन एवं सेमिनार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | 4381/- | 11993/- | 435/- | 723/- | 845/- | .... | .... | .... | 18377/- |
| 1977–78 | 35464/- | 21282/- | 900/- | 800/- | 700/- | .... | .... | .... | 59146/- |
| 1978–79 (जनवरी, 79 तक) | 21044/- | .... | 164/- | 400/- | .... | .... | .... | .... | 22408/- |
| योग | 61689/- | 33275/- | 1499/- | 1923/- | 1545/- | .... | .... | .... | 99931/- |

## राजस्थान सरकार

### वित्त (प्र.प-4) विभाग

सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, कोटा के व्यय का मानचित्र

| सत्र | संवेतन | मजदूरी | यात्रा व्यय | चिकित्सा व्यय | कार्यालय व्यय | किराया कर रेट/ रायल्टी | भूमि व भवन के लिये भुगतान | प्रचार विज्ञापन एवं सेमिनार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | 5651/- | .... | 369/- | 151/- | 955/- | .... | .... | .... | 7126/- |
| 1977–78 | 24129/- | .... | 802/- | 167/- | 293/- | .... | .... | .... | 25391/- |
| 1978–79 (जनवरी, 79 तक) | 32890/- | .... | 751/- | 495/- | 50/- | .... | .... | .... | 34186/- |
| योग— | 62670/- | .... | 1922/- | 813/- | 1298/- | .... | .... | .... | 66703/- |

## राजस्थान सरकार

### वित्त (प्रुप-4) विभाग

सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर के व्यय का मानचित्र

| सत्र | संवेतन | मजदूरी | यात्रा व्यय | चिकित्सा व्यय | कार्यालय व्यय | किराया कर रेट/ रायल्टी | भूमि व भवन के लिये भुगतान | प्रचार विज्ञापन एवं सेमिनार | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976–77 | 9231/- | 4677/- | 778/- | 123/- | 1045/- | .... | .... | .... | 15856/- |
| 1977–78 | 32525/- | .... | 1798/- | 1033/- | 527/- | .... | .... | .... | 35883/- |
| 1978–79 (जनवरी, 79 तक) | 32608/- | .... | 2840/- | .... | 466/- | .... | .... | .... | 35914/- |
| योग— | 74364/- | 4677/- | 5416/- | 1158/- | 2038/- | .... | .... | .... | 87633/- |

# परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 756 के मानदण्ड)

Government of Rajasthan

Education (Cell-II) Department

E. F. 6 (6) Edu/Cell.II/65 Dated : 9/9/65

NOTIFICATION

The Governor has been pleased to prescribe the following criteria for the determination of seniority of the teachers other than teachers in Grade III :—

CRITERIA FOR SENIORITY

1. The seniority lists of the teachers except those in grade-III shall be maintained separately for each of the following sections :—

1. Physical Training Instructors.
2. Craft Teachers.
3. Teachers of Music.
4. Teachers of art i. e. Drawing and Painting.
5. General Teachers.

2. Teachers of sections 1 to 4 who are graduate and who hold a degree or diploma in education equivalent to B.Ed. may opt for section 5 within a period of 45 days from the date of publication of the first provision 1 List of seniority. Those who do not exercise this option within the a foresaid period shall be deemed to have opted to continue in their respective sections. The option shall be exercised in Form A appended thereto, and shall be submitted directly to the Additional Director in the case of Senior Teachers and to the Deputy Director of the Range concerned in the case of the rest. Those who send the option to the Deputy Directors will send a copy of the option simultaneously to the Additional Director of Primary and Secondary Educational, Bihaner. The above authority as receiving the form shall attest the option under then dated initials, and shall

(233)



acknowledge the aption in Form B which should be sent to the optee through the Head of the Institution/Office in which he may be working.

3. The seniority lists of lady teachers shall be maintained separately from those of male teachers.

4. (a) The seniority lists of teachers shall be prepared separately for each grade with reference to the following dates–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 1–1–1950 | Rajasthan Employees. |
| 2. | 31–10–1956 | Rajasthan Employees. |
| 3. | 1–11–1956 | Interlaced seniority of Rajasthan and Ajmer State employees. |
| 4. | 1–9–1961 | All teachers. |
| 5. | 27–9–1961 | All teachers. |

(b) The seniority lists of teachers of all other grades excepting that of senior teachers will be prescribed range wise. The seniority list of senior certificate will be prepared on statewise basis.

(c) A common seniority list on statewise basis as on 27-9-61 will also be prepared in respect of trained graduate teachers, BSTC Instructors and Senior Teachers.

5. The lists of seniority as on 31-19-56 will be prepared by adding to the list of prepared with reference 1-1-50 the names in their proper order of the persons appointed or promoted between 2-1-50 and 31-10-56.

6. Seniority lists of the Rajasthan employees of each grade as on 31-10-56 shall be interlaced with the seniority lists of Ajmer state employees in accordance with Government order No. F. 1 (36) Apptts/(c) 56, dated 11-9-59 to prepare the seniority lists as on 1st November, 56.

7. The names of persons appointed or promoted in each grade between 1-11-56 and 31-8-61 shall be added in their proper order to the lists prepared under paragraph 6 for preparing the seniority lists with reference to 31st Aug., 61.

8. The seniority lists as on 1st September, 61, for each grade notified in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 will be prepared by intermixing the list of the previous grades which have merged into the new common grade, all persons in an old higher grade being ranked enblock senior to those in a lower grade.

9. Seniority in each grade of persons appointed there to upto 1.1.1950 will be determined on the basis of total period of service completed by the Government Servants on January 1, 1950 excluding the period of class IV service. In case of more than one person with equal service seniority will be determined according to age.

NOTE--1. Military service will be counted on the same basis as Civil Service for purposes of comparative seniority.

2. No Government servant in Rajasthan who--

i) had attained the age of 54 years on 1st July, 1951 ; or

ii) was on deputation from the Govt. of India or from States other than Rajasthan ; or

iii) was employed on contract; or

iv) was a retired officer re-employeed for a specified period or otherwise shall be eligible for inclusion of his name in the seniorty list.

10. Persons appointed upto 1.1.1950 would be en-block senior to those appointed subsequent to this date.

11. The seniority in each grade of persons appointed thereto on or after 1-1-1950 shall be determined as follows—

a) In respect of persons appointed on the recommendations of the Rajasthan Public Service Commission, seniority shall in all cases be determined with reference to the date of such recommendation. Those recommended on the same date will rank interse in the order of preference indicated by the Commission

NOTE 1. Where no order of preference is mentioned in the recommendation of Commission unless there is any indication to the contrary the seniority in respect of persons promoted from the next lower grade will be determined in the order in which they had been placed in such lower grade and in respect of persons who have not been so promoted, seniority will be determined by age. Persons older in age will be treated as senior

(235)



to those who are younger. The promotees will be enblock senior to the direct recruits.

2. Where orders of preference have been indicated by the Commission but more than one recommendation is made in the same day in respect of different subjects, the persons who have been given the same ranking will be treated on the same footing and their interse seniority shall be determined is in Note-1.

b) Persons appointed without the recommendation of the Rajasthan Public Service Commission to any cadres recruitment to which was formerly in their purview but has now ceased to be so, shall count their seniority from the date of their order of appointment and where such order has been made effective from a particular date their seniority shall be reckoned with reference to such date subject to the condition that such persons shall be enblock junior to the persons recruited on the basis of the commission's recommendations. The persons issued on or made effective from the same date as the case may be, will retain their interse seniority in such lower grade while the seniority of those not falling in this category will be determined according to age, persons older in age being senior to those who are younger. The promotees will be en-block senior to those appointed otherwise.

c) Except where an order of preference has been indicated in the case of appointments which did not require consutation with the Commission the persons promoted from the next lower grade on the basis of orders issued on or made effective from the same date as the case may be will retain their interse seniority in such lower grade while the seniority of those not falling in this catagory will be determined according to age, persons older in age being senior to those who are younger. The promotees will be en-block senior to those appointed otherwise.

12. Persons who had been passed over in making promotions to the next higher grade without assigning any reasons would on subsequent promotion to such higher grade, be given the same seniority which they would have got had they not been so superseded.

NOTE 1. Every refusal of promotion should be treated as a Voluntary surrender of claim to promotion for one calendar year but the period of such surrender shall not be deemed to extend beyond the date of subsequent promotion.

2. A person who on the relevant date did not possess the requisite qualifications for promotion to the higher grade and was passed over on this account will, on subsequent promotion after he has acquired such qualification shall not be entitled to restoration of seniority.

3. In the case of persons eligibe for promotion to the trained graduate grade in terms of Government Order No. E. 17 (23) Edu/52, dated the 11th March, 1951 the vacancies reserved for them (25%) will be calculated with reference to the vacancies filled during each calendar year subsequent to this date.

13. The seniority of Social Education Officers and Lady Social Education Officers who were graduates and who were appointed by the Education Depeartment or were transferred there to from the Development Department shall be determined in the Trained Graduate Grade/Grade I reckoned from the date of recommendation of the Rajasthan Public Service Commission, if such persons had completed his/her training as Social Education Officers/Lady Social Education Officer before the date of such recommendation. Persons recommended on the same date will be ranked interse in the order of preference indicated by the Commission. The seniority of person who completed their training subsequent to their selection by the Rajasthan Public Service Commission will be reckoned from the first day of the month following the completion of the training. The interse seniority of such persons reckoning seniority on the same date will be determined with reference to the recommendation of the Rajasthan Public Service Commission and those recommanded on the same date being ranked interse in the order of preference indicated by the Commission.

14. Seniority of persons, absorbed as a result of the resumption of Jagirs in the grade in which they were absorbed shall be determined from the date of taking over of the Jagirs. The interse

seniority of such Jagir employees shall however be fixed according to the date of continuous appointment in the same grade in the Jagir.

15. Seniority of employees of institutions taken over by Government from private management and other agencies in the grade in which they were absorbed shall be determined from the date of taking over of the institution. The interse seniority of such employees shall however be fixed according to the date of continuous appointment in the same grade under such management/agency.

16. Seniority of ex-employees of District Boards absorbed in the Education Department as a result of the abolition of District Boards shall be determined from the date of their continuous appointment in the same grade in the District Boards if they were qualified to hold the post. Otherwise seniority shall be fixed in the lower grades for which they are qualified.

17. Nothing contained herein shall be construed to refer to the determination of the seniority of the employees of the former Ajmer State till 31st October, 1956.

By Order,
Secretary to the Government.

## परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, वांसवाड़ा**

(तारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूची)

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | छात्र संख्या | | | | | | महा योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जन जाति | | | |
| | | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | उच्च मा. वि. कुशलगढ़ | 6 | — | 6 | 190 | 1 | 191 | 197 |
| 2. | माध्यमिक वि. छोटी सरवा | 4 | — | 4 | 95 | — | 95 | 99 |
| 3. | उच्च प्राथमिक विद्यालय कुशलगढ़ प्रथम | 3 | — | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 4. | उच्च प्राथमिक विद्यालय „ नविन | 4 | — | 4 | 31 | 1 | 32 | 36 |
| 5. | उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहारिया | 1 | — | 1 | 79 | 4 | 83 | 84 |
| 6. | „ टिम्बेडा बड़ा | 2 | — | 2 | 66 | — | 66 | 68 |
| 7. | „ वड़वास | 4 | — | 4 | 36 | 3 | 39 | 43 |
| 8. | „ कोटडाराणना | 2 | — | 2 | 46 | — | 46 | 48 |
| 9. | „ बड़ीसरवा | 10 | 4 | 14 | 23 | 1 | 24 | 38 |
| 10. | „ मोहकमपुरा | 8 | 7 | 15 | 50 | 1 | 51 | 66 |
| 11. | „ अखेपुर | — | — | — | 57 | 7 | 64 | 64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | उच्च प्राथमिक वि. रामगढ़ | 2 | 1 | 3 | 65 | 7 | 72 | 75 |
| 13. | ,, उकाला | 1 | — | 1 | 62 | 1 | 63 | 64 |
| 14. | प्राथमिक विद्यालय कुशलगढ़ प्रथम | 10 | 4 | 14 | 3 | — | 3 | 17 |
| 15. | ,, पाडवासाथ | — | — | — | 18 | 5 | 23 | 23 |
| 16. | ,, वागडियाकला | 9 | 2 | 11 | 22 | 12 | 34 | 45 |
| 17. | ,, कुम्हारवाड़ा | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 |
| 18. | ,, मोइवाड़ा | 3 | 4 | 7 | 1 | — | 1 | 8 |
| 19. | बसन्ती बैन लखावत जैन मन्दिर (मान्यता प्राप्त) | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. | बालिका माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| 21. | बालिका उच्च प्राथमिक वि. कुशलगढ़ | — | — | — | — | — | — | — |
| | योग | 69 | 23 | 92 | 852 | 46 | 898 | 990 |

जिला शिक्षा अधिकारी,
वांसवाड़ा ।

ग्रामीण क्षेत्र

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, बांसवांडा (राजस्थान)

तारांकित प्रश्न की सूचना 275

| क. सं. | नाम विद्यालय | छात्र संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जन जाति | | | महा योग |
| | | छात्र | छात्रा | योग | छात्र | छात्रा | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | प्राथमिक विद्यालय घाटी | 14 | 21 | 35 | 12 | 6 | 18 | 53 |
| 2. | ,, भगतपुरा | 2 | — | 2 | 47 | 11 | 58 | 60 |
| 3. | ,, भरतगढ़ | -2 | 4 | 6 | 28 | 16 | 44 | 50 |
| 4. | ,, मुन्दड़ी | — | — | — | 31 | 6 | 38 | 38 |
| 5. | ,, खेरड़ा | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. | ,, राडरु गेरा | — | — | — | 32 | 4 | 36 | 36 |
| 7. | ,, पीटलीयां | — | — | — | 31 | 22 | 43 | 43 |
| 8. | ,, मीर | — | — | — | 36 | 18 | 54 | 54 |
| 9. | ,, चुरादा | — | — | — | 39 | 11 | 50 | 50 |
| 10. | ,, टाडावड़कला | — | — | — | 55 | 6 | 61 | 61 |
| 11. | ,, कलिजरा | — | — | — | 32 | 8 | 40 | 40 |
| 12. | ,, जाड़ी | — | — | — | 29 | 12 | 41 | 41 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | प्राथमिक विद्यालय | नागदा | — | — | — | 47 | 5 | 52 | 52 |
| 14. | ,, | ओटड़ी | — | — | — | 26 | 7 | 33 | 33 |
| 15. | ,, | बांसड़ी | — | — | — | 36 | 6 | 41 | 41 |
| 16. | ,, | कांकनवाड़ा | — | — | — | 28 | 12 | 40 | 40 |
| 17. | ,, | भंवर कोट | — | — | — | 28 | 9 | 37 | 37 |
| 18. | ,, | खेड़पुर | — | — | — | 55 | 3 | 58 | 58 |
| 19. | ,, | बगायचा | — | — | — | 32 | 8 | 40 | 40 |
| 20. | ,, | वसुनी | — | — | — | 45 | 5 | 50 | 50 |
| 21. | ,, | पाड़ला | — | — | — | 60 | 12 | 72 | 72 |
| 22. | ,, | जालमपुरी | — | — | — | 57 | — | 57 | 57 |
| 23. | ,, | रसोड़ी | — | — | — | 23 | 18 | 41 | 41 |
| 24. | ,, | उदयगढ़ (वसुनी) | — | — | — | 22 | 7 | 29 | 29 |
| 25. | ,, | निश्नावट | — | — | — | 52 | 12 | 64 | 64 |
| 26. | ,, | ठुम्मठ | 1 | — | 1 | 56 | 6 | 62 | 63 |
| 27. | ,, | खोटाबारी | — | — | — | 57 | 8 | 65 | 65 |
| 28. | ,, | बोरखेडी | — | — | — | 29 | 11 | 40 | 40 |
| 29. | ,, | बड़वास छोटी | 2 | 3 | 5 | 16 | 12 | 28 | 33 |
| 30. | ,, | देवदानाथ | — | — | — | 33 | 1 | 34 | 34 |
| 31. | ,, | पलकपाड़ा | — | — | — | 30 | 8 | 38 | 38 |
| 32. | ,, | खड़ीयासाथ | — | — | — | 27 | 8 | 35 | 35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | प्राथमिक विद्यालय | विझेड़ा छोटा | 7 | — | 7 | 46 | 7 | 53 | 53 |
| 34. | ,, | भीमगढ़ | 4 | 1 | 5 | 31 | 4 | 35 | 40 |
| 35. | ,, | चरकनी | — | — | — | 44 | — | 44 | 44 |
| 36. | ,, | सबलपुरा | — | — | — | 61 | 7 | 68 | 68 |
| 37. | ,, | गट्ठुला | — | — | — | 37 | 9 | 46 | 46 |
| 38. | ,, | भोवाली | — | — | — | 30 | 7 | 37 | 37 |
| 39. | ,, | घान्टा | — | — | — | 57 | 4 | 61 | 61 |
| 40. | ,, | सारन | 1 | — | 1 | 32 | 2 | 34 | 35 |
| 41. | ,, | बीकानेर | — | — | — | 28 | 2 | 30 | 30 |
| 42. | ,, | बड़लीपाड़ा | — | — | — | 35 | 3 | 38 | 38 |
| 43. | ,, | लक्ष्मणपुरा | — | — | — | 34 | 4 | 38 | 38 |
| 44. | ,, | कांकनीया | 1 | — | 1 | 43 | 6 | 49 | 50 |
| 45. | ,, | करनदीया | — | — | — | 40 | 20 | 60 | 60 |
| 46. | ,, | खालापुरा | 2 | — | 2 | 40 | 3 | 43 | 45 |
| 47. | ,, | बीजोरी बड़ी | — | — | — | 56 | 12 | 68 | 68 |
| 48. | ,, | बीजलपुर | — | — | — | 35 | 5 | 40 | 40 |
| 49. | ,, | पोटलीयाराणगा | — | — | — | 35 | 13 | 48 | 48 |
| 50. | ,, | बडला की रेल | — | — | — | 49 | 9 | 58 | 58 |
| 51. | ,, | गोदवन | — | — | — | 37 | 11 | 48 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | प्राथमिक विद्यालय गलथर | — | — | — | 44 | 3 | 47 | 47 |
| 53. | ,, धीभावटी | — | — | — | 35 | 11 | 46 | 46 |
| 54. | ,, मिर्चघाटी | 1 | 6 | 7 | 62 | 14 | 76 | 76 |
| 55. | ,, बावलीया पाड़ा | — | 1 | 1 | 32 | 3 | 35 | 36 |
| 56. | ,, चौथवाड़ा | — | — | — | 19 | 11 | 30 | 30 |
| 57. | ,, कुन्डीया | — | — | — | 40 | 8 | 48 | 48 |
| 58. | ,, बावड़ी लिन्डोर | — | — | — | 35 | 7 | 42 | 42 |
| 59. | ,, गोपालपुरा | — | — | — | 39 | 1 | 40 | 40 |
| 60. | ,, सुरवन | — | — | — | 30 | 5 | 35 | 35 |
| 61. | ,, सातलियां | — | — | — | 33 | 7 | 40 | 40 |
| 62. | ,, बस्सी | — | — | — | 64 | 7 | 71 | 71 |
| 63. | ,, करनघाटी | — | — | — | 46 | 5 | 51 | 51 |
| 64. | ,, रोलगढ़ | — | — | — | 41 | 5 | 46 | 46 |
| 65. | ,, धोलका | — | — | — | 38 | 14 | 52 | 52 |
| 66. | ,, महुड़ा | — | — | — | 44 | 9 | 53 | 53 |
| 67. | ,, पाटन | — | — | — | 22 | 9 | 31 | 31 |
| 68. | ,, मोरभ | — | — | — | 31 | 7 | 38 | 38 |
| 69. | ,, दरीवहीयां | — | — | — | 51 | — | 51 | 51 |
| 70. | ,, जूनापीनी | — | — | — | 21 | 10 | 31 | 31 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. प्राथमिक विद्यालय | लुणावाड़ा | — | — | — | 29 | 4 | 33 | 33 |
| 72. ,, | कोटड़ा राणागा | 2 | — | 2 | 46 | — | 46 | 48 |
| 73. ,, | अम्बापाड़ा (मा. प्राप्त) | — | — | — | 143 | 36 | 179 | 179 |
| | योग | 39 | 36 | 75 | 2849 | 481 | 3330 | 3405 |

जिला शिक्षा अधिकारी,
बांसवाड़ा ।

(2457)



## परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न सं. 762 की सूची)

**बीकानेर जिले में काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कार्यों का विवरण**

| क्र. स. | नाम पंचायत समिति | कार्यों की संख्या | अनुमानित लागत | आवंटित गेहूँ की मात्रा (मीट्रिक टन) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बीकानेर | 308 | 46,16,933) | 861.00 |
| 2. | कोलायत | 238 | 12,55,770) | 567.50 |
| 3. | नोखा | 277 | 63,90,179) | 1167.50 |
| 4. | लूणकरणसर | 152 | 18,16,294) | 467.50 |
| | योग | 975 | 1,40,79,176) | 3063.50 |

# परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न सं. 763 की सूची)

## आवंटित भूखण्डों की सूची

| क्र. सं. | प्लाट सं. | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | भारत इण्डस्ट्रीज चोपासनी रोड । |
| 2 | 2 | भगवानदास वल्द कन्हैयालाल शर्मा । |
| 3 | 3 | एम. सी. अंसारी वल्द ए. जी. अंसारी । |
| 4 | 4 | खदरूद्दीन एण्ड संस । |
| 5 | 5 | बाड़मेर डीजल पम्प सर्विस । |
| 6 | 6 | श्री मदन गोपाल पुरोहित । |
| 7 | 8 | जय बजरंग ओटोमोबाइल्स । |
| 8 | 10 | श्री कालू खाँ मिस्त्री । |
| 9 | 13 | मैसर्स सैनिक मोटर्स । |
| 10 | 14 | मोहनी उमर भाई एण्ड सन्स । |
| 11 | 16 | यूनाइटेड टायर्स रिटेडिंग सर्विस । |
| 12 | 17 | ग्लोब रेडियटर्स । |
| 13 | 18 | जय बजरंग ओटो सेन्टर्स । |
| 14 | 19 | गहलोत ट्रेक्टर रिपयेरिंग वर्क्स । |
| 15 | 20 | सूरज मोटर्स । |
| 16 | 23 | मोल्डर्स एवं इंजीनियर्स । |
| 17 | 24 | मोहन मोटर्स । |
| 18 | 25 | शान्ती वेल्डिंग वर्क्स । |
| 19 | 28 | गहलोत ओटोमोबाइल्स वर्क्स । |
| 20 | 27 | नेशनल मोटर वर्क्स । |
| 21 | 29 | आदर्श उद्योग । |
| 22 | 30 | शिप हैड एवं ब्लोक रिपेयरिंग । |
| 23 | 31 | रणजीतसिंह ओटोमोबाइल्स वर्क्स । |
| 24 | 33 | इण्डिया मोटर्स । |
| 25 | 35 | आर. बी. वादावर्क । |
| 26 | 36 | मंघाराम एण्ड कम्पनी । |
| 27 | 37 | सतपाल ओटो इंजीनियरिंग वर्क्स । |

(247)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 28 | 38 | महालक्ष्मी वर्क्स । |
| 29 | 40 | जनरल मोटर वर्क्स । |
| 30 | 42 | वशिष्ट इंजिनियरिंग वर्क्स । |
| 31 | 43 | बाबू एण्ड फैक्ट्री |
| 32 | 44 | कालार इलेक्ट्रिक वर्क्स । |
| 33 | 41 | कृष्णा ओटो वर्क्स । |
| 34 | 45 | बाबू रेडिएटर वर्क्स । |
| 35 | 46 | एशियटिक ओटो वर्क्स । |
| 36 | 47 | भूरे खां पुत्र श्री नदू खां । |
| 37 | 48 | जोधपुर टायर कम्पनी । |
| 38 | 49 | मौहम्मद कासन भाई । |
| 39 | 50 | कन्हैयालाल ओटो वर्क्स । |
| 40 | 51 | ओटोमोबाइल कोआपेरेटिव वर्कशाप । |
| 41 | 52 | यूनियन मोटर्स । |
| 42 | 53 | भसरानी ओटोमोबाइल्स । |
| 43 | 54 | महेश मोटर्स । |
| 44 | 55 | शिवकरण जगदीश जितेन्द्र । |
| 45 | 56 | हिन्द मोटर्स । |
| 46 | 57 | न्यू एशियाटिक । |
| 47 | 58 | मैसर्स चम्पालाल । |
| 48 | 59 | घनश्याम भाटी । |
| 49 | 60 | मदनलाल पुत्र श्री मोहनलाल । |
| 50 | 62 | ओम ओटो इलेक्ट्रिक वर्क्स । |
| 51 | 61 | ज्ञानसिंह पुत्र श्री गुमान सिंह । |
| 52 | 63 | बोम्बे मोटर्स । |
| 53 | 64 | रणजीत सिंह जौहर । |
| 54 | 65 | जनरल टायर्स । |
| 55 | 66 | अब्दुल अजीज भाई । |
| 56 | 70 | इण्डियन मोटर्स । |
| 57 | 71 | नेशनल इन्जीनियर्स । |
| 58 | 72 | हिन्दुस्तान मोटर्स । |
| 59 | 73 | लक्ष्मी उद्योग । |
| 60 | 74 | गिरधारी सिंह । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 61 | 62 | वाबूलाल पुत्र मंगीलाल । |
| 62 | 77 | राज मोटर्स । |
| 63 | 78 | श्री मगन सिंह । |
| 64 | 79 | जैन मोटर्स टायर्स । |
| 65 | 80 | मोडर्न ओटो वर्क्स । |
| 66 | 81 | यंग मोटर्स चोपासनी रोड । |
| 67 | 87 | नेशनल इलेक्ट्रिक वर्क्स । |

(249)



## परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न 766 की सूची)

**चूरू जिले में सत्र 1977-78 एवं 78-79 में क्रमोन्नत मा. वि. की सूची**

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम | | | क्रमोन्नत का वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 |
| 1. | राजकीय माध्यमिक विद्यालय रातूसर | | | (77-78) |
| 2. | ,, | ,, | ढाणोपांचेरा | (77-78) |
| 3. | ,, | ,, | गुसाईसर | (77-78) |
| 4. | ,, | ,, | कानूता | (77-78) |
| 5. | ,, | ,, | साखड़ा | (77-78) |
| 6. | ,, | ,, | जसरासर | (77-78) |
| 7. | ,, | ,, | बुचावास | (77-78) |
| 8 | ,, | ,, | रामपुरा बेरी | (77-78) |
| 9. | ,, | ,, | सेऊवा | (77-78) |
| 10. | ,, | ,, | भुजरेडी | (77-78) |
| 11. | ,, | ,, | दाऊदसर | (77-78) |
| 12. | ,, | ,, | चाड़वास | (78-79) |
| 13. | ,, | ,, | सात्यूं | (78-79) |
| 14. | ,, | ,, | ददरेवा | (78-79) |

**सत्र 1977-78 एवं 78-79 में क्रमोन्नत उ. प्रा. वि. की सूची**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय उच्च प्रा. विद्यालय बोनासर | | | (77-78) |
| 2. | ,, | ,, | खोवासर | (77-78) |
| 3. | ,, | ,, | श्यामपुरा | (77-78) |
| 4. | ,, | ,, | भांडग | (77-78) |
| 5. | ,, | ,, | झोथड़ा | (77-78) |
| 6. | ,, | ,, | सूरतपुरा | (77-78) |
| 7. | ,, | ,, | रतनपुरा | (77-78) |
| 8. | ,, | ,, | मुन्दोताल | (77-78) |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 9. | राजकीय उच्चप्रा. विद्यालय | भोगन | (77-78) |
| 10. | ,, | ,, भानूदा | (77-78) |
| 11. | ,, | ,, सिमसिया | (77-78) |
| 12. | ,, | ,, सोनवालसर | (77-78) |
| 13. | ,, | ,, बरजांगसर | (77-78) |
| 14. | ,, | ,, बादड़िया | (77-78) |
| 15. | ,, | ,, पुन्दलसर | (77-78) |
| 16. | ,, | ,, मलसोसर | (77-78) |
| 17. | ,, | ,, सुजानगढ़ | (77-78) |
| 18. | ,, | ,, राजपुरा | (77-78) |
| 19. | ,, | ,, ढंढाललेखू | (77-78) |
| 20. | ,, | ,, फूलचन्द राजगढिया रामगढ़ | (77-78) |
| 21. | ,, | ,, बच्छरारा | (77-78) |
| 22. | ,, | ,, सेहला | (77-78) |
| 23. | ,, | ,, जैलसोसर | (77-78) |
| 24. | ,, | ,, माकासर | (77-78) |
| 25. | ,, | ,, डेलवा | |

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू ।

### बिन्दु संख्या 2 का प्रत्युत्तर

| क्र. सं. | विद्यालय का नाम व स्तर | कक्षानुसार छात्र संख्या अ. ई. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | रा. सा. वि. रातूसर | 24 | 19 | 14 | 9 | 28 | 20 | 13 | 6 | 17 | 150 |
| 2. | " ढाणीपांचेरा | 77 | 15 | 8 | 9 | 16 | 17 | 6 | 18 | 10 | 176 |
| 3. | " गुसाईसर | 29 | 6 | 9 | 8 | 25 | 12 | 9 | 12 | 5 | 115 |
| 4. | " कानूता | 59 | 21 | 17 | 22 | 17 | 31 | 29 | 15 | 14 | 225 |
| 5. | " सातड़ा | 77 | 20 | 15 | 16 | 52 | 47 | 31 | 31 | 30 | 319 |
| 6. | " जसरासर | 48 | 24 | 21 | 18 | 36 | 37 | 25 | 19 | 15 | 243 |
| 7. | " बचावास | 63 | 25 | 21 | 38 | 21 | 18 | 19 | 23 | 17 | 245 |
| 8. | " रामपुराबेरी | 45 | 38 | 34 | 24 | 52 | 21 | 21 | 71 | 24 | 330 |
| 9. | " सेऊवा | 33 | 21 | 16 | 18 | 41 | 14 | 24 | 46 | 23 | 241 |
| 10. | " मुखरेड़ी | 46 | 8 | 25 | 24 | 37 | 26 | 21 | 32 | 28 | 247 |
| 11. | " दाऊदसर | 66 | 16 | 23 | 11 | 21 | 13 | 9 | 6 | 10 | 175 |
| 12. | " चाडवास | 38 | 34 | 50 | 23 | 48 | 18 | 29 | 17 | .... | 257 |
| 13. | " सात्यू | 83 | 28 | 26 | 34 | 36 | 28 | 35 | 31 | .... | 301 |
| 14. | " ददरेवा | 82 | 31 | 33 | 24 | 32 | 32 | 24 | 25 | .... | 283 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय उ. प्रा. वि. बीनासर | 59 | 14 | 14 | 7 | 12 | 11 | .... | .... | .... | 117 |
| 2. | ,, रीवासर | 51 | 24 | 7 | 10 | 9 | 9 | .... | .... | .... | 110 |
| 3. | ,, श्यामपुरा | 28 | 5 | 10 | 7 | 12 | 7 | .... | .... | .... | 69 |
| 4. | ,, माड़ा | 33 | 23 | 12 | 10 | 15 | 17 | .... | .... | .... | 110 |
| 5. | ,, झोयड़ा | 44 | 18 | 16 | 11 | 22 | 22 | .... | .... | .... | 133 |
| 6. | ,, सूरतपुरा | 61 | 26 | 22 | 11 | 28 | 25 | .... | .... | .... | 173 |
| 7. | ,, रतनपुरा | 132 | 31 | 31 | 17 | 44 | 29 | 32 | .... | .... | 316 |
| 8. | ,, मून्दीताल | 21 | 10 | 8 | 7 | 30 | 21 | 25 | .... | .... | 122 |
| 9. | ,, भोजान | 28 | 11 | 9 | 13 | 37 | 31 | 31 | .... | .... | 160 |
| 10. | ,, मानूदा | 52 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | .... | .... | .... | 106 |
| 11. | ,, सिमासिया | 23 | 9 | 9 | 5 | 14 | 24 | .... | .... | .... | 84 |
| 12. | ,, सोनपालसर | 20 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | .... | .... | .... | 39 |
| 13. | ,, बरजांगसर | 53 | 21 | 9 | 9 | 8 | 9 | .... | .... | .... | 109 |
| 14. | ,, बादड़िया | 18 | 9 | 6 | 2 | 7 | 2 | .... | .... | .... | 44 |
| 15. | ,, पुन्दलसर | 66 | 3 | 5 | 8 | 6 | 15 | .... | .... | .... | 103 |
| 16. | ,, मलसीसर | 84 | 25 | 33 | 19 | 17 | 26 | .... | .... | .... | 204 |
| 17. | ,, राजपुरा | 79 | 20 | 22 | 21 | 15 | .... | .... | .... | .... | 157 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | रा. उ. प्रा. वि. ढ़ढ़ाले लेखू | 33 | 10 | 8 | 5 | 33 | .... | .... | .... | .... | 89 |
| 19. | रा. छ. प्रा. वि. फूलचन्द राजगढ़िया, राजगढ़ी | .... | .... | .... | .... | .... | कक्षा 6 से 8 तक | | .... | .... | 287 |
| 20. | बच्छरारा | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | .... | .... | .... | .... | 88 |
| 21. | रा. उ. प्रा. वि. सेहला | 75 | 20 | 18 | 28 | 27 | .... | .... | .... | .... | 168 |
| 22. | ,, जैतसीसर | 48 | 12 | 5 | 1 | 3 | .... | .... | .... | .... | 69 |
| 23. | ,, मालकसर | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | .... | .... | .... | .... | 53 |
| 24. | ,, डेलवा | 43 | 11 | 6 | 8 | 12 | .... | .... | .... | .... | 80 |
| 25. | ,, सुजानगढ़ | 142 | 26 | 41 | 21 | 45 | 28 | .... | .... | .... | 303 |

जिलाशिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू ।

## परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 235 की सूची)

प्रवेशिका परीक्षा का उत्तीर्ण छात्रों की गत आठ वर्षों की सूचना

| क्र. सं. | सन | परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | परीक्षा परिणाम प्रतिशत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1970–71 | 12 | 11 | 92 प्रतिशत | — |
| 2 | 1971–72 | 11 | 2 | 18 " | — |
| 3 | 1972–73 | 20 | 9 | 45 " | एक छात्र मेरिट में |
| 4 | 1973–74 | 17 | 4 | 24 " | — |
| 5 | 1974–75 | 20 | 6 | 42 " | — |
| 6 | 1975–76 | 16 | 8 | 50 " | — |
| 7 | 1976–77 | 10 | — | — " | — |
| 8 | 1977–78 | 13 | 4 | 31 " | — |

255



**श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बिलोंची (जयपुर) का सत्र 1970-71 से 1977-78 तक का परीक्षा परिणाम**

1970-71

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | नाम छात्र | प्रविष्ट | परिणाम | प्रतिशत |
| 1. | श्री नानगराम माली | प्रविष्ट | अनुत्तीर्ण | |
| 2. | श्री कालूराम शर्मा | ,, | उत्तीर्ण | |
| 3. | श्री भगवान सहाय मीणा | ,, | ,, | |
| 4. | श्री हनुमान सहाय टेलर | ,, | ,, | |
| 5. | श्री छीतरमल दरिया | ,, | ,, | |
| 6. | श्री सीताराम शर्मा | ,, | ,, | |
| 7. | श्री कजोड़मल गूजर | ,, | ,, | प्रविष्ट–12 |
| 8. | श्री कल्याण सहाय शर्मा | ,, | ,, | उत्तीर्ण–11 |
| 9. | श्री कन्हैयालाल शर्मा | ,, | ,, | अनुत्तीर्ण– |
| 10. | श्री हनुमान सहाय शर्मा | ,, | ,, | |
| 11. | श्री जगदीश नारायण शर्मा | ,, | ,, | प्रतिशत-92 |
| 12. | श्री नाथूलाल बुनकर | ,, | ,, | |
| | सत्र 1971-72 | | | |
| 1. | श्री कन्हैयालाल शर्मा | प्रविष्ट | उत्तीर्ण | |
| 2. | श्री कालूराम ज्योतिषी | ,, | अनुत्तीर्ण | |
| 3. | श्री नारायण लाल शर्मा | ,, | अनुत्तीर्ण | |
| 4. | श्री बजरंग सिंह शेखावत | ,, | ,, | प्रविष्ट–11 |
| 5. | श्री बाबूलाल शर्मा | ,, | ,, | उत्तीर्ण–2 |
| 6. | श्री भंवरलाल बुनकर | ,, | ,, | अनुत्तीर्ण–9 |
| 7. | श्री रामपाल मीणा | ,, | ,, | |
| 8. | श्री रामबाबू शर्मा | ,, | ,, | |
| 9. | श्री रामेश्वर प्रसाद दरिया | ,, | उत्तीर्ण | 18 प्रतिशत उत्तीर्ण |
| 10. | श्री लल्लूलाल स्वामी | ,, | अनुत्तीर्ण | |
| 11. | श्री लालचन्द्र शर्मा | ,, | ,, | |
| | सत्र 1972-73 | | | |
| 1. | श्री ओम प्रकाश शर्मा | ,, | उत्तीर्ण | |
| 2. | श्री कल्याण सहाय शर्मा | ,, | ,, (पूरक) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | श्री कैलाश नारायण शर्मा | सत्र 1972-73 | अनुत्तीर्ण | |
| 4. | श्री कैलाशचन्द्र शर्मा | ,, | ,, | |
| 5. | श्री कल्याण सहाय मीणा | ,, | ,, | |
| 6. | श्री गंगा सहाय दरिया | ,, | ,, | |
| 7. | श्री ग्यारसी लाल मीणा | ,, | उत्तीर्ण | |
| 8. | श्री चौथमल दरिया | ,, | ,, प्रथम | |
| 9. | श्री छाजू लाल | ,, | ,, | |
| 10. | श्री छीतरमल बुनकर | ,, | ,, | |
| 11. | श्री नारायण लाल रंगर | ,, | ,, द्वितीय | |
| 12. | श्री नारायण लाल शर्मा | ,, | ,, | |
| 13. | श्री बन्नालाल शर्मा | प्रविष्ट | उत्तीर्ण | |
| 14. | श्री बंशीधर शर्मा | ,, | अनुत्तीर्ण | |
| 15. | श्री भैरूलाल शर्मा | ,, | ,, | |
| 19. | श्री मालीराम शर्मा | ,, | उत्तीर्ण | |
| 17. | श्री मुरारी लाल शर्मा | ,, | अनुत्तीर्ण | प्रविष्ट-20 |
| 18. | श्री रामबाबू शर्मा | ,, | ,, | उत्तीर्ण-10 |
| 19. | श्री लालचन्द | ,, | ,, | अनुत्तीर्ण-10 |
| 20. | श्री चौथमल शर्मा | ,, | ,, | 50 प्रतिशत परिण |

1973-74

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | गोविन्द नारायण शर्मा | ,, | उत्तीण |
| 2. | लालचन्द दरिया | ,, | ,, |
| 3. | बाबूलाल जाट | ,, | अनुत्तीर्ण |
| 5. | भगवान सहाय बुनकर | ,, | ,, |
| 5. | मोहनलाल शर्मा | ,, | उत्तीर्ण |
| 6. | सीताराम शर्मा | ,, | ,, |
| 7. | सेडूराम बागडा | ,, | अनुत्तीर्ण |
| 8. | सेडूराम बागडा | ,, | अनुत्तीर्ण |
| 9. | लल्लूलाल नायक | ,, | ,, |
| 10. | हनुमान सहाय शर्मा | ,, | ,, |

257



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | हरिकिशन जाट | सत्र 1973-74 | अनुत्तीर्ण | |
| 12. | गंगासहाय दरिया | ,, | उत्तीर्ण | |
| 13. | भैरूलाल शर्मा | ,, | अनुत्तीर्ण | प्रविष्ट-17 |
| 14. | प्रहलाद सिंह | ,, | ,, | उत्तीर्ण 6 |
| 15. | मोहनलाल पारीक | ,, | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण-11 |
| 16. | गोपाल लाल शर्मा | ,, | अनुत्तीर्ण | 35 प्रतिशत उत्तीर्ण |
| 17. | रामलाल दरिया | ,, | अनुत्तीर्ण | |

258



**श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बिलोंची के प्रवेशिका में प्रविष्ट होने वाले छात्रों को गत 8 वर्ष से अब तक की सूची**

सत्र 1974-75

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | नाम छात्र | प्रविष्ट | परिणाम | अनुत्तीर्ण |
| 1. | श्री कल्याण सहाय शर्मा | ,, | उत्तीर्ण | ,, |
| 2. | कजोड़मल पारीक | ,, | ,, | ,, |
| 3. | कैलाश नारायण शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 4. | नाथूलाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 5. | प्रभुदयाल मीणा | ,, | ,, | ,, |
| 6. | भगवानसहाय बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 7. | भूरामल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 8. | भेरूलाल मीणा | ,, | उत्तीर्ण | ,, |
| 9. | मुक्तिलाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 10. | मोहनलाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 11. | भेहनेलाल कुम्हार | ,, | ,, | ,, |
| 12. | रामचन्द्र मीणा | ,, | ,, | ,, |
| 13. | रामेश्वर प्रसाद शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 14. | लल्लु लाल नायक | ,, | ,, | ,, |
| 15. | सुखदेव बुनकर | अनुपस्थित | ,, | ,, |
| 16. | सैडूराम शर्मा | प्रविष्ट | ,, | ,, |
| 17. | सेडूराम वागडा | ,, | ,, | ,, |
| 18. | हनुमान सहाय शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 19. | हरीकिशन जाट | ,, | ,, | ,, |
| 20. | जेतराम महोलिया | ,, | ,, | ,, |

सत्र 1975-1976

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कल्याण सहाय शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 2. | नाथूलाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 3. | भूरामल | ,, | ,, | ,, |
| 4. | मुरलीधर जाट | ,, | ,, | ,, |
| 5. | रमेशचन्द भार्गव | ,, | ,, | ,, |

(259)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | रामेश्वर प्रसाद शर्मा | सत्र 1975-76 | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण |
| 9. | रामेश्वर प्रसाद शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 8. | रामकिशोर शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 9. | शंकर लाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 10. | सुरज्ञानी लाल बुनकर | प्रविष्ट | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण |
| 11. | सुशील कुमार शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 12. | सुरजमल महोलिया | ,, | ,, | ,, |
| 13. | सोहनलाल दोतोलिया | ,, | ,, | ,, |
| 14. | हनुमानसिंह नाथावत | ,, | ,, | ,, |
| 15. | प्रभुदयाल मीणा | ,, | ,, | ,, |
| 16. | मुक्तिलाल | ,, | ,, | ,, |
| | **सत्र 1976-77** | | | |
| 1. | ओंकार मीणा | ,, | ,, | ,, |
| 2. | ग्यारसीलाल बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 3. | जददीश प्रसाद शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 4. | जगदीश प्रसाद शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 5. | नांगछीलाल जाट | ,, | ,, | ,, |
| 6. | नानूलाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 7. | रामकिशोर शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 8. | सीताराम बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 9. | सुरज्ञानीलाल बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 10. | सुरेशचन्द भट्ट | ,, | ,, | ,, |
| | **सत्र 1977-78** | | | |
| 1. | ओंकारमल मीणा | ,, | ,, | ,, |
| 2. | ग्यारसीलाल बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 3. | जगदीश प्रसाद जाट | ,, | ,, | ,, |
| 4. | नांनछीलाल जाट | ,, | ,, | ,, |
| 5. | बनवारीलाल शर्मा | ,, | ,, | ,, |
| 6. | महेश कुमार शर्मा | ,, | ,, | ,, |

260



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | रामगोपाल शर्मा | प्रविष्ट | उत्तीर्ण | अनुत्तीर्ण |
| 8- | रामदेव बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 9. | रामलाल बुनकर | ,, | ,, | ,, |
| 10. | रामलाल गुजर | ,, | ,, | ,, |
| 12. | सीताराम दोतेलिय, | ,, | ,, | ,, |
| 12. | सुरज्ञानीलाल | ,, | ,, | ,, |
| 13. | सुरेशचन्द भट्ट | ,, | ,, | ,, |

# परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 779 के नियम)

**Copy of circular No. F. 18 (10) Apptts (A) 57 Gr. III dated 8th June, 62 from Special Secretary to Government of Rajasthan, Appointments (A. III) Department, Jaipur to all Heads of Departments.**

Sub. : Ministerial Service Cadre.

Attention in invited to this Department circular of even number dated the 7th January, 1958 followed by clarification issued on 6/8th Sept., 196 appointing/transferring and promoting authorities in respect of various categories constituting Ministerial service were prescribed information of certain points with regard to the criteriam for maintenence of seniority lists of the different categories of Mincesterial staff was also sought from the Heads of Departments and the Administrative Departments.

(2) The matter has been examined in the light of the comments received from the various quators. As a result of such on examination it is felt that there is an intimate relationship between the Appointing Authorities and the level at which the seniority list of a cadre be maintained. The accepted principle in such a matter should be that the seniority list must be maintained by the authority competent to promote an individval. For instance if the Deputy to Head of Department is empowered to appoint Upper Division Clearks, the seniority lists of Lower Division Clerks working in his administrative Jurisdiction (Division) should be maintained by him. Semilarly, if the office Superintendents are appointable by the Head of Department the senority list of Upper Division Clearks belonging to that Department should be maintained by the Head of the Department.

(3) As for the level at which appointing authority of various categories of Ministerial employees should vest, the balance of covenience would favour the following arrangements--

1. District Level Officers of various Departments may be the appointing authorities in respect of Lower Division Clearks,

Some officers Incharge of Special Schemes and thus not integral part of the District set-up as well as institutions under the control of the officers the status of District Level Officers (or higher) should also exercise the same power.

2. The Divisional Level Officers of different Departments may be appointing authorities in respect of Upper Division Clerks/ Stenographers, Grade III.

District Level Officers who have 8 Lower Division Clearks ane 2 Upper Division Clerks or more under their administrative control, officers In-charge of any Special Schemes (and thus not an integral part of the Division set-up) as well as Heads of institutions with the status of Divisional Level Officers or higher should also exercice this power. Thus the seniority lists of Lower Division Clerks will be maintained Division wise/District-wise/Institution-wise, as the case may be.

(3) Appointment Authority in respect of the cadres higher than those mentioned in (1) and (2) above may vest in the Head of the Deptt.

The Seniority list of Upper Division Clerks Stenographers Grade III, will therefore, be maintained Department-wise.

(4) The aforesaid arrangements shall come into forc with immediately office power to appoint/promote ministerial staff may be deemed to have been delegated accordingly. On the basis of thes orders proposals may to sent to this Department for issue of formal amendments to the Schedule to Classification, Control & Appeal Rules showing Head of office and next Higher Authority.

Copy of order No. 464 Estt/7411 dated 28th Oct. 1963 from Chief Engineer, Irrigation Department, Rajasthan, Jaipur to all concerned.

---

In pursuance of Government circular No. F. 18 (10) Apptts (A)/57 Group III dated 8.6.52 (Copy attached). it is hereby ordered that the respective Superintending Engineers of the department would draw up seniority List of Lower Divi ion Clerks working in their admistrative jurisdiction with immediate effect keeping in view of the Department wise seniority already issued to the said unit of Ministerial service, issued under this office No. 222-F/504-9. dt. 23.1 68 and orders regarding confirmation issued subsequently.

2. A Copy of this circle wise seniority list of Lower Division Clerks should also be sent to this office in triplicate for reference and record alongwith a list showing lians of Lower Division Clerks on the permanent post in the circle. Any subsequent changes there in should also be intimated to this office in triplicate.

3. It is further laid down that an anunciated in the penul timative para of the above Government Circular, the following powers of appointment/promotion of Ministerial Staff should be deemed to have been delegated to the authorities mentioned below, pending issue of formal amendments to the schedule to C. C. A. Rules showing head of office and next higher authority by the Government.

| Nature of Power | To whon delegated | Extent of Powers |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Appointment of Ministerial Staff | 1. Superintending Engineer, Irrigatiom | Full power in respect subs-tentive Apptts. of Stenographers (Gr. III) Cs/LDCs/UDCs/Store Keepers/Accounts Clerk (UDC) Asstt. Store Keeper. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 2. Executive Engineer Irrigation | Full Powere in respect of substantive apptts. of LDCs Asstt. Store Keepers. |

Provided, the apphontments in substantive capacity are made in accordance with the Rajasthan Subordinate Office and instructions issued, from time to time by the Head of Deptt.

4. Seniority of Lower Division Clearks working in the office of Head of Department will be maintained separatey in office.

205



## परिशिष्ट 12.

(अतारांकित प्रश्न 781 की सूची)

**माह दिसम्बर, 1978 में चूरू जिले की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की पेयजल योजनाओं में स्वीकृत ग्रामों की सूची**

| क्र.संख्या | योजना का नाम | प. स. सुजानगढ़ के भूदंडा कानोता क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | बम्बू | |
| 2. | इयारा | |
| 3. | लालगढ़ | |
| 4. | जोगलसर | |
| 5. | टेण्डेसर | योजना का प्रस्तावित काल 2 वर्ष |
| 6. | पडीवारा | |
| 7. | भैसीना | |
| 8. | भूदंडा | |
| 9. | कानोता | |

| क्र.संख्या | योजना का नाम | सरदारशहर प. स. के शिमला क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | बीकनसर छोटा | |
| 2. | शिमला | |
| 3. | बिरयावास रामपुरा | कार्यकाल 2 वर्ष । |
| 4. | फोगन घरथरी | |

**माह मार्च, 1979 में स्वीकृत बीकानेर, डूंगरपुर प. स. क्षेत्र की सरेरा पुंगल पेयजल योजना में स्वीकृत ग्रामों की सूची**

1. पुनरासर

कुल 14 ग्राम

## परिशिष्ट-13

सूची "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 782 की सूची)

**चालू वित्तीय वर्ष में सृजित किये गये नये कार्यालयों की सूची**

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | 132 के. वी. जी. एस. एस., डीडवाना |
| 2. | 132 के. वी. जी. एस. एस., लाखेरी |
| 3. | 132 के. वी. जी. एस. एस., बालोतरा |
| 4. | 132 के. वी. जी. एस. एस.. पोकरण |
| 5. | हाइडल प्रोजेक्ट सर्किल |
| 6. | सब डिवीजन—करणपुर |
| 7. | 132 के. वी. जी. एस. एस., ढेचूं |
| 8. | 132 के. वी. जी. एस. एस. पदमपुर |
| 9. | डिवीजन प्रोक्योरमेन्ट-1 जयपुर |
| 10. | मोनीटोरिंग सर्किल, जयपुर |
| 11. | पी. एल. सी. सी. डिवीजन, ब्यावर |
| 12. | 220 के. वी. जी. एस. एस., खेतड़ी |
| 13. | प्रोजेक्ट एवं प्रोक्योरमेन्ट सर्किल का पुर्नगठन |
| 14. | जोधपुर कन्स्ट्रक्शन सर्किल, जोधपुर |
| 15. | झुंझुनूं सर्किल, झुंझुनूं |
| 16. | पी. एस. जहाजपुर (आर. ई. सी.) |
| 17. | पी एस. शेरगढ़ (आर. ई. सी.) |
| 18. | टी. डी. सी.-4, मेड़क |
| 19. | सब आफिस, रावतसर |
| 20. | 132/33 के. वी., 33 के. वी. एस. एस., आर. ए. पी. पी., कोटा |
| 21. | ओ. एण्ड एम. सब डिवीजन, लाडनूं |
| 22. | आर. ई. सी., खानपुर |

(207)



| 1 | 2 |
|---|---|
| 23. | आर. ई. सी., अन्ता |
| 24. | आर. ई. सी., धोद |
| 25. | आर. ई. सी., लक्ष्मणगढ़ |
| 26. | आर, ई. सी., फतेहपुर |
| 27. | एस. ई. सिविल |
| 28. | 132 के. वी. जी. एस. एस. कून्दू की ढाणी (आमेर) |
| 29. | आई. डी. ए. (प्रोक्योरमेन्ट) जयपुर |

## परिशिष्ट—14

**Water Supply Scheme for Taragarh Ajmer**
**ABSTRCT**

| S.No. | Particulars | Qty. | Rate | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Providing laying and jointing 100 mm G. I. Pipes as per specifications | 5200 M | 70·00 | P.M. | 3,64,000 |
| 2. | Add 10 per cent for the cost of specials | L.S. | - | | 3,64,000 |
| 3. | Cost of 20 H. P. pumping sets of discharge 4000 gph and 140 meters head including switch board starter & delivery. | 6 Nos. | 15000.00 | Each | 90,000 |
| 4. | Const. of ground level reservoir at Taragarh of capacity 30,000 glns. | 1 No. | 45000.00 | ,, | 45,000 |
| 5. | Const. of pump including pumping station of 7000 glns at intermediate pumping station | 2 Nos. | 20000.00 | ,, | 40,000 |
| 6. | Laying & jointing distribution system | L.S. | - | - | 50,000 |
| 7. | Road cutting charges | ,, | - | - | 30,000 |
| 8. | Provision for tramission line of 3km | ,, | - | - | 4,000 |

269



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Provision of supporting pillars | L. S. | – | – | 4,000 |
| 10. | Const. of pump room at Babugarh | ,, | – | – | 6,000 |
| | Total | | | | 6,69,400 |
| | Add 41 percent for work charged establishment & contingency | | | | 30,123 |
| | G. Total | | | | 6,99,523 |
| | Say Rs. 7.00 lac | | | | |

278



## परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 788 की सूचना)

निगम द्वारा राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तावित मार्गों की योजना

(मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-सी के अन्तर्गत)

| क्र. सं<br>1 | नाम स्कीम व मार्ग<br>2 | प्रकाशित दिनांक<br>3 |
|---|---|---|
| 1. | कोटा—रावतभाटा वाया शिवपुरी, बोरावास, जवाहारा और उसके हिस्सों पर | 3.4.76 |
| | कोटा – खातोली वाया तातार, सुलतानपुर, इटावा और उसके हिस्सों पर | |
| | कोटा—इटावा वाया तातार, सुलतानपुर और उनके हिस्सों पर | |
| 2. | दौसा—सवाई माधोपुर वाया नागल, सालमपुर, लालसोट, मलारना, चुड़, भादोती सवाई माधोपुर सिटी और उसके हिस्सों पर | 7.4.76 |
| | दौसा – गंगापुर वाया नागल, सालमपुर, लालसोट, मण्डावरी, बामनवास, पीपलिया और उसके हिस्सों पर | |
| 3. | भरतपुर-हिण्डौन वाया सेवर, उच्चैन, वीरमपुरा, बयाना, सिकन्दरा, सूरोट, जेतकानगला और उसके हिस्सों पर | |
| | भरतपुर-बयाना वाया सेवा, उच्चैन, वीरमपुरा और उसके हिस्सों पर | 3.4.76 |
| 4. | ब्यावर भीलवाड़ा वाया बडनोर, आसीद, सरेडो, माण्डल और उसके हिस्सों पर | 3.4.76 |
| | भीलवाड़ा – देवली वाया शाहपुरा, जहाजपुर और उसके हिस्सों पर | |
| 5. | डूंगरपुर—पोठ वाया गंगो, जोथरी धम्रभोला और उसके हिस्सों पर | |
| 6. | उदयपुर—बड़ी सादड़ी वाया उगोन, भटेवर, भीन्डर, कनोरा, वान्सी और उसके हिस्सों पर | 3.4.76 |
| | चित्तौड़—बड़ी सादड़ी वाया मांगरोल, नीम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, जालोड़ और उसके हिस्सों पर | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | चित्तौड़—छोटी सादड़ी वाया मांगरोल, नीम्बाहेड़ा और उसके हिस्सों पर | |
| | उदयपुर—फतेहनगर वाया देवारी, भटेवर, आकोला, भोपालसागर और उसके हिस्सों पर | |
| 7. | बीकानेर—सेथल वाया नापासर और उसके हिस्सों पर | 7.4.76 |
| | बीकानेर—खाजुवाला वाया देवकुंड, सागर, गरनवाला और उसके हिस्सों पर | |
| | बीकानेर—खाजुवाला वाया पूंगल और उसके हिस्सों पर | |
| 8. | अनुपगढ़—सूरतगढ़ वाया जेतसर और उसके हिस्सों पर | 7.4.76 |
| 9. | गंगानगर—करनपुर वाया जेड-माइनर और उसके हिस्सों पर | 26.7.76 |
| | गंगानगर—करनपुर वाया मिरजावली | |
| | गंगानगर—केसरीसिंहपुर वाया कमीनपुरा और उसके हिस्सों पर | |
| 10. | डूंगरपुर—आसपुर वाया गणेशपुर और उसके हिस्सों पर | 26.7.76 |
| | डूंगरपुर—आसपुर वाया बनकोड़ा और उसके हिस्सों पर | |
| | आसपुर—सागवाड़ा वाया पुंजपुर, पड़वा और उसके हिस्सों पर | |
| | डूंगरपुर—निठवा वाया बनकोड़ा, पूंजपुर, आसपुर, सेवाला | |
| 11. | अजमेर—सीकर वाया नावां, कुन्ड और उसके हिस्सों पर | 26.7.76 |
| | अजमेर—दवेरला वाया नसीराबाद, रामसर, और उसके हिस्सों पर | |
| | अजमेर—किसांगन वाया मागलीयावास और उसके हिस्सों पर | |
| | अजमेर—किसांगन वाया पुष्कर, गोविन्दगढ़ और उसके | |
| | अजमेर—पुष्कर और उसके हिस्सों पर | |
| | मकराना—कुचामन सिटी और उसके हिस्सों पर | |
| 12. | ब्यावर—विजयनगर वाया शिवपुरा और उसके हिस्सों पर | 26.7.76 |
| | बाराखान—ब्यावर वाया जेसखेड़ा, तारागढ़, देवाता, कोटरा और उसके हिस्सों पर | |
| | आसीन्द—विजयनगर वाया पारसोला, शम्भूगढ़, अन्तुली और उसके हिस्सों पर | |
| | आसीन्द—बलापुरा और उसके हिस्सों पर | |
| 13. | अलवर—महावीरजी वाया राजगढ़, मण्डावर, महुआ और उसके हिस्सो पर | 26.7.76 |
| | हिन्डौन—महावीरजी वाया खेड़ा और उसके हिस्सों पर | |
| | हिन्डौन—गंगापुर वाया खेड़ा, वजीरपुर और उसके हिस्सों पर | |
| | गंगापुर—कैलादेवी और उसके हिस्सों पर | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | टोडाभीम—बयाना वाया खेड़ला, गाजीपुर और उसके हिस्सों पर | |
| | हिन्डौन—सिकन्दरा वाया महावीरजी, नादौती, गोजगढ़ और उसके हिस्सों पर | |
| | हिन्डौन—कोटडी वाया खेड़ा और उसके हिस्सों पर | |
| | गंगापुर—सिकन्दरा वाया नादौति, गोजगढ़ और उसके हिस्सों पर | |
| 14. | कोटा—रंगपुर वाया कोटा रेलवे स्टेशन, बदाना, गंगायचा, गनवाड़ी और उसके हिस्सों पर | 20.9.76 |
| 15. | अजमेर—रामसर वाया श्रीनगर और उसके हिस्सों पर | 30.10.76 |
| | अजमेर—विजयनगर वाया राजगढ़, रामपुरा, शेरगढ़ और हिस्सों पर | |
| | अजमेर—मेड़तासिटी वाया अलनियावास और उसके हिस्सों पर | |
| 16, | कोटा—कोटा वाया कुनारो और उसके हिस्सों पर | 30.10.76 |
| | कोटा—कैथून और उसके हिस्सों पर | |
| | कोटा—बुड़ादित वाया बिगोद, सुलतानपुर और उसके हिस्सों पर | |
| | कोटा—कोटरादीपसिंह वाया सुलतानपुर और उसके हिस्सों पर | |
| 17. | सिण्धरो—गांधव वाया गुड़ारामजो का गोल और उसके हिस्सों पर | 30.11.76 |
| | सोजत—खिलाड़ा वाया रूढ़िया, अटपरा और उसके हिस्सों पर | |
| | जैतारण—मेड़ता सिटी वाया कालू, साम्बिया और उसके हिस्सों पर | |
| 18. | जयपुर—विश्वकर्मा इण्डिस्ट्रियल एरिया वाया पानीपेच, झोटवाड़ा और उसके हिस्सों पर | 30.11.76 |
| | जयपुर—नायला वाया कानोता और उसके हिस्सों पर | |
| 19. | चितौड़गढ़—बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़ और उसके हिस्सों पर | 30.11.76 |
| 20. | बहरोड़—शाहंजापुर वाया बरडोद, जाट-बहरोड़ और उसके हिस्सों पर | 31.12.76 |
| | बहरोड़—गूगलकोट (राज. सोमा) वाया मन्जारो, कलाना, नीमराना, शाहंजापुर और उसके हिस्सों पर | |
| | शाहंजापुर—राज. सोमा (एन. एच. डब्लू नं. 8) | |
| | बहरोड़—बानसूर वाया हरसोला, सोडावास और उसके हिस्सों पर | |

273



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | बहरोड़—माडन (राज. सोमा) वाया कनवास, वीरनवास और उसके हिस्सों पर | |
| | बहरोड़ —भगवारी (राज. सोमा) वाया जोजोरावास और उसके हिस्सों पर | |
| 21. | कोटपूतली—रायपुर (राज. सोमा) वाया पनिहारामोड़, गौनेड़ा और उसके हिस्सों पर | 31.12.76 |
| | कोटपूतली—नारायणपुर वाया बान्सूर और उसके हिस्सों पर | |
| | शाहपुर—नारायणपुर वाया घाटाबन्दरोल और उसके हिस्सों पर | |
| 22. | चौमूं—चंदवाजो वाया मोरिजा और उसके हिस्सों पर | 31.12.76 |

## परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न 791 की सूचना

तीनों मार्गों पर लगाई गई बसों की सूची

| मार्ग का नाम | संचालन हेतु निर्धारित वाहनों की संख्या | निर्धारित परिचक्र (प्रतिदिन) |
|---|---|---|
| सीकर—नीमकाथाना | 10 | 32 |
| वाया—उदयपुरवाटी | | |
| सीकर—लोसेल | 5 | 26 |
| फतेहपुर—चूरू | 5 | 26 |

225



**माह जनवरी व फरवरी, 1979 में आगार कार्यशाला, सीकर से निरस्तीकरण का व ब्रेक डाउन का दिनांक वार विवरण**

| दिनांक | सीकर-तोरत मार्ग | फतेहपुर-चुरू मार्ग | सीकर-उदयपुरवाटी-नीमकाथाना | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 16-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 17-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 21-1-79 | .... | 0545 निरस्त | .... | |
| | | 0930 निरस्त | .... | |
| 22-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 23-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 28-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 29-1-79 | .... | 0930 निरस्त | 0630 निरस्त | |
| 30-1-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 31-1-79 | .... | 0545 निरस्त | 0630 निरस्त | |
| | .... | 0930 निरस्त | | |
| 1-2-79 | .... | .... | 0715 निरस्त | |
| 2-2-79 | .... | 0545 निरस्त | 0630 निरस्त | |
| 3-2-79 | .... | 0545 निरस्त | .... | |
| | | 0930 निरस्त | .... | |
| 4-2-79 | .... | .... | 0715 निरस्त | |
| 5-2-79 | .... | .... | 0715 निरस्त | |
| | | | 1415 निरस्त | |
| 6-2-79 | .... | .... | 0800 निरस्त | |
| 7-2-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 8-2-79 | .... | .... | 0715 निरस्त | |
| 9-2-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 10-2-79 | — | 0930 निरस्त | 0715 निरस्त | |
| 11-2-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 12-2-79 | ब्रेक डाउन | .... | .... | |
| 13-2-79 | 0615 निरस्त | .... | .... | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16-2-79 | .... | 0545 निरस्त | | |
| 18-2-79 | .... | 0545 निरस्त | 0715 निरस्त | |
| 19-2-79 | .... | .... | 0715 निरस्त | |
| 20-2-79 | .... | 0930 निरस्त | 0630 निरस्त | |
| 21-2-79 | .... | 0545 निरस्त | .... | |
| 23-2-79 | .... | 0930 निरस्त | .... | |
| 24-2-78 | .... | 0545 निरस्त | .... | |
| 25-2.78 | .... | .... | 1415 निरस्त | |
| 26-2-79 | .... | .... | 1415 निरस्त | |
| 27-2-79 | .... | 0930 निरस्त | 0715 निरस्त | |
| | .... | .... | 1415 निरस्त | |

(222)



## परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 800 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

समाज कल्याण विभाग में कार्यरत जिलाधीकारी एवं समकक्ष अधिकारियों की सूची

| मांक 1 | नाम पद 2 | | | अधिकारी का नाम 3 | वेतन श्रृंखला 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रुप 'ए-2' | | | | |
| 1. | जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर | | | श्री केदारनाथ | 590-1035 |
| 2. | " | " | अजमेर | श्री एस. के. सारस्वत | " |
| 3. | " | " | भीलवाड़ा | श्री सीताराम शर्मा | " |
| 4. | " | " | चित्तोड़गढ़ | श्री रोशनलाल कोठारी | " |
| 5. | " | " | उदयपुर | श्री नवनीत लाल | " |
| 6. | " | " | डूंगरपुर | श्री रमणलाल द्विवेदी | " |
| 7. | " | " | बांसवाड़ा | श्री लक्ष्मणलाल शर्मा | " |
| 8. | " | " | टोंक | श्री नाथूराम अभय | " |
| 9. | " | " | जोधपुर | श्री श्यामसिंह लोढ़ा | " |
| 10. | " | " | सवाई माधोपुर | श्री टी. एन. जोशी | " |
| 11. | " | " | सीकर | श्री गोविन्दसिंह | " |
| 12. | " | " | बाड़मेर | श्री नारायणलाल शर्मा | " |
| 13. | " | " | बीकानेर | श्री रवीन्द्रनाथ | " |
| 14. | " | " | नागौर | श्री नानालाल व्यास | " |
| 15. | " | " | पाली | श्रीमती मंजु सिंघल | " |
| 16. | " | " | अलवर | श्री श्यामलाल सुखवाल | " |
| 17. | " | " | भरतपुर | श्री भागचन्द जैन | " |
| 18. | " | " | गंगानगर | श्री एन. एस. मोदी | " |
| 19. | " | " | कोटा | श्री डी. एस. कोठारी | " |
| 20. | " | " | सिरोही | श्री शम्भुपुरी गोस्वामी | " |
| 21. | अधीक्षक सम्प्रेक्षण गृह, जयपुर | | | श्री सन्तोष शाह | " |
| 22. | " | " | अजमेर | श्री जगदीश प्रसाद ओझा | " |
| 23. | " | " | जोधपुर | श्री मदनगोपाल व्यास | " |

(278)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24. | अधीक्षक सम्प्रेक्षण गृह, कोटा | श्री राघवसिंह | 590-1035 |
| 25. | जिला बालक अधिकारी, जयपुर | श्री एस. के. दलेला | " |
| 26. | " " अजमेर | श्री जी. डी. सिल्वा | " |
| 27. | " " कोटा | श्री गोपीलाल | " |
| 28. | " " जोधपुर | श्री वी. एन. पारीक | " |
| 29. | अधीक्षक बालक गृह, जयपुर | श्रीमती सावित्री हरजानी | " |
| 30. | " " जोधपुर | श्री माधवलाल भील | " |
| 31. | " सेवा सदन जयपुर | श्री टी. एस. रोकड़िया | " |
| 32. | " " अजमेर | श्री कुंजविहारी लाल | " |
| 33. | " " उदयपुर | श्रीमती तीजादेवी | " |
| 34. | " शिशु गृह, जयपुर | श्रीमती राजेश्वरी वैश्य | " |
| 35. | " " जोधपुर | श्रीमती राजकपूर | " |
| 36. | " महिला सदन, जयपुर | श्रीमती रूपा गुलवानी | " |
| 37. | " उत्तर रक्षा गृह, अजमेर | श्रीमती ज्ञानेश शर्मा | " |
| 38. | " मानसिक पीड़ित महिला आश्रम गृह, जयपुर | श्रीमती कमला भार्गव | " |
| 39. | " मानसिक पीड़ित बालक गृह, जयपुर | श्री रोशनलाल अग्रवाल | " |
| 40. | " पुनर्वास केन्द्र अजमेर | श्री जी. एस. शाला | " |
| 41. | " " उदयपुर | श्री अन्सार अहमद नकवी | " |
| 42. | अधीक्षक वृद्ध एवं आवास गृह पुष्कर | श्री रमेशचन्द शर्मा | " |
| 43. | " " टोंक | श्री श्यामनारायण माथुर | " |
| 44. | बाल विकास परियोजना अधिकारी पिण्डवाड़ा | श्री नारायण सिंह | " |
| 45. | " " छोटीसादड़ी | श्री नारायण बन्धु | " |
| 46. | " " गढ़ी | श्री प्रभाकर शर्मा | " |
| 47. | " " छबड़ा | श्री विमलचन्द जैन | " |
| 48. | अधीक्षक विश्व विद्यालय जयपुर | श्री रामचन्द्र | " |
| 49. | परिवीक्षा अधिकारी, मुख्यालय | श्री इन्द्रराज सिंह | " |
| 50. | अधीक्षक कुष्ट गृह जयपुर | श्री वृन्दावन बिहारी | " |
| 51. | अधीक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी अजमेर | श्री गणपत सिंह मेनीत | " |
| 52. | सांस्कृतिक अधिकारी, जयपुर | श्री विमलकुमार अग्रवाल | " |
| 53. | परिवीक्षा अधिकारी (वर्गीकरण) | श्री विष्णुदत्त शर्मा | " |
| 54. | परियोजना अधिकारी, मुख्यावास | श्री पी. आर. उपाध्याय | " |
| 55. | सहायक शोध अधिकारी, मुख्यावास | श्री लक्ष्मण गोस्वामी | " |

279



**जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर द्वारा वर्ष 1978-79 में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का निरीक्षण एवं विजिट की सूचना**

| क्रमांक | छात्रावास का नाम | निरीक्षण एवं विजिट का दिनांक | वि. वि. |
|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय छात्रावास खैरवाड़ा | 7-5-78 | |
| 2. | ,, ,, छाणी | 8-578 | |
| 3. | ,, ,, धरियाबाद | 8-8-78 | |
| 4. | ,, ,, मेमराना | 8-8-78 | |
| 5. | ,, ,, कोटड़ा | 18-8-78 | |
| 6. | ,, ,, छाणी | 23-8-78 | |
| 7. | सिलाई केन्द्र उदयपुर | 9-11-78 | |
| 8. | तृतीय श्रेणी छात्रावास उदयपुर | 12-11-78 | |
| 9. | आदिवासी छात्रावास सलूम्बर | 14-11-78 | |
| 10. | ,, ,, गोगुन्दा | 31-8-78 व 19-11-78 | |
| 11. | ,, ,, ऋषभदेव | 5-12-78 | |
| 12. | ,, ,, चावण्ड | 17-3-79 | |
| 13. | ,, ,, कानोड | 18-2-79 | |
| 14. | ,, ,, कुम्भलगढ़ | 19-11-78 | |
| 15. | ,, ,, सेमारी | 17-3-79 | |
| 16. | ,, ,, टिड्डी | 22-8-78 | |
| 17. | अनुसूचित जाति भीम | 26-2-79 | |
| 18. | महिला मण्डल उदयपुर | 6-3-79 | |
| 19. | जवाहर छात्रावास खैरवाड़ा | 18-3-79 | |
| 20. | बापा भील आश्रम ऋषभदेव | 6-12-78 | |
| 21. | महिला परिषद अनुसूचित कन्या छात्रावास उदयपुर | 17-1-79 | |
| 22. | वनवासी छात्रावास उदयपुर | तृतीय किस्त स्वीकृत करने के पूर्व निरीक्षण किया जायेगा। | |
| 23. | महिला आश्रम कन्या आदिवासी छात्रावास, उदयपुर | ,, ,, | |
| 24. | रामगिरी छात्रावास उदयपुर | ,, ,, | |

(280)



## परिशिष्ट—'स'

### स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अनुदानित छात्रावासों को वर्ष 1977-78 व 78-79 में स्वीकृत किया गया अनुदान की राशि

| क्रमांक | नाम छात्रावास | स्वीकृत राशि | कटौती | कटौती के पश्चात दी गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | वर्ष 1977-78 | | | |
| 1. | आदिवासी छात्रावास सलूम्बर | 27700/- | 4856/- | 22844/- |
| 2. | " " ऋषभदेव | 28850/- | 5062/- | 23788/- |
| 3. | " " चावण्ड | 29450/- | 9775/- | 19675/- |
| 4. | " " कानोड़ | 36299/- | 9397/- | 26982/- |
| 5. | " " कुम्भलगढ़ | 24300/- | 2315/- | 21985/- |
| 6. | " " सेमारी | 27250/- | 6715/- | 29535/- |
| 7. | " " गोगुन्दा | 7360/- | .... | 7360/- |
| 8. | अनुसूचित जाति छात्रावास भीम | 20800/- | 3610/- | 17190/- |
| 9. | आदिवासी छात्रावास टिडी | 45600/- | 12509/- | 33091/- |
| 10. | महिला मण्डल उदयपुर | 79700/- | 9346/- | 70354/- |
| 11. | जवाहर छात्रावास छोरवाड़ा | 39600/- | 8712/- | 30888/- |
| 12 | बाघा भील आश्रम ऋषभदेव | 39650/- | 8952/- | 31598/- |
| 13. | महिला परिषद उदयपुर | 19150/- | 2649/- | 16501/- |
| 14. | वनवासी छात्रावास उदयपुर | 47200/- | 9192/- | 38008/- |
| 15. | महिला आश्रम उदयपुर | 67950/- | 8529/- | 59421/- |
| 16. | राम गिरी छात्रावास उदयपुर | 31350/- | 4676/- | 26674/- |
| | वर्ष 1978-79 | | | |
| 1. | आदिवासी छात्रावास सलूम्बर | 31600/- | 1792/- | 29808/- |
| 2. | " " ऋषभदेव | 28950/- | 2124/- | 26826/- |
| 3. | " " चावण्ड | 29600/- | 3029/- | 26531/- |
| 4. | " " कामोड | 34200/- | 5513/- | 28687/- |
| 5. | " " कुम्भलगढ़ | 23500/- | 4975/- | 18525/- |
| 6. | " " सेमारी | 24250/- | 3528/- | 20722/- |
| 7. | " " गोगुन्दा | 9200/- | .... | 9200/- |
| 8. | अनुसूचित जाति छात्रावास भीम | 23550/- | 3345/- | 20205/- |
| 9. | आदिवासी छात्रावास टिडी | 44650/- | 517/- | 36133/- |

(281)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | महिला मण्डल उदयपुर | 82600/- | 6879/- | 75721/- |
| 11. | महिला परिषद उदयपुर | 19350/- | 1430/- | 17920/- |
| 12. | जवाहर छात्रावास खेरवाड़ा | 19800/- | .... | 19800/- |
| 13. | बापा भील आश्रम ऋषभदेव | 39150/- | 4735/- | 34415/- |
| 14. | वनवासी छात्रावास उदयपुर | 23600/- | .... | 23600/- |
| 15. | महिला आश्रम उदयपुर | 33974/- | .... | 33974/- |
| 16. | राम गिरी छात्रावास उदयपुर | 15675/- | .... | 15675/- |